राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 6] ग्यारहवीं विधान सभा के छठे सत्र का उनचालीसवां दिवस [संख्या : 19

शुक्रवार

4 मई, 2001

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्रीं परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री खेमराज कटारा।

जिला उदयपुर के खाद कारखानों द्वारा अनुदान राशि का दुरुपयोग

397. **श्री खेमराज कटारा** (उदयपुर ग्रामीण) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला उदयपुर में खाद उत्पादन के कितने कारखाने हैं?

(2) गत पांच वर्षों में राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा उन्हें कितना-कितना अनुदान दिया गया?

(3) क्या यह सही है कि सरकारी कर्मचारी/अधिकारियों की मिलीभगत से उक्त कारखाने नाममात्र का खाद उत्पादन कर फर्जी बिलों के आधार पर राशि प्राप्त कर सरकार को हानि पहुंचा रहे हैं? क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच करवाकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि खाद निर्माण में काम आने वाली सामग्री पर भी अनुदान दिया जाता है, यदि हां, तो किस-किस पर गत पांच वर्षों में कितना-कितना अनुदान दिया गया?

कृषि मंत्री (श्री तैय्यब हुसैन) : (1) जिला उदयपुर में खाद उत्पादन के 15 कारखाने हैं।

(2) राज्य सरकार द्वारा खाद उत्पादन पर कोई अनुदान नहीं दिया जाता है। केन्द्र सरकार द्वारा सिंगल सुपर फास्फेट खाद बनाने वाले कारखानों को राजस्थान राज्य में विक्रय की गई मात्रा पर अनुदान दिया जाता है। इसका विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(3) जी, नहीं। फर्जी बिलों के आधार पर अनुदान राशि प्राप्त करने का प्रकरण नहीं पाया गया है।

(4) खाद निर्माण में काम आने वाली सामग्री पर कोई अनुदान नहीं दिया जाता है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री खेमराज कटारा : अध्यक्ष महोदय, मैंने सवाल किया है, मंत्रीजी से मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि मैंने सूची मांगी है कि उदयपुर में कितने कारखाने खाद बनाने का काम करते हैं, मुझे सूची उपलब्ध नहीं करवाई गई। दूसरा सवाल मैंने पूछा है कि फर्जी बिलों के माध्यम से कितना अनुदान पिछले पांच वर्षों में उठा। मंत्रीजी ने जो जवाब दिया है वह सत्यता से बहुत परे है और आंकड़ों के जाल में फंसाया है। उन्होंने कुल पांच साल में दस कारखानों में जो अनुदान राशि दर्शायी है वह केवल 32 करोड़ 48 लाख 99 हजार 454 रुपये बताई है पांच सालों में, और 15 कारखानों में केवल एक कारखाना है, जो रामा फास्फेट है, उस अकेले कारखाने में इन्होंने 14 करोड़ 73 लाख 55 हजार 68 रुपयें बताये हैं, और बाकी के जो कारखाने हैं उनको बाकी की राशि बताई है। मेरा आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना है कि फर्जी बिलों के तहत कितनी राशि इन विभिन्न कारखानों ने प्रति वर्ष उठाई और अगर उन्होंने राशि उठाई है तो इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही आप करने जा रहे हैं।

श्री तैय्यब हुसैन : अध्यक्ष महोदय, सारी डिटेल्स उनको दे दी गई है और वहां कुल कारखाने 15 लगे हुए हैं। और दूसरा इन्होंने अगले प्रश्न में पूछा कि अनुदान कितनों को दिया गया, इन नौ के अलावा जो पांच और कारखाने हैं उन पर कोई अनुदान नहीं दिया गया है इसलिए उनकी कोई लिस्ट नहीं दी गई। जहां तक उन्होंने पूछा है, हमारे पास कोई ऐसा प्रकरण सामने नहीं आया है जिसमें कोई फर्जी सब्सिडी दी गई हो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सच है कि लिबर्टी पेस्टिसाइड ने पिछले दो वर्षों से अपना उत्पादन बंद कर रखा है? और यदि उत्पादन बंद कर रखा है लिबर्टी पेस्टिसाइड ने, क्योंकि उसके प्रदूषण के कारण से लोगों की शिकायतें हैं, और उसके बाद भी उसको 1999-2000 में भी और 2000-2001 में भी यह अनुदान की राशि दी गई। भाग संख्या तीन का जो दूसरा पार्ट है, क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच करवाकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है, इस पर आप मौन रहे। केवल ऊपर के प्रश्न के आधार पर "जी, नहीं" आपने लिख दिया कि कर्मचारियों और उन्होंने कोई फर्जी बिलों के आधार पर भुगतान नहीं किया। वह बात समझ में आ गई। लेकिन माननीय सदस्य ने जब प्रश्न किया, उसमें लिखा कि क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच करवाकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों, इसके बारे में कोई जवाब आपका इस उत्तर में नहीं है। एक तो यह स्पष्ट करें। और यह सच है, आप इसे चाहे किसी भी रूप में कहें, वास्तव में बिलों के आधार पर ही यह अनुदान उठाने की

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

और केवल इस अनुदान की राशि के लिए बिलों को काट कर ही इस राशि को प्राप्त करना उनका मुख्य ध्येय हो गया है, पिछले कम से कम इन तीन सालों में। क्योंकि अकाल के कारण से वैसे भी बिक्री काफी कम हो रही है और उस समय भी उन्होंने अपने अकाउंट्स के आधार पर, आप स्वयं देखेंगे तो पन्द्रह-पन्द्रह करोड़ रुपये केवल आपने जैसे रामा फास्फेट का है, पन्द्रह करोड़ रुपया केवल 2000-2001 का है, वास्तव में इतना उत्पादन भी है या नहीं, इसको किसी ने जाकर देखने की कोशिश भी की क्या, उनके बिजली के बिलों से पता लग जायेगा, उन्होंने जो कच्चा माल मंगाया उससे पता लग जायेगा। तो माननीय सदस्य की जो मंशा है वह यह थी कि अगर आप इसके बारे में जांच करा लें तो हर्जा क्या है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि क्या आपको इन खाद के कारखानों में किसी किस्म की अनियमितताओं की कोई शिकायत प्राप्त हुई और शिकायतों के अलावा भी क्या आपने अनियमितताओं को और गड़बड़ियों को रोकने के लिए स्वयं ने कोई इंस्पैक्शन, जांच या सुपरविजन करवाया, यदि हां, तो कब-कब करवाया और उसके क्या परिणाम सामने आये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि रामा फास्फेट जिसको आपने 14 करोड़ का अनुदान दिया है, इसका वर्ष 1999-2000 का कुल उत्पादन कितना था, आप विक्रय पर अनुदान दे रहे हैं। क्या यह सही है कि उत्पादन से ज्यादा विक्रय रामा फास्फेट और लिबर्टी पेस्टिसाइड, दोनों ने दिखाया है। क्या यह भी सही है कि इन दोनों के लिए आपके पास लगभग तीन या चार शिकायतें आई हैं और आपने उन शिकायतों पर कोई जांच नहीं कराई।

श्री खेमराज कटारा : अध्यक्ष महोदय, मेरा मूल प्रश्न यह था कि फर्जी बिलों के आधार पर यह अनुदान दिया गया है और यह जो भी आंकड़े दिये गये हैं, यह आंकड़े सत्यता से बहुत दूर हैं और रामा फास्फेट एक अकेला कारखाना है जो प्रति माह 15 लाख से ज्यादा अनुदान उठा रहा है फर्जी बिलों के आधार पर। जो सामग्री खाद के उत्पादन में काम आती है, वह खुले बाजार में बिक रही है और जो उत्पादन हो रहा है वह भी जो क्षमता है उससे कम है और यह सारा झूठे बिलों के तहत किया जा रहा है। यह कारखाना ऐसी जगह पर लगा है, पूरा जनजाति इलाका है और उसमें उसके पांच किलोमीटर के रेडियस में वहां जो घास उगती है, अगर मवेशी खाते हैं तो वह मर जाते हैं, पानी सारा खराब हो चुका है और वहां जो फसलें हैं वह सारी बरबाद हो चुकी है। इसलिए मैं मंत्रीजी से आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि इस कारखाने के प्रति क्या आप जांच करायेंगे और जांच कराने के बाद अगर अवहेलना पाई जायेगी, कमी

(श्री खेमराज कटारा)

पाई जायेगी तो क्या इसको बंद कराने की कार्यवाही करेंगे ?

श्री तैय्यब हुसैन : अध्यक्ष महोदय, इसके अनुदान का जो तरीका है वह यह है कि कम्पनियां बिल भेज देती है और अस्सी प्रतिशत सीधा केन्द्रीय सरकार से उनको तुरन्त पेमेंट हो जाता है। बीस प्रतिशत जो है, वह आते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं, जो भी उसका है जहां वह भेजते हैं, उसके आधार पर करते हैं और उस हिसाब से जब वेरीफाई हो जाता है तो उसको हम भेजते हैं, तो बाकी का बीस प्रतिशत उनको तब मिलता है।

दूसरा यह कि जहां तक इन्क्वायरी का ताल्लुक है इसकी पहले एक शिकायत सूरवी केमीकल्स कलर केमीकल्स के बारे में आयी थी 21.4.97 को और उसकी इन्क्वायरी कम्पलीट हो गयी थी 27.9.97 में। उसमें यह पाया गया कि उसमें इनको दोषमुक्त किया गया कोई इल्जाम इनके ऊपर साबित नहीं हुआ। दूसरा यह है कि पिछली दफा माननीय सदस्य ने ही यह सवाल पूछा था बजट सैशन में इन्हीं लाइंस पर करीब-करीब, तो उसके बाद मैंने खुद ने, सुओमोटो कोई शिकायत नहीं आयी इतनी डिटेल जांच मैंने करवायी अगर आप सुनें, इसके अलावा. अगर आप कुछ कहेंगे तो उसकी भी करा दूंगा।

25.5 को 13 पाइंट्स मैंने लिखे और उन पर इन्क्वायरी हुई।

1. फैक्ट्री में एस.एस.पी. के उत्पादन में कार्य करने वाले श्रमिकों का मस्टररोल मूल ही प्राप्त किया जाए।

2. गुड्स रसीद के नम्बर परिवहनकर्त्ताओं से जिन पर दैनिक माल की मात्रा, ट्रांसपोर्टर का नाम, चुंगी की रसीद, मालभाड़ा की मूल रसीद भी प्रस्तुत की जाए।

3. डीलर व उपभोक्ताओं की चालानों की रसीद की प्रतिलिपि प्रस्तुत की जाए।

4. राक फास्फेट के लिए क्रय बिल हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के ही प्रमाणित करवा कर प्रस्तुत किये जाए।

5. एसिड्स का क्रय किया गया—विक्रेता द्वारा सत्यापन। पैकिंग हेतु उपयोग किये गये बैगों का भी सत्यापन विवरण।

6. कम्पनी में एस.एस.पी. में क्रय की चुंगी की रसीद यदि क्रेता द्वारा चुंगी दी गयी हो तो वह भी प्रस्तुत की जाए। डीलर से भुगतान की रसीद प्राप्त की जाए चाहे वह भुगतान नकद हो या ड्राफ्ट से।

7. कम्पनी की वर्षवार बेलेंसशीट बैंक से सीधे ही कम्पनी के अकाउंट के स्टेटमेंट की प्रति।

8. डीलर से यह पता किया जाए कि निर्माता ने एस.एस.पी. कब सप्लाई की और अन्य ऐसा विवरण जिससे कि यह सबूत मिलता हो कि वास्तव में एस.एस.पी. विक्रय किया गया है।

9. जिले के उप निदेशक से यह प्रमाणित कराया जाए कि एस.एस.पी.

(श्री तैय्यब हुसैन)

कितनी-कितनी मात्रा में निर्माता ने डीलर को सप्लाई किया, डीलर ने आगे यह माल किसको विक्रय किया। उप निदेशक से विवरण सत्यापन करवाया जाए।

10. फैक्ट्री में एस.एस.पी. उत्पादन में जो बिजली खर्च हुई है उसके बिल विद्युत मंडल से प्रमाणित करवा कर मंगवाये जाएं।

11. वर्षवार सब्सिडीज जो कि विभाग से निर्माताओं को दी गयी उसका ब्यौरा।

12. भवानी मंडी के डीलरों ने लिखित में यह कहा है कि एस.एस.पी. का क्रय इस कम्पनी से नहीं किया गया फिर भी सब्सिडीज रिलीज कर दी गयी है ऐसा क्यों?

13. फैक्ट्रियों और डीलरों से उठाये गये सैम्पल्स व उनके प्रमाणित नमूनों पर क्या कार्यवाही की गयी? क्या इसके पश्चात् सब्सिडी रोक दी गयी?

इतने बिन्दुओं पर मैंने इन्क्वायरी करवायी डिटेल में, क्योंकि हमारे उदयपुर ग्रामीण से आने वाले माननीय सदस्य ने यह क्वेश्चन पूछा था तो इन्होंने तो उसके बाद कुछ आगे बात नहीं कही लेकिन मैंने सुओमोटो इन सारे पांइट्स पर इसकी डिटेल्ड इन्क्वायरी करायी और मेरे पास उसकी जांच रिपोर्ट मौजूद है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : जांच रिपोर्ट पढ़कर बता दो। जांच रिपोर्ट क्या है यह बता दो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : पढ़कर बता दो कि आपने इन बिन्दुओं पर जांच करायी इस रामा फास्फेट का ही डिटेल बता दें कि इसकी जांच के परिणाम क्या रहे।

श्री तैय्यब हुसैन : नहीं सारा हमने उसमें कराकर और उसमें जो है....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप तो हमें लिबर्टी पेस्टीसाइड्स और रामा फास्फेट दो की जांच रिपोर्ट बता दो।

श्री तैय्यब हुसैन : मैं सारों की बता रहा हूं कि उसमें इस तरह की पोजीशन है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं दो की ही बता दो।

श्री तैय्यब हुसैन : वो ही है उनमें कोई इस तरह की अनियमितताएं नहीं पायी गयी और एक बात और मैं अर्ज कर दूं इसका जो रा-मैटीरियल है वो गवर्नमेंट की कम्पनियां आर.एम.एस., आर.एस.एम.डी.सी. और हिन्दुस्तान जिंक से खरीदा जाता है। कोई प्राइवेट डीलर से नहीं खरीदा गया तो वो भी हमने देखा है कि वहां से पूरा रा-मैटीरियल खरीदा गया है तो इसलिए इसकी जो रिपोर्ट करवायी है पहले भी हुई 1997 में और अब भी उसमें कोई बात गलत नहीं पायी गयी।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, मंत्रीजी, मैंने मोटा सवाल किया कि क्या यह सही है कि प्रोडक्शन जितना हुआ उससे ज्यादा विक्रय दिखा कर सब्सिडी उठायी गयी, आपने उस पर कुछ नहीं कहा?

श्री तैय्यब हुसैन : मैं कह रहा हूं कि यह सब बात निराधार है, गलत है और मैंने 13 बिन्दुओं से सुओमोटो इन्क्वायरी करायी है और माननीय सदस्य के नोटिस में अगर कोई बात हो तो आप बताइये तुरन्त करा दूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : क्या यह भी गलत है कि दो वर्ष से अनिल पेस्टीसाइड्स बंद पड़ी है, लिबर्टी पेस्टीसाइड्स बंद पड़ी है?

श्री तैय्यब हुसैन : यह आपकी इंफोर्मेशन है, मेरी इंफोर्मेशन नहीं है यह।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : तो मैं अब आपको इंफोर्मेशन दे रहा हूं क्या आप इसकी जांच करवायेंगे? लिबर्टी पेस्टीसाइड्स दो वर्ष से बंद है, अध्यक्ष महोदय, और उसके नाम से 1-2 नहीं लाखों रुपये का अनुदान उठाया जा रहा है। मैं बहुत गम्भीरता से पवित्र सदन में कह रहा हूं। मंत्रीजी, हिम्मत हो तो आप जांच करायें।

श्री तैय्यब हुसैन : मैं कह तो रहा हूं कि मैंने सारी जांच करायी है और कोई आप देंगे तो उसको भी करवाऊंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैंने जो बिन्दु उठाया है, अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि यह मामला किसानों के नाम पर घोटाला करने वाले लोगों के प्रसंग में है, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो मैंने कहा कि दो वर्ष से यह पूरा कारखाना बंद पड़ा है और उसके बाद भी प्रोडक्शन दिखाया जा रहा है, विक्रय हो रहा है। आप खड़े होकर क्यों नहीं कहते कि आप जांच करायेंगे।

श्री तैय्यब हुसैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि चूरू से आने वाले माननीय सदस्य की आदत पड़ गयी है कि कोई न कोई इल्जाम लगाना। मैं जब यह कह रहा हूं....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह जो बात कही है अध्यक्ष महोदय,....

श्री तैय्यब हुसैन : नहीं, इनकी कुछ आदत का हिस्सा बन गया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, अध्यक्ष महोदय, अगर सदन के अंदर हम अपनी बात कहें तो इससे आपको तकलीफ है। यह क्या बात हुई, अध्यक्ष महोदय....(व्यवधान)

श्री तैय्यब हुसैन : मैं यह कहना चाह रहा हूं।

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : अध्यक्ष महोदय, भयंकर घोटाला हुआ है, अनुदान में घपला हुआ है, आप उसकी जांच कराइये।

एक माननीय सदस्य : अब आप उसकी जांच करा दीजिये।

श्री तैय्यब हुसैन : आप सुनिये न। मैं जो अर्ज कर रहा हूं....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कह दो, जांच करायेंगे।

एक माननीय सदस्य : ...(व्यवधान) जांच करा लीजिए।

श्री तैय्यब हुसैन : और, अध्यक्ष महोदय, और कोई अगर नये तथ्य उनके सामने हैं तो दे देना उसे भी दिखवा लूंगा।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री रामलाल गुर्जर।

श्री तैय्यब हुसैन : सुओमोटो 13 पाइंट्स पर....

एक माननीय सदस्य : (व्यवधान) इन्क्वायरी कराने में आपको कहां एतराज है।

श्री तैय्यब हुसैन : डिटेल्स देकर के इन्क्वायरी करा रहा है....

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री रामलाल गुर्जर।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, आपने जांच करायी है जो उसकी एक कापी हम लोगों को दे दो ताकि हम उसको वहां जाकर वेरीफाई कर दें कि आपकी जांच जो....

श्री तैय्यब हुसैन : मैं बिलकुल दे रहा हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप अपनी जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रख दीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, दो वर्ष से बिना प्रोडक्शन के अनुदान उठाया जा रहा है और मंत्री महोदय कह रहे हैं कि जांच नहीं करायेंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सदन के पटल पर आप अपनी जांच रिपोर्ट रख दो।

श्री अध्यक्ष : श्री रामलाल गुर्जर।

तहसील क्षेत्र आसीन्द (भीलवाड़ा) में स्टेडियम हेतु आरक्षित भूमि

398. श्री रामलाल गुर्जर (आसीन्द) : क्या युवा एवं खेलकूद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील क्षेत्र आसीन्द (भीलवाड़ा) में स्टेडियम के लिए नगरपालिका ने भूमि आरक्षित कर रखी है? यदि हां, तो क्या उक्त भूमि पर अनधिकृत कब्जे हो रहे हैं?

(2) क्या सरकार उक्त भूमि पर स्टेडियम निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

राज्य मंत्री, युवा एवं खेलकूद (मास्टर भंवरलाल मेघवाल) : (1) जी, नहीं। बल्कि जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा नगरपालिका, आसीन्द को स्टेडियम के लिए भूमि का आबंटन किया गया है। जी, हां।

(2) जी, नहीं।

श्री रामलाल गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मैं खेल मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि जो आपने लिखा कि भीलवाड़ा जिला कलक्टर द्वारा भूमि आबंटन स्टेडियम के लिए की गयी है तो कितनी भूमि आबंटित की गयी है? और आपने लिखा है कि कब्जा भी कर रखा है तो कितनी जमीन पर कब्जा कर रखा है, और कब्जा है तो, कितना-कितना, किन-किन ने कर रखा है? दूसरी बात आपने लिखा है कि स्टेडियम के लिए जगह है लेकिन निर्माण कार्य के लिए मना कर रखा है, तो निर्माण कार्य के लिए मनां क्यों?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल : आसीन्द नगरपालिका ने जिला कलक्टर, भीलवाड़ा से 1990 में नगरपालिका के स्टेडियम के लिए भूमि आबंटन हेतु आवेदन किया और उसके बाद जिला कलक्टर ने राजस्व

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

विभाग से 21 बीघा 2 बिस्वा जमीन नगरपालिका, आसीन्द को स्टेडियम के लिए आबंटित की। चूंकि नगरपालिका ने स्टेडियम की एक हजार रुपये बीघा के हिसाब से राशि जमा नहीं करायी इसलिए नगरपालिका को स्टेडियम की भूमि का कब्जा नहीं सौंपा गया। वहां पर एक व्यक्ति का कब्जा है और वह कब्जा जो है उसको हटाने के लिए अभी जिला कलक्टर, भीलवाड़ा ने तहसीलदार, आसीन्द को इस बात का निर्देश दिया कि जो कुछ पार्ट के ऊपर कब्जा किया हुआ है उसके लिए 91 की कार्यवाही की जाए तो 91 की कार्यवाही की जा रही है। जमीन, जैसा कि आपने पूछा है कि 21 बीघा 2 बिस्वा आबंटित की गयी है लेकिन चूंकि जमीन का कब्जा नगरपालिका को सौंपा नहीं गया है। वह इसलिए नहीं सौंपा गया है कि ज्योंही राजस्व विभाग ने जमीन आबंटित की और तहसीलदार ने पटवारी को अमलदरामद के लिए लिखा। तो नगरपालिका ने 21 हजार रुपये की राशि जमा नहीं कराई है इसलिए यह सवाल ही नहीं उठता। और जहां तक नगरपालिका के निर्माण की जो बात आपने कही है, जब स्टेडियम की भूमि ही नगरपालिका को नहीं दी गई तो निर्माण का सवाल ही नहीं उठता।

श्री शिवराम सिंह कुशवाह (धौलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं, मंत्रीजी ने बताया कि एक व्यक्ति ने उस पर कब्जा कर रखा है, तो मंत्रीजी यह बताये कि उसने कब से कब्जा किया है, आज तक उसकी क्या कार्यवाही हुई, उसको सरकार हटाना चाहती है या नहीं चाहती है और कितनी भूमि पर उस व्यक्ति का कब्जा है।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल : उक्त भूमि के ऊपर नन्दा पुत्र गोकुल खटीक निवासी गोविन्दपुरा ने कब्जा कर रखा है। चूंकि 91 का मामला बनता है, इसलिए तहसीलदार के पास 91 का केस चल रहा है और जब तहसीलदार के पास चल रहा है तो ज्योंही तहसीलदार अपना फैसला सुनायेगा उसके बाद बेदखली की कार्यवाही हो तो वह की जायेगी।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय अध्यक्षजी, मैं माननीय खेल मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा, जब आपने कहा कि 21 हजार रुपये नगरपालिका, आसीन्द जमा नहीं करा पाई। तो अब यह भूमि आपने स्टेडियम के लिए नगरपालिका को भी नहीं दी है। आज की स्थिति में यह स्टेडियम की जमीन किस के कब्जे में है, इसके रख-रखाव की जिम्मेदारी किसकी है और क्या सरकार इस प्रकार अलाट की हुई नगरपालिका, आसीन्द की भूमि को नगरपालिका की जो राशि ड्यू है, उसको प्राप्त करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की? अभी आपने यह बताया कि किसी महानुभाव ने कब्जा कर रखा है, इसकी कोई निश्चित तिथि तो बताये। आपने कह दिया कि 91 की, जब आपको मालूम है कि यह स्टेडियम की जमीन है फिर लगातार आप उसका कब्जा भी नहीं

(श्री हीरासिंह चौहान)

हटा रहे हैं और आज विधान सभा में आप कह रहे हैं, जिला कलक्टर ने तहसीलदार को लिखा है, यह जो कब्जा है वह कब तक हट जायेगा कोई निश्चितता के साथ आप बताइए। और इस भूमि का नगरपालिका को कब्जा देने में आपको अब क्या परेशानी है, यह भी बताइए।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल : वैसे तो यह जो प्रश्न है वह राजस्व से संबंधित है लेकिन चूंकि खेल विभाग का प्रश्न पूछा गया है, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि नगरपालिका, आसीन्द ने 1990 में इस बात का आवेदन किया जिला कलक्टर को और राज्य सरकार ने जमीन आबंटित कर दी। लेकिन चूंकि 21 हजार रुपये जमा नहीं कराये, इसलिए नगरपालिका के कब्जे का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन चूंकि नन्दा नाम के एक व्यक्ति ने उक्त जमीन के कुछ हिस्से पर कब्जा कर रखा है और उस कब्जे को हटाने के लिये 91 की कार्यवाही चल रही है, यह न्यायालय का काम हैं। 91 का केस है वह भी न्यायालय के अधीन है। तो ज्योंही 91 की कार्यवाही हो जायेगी और फैसला हो जायेगा, तो राजस्व विभाग के द्वारा जो आबंटनशुदा जमीन 21 बीघा 2 बिस्वा है, उस जमीन को अगर नगरपालिका, आसीन्द 21 हजार रुपये जमा करा देगी तो नगरपालिका को उसका कब्जा सौंप दिया जायेगा।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय अध्यक्षजी, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, खेल के लिए राज्य सरकार सब प्रकार के स्टेडियम और मैदानों की व्यवस्था करती है। क्या आपका खेल विभाग इस प्रकार के स्टेडियम के लिए अलाट की हुई भूमि का, क्योंकि आप खेलों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करते हैं तो क्या आपका विभाग इस प्रकार के 21 हजार रुपये का पेमेंट नहीं कर सकता, क्या सरकार को यह करने के प्रावधान नही हैं, इससे अवगत कराइए।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल : खेल विभाग के द्वारा इस प्रकार की भूमि की राशि जमा कराने का सवाल ही नहीं उठता। खेल विभाग की अलग गतिविधियां हैं और निर्माण के लिए खेल विभाग और खेल प्राधिकरण दोनों मिलकर खेल स्टेडियमों का निर्माण करते हैं इस प्रकार की भूमि की राशि नहीं दी जा सकती।

श्री हीरासिंह चौहान : राजस्थान में आपने अब तक कहीं नहीं दी क्या?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। डा. किरोड़ी लाल।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय अध्यक्षजी, थोड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, मैं इसका एक उत्तर चाहता हूं। माननीय मंत्रीजी, राजस्थान में इस प्रकार के स्टेडियम की भूमि के लिए आपने कहीं भी अदायगी की है क्या?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल : कहीं नहीं की गई है।

श्री रामलाल गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मेरे प्रश्न का पूरा उत्तर नहीं आया कि कब्जा किया तो कब से किया और कितने पार्ट पर कर रखा है। आपने कहा, कुछ हिस्से पर कब्जा कर रखा है लेकिन कुछ नाप तो होगी, बीघा, आधा बीघा, पांच बीघा, कितने हिस्से पर कब्जा कर रखा है?

श्री अध्यक्ष : रामलालजी, बैठिए, 91 की कार्यवाही चल रही है।

श्री रामलाल गुर्जर : कब से कब्जा किया और कितने पार्ट पर कब्जा है?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह राजस्व विभाग से संबंधित है और चूंकि राजस्व विभाग से संबंधित होने के नाते तहसीलदार, आसीन्द के यहां 91 की कार्यवाही चल रही है और कुछ पार्ट पर चल रहा है, यह सारा केस राजस्व से संबंधित है, यह खेल विभाग से संबंधित नहीं है।

श्री अध्यक्ष : डा. किरोड़ी लाल।

ग्राम गुड़ला चन्दन (सवाईमाधोपुर) में भूमि पर खातेदारी अधिकार

399. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गांव गुड़ला चन्दन तहसील, बौंली, जिला सवाईमाधोपुर की खसरा नं. 582, 585, 586 व 587 का खातेदार काश्तकार कौन है? जमाबंदी व नामान्तरकरण की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त भूमि पर भूमि विकास बैंक से कुआं व ट्रेक्टर हेतु ऋण लिया हुआ है? यदि हां, तो कब व किसके नाम से कितना ऋण स्वीकृत हुआ तथा कितना ऋण अदा कर दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त भूमि को लेकर थाना बौंली में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति व की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि मुख्य मंत्री सचिवालय द्वारा दिनांक 31 मार्च, 1999 को कलक्टर, सवाईमाधोपुर से रिपोर्ट मांगी गई थी? यदि हां, तो रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि माननीय उच्च न्यायालय, राजस्थान, जयपुर ने दिनांक 16.8.99 को जिला कलक्टर, सवाईमाधोपुर द्वारा प्राथी को कब्जा दिलाने के आदेश दिये थे? यदि हां, तो जिला कलक्टर द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

(6) क्या यह सही है कि वर्तमान में उक्त भूमि पड़त पड़ी हुई है व प्रार्थी को काश्त नहीं करने दी जा रही है? यदि हां, तो क्या सरकार प्रार्थी को कब्जा दिलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

सामान्य प्रशासन मंत्री (श्री बुलाकीदास कल्ला) : (1) ग्राम गुड़ला चन्दन तहसील बौंली की आ.ख.नं.582/1 क्षेत्रफल 1 बीघा

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

का खातेदार काश्तकार श्री नैनू पुत्र रामदेव मीणा, खसरा नम्बर 582/2 क्षेत्रफल 2 बीघा एवं 582/3 रकबा। बीघा का खातेदार सर्व श्री रामसहाय रतन पिता गंगाराम मु. जनको बेवा गंगाराम मीणा, ख.नं. 582/4 रकबा। बीघा का खातेदार काश्तकार श्री किशना पुत्र रामपाल मीणा, निवासी गुड़ला चन्दन है। खसरा नम्बर 585 रकबा 8.09 बीघा एवं 586 रकबा 12.14 बीघा का खातेदार काश्तकार श्री किशना पुत्र रामपाल मीणा बिना रहन किशन लाल पिता मु. गंगाधर मीणा राहिन सहकारी भूमि विकास बैंक, शाखा बौंली मुर्तहीन जमाबंदी के अनुसार अंकित है। ख.नं. 587 क्षेत्रफल 12.13 बीघा का खातेदार काश्तकार सर्वश्री किशना पुत्र रामपाल एवं किशन लाल पिता गंगाधर जाति मीणा राहिन सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा बौंली मुर्तहीन हिस्सा 1/4, रतन लाल पुत्र कल्याण मीणा है, हिस्सा 1/2 जिसमें से 2 बीघा भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय पुत्र श्री सुरजन पुत्र हरगोविन्द, हीरालाल पुत्र रामदेवा, रंगलाल पुत्र मन्ना, जयलाल पुत्र गंगाराम, सत्यनारायण पुत्र कैलाश मीणा को विक्रय कर दी। जिसका नामान्तरकरण संख्या 437 दिनांक 26.12.98 है। उक्त भूमियों की नकल जमाबंदी सम्वत् 2052-55 एवं नकल नामान्तरकरण संख्या 437 की प्रति परिशिष्ट "1" सदन की पटल पर रख दी है।

(2) जी, हां। विवरण सदन के पटल पर परिशिष्ट "2" रख दिया गया है।

(3) जी, हां। विवरण सदन के पटल पर परिशिष्ट "3" रख दिया गया है।

(4) जी, हां। रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट "4" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(5) जी, नहीं।

(6) खसरा नम्बर 586 रकबा 12.14 बीघा आंशिक व खसरा नम्बर 587 रकबा 12.13 बीघा पूर्ण रूप से पड़त पड़ा हुआ है। राजस्व अभिलेख में दर्ज खातेदार सर्वश्री नैनू, किशना, रामसहाय, रतन, किशन लाल, कल्याण, सुरजन आदि की ओर से प्रश्नगत भूमियों पर कब्जा दिलाने के संबंध में परिवाद प्रस्तुत नहीं किया गया है, बल्कि रामधन पुत्र प्रभूलाल मीणा निवासी गुड़ला चन्दन की ओर से ही पत्र व्यवहार एवं परिवाद प्रस्तुत किये जाते हैं। इस प्रकार परिवादी रामधन को प्रश्नगत भूमियों पर कब्जा दिलाने का कोई कानूनी आधार नहीं है।

(विवरण की प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

डा. किरोड़ी लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से मैं पूछना चाहूंगा, जैसा कि इन्होंने प्रश्न के खण्ड-6 में स्वीकार किया है खसरा नम्बर 586 का रकबा 12.14 बीघा आंशिक व खसरा नम्बर 587 का रकबा 12.13 बीघा पूर्ण रूप से पड़त पड़ा है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि यह कब से पड़त पड़ा है और किस कारण से पड़त पड़ा हुआ है। दूसरा, क्या पड़त भूमि पड़े रहने का कारण यह नहीं है कि वहां के गांव के

(डा. किरोड़ी लाल)

कुछ लठधारी लोग इस खातेदार को जुताई-बुवाई नहीं करने देते। तीसरा, क्या यह सही है कि यह खातेदार अनेकों बार मुख्य मंत्री कार्यालय में गया, कलक्टर के पास गया, संबंधित अधिकारियों के पास गया और मुख्य मंत्री कार्यालय से कई पत्र कलक्टर को लिखे गये उसके बावजूद भी इस खातेदार को आज तक जिला प्रशासन कब्जा नहीं दिला पाया है। क्या मंत्री महोदय इस खसरा नम्बर 586/87 जिसको आप पड़त स्वीकार करते हो उस पर आप कब्जा दिलाने का इरादा रखते हो, यदि हां, तो कब तक?

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस तरह से बताया माननीय उच्च न्यायालय ने प्रार्थीगण और जिलाधीश से संबंध स्थापित किया, हाई कोर्ट ने भी ये निर्देश दिए कि प्रार्थी कलक्टर के पास जाए। वह कलक्टर के पास गए और कलक्टर ने एसीएम. को निर्देश दिए कि इनकी सुनवाई कर आगे कार्यवाही की जाए। लेकिन माननीय सदस्य, प्रार्थी का प्रश्नगत भूमि पर कब्जा हो तो उसके कब्जे पर किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं होने दें, ऐसे निर्देश हाई कोर्ट ने दिए थे। व्यवधान होने पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज करवाए और बिशन लाल पुत्र रामफूल, इसने 24.8.99 को जिलाधीश को प्रार्थना-पत्र दिया और उसके बाद सुरेश साहनी उसके वकील थे इसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र को जांच कर रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु भेज दिया गया। एसीएम. ने जांच की और कहा कि यह शिकायतकर्ता की जो मांग है वह निराधार है क्योंकि रामधन की तो कोई जमीन ही नहीं है। रामधन ने ही मुख्य मंत्रीजी को पत्र लिखा था वह उसका भाई हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है लेकिन हकीकत में कागजों में कहीं पर भी रामधन की कोई जमीन वहां पर नहीं है। इस प्रकार रामधन मीणा पुत्र प्रभुलाल यह हमको जो जानकारी तहसील से मिली है रामफूल का भाई है और वही रामधन जो प्रायः जगह-जगह शिकायत कर रहा है, जिसका वास्तव में कोई कागजों में कोई वजूद नहीं है। यहां तक कि पुलिस अधीक्षक ने भी एक रिपोर्ट दी है कि इनको परिवादियों को बुलाया गया कि आप अपने बयान दो, उन्होंने बयान नहीं दिए, ऐसी भी जानकारी मिली है कि कुछ जमीन इन लोगों ने रहन रखी हुई है, उस रहन के कारण यह स्वयं उस जमीन को विवादास्पद बताने में लगे हुए हैं।

डा. किरोड़ी लाल : जो जमीन बैंक को रहन रखी हुई है जब तक यह इसकी जुताई-बुवाई करते रहे तब तक बैंक का ट्रैक्टर का कर्जा देते रहे, लेकिन जब से यह जुताई-बुवाई नहीं कर पा रहे हैं और बलपूर्वक लोग इनको जुताई-बुवाई नहीं करने दे रहे तब से बेचारे बैंक का लोन भी नहीं दे पा रहे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग मुख्य मंत्री कार्यालय में गए, जो लोग हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दे दिया कि इनको कब्जा दिलाया जाए, इनकी बुवाई कराई जाए। कलक्टर को मिल लिये, सब

(डा. किरोड़ी लाल)

अधिकारियों को मिल लिये उसके बाद भी खसरा नम्बर 586, 587 जिनको आप खातेदार मानते हैं, क्या आप उनको कब्जा दिलाकर बुवाई कराने का इरादा रखते हो?

श्री बुलाकीदास कल्ला : जैसा कि माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके माध्यम से निवेदन किया कि मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि वह पुलिस अधीक्षक के यहां रिपोर्ट क्यों नहीं करते, बयान क्यों नहीं देते।

डा. किरोड़ी लाल : एफ.आई.आर., एक मिनट....(व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : Let me complete first.

डा. किरोड़ी लाल : आप मिसगाइड हो रहे हैं। दो एफ.आई.आर. दर्ज कराई है बौंली थाना में। दो एफ.आई.आर. दर्ज करा दीं, दोनों में चालान कर दिया सब कुछ हो जाने के बाद भी अगले की जमीन पड़त पड़ी हुई है। मैं तो आपसे यही सवाल करना चाहता हूं कि जो भूमि पड़त पड़ी हुई है क्या सरकार उसकी बुवाई करवा देगी। दो एफ.आई.आर. दर्ज हैं। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने बताया उस पड़त भूमि को उन्होंने स्वयं ही पड़त कर रखा है, वहां पर यह स्वयं परिवादी स्वयं, परिवाद लिखवा रहे हैं वह पुलिस अधीक्षक के यहां जाकर बयान ही नहीं देंगे तो आगे मुकदमा कैसे बनेगा? आप उनके बयान करवाइये और बयान कराने के बाद निश्चित रूप से पता लग जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी बिलकुल साफ हो जाएगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि इस प्रकरण में जो दो एफ.आई.आर. हुई है उसकी तफतीश होने के बाद उनका चालान हुआ या नहीं हुआ जिन्होंने कब्जा कर रखा है नम्बर एक बात। नम्बर दूसरी, आपने रामधन की बात को यह कह कर कि वह इसमें कहीं पर भी कानूनी हकदार नहीं है क्या यह सही है कि हाई कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिए वह यह दिए थे कि प्रार्थीगण जिसमें रामधन और रामफूल और सारे हैं इनकी जमीन पर अगर किसी ने अवैध कब्जा कर रखा है। तो कब्जे से मुक्त कराने के लिए विधिवत रूप से कार्यवाही की जाए, आपने कार्यवाही नहीं की। अध्यक्ष महोदय, विडम्बना यह है कि कलक्टर को निर्देश दे दिया हाई कोर्ट ने मुख्य मंत्रीजी के यहां से, तीन बार विदेश चले गए और उसके बाद अब यह कह कर कि उसमें रामधन उसका खातेदार नहीं है, रामधन और रामफूल दोनों भाई हैं। यह हो सकता है, मुख्य मंत्रीजी के यहां जो दरख्वास्त गई उसमें रामधन का नाम हो, रामफूल का नहीं हो। पर हाई कोर्ट ने जो निर्देश दिया उसमें सब खातेदारों ने एक साथ अपील की, हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट ने निर्देश दिए उसके अनुसार मामला इतना सा है कि पड़त भूमि आपने खुद ने स्वीकार की है। आपने खुद ने स्वीकार किया उत्तर के भाग एक में कि यह खातेदार यह-यह हैं, अब

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

खातेदार की भूमि पड़त हो क्या आप इसको उचित मानते हैं? आप कह रहे हैं पुलिस अधीक्षक के सामने बयान दे, पुलिस अधीक्षक के सामने कोई परिवाद में बयान दे, अलग बात है। परन्तु इससे पहले जो एफ.आई.आर. दर्ज हुई है उसमें तो चालान हो गये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूं कि एक माह में खातेदारों के मौके पर कब्जा स्थापित कर नक्शे में उसके अनुसार तरमीम करवाकर वास्तविक खातेदारों को कब्जे दे दिए जाएंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : धन्यवाद। यह जवाब है, कल्लाजी का कोई मुकाबला नहीं है, साहब।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री केसाराम चौधरी।

विधान सभा क्षेत्र खारची के आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में रिक्त पद

400. श्री केसाराम चौधरी (खारची) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र खारची में कितने आयुर्वेदिक चिकित्सालय स्वीकृत हैं?

(2) उक्त औषधालयों में चिकित्सक/कम्पाउण्डरों के कितने पद कब से रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, आयुर्वेद (श्रीमती इन्दिरा मायाराम) : (1) विधान सभा क्षेत्र खारची में वर्तमान में 18 आयुर्वेद औषधालय संचालित हैं।

(2) उक्त क्षेत्र में संचालित विभागीय आयुर्वेद और औषधालयों में रिक्त पदों का परिशिष्ट "क" में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

जी; हां। 200 चिकित्सकों के पदों को भरने की वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयन के लिए निवेदन किया जा रहा है। चयन होने पर 200 चिकित्सकों के रिक्त पद भरे जा सकेंगे। 250 नर्स/कम्पाउण्डरों के पदों को भरने की कार्यवाही शीघ्र की जा रही है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट "2" देखें)

श्री केसाराम चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा व्यवस्था केवल आयुर्वेद विभाग की ही है। वहां पर मेरे क्षेत्र में पांच पद रिक्त बताएं। तो मैं माननीय आयुर्वेद मंत्रीजी से पूछना चाह रहा हूं कि आप इसमें बताएं कि वास्तव में मेरे क्षेत्र में कितने पद रिक्त हैं? आप पहले तो यह संतुष्ट हो जाएं कि इस क्षेत्र में कितने पद रिक्त हैं, मेरे को पहले यह बता दें?

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मैंने आपको बताया कि पांच पद चिकित्सक के रिक्त हैं और तीन कम्पाउण्डरों के पद रिक्त हैं यह मैं आपको जगह के नाम भी बता दूं सिनसा में है, कराडी, जाणून्दा, सिवास और

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

गजनीपुरा में है। यह तो वैद्यों के रिक्त हैं और जोजावर, घनेड़ी और निजल, यहां पर कम्पाउण्डरों के पद रिक्त हैं।

श्री केसाराम चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी को यह भी पता नहीं है कि मेरे क्षेत्र में कितने पद रिक्त हैं। 20.4.2001 को मेरे अतारांकित प्रश्न के जवाब में 474 में चार पद रिक्त बताए और आज 5 पद रिक्त हो गए जबकि पांचवां पद 26.8.2000 से रिक्त था तो मेरे प्रश्न के जवाब में *गलत जवाब क्यों दिया गया, असत्य किसलिए दिया गया। मैं मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं सच्चा कौनसा है यह बता दीजिए।

श्री अध्यक्ष : गजनीपुरा बाद में एड हुआ है।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मैंने गलत नहीं दिया। उस दिन जो मेरे पास जानकारी थी वह उस दिन दिया और आज जो जानकारी मेरे पास है वह आज दिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : क्या ज्ञान है, क्या जानकारी है आपकी वाह-वाह।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मैं एक प्रश्न का जवाब और दे दूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप महान हो....

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मैं एक जवाब और दे दूं। आपके यहां एक प्राकृतिक औषधालय में भी एक पद रिक्त है, आप कहेंगे वह नहीं दिया, इसलिए मैं आपको अभी बता रही हूं। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : मैं तो आपसे सीधा यह पूछना चाह रहा हूं कि....

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : आपने आयुर्वेद और वो पूछे हैं, मैं प्राकृतिक चिकित्सालय में भी एक पद रिक्त है यह भी बताना चाहती हूं। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : मैं केवल आयुर्वेद का पूछ रहा हूं, दूसरा नहीं पूछ रहा, आप दूसरी तरफ डाइवर्ट मत करिये। मेरा सीधा सटीक प्रश्न है 20.4.2001 को तो आपने चार पद रिक्त बताए और आज की तारीख में आप पांच बता रही हैं। यह पद माननीय अध्यक्ष महोदय, जब से लोककारी और कल्याणकारी सरकार आई है, ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टर लगाने की बात कर रही है तब से 1999 से 2000 तक सारे पांच पद रिक्त कर दिए और आज तक नहीं लगाए।

श्री अध्यक्ष : गजनीपुरा का नाम पहले शायद अवाइड हो गया।

श्री केसाराम चौधरी : क्या, साहब ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्षजी ने पकड़ लिया।

श्री केसाराम चौधरी : हां, साहब।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मंत्रीजी, आपने बिलकुल सही पकड़ा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप मंत्रीजी को प्रताड़ित कीजिए।

---

* : शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार प्रतिस्थापित किया गया।

एक माननीय सदस्य : आपने बिलकुल सही पकड़ा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्षजी, आपके ज्ञान और आपके अनुभव से सदन भी लाभान्वित होता है और मंत्रीजी को भी लाभान्वित होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : वह स्वीकार कर रही हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं, एक ही सत्र में दो-दो जवाब आ जाएं और मंत्री महोदया बड़ी खुबी से यह कह दें कि मुझे जो जानकारी उस समय थी मैंने उस समय दी और जो जानकारी अब है वह अब दे रही हूं।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मैंने यह नहीं कहा है, मैंने यह कहा है....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह तो अध्यक्षजी ही हैं जो बात को पकड़ते हैं।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मैंने आपको जो जवाब दिया है वह यह दिया है कि आज पांच पद रिक्त हैं। उसकी जगह तीन कम्पाउण्डर के हैं, एक प्राकृतिक चिकित्सालय में है। अब आप पूछना चाह रहे हैं कि किन-किन जगहों पर है तो उन जगहों के नाम भी मैं आपको बता देती हूं।

श्री केसाराम चौधरी : मैं जगह वगैरह सब, यह तो आपने लिख कर दे दी, मैं देख ही रहा हूं। मैं तो यह पूछना चाह रहा हूं कि सिनला और सिवास में क्या कम्पाउण्डर के पद हैं, यह जवाब दे दीजिए। एक मिनट।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : एक पहला प्रश्न पूरा करो। कारण क्या है कि इसी बीच चार जो आपका जवाब था उसमें चार पद रिक्त आपने बताये जबकि यह जो पांचवां पद रिक्त आप बता रहे हों, यह तो 26.8.2000 से खाली है। आज की जो सूची आप दे रहे हो न...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पहले गलत क्यों दिया?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : वह सब 1999 से खाली है और दूसरा आपका 2000 का खाली है तो जो 20.4.2001 के दिन जो जवाब दिया, माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर में तो विभाग ने चार खाली कैसे बताए, इसके लिए आपके विभाग के अधिकारी जिम्मेदार हैं कि आपको गलत सूचना देकर इस सदन में उस बात को रखाई, आप उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करना चाहती हैं?

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मैं उनके विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही करूंगी। मैं जानकारी करूंगी कि उन्होंने सूचना अगर....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : गलत क्यों दी?

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : एक मिनट।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने कार्यवाही करने की बात कही, उसके लिए तो धन्यवाद। आप कार्यवाही करके तो हमें बताएंगी न?

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : एक मिनट। अभी मैं जवाब पूरा दे दूं पहले। अगर होगा तो, अगर बोला है, मैंने पहले सुन तो

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

लीजिए। अगर होगा तो कार्यवाही करूंगी पर पांच जो है वह तो बता दूं आपको। 20.7.2000 से सेवा भर्ती पर प्रतिबंध लगा रखा था, 26.8.2000 को वह निरस्त कर दिया गया आर्डर और यह आदेश की प्रति निदेशालय व जिला अधिकारी के पास से....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वह खाली है, खाली रहा।

श्री केसाराम चौधरी : तो पद तो रिक्त हैं न तो 20.4.2000 को आपने चार बताये हैं।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : वह निरस्त करने की वजह से हुआ है।

श्री हीरासिंह चौहान : लगाये या नहीं लगाये, पद तो रिक्त ही हैं।

श्री केसाराम चौधरी : हीरासिंहजी, आप बैठो। दो मिनट। पहले जवाब, एक मिनट मेरा प्रश्न है।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय ने अभी कहा कि कुछ पद, रिक्त पदों की भर्ती की गई है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जो रिक्त पदों की भर्ती की गई है, क्या उनमें आरक्षण का ध्यान रखा गया है। आरक्षण में एस.सी. और एस.टी. के आरक्षण का ध्यान रखा गया है और अगर रखा गया है तो कुल कितने एस.सी. और एस.टी. के चिकित्सकों की भर्ती की गई है। यह कृपया बताने का श्रम करें।

श्री केसाराम चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न को डाइवर्ट कर रहे हैं। आप बैठ जाइये। मेरे प्रश्न को कृपया डाइवर्ट न कीजिए।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मैंने अभी यह नहीं कहा कि भर्ती की गई है। मैंने कहा है कि भर्ती करने जा रहे हैं।

श्री केसाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह मेरे प्रश्न को डाइवर्ट कर रहे हैं। मेरा स्पेसिफिक प्रश्न है।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : और उसके लिए प्रक्रिया जारी है और मैं यह विश्वास दिलाती हूं कि यह ....(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : मैं यह पूछ रहा हूं कि पिछले ढाई साल में आयुर्वेद विभाग में किसी प्रकार की कोई भर्ती की गई है?

श्री केसाराम चौधरी : कम्पाउण्डर के पद जो....(व्यवधान) 1999-2001 में रिक्त है....

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : सुनिये आप, मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से... (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : अगर भर्ती की गई है तो यह बताने का श्रम करें कि कितने पदों की भर्ती की गई है और उनमें आरक्षण का ध्यान रखा गया है। यह कृपया मंत्री महोदय, बताने का श्रम करें।

श्री केसाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, सिनला और सिवास में कम्पाउण्डर के पद भरे हुए हैं या नहीं ?

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि 1999-2000 में कितने पदों की उन्होंने भर्ती की और 1999-2000 में कितने पदों में से एस.सी. और एस.टी. के लोगों को इन्होंने नियुक्ति दी, इतनी सी जानकारी दिला दें। ले ली, इससे पहले ली है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री अशोक बैरवा : 125 लोगों को इन्होंने भर्ती किया है, उसके बारे में, उन्होंने एस.सी. और एस.टी. के कितने लोगों को नियुक्ति दी, आप यह जानकारी दिला दें।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अब आप कौनसा सवाल पूछ रहे हैं? आपका सवाल पहले....(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा : आपके ही सवाल का जवाब दे रहा हूं मंत्री महोदय, कि आपने 1999-2000 में 125 लोगों की भर्ती की और....(व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं मूल प्रश्नकर्ता हूं, मेरा जवाब ही नहीं दे रही हैं। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : मूल प्रश्नकर्ता का उत्तर दीजिए।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मुझे सुनाई नहीं दे रहा है सवाल। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा : यह प्रश्न का दूसरा भाग है।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : आप बैठिये, बैठिये।

डा. किरोड़ी लाल : दो-दो महिला मंत्री बैठी हुई हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, दो-दो मंत्रीगण, दो-दो महिला मंत्री क्या कर रही हैं वहां पर? क्या मंत्रीजी अक्षम हैं।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : आप बैठिये-आप बैठिये।

डा. किरोड़ी लाल : इसका मतलब मंत्री अक्षम हैं। दो-दो महिला मंत्री वहां पर किस लिए आईं ?

श्री अशोक बैरवा : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न का दूसरा भाग है।

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, यह दो-दो महिला मंत्री बैठी हुई हैं। दो-दो महिलाएं....(व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है, आप बैठिये।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : आप क्या पूछना चाह रहे हैं? पहले....(व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : मैं यह पूछना चाह रहा हूं कि सिनला और....(व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : एक मिनट, एक मिनट, हां, बताइये।

श्री अध्यक्ष : दो महिला मंत्री बैठी हैं एक जगह लेकिन आप दोनों क्यों खड़े होते हैं ?

डा. किरोड़ी लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, जकियाजी की सीट वहां पर नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप दोनों बैठिये। वहां बैठी हैं। नहीं बैठ सकते।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : आप बैठिये।

श्री केसाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाह रहा हूं कि.... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इनको भेजो आप। इनको अपनी सीट पर भेजिए। अध्यक्ष महोदय, इनको अपनी सीट पर भेजिए।

श्रीमती जकिया : आप बात सुनो। आप तो वहां आकर बैठ जाते हो। आप खड़े रहते हैं, आपको क्या दिक्कत है ?

श्री अध्यक्ष : तैश में मत आइये। आप बैठ जाइये।

डा. किरोड़ी लाल : क्या मंत्रीजी अक्षम हैं ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : क्या मंत्रीजी अक्षम हैं, मंत्रीजी जवाब दे सकती हैं। आप इनको भेजिए।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। बैठ जाइये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्रीजी, आपकी सक्षमता पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मैं बहुत.... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हां, तो इनको भेज दो।

डा. किरोड़ी लाल : आपको बहुत खतरा है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हां, भेज दो इनको।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मैंने नहीं बुलाया है, मैंने नहीं बुलाया है। वह अपने आप आई हैं, मैंने नहीं बुलाया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : भेजो, भेजो इनको, हां, अब जवाब दो।

डा. किरोड़ी लाल : हां, अब जवाब दो।

श्री केसाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाह रहा हूं कि सिनला और सिवास में कम्पाउण्डर के पद स्वीकृत हैं क्या ?

श्रीमती जकिया : महिलाएं वहां पर बैठीं तो घबरा गये।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : सिनला में कम्पाउण्डर का पद स्वीकृत नहीं है।

श्री केसाराम चौधरी : नहीं है ?

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : जी।

श्री केसाराम चौधरी : तो आपके हास्पिटल के ताला लगा हुआ है दो साल से उसको कौन खोलेगा।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : जी, उसमें 12.5 से कम्पाउण्डर श्री जगदीश सिंहजी लगे हुए थे। 12.5.99 से हमने क्योंकि वहां पर जगह खाली थी, कम्पाउण्डर और वैद्य दोनों नहीं थे इसलिए अस्थाई प्रबन्ध करने के लिए इस प्रकार का प्रबन्ध किया था। 12.5.99 से कम्पाउण्डर श्री जगदीश सिंह; 10.6.1999 से कम्पाउण्डर श्री जुगल किशोर, 12.6.1999 से कम्पाउण्डर श्री श्रवणलाल, 17.11.1999 से कम्पाउण्डर श्री प्रेम नारायण, 23.3.2000 से कम्पाउण्डर श्री डगलराम, 18.9.2000 से कम्पाउण्डर श्री चन्द्रशेखर, 3.11.2000 से कम्पाउण्डर श्री उगलाराम, 8.11.2000 से कम्पाउण्डर श्री बनवारी लाल, 24.4.2001 से कम्पाउण्डर श्री बाबूलाल यह हमने अस्थाई इन्तजाम किया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह एक ही हास्पिटल में इतने कम्पाउण्डर लगाये।

श्री हीरासिंह चौहान : दो-दो महीनों में कम्पाउण्डर बदलते रहे हैं क्या?

श्री केसाराम चौधरी : हीरासिंहजी, आप बैठिये।

श्री हीरासिंह चौहान : दो-दो महीनों में कम्पाउण्डर बदलते रहे हैं क्या आप? (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, सत्यता यह है कि सिनला के हास्पिटल में न तो आज दिन तक कम्पाउण्डर है, न परिचारक है, न कोई वैद्य लगा है। आपने जो लिस्ट पढ़ी है, 8-10 कम्पाउण्डरों की केवल कागजों में लगाये गये और सरकार के धन का दुरुपयोग किया गया। आज दिन तक कोई कम्पाउण्डर आकर सिनला में उस हास्पिटल के ताले को नहीं खोला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्रीजी से पूछना चाह रहा हूं कि यह कागजों में आपने झूठी ड्यूटी क्यों लगाई है और एक साथ 8-10 कम्पाउण्डर आपने बदले हैं, आप इस बात को खुद पढ़ रहे हैं। मैं तो यह चाह रहा हूं कि इससे बढ़िया तो, इसको ताला लगा है, उसको खोलने वाला नहीं है। सिवास में कम्पाउण्डर भी नहीं है, वैद्य भी नहीं है और परिचारक भी नहीं है तो फिर उन हास्पिटलों को कौन खोलेगा?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : जवाब आने दो। चाबी ले जाना आप।

श्री अध्यक्ष : बैठिये।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं कि यह बदलियां नहीं की हैं, हमने वहां पर काम चलाने के लिए प्रतिनियुक्ति पर लगाये हैं। जिन लोगों के मैंने नाम बताये हैं, आपके.... (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : आपका कम्पाउण्डर एक दिन भी गांव में, आप इन्क्वायरी करा लीजिए, एक दिन भी वहां पर नहीं गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : फिर भी ताला लगा हुआ है।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : केवल आप ही लोग नहीं, वहां पर बदली कर देते हैं

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

कि नहीं, यह गांव में नहीं रहता है तो मैं क्या कर सकती हूं। आप ही सिफारिश करते हैं कि गांवों में नहीं रहते। मैं तो वहां लगाती हूं, जोइन नहीं करते हैं, आप लोग करते हैं इसलिए....(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, 80 परसेंट हास्पिटल में.... (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, पहले मेरी बात सुनिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, हास्पिटल में धूल जम रही है, यह सही कह रहे हैं। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : आप बताइये कि ट्रांसफर किस-किस ने करवाया।

श्री केसाराम चौधरी : मेरा प्रश्न है, आप बैठ तो जाओ।

श्री हीरासिंह चौहान : आयुर्वेद मंत्रीजी, यह बतायें कि कितनों ने बदली कराई?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, सारे माननीय सदस्यों पर आरोप लगाया है मंत्रीजी ने। सब पर आरोप लगा दिया.... (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : और कितने लोगों ने उसकी सिफारिश की।

श्री सांवर लाल : 80 परसेंट आयुर्वेद हास्पिटलों में धूल जम रही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, हम सब पर आरोप लगा दिया। उन पर आरोप लगा दिया। हम पर भी आरोप लगा दिया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सांवर लालजी, आप तो बैठिये।

श्री सांवर लाल : इनको इस्तीफा देना चाहिए।

श्री हीरासिंह चौहान : डेपुटेशन करते रहे। (व्यवधान) पूरे राजस्थान में हालत खराब हो रही है कहीं भी आयुर्वेद हास्पिटल ठीक ढंग से नहीं चल रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हम पर भी उन्होंने आरोप लगा दिया।

श्री सांवर लाल : यह ऐसे गैर जिम्मेदार मंत्री को इस्तीफा दिला कर घर भेज दीजिए आप।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री सांवर लाल : सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है और मंत्रीजी कह रही हैं मैं क्या कर सकती हूं। अध्यक्ष महोदय, 80 परसेंट हास्पिटलों में धूल जम रही है और मंत्रीजी कह रही है मैं क्या कर सकती हूं।

श्री अध्यक्ष : बहुत हो गया। नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री प्रभुलाल।

श्री केसाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने कहा है कि...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : इनका नैतिक अधिकार नहीं है। अध्यक्ष महोदय,...

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने यह कहा है कि मैं क्या कर सकती हूं। अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी कह रही हैं मैं कुछ नहीं कर सकती हूं, पद को छोड़ देना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : प्रश्नकर्ता के मूल प्रश्न का उत्तर तो आ जाना चाहिए।

श्री सांवर लाल : आज जनता के धन का दुरुपयोग हो रहा है। 80 परसेंट हास्पिटलों में आयुर्वेद वालों में धूल जम रही है।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल।

श्री केसाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने कहा है कि आप लोग ट्रांसफर करवाते हैं। एक अर्जी बता दें कि अगर मैंने किसी की ट्रांसफर के लिए आपको दो साल में कभी लिख कर दिया हो।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल।

श्री केसाराम चौधरी : आप कोई भी अर्जी बता दें कि मैंने कभी ट्रांसफर के लिए लिख कर दी है?

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मैंने आपसे यह निवेदन किया कि मैं जो जगह खाली है उनको अवश्य शीघ्रताशीघ्र हम नियुक्तियां करते ही जो स्थान रिक्त हैं क्योंकि जो स्थान रिक्त हैं वे कहीं न कहीं तो रिक्त रहेंगे ही आज की तारीख में जो स्थान रिक्त हैं उनकी वजह से जगह खाली है इस वक्त में हमारे यहां जो स्थान रिक्त है उनकी हम जल्दी से जल्दी जैसा मैंने बताया कि भर्ती करेंगे और भर्ती करने के बाद तुरन्त हम आपकी जगह जो खाली है, वहां पर लगा देंगे।

श्री केसाराम चौधरी : कम्पाउण्डर की पोस्ट्स तो आपके पावर में है और आपके लेने के अधिकार में है। फिर दो साल से क्यों वेकेंट है?

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, आयुर्वेद हास्पिटल में धूल जम रही है। आयुर्वेद वालों को....(व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : कम्पाउण्डर के लिए हमने निकाली थी और उसके बाद में हमारे यहां एप्लीकेशन भी आई।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कब निकाली थी आपने? निकाली क्या थी?

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : लेकिन कोर्ट का स्टे हो गया इसलिए हम नहीं लगा पाये। कोर्ट से जब स्टेट का जवाब आया, उसके बाद वित्त विभाग से फिर...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री महोदय कह रही हैं कि कम्पाउण्डर की निकाली तो आपने कब निकाली?

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय आयुर्वेद मंत्रीजी, आप यह जवाब जो दे रही हैं, यह आपको श्रीमती जकियाजी ने जो दिया है वह दे रही हैं या आपके विभाग के अधिकारियों ने दिया है वह दे रही हैं?

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : जकियाजी को मेरे विभाग के बारे में कोई जानकारी नहीं है। आप लोग ऐसी बात नहीं करें।

मोहम्मद माहिर आजाद : यही जाकर कागज देकर आई हैं आपको अभी। इन्होंने कागज दिया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जकियाजी, इसका मतलब तो....(व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मेरे को कागज कोई जकियाजी ने नहीं दिया है। इन्होंने कोई कागज नहीं दिया है, आप *गलत आरोप लगा रहे हैं।

श्रीमती जकिया : मैं कोई कागज देने नहीं गई।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप वहां क्या करने गई थीं?

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : आप मेरे पर *गलत आरोप लगा रहे हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : क्या करने गयी थीं आप वहां, कोई निमंत्रण देने गयी थीं आप वहां?

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मेरे ऊपर असत्य आरोप लगा रहे हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह आपको कह रहे हैं...(व्यवधान) यह कह रही हैं मैं देकर आयी हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सही कह रहे हैं। आप वही पढ़ रही हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह कह रही है मैं देकर आयी हूं।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मेरी काबिलीयत को चुनौती दे रहे हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह आपको देकर आयीं। वही कागज पढ़ दिया आपने। (व्यवधान).... मैं बिलकुल सही बात कह रहा हूं। (व्यवधान) बिलकुल सही है।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : आप मेरी काबिलीयत को चुनौती दे रहे हैं। आप बिलकुल गलत कह रहे हो।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपने बिलकुल वही कागज पढ़ा है।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : आप अगर प्रूव कर दें.... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : तो आप क्या करने गयी थीं? क्या करने गयी थीं आप?

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : बिलकुल अशिष्ट व्यवहार कर रहे हैं आप। असत्य बातें कर रहे हैं आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अगर यह कह दें इनके पास जानकारी थी तो कागज टेबल करा लो। अध्यक्ष महोदय, अगर मंत्रीजी ने खुद ने जवाब दिया है तो कागज टेबल करा लो।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मेरी ओर से क्या देंगी जकियाजी? (व्यवधान) आप असत्य बातें कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अगर यह कह दें कि इनके पास जानकारी थी तो कागज टेबल करा लो। (व्यवधान) इसलिए यह सारा वही इन्होंने पढ़ा है, जो जकियाजी ने इनको लाकर दिया है।

---

* : शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार प्रतिस्थापित किया गया।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। बैठिये। (व्यवधान)....

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : जी नहीं। मुझे जकियाजी ने कुछ नहीं दिया। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : तो यह कोई निमंत्रण देने गयीं थीं क्या आपको ?

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अगर यह प्रूव हो जाए तो आप इस्तीफा देंगे या मैं इस्तीफा दे दूंगी।

श्री अध्यक्ष : बैठ जाइये। नैक्स्ट क्वेश्चन।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह देकर आयी हैं आपको उत्तर। आपने इनका दिया हुआ उत्तर पढ़ा है वहां पर। यह क्या करने आयी थीं आपके पास। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : कुछ नहीं दिया मुझे जकियाजी ने, आप असत्य बातें कर रहे हैं। आपने अभी सिफारिश की कि नहीं की और यहां पर आप बोल रहे हैं। असत्य बातें कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री केसाराम चौधरी : माननीय मंत्रीजी, जो हास्पिटल बंद पड़े हैं, बिलकुल ताले लगे हुए हैं, आप कब तक ताला खोल देंगे इनका ?

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय जकियाजी इसलिए मिलने गयीं कि माननीय माहिर आजादजी का काम था। कहा, यह हमारे मिलने वाले आदमी हैं।

श्री केसाराम चौधरी : मेरे दो हास्पिटल सिनला और कराड़ी....

श्री राजेन्द्र पारीक : जकियाजी, ने अभी मुझे बताया था कि माहिर आजाद साहब के काम नहीं करतीं मंत्री महोदया, तो यह इनके मिलने वाले हैं। इनके काम करते रहना। इसलिए गयी थीं आप।

श्री केसाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरे जो हास्पिटल बिलकुल बन्द पड़े हैं... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : मंत्री से कहलवा दो आप यह बात।

श्री राजेन्द्र पारीक : डायरेक्ट मंत्री महोदया से मिलना चाहिये आपको। आपके काम नहीं करती हैं तो आप यहां पर हल्ला करना शुरू कर देते हो।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : आप असत्य बात करके यहां मेरी काबिलियत को चुनौती दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : अध्यक्षजी, माननीय आयुर्वेद मंत्रीजी ने बताया है कि 200 पद रिक्त हैं। क्या पूरे राजस्थान में 200 पद ही रिक्त हैं ? आपने कहा लोक सेवा आयोग को भरने के लिए लिखा है। लोक सेवा आयोग द्वारा आयुर्वेदिक चिकित्सकों के पद कब तक भरे जाएंगे ? माननीय अध्यक्षजी, मैं आपसे प्रोटक्शन चाहता हूं। सब जगह हालत खराब हैं। सब जगह खराब हैं। इसलिए हमारा निवेदन है माननीय मंत्रीजी, स्पष्ट बतावें कि यह 200 पद कब तक भर दिये जाएंगे। और क्या...(व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : सरकार का विरोध हो रहा है...(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : यह कब तक पूर्ति कर देंगे। हम निश्चित आश्वासन चाहते हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सकों की हालत बहुत खराब हैं गांवों में। आठ-आठ, दस-दस साल से हास्पिटल में कोई डाक्टर नहीं हैं न इनके....

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सदस्यों का गुस्सा सिर्फ इस बात पर है कि इनको च्यवनप्राश भिजवाया जाये।

श्री केसाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरे यहां बिलकुल ताले लगे हुए हैं। हास्पिटल बंद पड़े हैं। उनको कम से कम चालू तो करवाने का आश्वासन दें।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मैंने आपको आश्वासन दिया है कि आपके चालू कर देंगे। आपके यहां जैसे ही होगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री प्रभुलाल।

प्रश्न संख्या-401

श्री प्रभुलाल।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या-402

श्रीमती सुमित्रा सिंह।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या-403

श्री ललित भाटी।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री हरजीराम बुरड़क।

वाटर पम्प एवं आयल इंजनों पर कर वृद्धि

404. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा दिनांक 19 जून, 2000 को अधिसूचना जारी करके दस अश्व शक्ति तक के वाटर पम्प व आयल इंजन कर मुक्त किये गये थे? यदि हां, तो दस होर्स पावर तक को ही कर मुक्त क्यों किया गया?

(2) क्या यह भी सही है कि पश्चिमी राजस्थान में नलकूपों की पांच सौ फीट तक की गहराई है व जल स्तर बहुत गहरा है और चालीस होर्स पावर तक के वाटर पम्प लगाने पड़ते हैं? यदि हां, तो उक्त काश्तकारों को उक्त लाभ क्यों नहीं दिया गया?

(3) क्या यह सही है कि उससे पूर्व पम्प सैटों पर केवल दो प्रतिशत विक्रय कर लगता था और उक्त अधिसूचना से चार गुना करके आठ प्रतिशत कर दिया? यदि हां, तो क्यों और काश्तकारों में ऐसा भेद क्यों किया गया?

वित्त मंत्री (श्री प्रद्युम्न सिंह) : (1) जी, हां। सामान्य कृषकों द्वारा एक अश्व शक्ति से अधिक व 10 अश्व शक्ति तक के वाटर पम्प सैट एवं आयल इंजन का कृषि कार्य हेतु प्रयोग किया जाता है। अतः यह कर मुक्ति प्रदान की गयी।

(2) वाटर पम्पिंग सैट तथा आयल इंजन राष्ट्रीय सहमति पर आधारित न्यूनतम फ्लोर रेट की श्रेणी में आते हैं। अतः इन्हें राज्य स्तर पर पूर्ण रूप से कर मुक्त किया जाना सम्भव नहीं होने से राज्य के अधिसंख्यक कृषकों के हित में एक से 10 अश्व शक्ति तक ही कर मुक्ति प्रदान की गयी है।

(3) जी, हां। पूर्व में कर दर 2 प्रतिशत थी, लेकिन राष्ट्रीय सहमति के अनुसार कर दर न्यूनतम फ्लोर रेट 8 प्रतिशत होने से तदनुसार बढ़ाया गया है। राज्य के छोटे कृषकों के हितों को सुरक्षित रखने की दृष्टि से 1 से 10 होर्स पावर के वाटर पम्प को कर मुक्ति प्रदान की गयी है।

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने यह जवाब दिया है कि छोटे काश्तकारों के हितों को ध्यान में रखते हुए 10 होर्स पावर तक के इंजनों और मोटरों को कर मुक्त किया है। आज पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर-बीकानेर डिवीजन में चाहे दो बीघा का काश्तकार है, वह भी 10 होर्स पावर की मोटर से पानी बाहर नहीं निकाल सकता। आप यह जो दलिल दे रहे हो कि छोटे-बड़े काश्तकार का, इसमें छोटे-बड़े का कोई सवाल नहीं हैं। पानी का गहराई का सवाल है। वहां चालीस-चालीस, पचास-पचास होर्स पावर की मोटर लगती है, लेकिन 10 होर्स पावर की मोटर से पानी बाहर आता नहीं है। दूसरी बात आपने कही कि राष्ट्रीय सहमति थी। हरियाणा के अंदर सारा का सारा कर मुक्त है। आपने पहले दो प्रतिशत लगा रखा था तो भी कर मुक्त था हरियाणा में और आज भी कर मुक्त है। क्या हरियाणा राष्ट्र के बाहर है? अगर आपको बिलकुल छूट नहीं देनी थी तो चार गुना बढ़ाने की कहां जरूरत पड़ी? माननीय मंत्री महोदय, इस पर आप विचार करिये कि छोटे-बड़े का जो आप बहाना लेकर यह कर लगाना चाहते हैं, यह बहुत गलत है। न राष्ट्रीय सहमति की इसमें बात है। हरियाणा में बिलकुल कर मुक्त है सारे इंजन और उनकी सारी एसेसरीज। कर मुक्त तो दूर, जो केबल है और सारा सामान है, इसको कर मुक्त करना चाहिये। लेकिन आपने उल्टा चार गुना इस पर बढ़ाया है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें निवेदन करना चाहूंगा कि मिनिमम रेट का कंसेप्ट अखिल भारतीय स्तर के ऊपर तय हुआ और उसके अन्तर्गत हमको यह करना पड़ा। बात सही है कि पहले 2 प्रतिशत था और 2 प्रतिशत के बाद 8 प्रतिशत करना पड़ा। इस पर राष्ट्रीय सहमति हुई। मिनिमम फ्लोर रेट का कंसेप्ट तय हुआ और उसमें यह भी था अगर सरकारों ने इसकी पालना नहीं की तो जो प्लान असेसमेंट मिलता है उसमें से 25

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

प्रतिशत का डिडक्शन कर दिया जाएगा और उसके आधार पर सारे देश के अंदर फ्लोर रेट का लेवल कायम किया गया। लेकिन उसके उपरान्त भी यह बात मेरे समक्ष आयी तो मैंने कहा कि यह चूंकि 2 प्रतिशत से 8 प्रतिशत की रेट ज्यादा होती है और इसके ऊपर हमको कुछ राहत प्रदान करनी चाहिये तो एक वाया मीडिया निकाला इस तरह से, जो कि नहीं निकालना चाहिये था। मैं नहीं भी चाहूंगा कि इस पर सदन में चर्चा हो, क्योंकि आंलरेडी हमारी शिकायत हो चुकी है, जो हमने एग्जम्प्ट किये हैं। हरियाणा की भी शिकायत हुई है। जो मिनिस्टर्स की सब कमेटी बनी है, आल इण्डिया लेवल पर, जिसमें कि आठ-नौ वित्त मंत्री इसके सदस्य हैं और पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष हैं डा. शिवदास गुप्ता, वह सारे मसले को देखती है। वहां शिकायत हुई है। क़रीब 200 से ऊपर आइट्म्स पर यह आम सहमति बनी थी, क्योंकि स्टेट के बीच जो टैक्स वार चल रहा था, उसकी वजह से जो इनका अहित हो रहा था स्टेट्स का, तो उसको दूर करने के लिए कार्यवाही की गयी।

मेरा, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य से अनुरोध है कि हम भी चाहते हैं इसके अंदर कुछ राहत मिले। हमने भी इस मामले को टेक-अप किया हुआ है। तीन-चार आइट्म्स को लेकर हमारी भी शिकायत हुई है। वहां पर हरियाणा की शिकायत भी हुई है। लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि अन्य स्टेट के अंदर सिर्फ हरियाणा नहीं बाकी सारी स्टेट ने इसकी पालना की है, जो हमारे नेबरिंग स्टेट हैं। मैं आपको पढ़कर सुना दूं। इसके आगे दिल्ली के अंदर मोनो ब्लाक 5 से 10 होर्स पावर केवल कृषि कार्यों के प्रयोजनार्थ पर कर दर 4 प्रतिशत है। इनके अलावा अन्य पर 8 प्रतिशत है। मध्य प्रदेश वाटर पम्पिंग सैट व आयल इंजन पर कर दर 8 प्रतिशत है। 3 होर्स पावर तक कर मुक्त हैं। उत्तर प्रदेश, वाटर पम्पिंग सैट पर कर दर 8 प्रतिशत, आयल इंजन पर 10 प्रतिशत की कर दर है। गुजरात वाटर पम्पिंग सैट्स पर कर दर 4 प्रतिशत, आयल इंजन पर 8 प्रतिशत एवं 10 होर्स पावर तक, तो यह विसंगतियां राज्यों में काश्तकारों के हित की वजह से चल रही हैं। देखें, इसके ऊपर क्या फैसला होगा, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, आपने राष्ट्रीय सहमति की बात कही। मैंने पहले भी पूछा है कि क्या हरियाणा राष्ट्र से बाहर है? अब आप कह रहे हो कमेटी बनी है, वह सबका देखेगी तो कमेटी बनी है और वह कमेटी ही सबको देखेगी। तब तक तो आप हरियाणा के बराबर आपको करना चाहिये। दूसरी बात, आपने जिन जगहों के नाम लिये, वहां तो 10 होर्स पावर के ऊपर के लगते ही नहीं। जहां पर आप 50 होर्स पावर, 60 होर्स पावर के इंजन लगते हों या मोटरें लगती हों तो उन पर आपने एकदम चार गुना कर दिया।

(श्री हरजीराम बुरड़क)

इतना करने की कहां जरूरत थी? आप यह कह रहे हो कर मुक्त करने के लिये हमने राष्ट्रीय सहमति बना दी तो 2 प्रतिशत था तब राष्ट्रीय सहमति नहीं थी और हरियाणा के बारे में कुछ कहा ही नहीं। जब तक हरियाणा सम्मिलित नहीं हो तब तक आप हरियाणा के बराबर कर दीजिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अभी तो संभव नहीं करना, क्योंकि मैं इस मामले के अंदर राजस्थान के हितों को ध्यान में रखकर, क्योंकि वहां एक सहमति बनी थी कि जो राज्य आम सहमति का आदर नहीं करेंगे....

श्री हरजीराम बुरड़क : वह तो बता दी आपने।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उनके प्लान असेसमेंट। माननीय सदस्य, बार-बार उस सवाल को पूछ रहे हैं। उस सहमति के आधार पर आपकी प्लान असिस्टेंस के अन्दर 25 परसेंट की कटौती कर दी जायेगी और इन्फैक्ट दो स्टेट्स को नोटिस भी दे दिया गया था You either fall in the line. बिहार और पांडीचेरी को कि आप लाइन बिछाइए नहीं तो आपकी कटौती कर दी जायेगी। इसलिए आज की तारीख में इसके बारे में मैं कोई आश्वासन देने में असमर्थ हूं।

(12.00 बजे)

श्री हरजीराम बुरड़क : मेरा पूछने का मतलब यह है कि आपने कहा था.....

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 405....

श्री हरजीराम बुरड़क : काश्तकार काश्तकार में आपने भेद कर दिया। यह सुविधा जयपुर में तो मिलती है लेकिन जैसलमेर में नहीं मिलती, जोधपुर में नहीं मिलती, नागौर में नहीं मिलती और चूरू और बीकानेर में नहीं मिलती।

मेरे पूछने का मतलब यह है कि राजस्थान के काश्तकारों को तो आप समान रूप से सुविधा दो। इसके लिए आप क्या कर रहे हो? यह उत्तर दीजिये आप तो, राष्ट्रीय सहमति को छोड़िये लेकिन राजस्थान के सब काश्तकारों को समान रूप से आप लाभ कैसे दे पाओगे, यह तो बताओ। मंत्री महोदय, उत्तर तो दो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने जो उत्तर देना था वह दे चुका हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

विधान सभा क्षेत्र नैनवां के अपूर्ण एनीकट

401. श्री प्रभुलाल (नैनवां) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र, नैनवां की ग्राम पंचायत खटकड, मरां (फलास्थूनी) एवं सादेडा में कुल कितने एनीकट वर्ष 1980 से 2000 तक बनाये हैं?

(2) उक्त ग्राम पंचायतों में बने एनीकटों की कुल लागत कितनी है और उस पर अब तक कितनी राशि व्यय की

(श्री प्रभुलाल)

गई तथा कार्य की भौतिक स्थिति क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त एनीकट अपूर्ण है? यदि हां, तो उनको पूरा करवाने के लिए कौन जिम्मेदार है और सरकार उनके विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र नैनवां की ग्राम पंचायत खटकड़, मरां (फलास्थूनी) एवं सादेडा क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 1980 से 2000 तक की अवधि में विभिन्न योजनाओं में 5 एनीकटों का निर्माण करवाया गया है।

(2) उक्त एनीकटों के लिए कुल स्वीकृत राशि 33.63 लाख रुपये के विरुद्ध इनके निर्माण पर 34.29 लाख रुपये की राशि व्यय हुई है। एनीकटों की भौतिक स्थिति, स्वीकृत राशि एवं लागत राशि का विवरण परिशिष्ट "अ" पर सम्बन्धित कार्य के सम्मुख अवलोकनीय है।

(3) जी, नहीं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

फार्मासिस्ट के पदों के विरुद्ध नर्सिंग कम्पाउण्डर की नियुक्ति

402. श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या भारत सरकार ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के लिए फार्मासिस्ट को एक प्रमुख अंग माना है?

(2) क्या राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में फार्मासिस्ट के पद पर नर्सिंग कम्पाउण्डर को नियुक्त किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों एवं क्या नर्सिंग कम्पाउण्डर की वेतन श्रृंखला फार्मासिस्ट से अधिक है?

(3) क्या यह सही है कि नर्सिंग कम्पाउण्डर के सैकड़ों पद रिक्त हैं?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(3) जी, हां।

राज्य प्रशासनिक सेवा-कैडर के अधिकारियों द्वारा गैर सरकारी संस्थाओं की सदस्यता

403. श्री ललित भाटी (अजमेर-पूर्व) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या भारतीय/राज्य प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय/राज्य पुलिस सेवा कैडर के अधिकारी सरकारी संस्था के अलावा किसी निजी या गैर सरकारी संस्था के मुखिया/सदस्य के रूप में काम कर सकते हैं?

(2) क्या खण्ड (1) में उल्लेखित के लिये कार्मिक विभाग से स्वीकृति लेना आवश्यक है? यदि हां, तो किस विधि/नियम के अन्तर्गत? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अखिल भारतीय सेवाएं (आचरण) नियम, 1968 के नियम 13 (2) के अनुसार

(कार्मिक मंत्री)

निम्न प्रकार की संस्थाओं के पंजीकरण, प्रोत्साहन अथवा प्रबंधन में राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी भाग ले सकते हैं :—

(क) सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 अथवा अन्य किसी कानून के अन्तर्गत पंजीकृत, साहित्यिक, वैज्ञानिक अथवा धर्मार्थ समिति या कोई क्लब या समान संस्था जिसके उद्देश्य खेलकूद, सांस्कृतिक या मनोरंजन संबंधित गतिविधियों को प्रोत्साहित करना हो,

(ख) सहकारी समितियां अधिनियम, 1912 या राज्य में तत्समय लागू किसी कानून के अंतर्गत पंजीकृत सहकारी समिति जो मुख्य रूप से सेवा के सदस्यों या सरकारी कर्मचारियों के लाभार्थ हो,

परन्तु उपरोक्त वर्णित संस्थाओं में कोई भी अधिकारी चुनाव द्वारा भरे जाने वाले किसी पद को राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना धारित नहीं कर सकते।

राज्य प्रशासनिक सेवा एवं राज्य पुलिस सेवा के अधिकारीगण के संबंध में राजस्थान सिविल सेवा आचरण नियम, 1971 में भी उपरोक्त प्रावधानों के अनुरूप प्रावधान है।

(2) भाग-1 में वर्णित परिस्थितियों के अलावा अन्य संस्थाओं के प्रकरणों में भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा एवं राजस्थान प्रशासनिक सेवा के लिए कार्मिक विभाग एवं राजस्थान पुलिस सेवा के लिए गृह विभाग से पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक है। भारतीय प्रशासनिक सेवा (आचरण) नियम, 1968 के नियम 13 (2) एवं राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971 के नियम-18 की प्रति परिशिष्ट "क" एवं "ख" पर उपलब्ध है।

(नियमों की प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

(तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

पंचायत समिति इटावा (कोटा) में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त अध्यापक/अध्यापिकाएं

683. **श्री रामगोपाल बैरवा** (पीपल्दा) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला परिषद, कोटा की पंचायत समिति इटावा में अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रतिनियुक्ति पर लगा रखा है? यदि हां, तो किन-किन को कब-कब से? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त प्रतिनियुक्तियों को निरस्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी, नहीं। वर्तमान में पंचायत समिति इटावा के किसी भी अध्यापक/अध्यापिका को प्रतिनियुक्ति पर नहीं लगा रखा है।

(पंचायती राज मंत्री)

(2) वर्तमान में कोई अध्यापक/अध्यापिका प्रतिनियुक्ति पर नहीं है।

जिला नागौर में राज्यादेश से किये गये स्थानान्तरण

684. श्री मोहन लाल राठौर (झालरापाटन) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला नागौर की पंचायत समितियों में कितने अध्यापकों के स्थानान्तरण हेतु राज्यादेश जारी किये गये?

(2) उक्त राज्यादेश की पालना किस-किस पंचायत समिति ने की है? यदि नहीं, तो क्यों और अब कब तक पालना की जायेगी?

(3) श्री मांगूसिंह, ग्रामसेवक, पंचायत समिति परबतसर का स्थानान्तरण जिला भीलवाड़ा में कब हुआ है? क्या इनको कार्यमुक्त कर दिया है? यदि नहीं, तो क्यों? अब इन्हें कब तक कार्यमुक्त कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जिला नागौर की पंचायत समितियों में 27 अध्यापकों के स्थानान्तरण हेतु राज्यादेश जारी किए गए।

(2) पंचायत समिति, नागौर, डेगाना, लाडनूं, कुचामनसिटी, मकराना, परबतसर में राज्यादेशों की पालना की है। पं. स. मेड़ता, रियाबंड़ी, डीडवाना में पद रिक्त नहीं होने के कारण पालना नहीं की है। पद रिक्त होते ही पालना की जावेगी।

(3) श्री मांगूसिंह, ग्रामसेवक, पं. सं. परबतसर का स्थानान्तरण पंचायत समिति कोटड़ी में विभागीय आदेश संख्या 4987 दिनांक 30.12.2000 को किया गया था। श्री मांगूसिंह, ग्रामसेवक को अभी कार्यमुक्त नहीं किया जा सका है। पंचायत समिति में पूर्व से ही ग्रामसेवक के 6 पद रिक्त थे। कुछ ग्रामसेवकों को 2-2 पंचायतों का कार्यभार सौंप रखा था। ऐसी स्थिति में श्री मांगूसिंह को कार्यमुक्त नहीं किया जा सका। अब पंचायत समिति को 5 अतिरिक्त ग्रामसेवक प्राप्त हो गये हैं। अतः श्री मांगूसिंह को इस माह के अन्त तक कार्यमुक्त कर दिया जावेगा।

पंचायत समिति कुचामनसिटी (नागौर) को आश्वासित रोजगार योजनान्तर्गत प्राप्त राशि

685. श्री हरिश चन्द्र (नावां) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला नागौर की पंचायत समितियों द्वारा आश्वासित रोजगार योजना 2000-2001 की वार्षिक कार्य योजना जिला परिषद् को भिजवाई गई है? यदि हां, तो पंचायत समिति कुचामन द्वारा भेजी गई वार्षिक कार्य योजना की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि आश्वासित रोजगार योजना वर्ष 2000-2001 की वार्षिक कार्य योजना की 70 प्रतिशत राशि व्यय करने का अनुमोदन जिला परिषद् की बैठक दिनांक

(श्री हरिशचन्द्र)

23.10.2000 के प्रस्ताव संख्या 5(6) द्वारा किया गया? यदि हां, तो उसमें पंचायत समिति कुचामनसिटी द्वारा किस-किस पंचायत के लिए किस काम हेतु कितनी राशि व्यय करनी स्वीकृत की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला परिषद्, नागौर द्वारा अनुमोदित व स्वीकृत कार्यों के कार्य आदेश किस-किस पंचायत को किस-किस तिथि को दिये गये व कार्य आदेश सभी पंचायतों को क्यों नहीं दिया गया? जिला परिषद् द्वारा अनुमोदित कार्य में फेरबदल करने का पंचायत समिति को किस नियम के अन्तर्गत अधिकार है? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) जिला परिषद्, नागौर द्वारा अनुमोदित उक्त कार्य योजना की पंचायत समिति कुचामनसिटी को कितनी राशि प्रथम किस्त के रूप में प्राप्त हुई है और शेष राशि कब तक प्राप्त होगी?

उत्तर

(1) जी, हां। पंचायत समिति कुचामनसिटी द्वारा आश्वासित रोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 2000-2001 के लिए जिला परिषद्, नागौर को प्रस्तुत की गई वार्षिक कार्य योजना की प्रति परिशिष्ट "अ" पर अवलोकनीय है।

(2) जी, हां। पंचायत समिति कुचामनसिटी क्षेत्रान्तर्गत आश्वासित रोजगार योजना के तहत वर्ष 2000-2001 के लिए अनुमोदित कार्यों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट "ब" में सम्बन्धित कार्य के सामने अवलोकनीय है।

(3) जिला परिषद, नागौर से अनुमोदित/स्वीकृत कार्यों के संदर्भ में पंचायत समिति कुचामनसिटी द्वारा स्वीकृत कार्यों का ग्राम पंचायतवार, तिथिवार कार्यादेशों का विवरण परिशिष्ट "स" पर अवलोकनीय है। पंचायत समिति कुचामन सिटी ने जिला परिषद् द्वारा स्वीकृत 10 कार्य लागत राशि 19.15 लाख रुपये के विरुद्ध 6 कार्यों के सम्बन्ध में उक्त योजनान्तर्गत प्राप्त होने वाली संभावित राशि को तथा राशि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए ही 10.25 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की है।

(4) कुल स्वीकृत 10 कार्य लागत राशि 19.15 लाख रुपये के पेटे उक्त पंचायत समिति को 10,19,695/- रुपये की राशि का आबंटन प्राप्त हुआ है। वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए उक्त योजनान्तर्गत राशि का आबंटन शेष नहीं है।

(विवरण की प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

जिला अजमेर की पंचायत समिति में कार्यरत कर्मियों का स्थाईकरण

686. **श्री सांवर लाल** (भिनाय) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री सांवर लाल)

(1) क्या जिला अजमेर की पंचायत समितियों में कार्यरत अस्थाई/दैनिक भुगतान पर कार्यरत कनिष्ठ लिपिकों को स्थाई करने के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय, राजस्थान ने कोई निर्णय दिया है? यदि हां, तो क्या व किस-किस के पक्ष में?

(2) क्या उक्त को नियुक्ति दे दी गई? यदि हां, तो किस-किस आदेश द्वारा? क्या श्री शिशुपाल पुत्र श्री सत्यनारायण ज्योतिष का प्रकरण भी इसी प्रकार का था? क्या पैनल में नाम नहीं जुड़ने के कारण उसे नियुक्ति नहीं दी जा सकी? क्या सरकार अन्य के समान इसको भी नियुक्ति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो, क्यों?

उत्तर

(1) अजमेर जिले की पंचायत समिति किशनगढ़ एवं भिनाय में जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत कार्यरत रहे क्रमशः श्री कैलाश मालाकर एवं शिशुपाल द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर याचिका क्रमांक 1648/92 एवं याचिका क्रमांक 1702/90 में दिनांक 28 अक्टूबर, 1992 एवं दिनांक 20 जुलाई, 1999 को पारित निर्णय में निर्देश दिये गये कि उक्त प्रार्थियों को कनिष्ठ लिपिक के स्पष्ट रूप से रिक्त एवं नियमित पदों के विरुद्ध पैनल तैयार कर आवेदन करने पर नियुक्ति देने में वरीयता प्रदान की जावे।

(2) श्री कैलाश मालाकार को कनिष्ठ लिपिक के पद पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव, जिला परिषद्, अजमेर के आदेश क्रमांक 270 दिनांक 4 अक्टूबर, 1994 द्वारा नियुक्ति दी गई। श्री शिशुपाल को नियुक्ति नहीं दी गई है। इनके द्वारा दायर याचिका क्रमांक 1702/90 के निर्णय दिनांक 20 जुलाई, 1999 के पश्चात् इन्होंने 4 अगस्त, 1999 को नियुक्ति हेतु आवेदन किया। वर्तमान में श्री शिशुपाल द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में इसी बाबत दायर याचिका 2020/2000 विचाराधीन होने के कारण कोई कार्यवाही किया जाना उचित नहीं हैं।

जिला जैसलमेर में सागरमल वितरिका स्थित एक्वाडेक्ट में एकत्रित पानी की निकासी

687. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : क्या इन्दिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1999-2000 में जैसलमेर जिले में अतिवृष्टि से जो इन्दिरा गांधी नहर की वितरिकाओं तथा माइनर को क्षति पहुंची थी उनकी मरम्मत कर दी गई है? यदि नहीं, तो मरम्मत योग्य नहरों की क्या स्थिति है?

(2) क्या यह सही है कि वर्षा के पानी निकासी हेतु सागरमल वितरिका में जो एक एक्वाडेक्ट दिया गया है वह पर्याप्त नहीं है तथा पानी नहर के पास भरा रहता है, जिससे सड़क डूब में आती है तथा आवागमन रुक जाता है?

(3) क्या सरकार ने एक्वाडेक्ट नहीं बना कर पाइपों से पानी निकासी की योजना बनाई थी? यदि हां, तो उसकी क्या स्थिति है?

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

(4) क्या सरकार वर्षा के पानी निकासी हेतु सागरमल गोपा वितरिका में कार्य करवाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्ष 1999-2000 में जैसलमेर जिले में अतिवृष्टि से कुल 36 नहरों को क्षति पहुंची थी उन सभी नहरों का मिट्टी का कार्य करवाकर पानी चलाया जा रहा है। 26 नहरों में लाइनिंग का कार्य भी पूर्ण करवा लिया गया है तथा आवश्यक धनराशि उपलब्ध होने पर शेष नहरों में भी लाइनिंग का कार्य करवा लिया जायेगा।

(2) जी, हां। वर्षा के पानी की निकासी हेतु सागरमल गोपा शाखा की आर.डी.241.5 पर एक एक्वाडेक्ट बनाया गया था। हालांकि इस क्षेत्र की औसत वर्षा के लिए यह एक्वाडेक्ट काफी था, परन्तु वर्ष 1998 के 20-21 सितम्बर की अतिवृष्टि के पानी की निकासी के लिए यह पर्याप्त नहीं था, क्योंकि इस प्रकार की अतिवृष्टि के लिए यह डिजाईड भी नहीं था। इस क्षेत्र की औसतन वर्षा के समय एक्वाडेक्ट अप स्ट्रीम में पानी केवल नहर के साथ-साथ बनी सड़क के ऊपर से निकलता है और इस कारण कुछ समय के लिए आवागमन रुक जाता है।

(3) जी, नहीं। पाइपों से पानी निकालने की कोई योजना नहीं बनाई गई थी।

(4) जी, हां। दो अतिरिक्त एक्वाडेक्ट बुर्जी 242 व 264 पर प्रस्तावित कर कार्य शुरू कर दिया गया है। आर.डी. 242 के एक्वाडेक्ट को ठेकेदार ने अधूरा छोड़ दिया है। जिस पर आगे कार्यवाही की जा रही है।

विधान सभा क्षेत्र लसाड़िया में जिला विकास अभिकरण द्वारा स्वीकृत कार्यों में अनियमितताओं की जांच

688. श्री **नगराज** (लसाड़िया) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र लसाड़िया में वर्ष 1999-2000 एवं 2000-2001 में विधायक/सांसद फण्ड एवं जिला विकास अभिकरण के माध्यम से कितने-कितने कार्य स्वीकृत किये गये? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त वर्षों में कराये गये निर्माण कार्यों में हुई अनियमितताओं की जांच सरकार द्वारा कराई गई है? यदि हां, तो उसके क्या परिणाम आये? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि विकास अधिकारी द्वारा निर्माण कार्यों में भारी अनियमितता की गई है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र लसाड़िया में वर्ष 1999-2000 एवं 2000-2001 के दौरान सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम एवं विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नानुसार कार्य स्वीकृत किये गये हैं :—

(ग्रामीण विकास मंत्री)

क्र. सं.	योजना का नाम	स्वीकृत वर्ष		कुल कार्यों की संख्या
		1999-2000	2000-2001	
1.	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	7	147	154
2.	विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	39	52	91
	योग	**46**	**199**	**245**

सांसद एवं विधायक स्थानीय क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उक्त स्वीकृत कार्यों का विस्तृत विवरण क्रमशः परिशिष्ट "अ" एवं "ब" पर अवलोकनीय है।

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के माध्यम से अन्य योजनान्तर्गत कार्यों की स्वीकृति जारी नहीं की जाती है।

(2) जी, नहीं। उक्त निर्माण कार्यों में अनियमितताओं के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(3) जी, नहीं।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा में भूगोल विषय का अध्यापन

689. श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या (बांसवाड़ा) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार राजकीय महाविद्यालय, बांसवाड़ा में एम.ए. के लिए भूगोल विषय चालू करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब और नहीं तो क्यों?

उत्तर

जी, नहीं। विभाग की वार्षिक योजना 2001-2002 में नवीन विषय प्रारम्भ करने हेतु प्रावधान नहीं है।

राजस्थान विश्वविद्यालय में योग पाठ्यक्रम

690. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार राजस्थान विश्वविद्यालय में योग पाठ्यक्रम चालू कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नही, तो क्यों?

उत्तर

राज्य सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण राजस्थान विश्वविद्यालय

(उच्च शिक्षा मंत्री)

में योग पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया जाना सम्भव नहीं है।

राज्य में प्रस्तावित नवीन महाविद्यालय

691. श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) महाविद्यालय (कालेज) खोलने के क्या मानदण्ड हैं? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार इस वर्ष निजी व सरकारी क्षेत्रों में महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितने?

उत्तर

(1) महाविद्यालय खोलने के निर्धारित मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर उपलब्ध है। (संलग्न परिशिष्ट-1)

(2) वित्तीय वर्ष 2001-2002 में सरकारी क्षेत्र में महाविद्यालय खोलने हेतु वार्षिक योजना में प्रावधान नहीं है। परन्तु यदि निजी क्षेत्र में किसी संस्था से महाविद्यालय खोलने के मानदण्डों के अनुरूप महाविद्यालय खोलने का प्रस्ताव प्राप्त होता है तो इस पर सरकार नियमानुसार विचार कर सकती है।

(मानदण्डों की प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

विधान सभा क्षेत्र हवामहल (जयपुर) में होमियोपैथिक चिकित्सालय की स्थापना

692. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर के विधान सभा क्षेत्र हवामहल में एक भी होमियोपैथिक चिकित्सालय नहीं है?

(2) क्या उक्त क्षेत्र में सरकार होमियोपैथिक चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) चालू वित्तीय वर्ष 2001-2002 में विभागीय बजट में नवीन औषधालय खोलने हेतु कोई धनराशि उपलब्ध नहीं कराने के कारण फिलहाल नवीन होमियोपैथिक औषधालय खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र मोहनगढ़ में हार्डपेन क्षेत्र को अन्य प्रयोजनार्थ आवंटन

693. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जिला जैसलमेर के इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में मोहनगढ़ से रामगढ़ के बीच कुल 53 चक हार्डपेन हैं जिसमें केवल

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

फव्वारा पद्धति या बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति से सिंचाई करने का निर्देश है?

(2) क्या उक्त चकों का आबंटन किया गया है? यदि हां, तो चकों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त चकों में सामान्य तथा विशेष आबंटन दोनों प्रकार के मुरब्बे हैं?

(4) क्या सरकार उक्त मुरब्बो के आबंटन मूल्य में कमी की गई है?

(5) क्या सरकार उक्त चकों को कृषि हेतु न देकर अन्य प्रयोजन/वनीकरण आदि में आबंटन करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (उपनिवेशन) क्षेत्र में मोहनगढ़ से रामगढ़ के बीच कुल 80 चक हार्डपेन हैं, जिसमें केवल फव्वारा पद्धति या बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति से सिंचाई करने के निर्देश है।

(2) जी, नहीं।

(3) जी, हां।

(4) जी, नहीं।

(5) कृषि के अलावा अन्यि उद्देश्यों के लिए भूमि दिये जाने पर भी विचार किया जा रहा है।

विधान सभा क्षेत्र सिवाना के संस्कृत विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

694. श्री गोपा राम मेघवाल (सिवाना) : क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक, संस्कृत विद्यालय कितने हैं?

(2) उक्त क्षेत्र के उक्त विद्यालयों में कितने अध्यापकों के पद रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना में संस्कृत शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 8 प्राथमिक एवं 4 उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय संचालित है।

(2) (i) उक्त विद्यालयों में अध्यापकों के कुल 13 पद रिक्त हैं।

(ii) जी, हां।

(iii) रिक्त पदों को भरने हेतु शीघ्र कार्यवाही की जा रही है।

विधान सभा क्षेत्र भादरा के संस्कृत विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र

695. श्री संजीव बेनीवाल (भादरा) : क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री संजीव बेनीवाल)

(1) विधान सभा क्षेत्र भादरा में वर्तमान में कितने संस्कृत विद्यालय, कहां-कहां पर संचालित हैं? सूची विद्यालयवार सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विद्यालयों में वर्तमान में कितने-कितने छात्र अध्ययनरत है?

(3) उक्त क्षेत्र में संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या सरकार वर्ष 2001-2002 में संस्कृत विद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितने और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र भादरा में वर्तमान में 1 उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय एवं 5 प्राथमिक संस्कृत विद्यालय चल रहे हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है :—

क्र. सं.	पंचायत समिति	विद्यालय का नाम	स्तर
1.	भादरा	उ. प्रा. वि. अनुपशहर	उप्रा.
2.	भादरा	प्रा. वि. अजीतपुरा	प्राथमिक
3.	भादरा	प्रा. वि. पीरवाला जोहड (पिरानी)	प्राथमिक
4.	भादरा	प्रा. वि. मलसीसर	प्राथमिक
5.	भादरा	प्रा. वि. डोबी	प्राथमिक
6.	भादरा	प्रा. वि. गड्ढा	प्राथमिक

(2) उक्त विद्यालयों में अध्ययन करने वाले छात्रों का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	छात्र संख्या
1.	उ. प्रा. वि. अनुपशहर	109
2.	प्रा. संस्कृत वि. अजीतपुरा	74
3.	प्रा. सं. वि. पीरवाला (मिरानी)	86
4.	प्रा. सं. वि. मलसीसर	60
5.	प्रा. सं. वि. डोबी	122
6.	प्रा. सं. वि. गड्ढा	106

(3) बजट 2001-2002 में विद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कोटपूतली (जयपुर) के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का अधिग्रहण

696. डा. रघुवीर सिंह गौड़ (कोटपूतली) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1985 में राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित नक्शे के अनुसार ग्राम भोणावास तहसील कोटपूतली (जयपुर) में "भंवर बसन्त चैरिटेबिल ट्रस्ट" द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन कक्ष तथा स्टाफ क्वाटर्स निर्मित किये थे?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त भवन में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सरकार द्वारा चलाया जा रहा है तथा स्टाफ सुविधापूर्वक क्वार्टर्स में रह रहे हैं? क्या

(डा. रघुवीर सिंह गौड़)

यह भी सही है कि पानी, बिजली का खर्चा भी दानदाता द्वारा वहन किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि दानदाताओं द्वारा "दानपत्र" की पूरी प्रक्रिया निरंतर की जा रही है? यदि हां, तो सरकार ने अब तक "भवन" को अधिग्रहण क्यों नहीं किया है?

(4) क्या सरकार दानदाताओं को इस प्रकार भवन के अधिग्रहण की कार्यवाही में विलम्ब करके परेशान कर रही है? अब तक भवन अधिग्रहण न किए जाने क्या के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, हां। विभाग द्वारा पूर्व में भवन अधिग्रहित नहीं किये जाने के कारण बिजली का बिल दानदाता द्वारा वहन किया जा रहा है तथा पानी के लिए बोरिंग की व्यवस्था है।

(3) जी, नहीं। विभाग द्वारा दिनांक 21-4-2001 को भवन अधिगृहीत कर लिया है।

(4) जी, नहीं, दानदाता द्वारा दिनांक 4.12.2000 को प्रस्तुत दान विलेख पत्र पर नियमानुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर दिनांक 21.4.2001 को दान विलेख पत्र का निष्पादन कर भवन को अधिगृहीत कर लिया है।

विधान सभा क्षेत्र लसाड़िया के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

697. श्री नगराज (लसाड़िया) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र लसाड़िया की तहसील धरियावद में कितने माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं?

(2) उक्त विद्यालयों में अध्यापकों के कितने पद स्वीकृत हैं तथा स्वीकृत पदों के अनुसार कितने-कितने अध्यापक पदस्थापित हैं तथा कितने पद रिक्त हैं?

(3) क्या सरकार रिक्त पदों पर अध्यापकों का पदस्थापन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(4) क्या यह सही है कि जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक एवं प्रारम्भिक ने कई अध्यापकों को अपने कार्यालय में बिठा रखा है? यदि हां, तो क्यों?

(5) क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) तहसील धरियावद, जिला उदयपुर में 10 राजकीय माध्यमिक एवं 8 राजकीय उच्च-माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं।

(2) उक्त विद्यालयों में विभिन्न श्रेणी के अध्यापकों के 109 पद स्वीकृत हैं जिनमें 154 पदों पर अध्यापक पदस्थापित हैं तथा 35 पद रिक्त हैं।

(शिक्षा मंत्री)

(3) अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(4) जी, नहीं।

(5) प्रश्न ही नहीं उठता।

शिक्षा के सार्वजनीकरण में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका

698. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने शिक्षा को सार्वजनिक करने की कोई योजना प्रारम्भ की है? यदि हां, तो उक्त योजना क्या है तथा उसका संचालन किस प्रकार से किया जायेगा? उक्त संबंध में जारी आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना में क्या-क्या कार्य किये जायेंगे जिस पर कितनी-कितनी राशि कितने समय में व्यय की जायेगी?

(3) क्या उक्त योजना में पंचायत राज संस्थाओं की भी कोई भूमिका रहेगी? यदि हां, तो क्या-क्या भूमिका किस-किस स्तर की पंचायत संस्थाओं की रहेगी? उक्त संबंध में जारी आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। सर्व शिक्षा अभियान की योजना, संचालन की व्यवस्था आदि का विवरण परिशिष्ट "क" के अनुसार सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु पूर्व प्रयोजना कार्य के लिए 975.97 लाख रुपये के प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किये जा चुके हैं। योजना के अन्तर्गत जिला प्रारम्भिक शिक्षा योजना की स्वीकृति प्राप्त कर वर्ष 2010 तक क्रियान्वित किया जाएगा।

(3) उक्त योजना में पंचायत राज संस्थाओं की भूमिका का विवरण परिशिष्ट "क" में अंकित है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

उप प्रधानाचार्य के समकक्ष स्वीकृत पद

699. श्री प्रभुलाल (नैनवां) एवं **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (बड़ी सादड़ी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1999-2000 एवं 2000-2001 में राज्य में उप प्रधानाचार्य एवं समकक्ष पद किस-किस विद्यालय में स्वीकृत हुए हैं? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में उप प्रधानाचार्य के पद किस-किस विद्यालय में रिक्त हैं? उक्त रिक्त पदों को विभागीय चयन समिति द्वारा चयन कर कब तक भर दिया जायेगा?

(3) उक्त अवधि में उप प्रधानाचार्य के पदों की कितनी कटौती की गई है?

उत्तर

(1) वर्ष 1999-2000 एवं 2000-2001 में उप प्रधानाचार्य एवं समकक्ष पद राज्य के किसी भी विद्यालय में स्वीकृत/सृजित नहीं हुए हैं।

(2) वर्तमान में उप प्रधानाचार्य के रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है। उप प्रधानाचार्य पद का वेतनमान विसंगति का प्रकरण राज्य सरकार के पास विचाराधीन है जिसका निस्तारण होने के उपरान्त विभागीय चयन समिति की बैठक आयोजित होने पर ही पदों को भरा जाना संभव हो सकेगा।

(3) वर्ष 1999-2000 में 285 उप प्रधानाचार्य के पदों की कटौती की गई है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

कोटपूतली (जयपुर) के विद्यालयों में रिक्त पद

700. डा. रघुवीर सिंह गौड़ (कोटपूतली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्रर कोटपूतली के किन-किन विद्यालयों में कितने शिक्षकों के पद रिक्त हैं? रिक्त पदों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कतिपय विद्यालयों में "विज्ञान-शिक्षकों" के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो उक्त विद्यालयों में विद्यार्थियों को विज्ञान का अध्यापन किस प्रकार किया जाता है? क्या राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, कोटपूतली में विज्ञान के प्राध्यापक नियुक्त हैं? यदि हां, तो कितने किस-किस पद पर?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों की विद्यालयवार सूची परिशिष्ट "क" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी, हां। विद्यालय में विज्ञान की जानकारी रखने वाले शिक्षकों से या फिर संस्था प्रधान की मांग पर शिक्षकों की वैकल्पिक व्यवस्था कर विद्यार्थियों को विज्ञान का अध्ययन करवाया जाता है। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, कोटपूतली (जयपुर) में विज्ञान के प्राध्यापक नियुक्त है।

इस विद्यालय में रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान एवं भौतिक विज्ञान के एक-एक प्राध्यापक है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

प्रधानाध्यापक/शिक्षा प्रसार अधिकारी की प्रतियोगी परीक्षा हेतु पात्रता

701. श्री रमेश खींची (कठूमर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक एवं शिक्षा प्रसार अधिकारी के पदों हेतु

(श्री रमेश खींची)

प्रतियोगी परीक्षा के लिए आशार्थी की योग्यता क्या है ?

(2) क्या यह सही है कि बी.ए., बी.एड. योग्यताधारी प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय के लिए और एम.ए., बी.एड. योग्यताधारी शिक्षा प्रसार अधिकारियों के लिए कक्षा 9वीं व 10वीं का पांच वर्षों का शिक्षण अनुभव वांछनीय है ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि प्रारम्भिक शिक्षा और पंचायत समिति के अधीन कार्यरत उक्त योग्यता से भी अधिक या समकक्ष योग्यताधारी शिक्षक उक्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए पात्र नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार प्रारम्भिक शिक्षा और पंचायत समिति विद्यालयों में शिक्षण अनुभव रखने वाले उक्त योग्यताधारी शिक्षकों को भी माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक तथा शिक्षा प्रसार अधिकारियों हेतु आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु नियमों में वांछित संशोधन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि नियमों में उक्त प्रावधान किए जाने हेतु विभिन्न शिक्षक संघों द्वारा सरकार को प्रतिवेदन/मांग पत्र प्रस्तुत किये गये थे ? यदि हां, तो कब-कब व सरकार द्वारा उक्त पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? शिक्षक संघों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन/मांग पत्रों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक एवं शिक्षा प्रसार अधिकारी के पदों हेतु नियमों में योग्यता एवं अनुभव का निर्धारण इस प्रकार से किया हुआ है :—

प्रधानाध्यापक की योग्यता

स्नातक डिग्री एवं शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा तथा माध्यमिक/उच्च माध्यमिक कक्षाओं के अध्यापन का पांच वर्ष का अनुभव या उच्च प्राथमिक विद्यालयों का 4 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव तथा 3 वर्ष तक का माध्यमिक/उच्च माध्यमिक कक्षाओं का अध्यापन अनुभव या पांच वर्ष तक द्वितीय श्रेणी अध्यापक का अनुभव।

शिक्षा प्रसार अधिकारी/अपर उप जिला शिक्षा अधिकारी की योग्यता

शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा तथा द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ सैकण्डरी हायर सैकण्डरी/बी.एस.टी.सी. कक्षाओं के अध्यापन का पांच वर्ष का अनुभव।

नोट : अध्यापन अनुभव शिक्षा में उपाधि प्राप्त करने के पश्चात् का मान्य होगा।

(2) जी, हां। प्रारम्भिक एवं पंचायत समिति के अधीन कार्यरत उक्त योग्यता से भी अधिक या समकक्ष योग्यताधारी शिक्षक पात्र नहीं है क्योंकि इनको नियमों के अनुसार माध्यमिक/उच्च माध्यमिक कक्षाओं के अध्यापन का अनुभव नहीं होता है जबकि उक्त दोनों ही पद प्रशासनिक पद

(शिक्षा मंत्री)

होने से इनके लिए वांछित अनुभव आवश्यक है।

(3) प्रारम्भिक शिक्षा और पंचायत समिति विद्यालयों में शिक्षण अनुभव रखने वाले उक्त योग्यताधारी शिक्षकों को भी माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक तथा शिक्षा प्रसार अधिकारी हेतु आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु नियमों में वांछित संशोधन करने की मांग शिक्षक संघों द्वारा अपने मांग पत्रों के माध्यम से उठाई गई है जो राज्य सरकार के पास विचाराधीन है।

(4) जी, हां। राज. शिक्षक संघ (सियाराम) द्वारा दिनांक 3.3.1999, राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा संघ द्वारा दिनांक 14.6.99, राजस्थान शिक्षक संघ (प्रगतिशील) द्वारा दिनांक 21.9.2000 एवं राजस्थान शिक्षक संघ द्वारा दिनांक 11.1.2001 को मांग पत्र प्रस्तुत किये गये हैं जिस पर कार्यवाई राज्य सरकार के पास विचाराधीन है। उपरोक्त शिक्षक संघों से प्राप्त मांग पत्रों की प्रतियां परिशिष्ट "क" सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(मांग पत्रों की प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

तहसील मारवाड़ जंक्शन (पाली) में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना

702. श्री केसाराम चौधरी (खारची) : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार राज्य की प्रत्येक तहसील स्तर पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो तहसील मारवाड़ जंक्शन (पाली) में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कब तक चालू करेगी?

उत्तर

वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर यथासमय विचार किया जाएगा।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, प्रतापगढ़ एवं अरनोद के भवन

703. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 2000-2001 में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, प्रतापगढ़ एवं अरनोद में कितने विद्यार्थी किस-किस ट्रेड में अध्ययनरत हैं?

(2) क्या सरकार अरनोद में चल रहे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को निजी भवन की व्यवस्था करने का विचार रखती है? वर्तमान में अरनोद का प्रशिक्षण संस्थान किस भवन में चल रहा है?

उत्तर

(1) वर्ष 2000-2001 में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, प्रतापगढ़ एवं अरनोद में ट्रेडवार अध्ययनरत विद्यार्थियों की सूचना निम्नानुसार है :—

	औ. प्र. सं. प्रतापगढ़			औ. प्र. सं. अरनोद	
	वरिष्ठ	कनिष्ठ		वरिष्ठ	कनिष्ठ
1. फिटर	21	19	विद्युत इलैक्ट्रोनिक्स	16	—
2. वायरमैन	21	19		—	16
3. वैल्डर	—	14			
4. डीजल मैकेनिक	—	38			
5. हिन्दी स्टेनो	—	16			
6. कटिंग टेलरिंग	—	12			

(2) राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अरनोद (चित्तौड़गढ़) के निजी (राजकीय) भवन हेतु रुपये 40.00 लाख राशि का आबंटन किया गया है तथा संस्थान हेतु भवन निर्माण का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा करवाया जा रहा है। भवन पूर्ण होने पर संस्थान के निजी भवन में स्थानान्तरण किया जा सकेगा। वर्तमान में अरनोद औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, प्रतापगढ़ परिसर में चल रहा है।

बामनवास (सवाईमाधोपुर) स्थित गोविछ सागर एनीकट का अपूर्ण निर्माण

704. **डा. किरोड़ी लाल** (बामनवास) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति बामनवास (सवाईमाधोपुर) के ग्राम बिछांछ के गोविछ सागर एनीकट हेतु वित्तीय स्वीकृति जारी की गई थी? यदि हां, तो कब व कितनी राशि की?

(डा. किरोड़ी लाल)

(2) अब मौके पर सारी सामग्री होने के बावजूद भी एनीकट की वेस्टवेयर का तथा अन्य कार्य क्यों नहीं किया जा रहा है?

(3) क्या यह सही है कि विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के कारण गत वर्ष कार्य नहीं करवाया गया, जिससे वर्षा का पानी बिलकुल भी नहीं रुका? यदि हां, तो विलम्ब के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी, हां। सुनिश्चित रोजगार योजना कार्य के अन्तर्गत 4.99 लाख रु. की राशि की प्रशासनिक स्वीकृति अति. जिला कलक्टर, सवाईमाधोपुर के पत्र क्रमांक 3135 दिनांक 16.3.97 के द्वारा जारी की गई थी।

(2) स्थानीय जन प्रतिनिधियों के विरोध के कारण जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा दिनांक 29.4.97 को कार्य सम्पादन पर रोक लगाने के कारण अब कार्य नहीं किया जा रहा है।

(3) जी, नहीं। कार्य नहीं करवाये जाने एवं पानी नहीं रुकने के कारण अधिकारियों की लापरवाही नहीं होकर उपरोक्त प्रश्न 2 के उत्तर के अनुसार है। अतः कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र भादरा की "बिहारीपुरा माइनर" का प्रस्तावित निर्माण कार्य

705. श्री संजीव कुमार (भादरा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र भादरा में भाखड़ा सिस्टम की मुनसरी वितरिका की बूर्जी नं. 15, 500 पर पुराने बने हैड रेगुलेटर से "बिहारीपुरा माइनर" काफी समय पहले से प्रस्तावित है? यदि हां, तो कब से?

(2) क्या उक्त बिहारीपुरा माइनर के निर्माण से सम्बन्धित सिंचाई विभाग की विस्तृत रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो चुकी है? यदि हां, तो कब? रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त "बिहारीपुरा माइनर" का निर्माण कराकर पानी चालू कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। वर्ष 1990 से प्रस्तावित है।

(2) जी, हां। उक्त रिपोर्ट वर्ष 1998 में प्राप्त हुई है। रिपोर्ट एवं सारांश विवरण की प्रति प्रपत्र "अ" पर संलग्न है।

(3) जी, हां। बिहारीपुरा माइनर के निर्माण हेतु आवश्यक जल उपलब्धता सुनिश्चित होने के पश्चात् वित्तीय संसाधन

(सिंचाई मंत्री)

की उपलब्धता पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाना संभव है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

गंग कैनाल क्षेत्र के नहरों की लाइनिंग

706. श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नहरों को पक्का (लाइनिंग) करने से पानी की बचत होती है? यदि हां, तो वर्ष 1993 से 2000 तक गंग कैनाल क्षेत्र में कितने किलोमीटर नहरों की लाइनिंग की गई एवं उससे कितने पानी की बचत हुई?

(2) क्या यह भी सही है कि यदि लाइनिंग करने से पानी की बचत होती है तो उक्त सिस्टम में बचे हुए पानी से क्या नया क्षेत्र कमाण्ड किया गया? यदि हां, तो कितना और नहीं, तो अब तक उस बचे हुए पानी का क्या किया?

उत्तर

(1) जी, हां। वर्ष 1993 से 2000 तक गंग कैनाल क्षेत्र में आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत कुल 244.33 किलोमीटर नहर की वितरिकाओं एवं माइनरों की लाइनिंग की गई एवं उससे लगभग 6.92 क्यूसेक पानी की बचत हुई है।

(2) गंग नहर प्रणाली में लाइनिंग से बचे हुए 6.92 क्यूसेक पानी से कोई अतिरिक्त भूमि कमाण्ड नहीं की गई है। उक्त बचे हुए पानी का उपयोग नहरों में पानी कम मिलने के कारण वर्तमान कमाण्ड क्षेत्र में ही किया गया है।

प्रतापगढ़ (चित्तौड़गढ़) की भंवर सेवला सिंचाई परियोजना

707. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील प्रतापगढ़ (चित्तौड़गढ़) की भंवर सेवला सिंचाई परियोजना पर अब तक कितनी राशि व्यय की जा चुकी है?

(2) क्या गत दो वर्षों से उक्त परियोजना का कार्य बन्द है? यदि हां, तो क्यों?

(3) उक्त परियोजना की कुल लागत क्या आंकी गई थी, कितने क्षेत्रफल में सिंचाई होगी एवं जलस्तर का ठहराव कितने क्षेत्र में होगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार उक्त परियोजना को कब तक पूर्ण करने का विचार रखती है? अगले वित्तीय वर्ष में इसके लिए कितनी राशि का प्रावधान है?

उत्तर

(1) तहसील प्रतापगढ़ जिला चित्तौड़गढ़ की भंवर सेमला परियोजना पर माह 3/2001 तक रुपये 115.50 लाख की राशि व्यय की जा चुकी है।

(2) जी, नहीं।

(3) भंवर सेमला परियोजना की स्वीकृत लागत रुपये 1125.02 लाख है।

(सिंचाई मंत्री)

परियोजना से 1295 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी एवं भराव क्षमता पर 123 हैक्टेयर क्षेत्रफल में जल का ठहराव होगा।

(4) वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने पर परियोजना को वर्ष 2002-03 में पूर्ण करना संभव होगा। वित्तीय वर्ष में परियोजना के लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार बजट का आबंटन किया जाना संभव होगा।

विधान सभा क्षेत्र किशनगंज की बिलासी परियोजना में काश्तकारों की अवाप्त भूमि का मुआवजा

708. श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगंज की बिलासी परियोजना के अन्तर्गत कितने काश्तकारों की कृषि भूमि धोरे/नहर के लिए अवाप्त की गई है? रकबा व कृषक के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या किसानों को अवाप्त की गई कृषि भूमि का मुआवजा दे दिया? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) अब सरकार कब तक उक्त मुआवजा देने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगंज की बिलासी परियोजना के अन्तर्गत 268 कृषकों की 421 बीघा 05 बिस्वा कृषि भूमि क्रमशः वर्ष 1995 एवं वर्ष 1996 में नहर/माइनर के निर्माण हेतु अवाप्त की गई थी। कृषकों के नाम की सूची प्रपत्र "अ" पर संलग्न है।

(2) किसानों की अवाप्त की गई कृषि भूमि का 17.16 लाख रुपये का मुआवजा भुगतान दे दिया गया है तथा 30.0 लाख रुपये के अवार्ड न्यायालय में लम्बित होने एवं 34.0 लाख रुपये के अवार्ड वित्तीय संसाधन के अभाव में मुआवजा भुगतान नहीं दिया गया है।

(3) जी, हां। न्यायालय निर्णय एवं वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने पर शीघ्र भुगतान किया जाना संभव होगा।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला कोटा में वर्षा के पानी को सिंचाई उपयोग हेतु योजना

709. श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री हेमन्त कुमार)

(1) क्या जिला कोटा में वर्षा का पानी काली सिंध, उजाड़ व परवन नदियों द्वारा व्यर्थ बह जाता है? क्या उक्त नदियों पर नये पुलों का निर्माण हो चुका है?

(2) क्या सरकार पुराने पुलों के मोखों द्वारा वर्षा का पानी कम खर्च पर रोक कर सिंचाई हेतु एनीकट बना सकती है?

(3) क्या सरकार पानी की सिंचाई हेतु काम लेने के लिए कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। कोटा जिले में कालीसिंध नदी पर 2 एवं उजाड़ नदी पर 1 लो लेवल काज वे के स्थान पर ऊंचे पुल का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जा चुका है।

(2) जी, हां। पुराने पुलों के मोखों को कम खर्च में बन्द करके इनका उपयोग एनीकट के रूप में सिंचाई हेतु किया जा सकता है।

(3) जिला स्तर पर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के माध्यम से इस प्रकार की योजनाएं धन की उपलब्धता के आधार पर बनाई जाती हैं। जिला कलक्टर द्वारा चाहे जाने पर विभाग द्वारा कोटा जिले की उजाड़, अरू एवं अमजार नदियों पर ऐसे प्रस्ताव उन्हें स्वीकृति हेतु प्रेषित किये गये हैं।

विधान सभा क्षेत्र भादरा की पंजीकृत गौ-शालाओं को प्रदत्त अनुदान

710. श्री संजीव कुमार (भादरा) : क्या पशुधन एवं डेयरी विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र भादरा में कुल कितनी पंजीकृत गौ-शालाएं किस-किस जगह कार्यरत हैं? उक्त में गायों की संख्या कितनी-कितनी है?

(2) क्या उक्त गौ-शालाओं को राज्य सरकार से कुछ अनुदान दिया जाता है? यदि हां, तो कितनी-कितनी राशि किस-किस गौ-शाला को दी जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार लगातार तीसरी बार अकाल की स्थिति को देखते हुए उक्त गौ-शालाओं को अतिरिक्त अनुदान देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितना? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र भादरा में 3 पंजीकृत गौ-शालाएं निम्नांकित स्थानों पर कार्यरत हैं :—

(राज्य मंत्री, पशुधन एवं डेयरी विकास)

क्र. सं.	गौशाला का नाम	पशु संख्या	
		बड़े	छोटे
1.	श्री गौशाला, भादरा	146	293
2.	श्री गौशाला, नेठराना	400	70
3.	अकाल राहत गौसेवा समिति, भादरा	605	150

(2) जी, नहीं। अभावग्रस्त होने के कारण जिला कलक्टर (सहायता), हनुमानगढ़ द्वारा प्रति बड़े पशु 10/- रुपये एवं प्रति छोटे पशु 5/- रु. प्रतिदिन के हिसाब से अनुदान स्वीकृत किया गया है।

(3) जी, नहीं। तीसरी बार अकाल पड़ने को मध्य नजर रखते हुए जिला प्रशासन के माध्यम से सहायता विभाग के निर्देशों के अनुरूप जिला प्रशासन द्वारा स्वीकृत पशु शिविरों एवं गौशालाओं में प्रत्येक बड़े पशु को 10/- रु. एवं छोटे पशु को 5/- रु. का अनुदान दिया जा रहा है।

पंचायत समिति छबड़ा व छीपाबड़ौद में वितरित गेहूं

711. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) एवं **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय पोषाहार योजना में प्रति बच्चा 3 किग्रा. गेहूं दिया जाता है? यदि हां, तो पंचायत समिति छबड़ा व छीपाबड़ौद में कितना-कितना गेहूं दिया गया?

(2) राष्ट्रीय पोषाहार योजना में पंचायत समिति छबड़ा व छीपाबड़ौद के अन्तर्गत किस-किस बाह्य ठेकेदार ने कब-कब गेहूं उठाया एवं विद्यालय में कब-कब पहुंचाया तथा विद्यालय से उपयोगिता प्रमाण-पत्र कब-कब प्राप्त हुए?

(3) उक्त पंचायत समितियों में राष्ट्रीय पोषाहार के खाली बारदानों का निष्पादन किस तरह कब-कब किया गया?

(4) परिवहन का व्यय किस मद से किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। राष्ट्रीय पोषाहार सहायता योजना के अन्तर्गत प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत उन बच्चों को तीन किग्रा. गेहूं दिया जाता है, जिन की उपस्थिति 80 प्रतिशत या अधिक है। पंचायत समिति छीपाबड़ौद एवं छबड़ा द्वारा राष्ट्रीय पोषाहार सहायता योजना के अन्तर्गत किस-किस दिनांक को किस-किस विद्यालय को कितना गेहूं दिया गया इसका विवरण परिशिष्ट "अ" व "ब" के अनुसार संलग्न है।

(2) राष्ट्रीय पोषाहार सहायता योजना के अन्तर्गत पंचायत समिति छबड़ा व छीपाबड़ौद में ठेकेदार द्वारा उठाया गया

(पंचायती राज मंत्री)

गेहूं किस तिथि को विद्यालय में पहुंचाया गया एवं किस तिथि, को उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ का विवरण परिशिष्ट "स" व "द" के अनुसार संलग्न है।

(3) पोषाहार के खाली बारदानों का निष्पादन विवरण परिशिष्ट "य" व "र" के अनुसार संलग्न है।

(4) परिवहन का व्यय पहले निजी आय से किया जाता है जिसका पुनर्भरण भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

राजीव गांधी पाठशालाओं में पदस्थापित बी.एड. व एस.टी.सी. शिक्षक

712. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : क्या पंचायती राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजीव गांधी पाठशालाओं में पदस्थापित शिक्षक बी.एड. या एस.टी.सी. प्रशिक्षण प्राप्त हैं? यदि हां, तो कितने?

(2) प्रदेश में बी.एड. व एस.टी.सी. प्रशिक्षण प्राप्त कितने लोग बेरोजगार हैं? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाओं में 1382 बी.एड. व 223 एस.टी.सी. प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षा सहयोगी पदस्थापित है।

(2) प्रदेश में रोजगार कार्यालयों में माह फरवरी, 2001 तक 53767 बी.एड. व 14537 एस.टी.सी. प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी पंजीकृत थे।

आसीन्द (भीलवाड़ा) में नये प्राथमिक विद्यालय

713. श्री रामलाल गुर्जर (आसीन्द) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 2000-2001 में तहसील क्षेत्र आसीन्द (भीलवाड़ा) में कितने नये प्राथमिक विद्यालय खोले गये? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार अब उक्त क्षेत्र में नये विद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी, नहीं। वर्ष 2000-2001 में पंचायत समिति आसीन्द (भीलवाड़ा) में 34 राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाएं खोलने की स्वीकृति जारी की गई।

(2) जी, नहीं। वर्ष 2000-2001 में पंचायत समिति आसीन्द में 34 राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाएं खोलने की स्वीकृति जारी की गई।

ग्राम बलून्दा विधान सभा क्षेत्र जैतारण की गैर मुमकिन भूमि का अवैध बेचान

714. श्री बाबूलाल सिंगारिया (केकड़ी) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

(1) विधान सभा क्षेत्र जैतारण के ग्राम बलून्दा की खसरा नं. 1773 रकबा 6 बीघा की किस्म क्या है?

(2) क्या यह सही है कि बलून्दा ग्राम की खसरा नं. 1773 भूमि गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है? क्या ग्राम पंचायत बलून्दा के सरपंच ने उक्त भूमि में से 2 बीघा भूमि को निजी भूमि बताकर 16 भूखण्ड बनाकर ग्राम पंचायत के पट्टे जारी किये हैं?

(3) क्या उक्त सरपंच ने उक्त 16 भूखण्डधारियों से राशि की वसूली की है? यदि हां, तो प्रत्येक से कितनी-कितनी? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त गैर मुमकिन रास्ते पर अवैध तरीके से भूखण्ड बेचान करने में लिप्त सरपंच के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) ग्राम बलून्दा के खसरा नं. 1773 रकबा 6 बीघा भूमि राजस्व रिकार्ड में गैमु. रास्ता अंकित है।

(2) जी, हां। दिनांक 15.6.1990 से 15.6.1991 की अवधि में 9 पट्टे जारी किए गए।

(3) सरपंच द्वारा 9 पट्टाधारियों से राशि वसूल की है। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) जी, हां। इस सम्बन्ध में जांच कराई जा रही है। जांच में दोषी पाये जाने पर सरपंच के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

पंचायती राज संस्थाओं को प्रदत्त अधिकार

715. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जनवरी, 2000 से मार्च, 2001 की अवधि में पंचायती राज संस्थाओं को क्या-क्या अधिकार सरकार द्वारा दिये गये हैं? आदेश/नोटिफिकेशन/परिपत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जनवरी, 2000 से मार्च, 2001 की अवधि में पंचायती राज संस्थाओं को दिये गये अधिकारी से संबंधित आदेशों की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(आदेशों की प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्राम पंचायत नानपत (पाली) का आय-व्ययक

716. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

पंचायत समिति रायपुर की ग्राम पंचायत नानपत (पाली) में वर्ष 1995 से

(श्री हीरासिंह चौहान)

मार्च, 2001 तक की आय-व्यय कितनी-कितनी रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

पंचायत समिति, रायपुर में नानपत (पाली) नाम की ग्राम पंचायत नहीं है।

जिला जालौर के घोषित डार्क जोन क्षेत्र का सर्वे

717. श्री गणेशीराम मेघवाल (जालौर) : क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला जालौर के किन-किन स्थानों पर कितनी मात्रा में भू-जल उपलब्ध है?

(2) उक्त जिले में कौन-कौन से क्षेत्र भू-जल स्तर के हिसाब से डार्क जोन में आते हैं?

(3) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जालौर की पंचायत समिति सायला डार्क जोन क्षेत्र में घोषित है? यदि हां, तो क्या पूर्व में घोषित उक्त क्षेत्र में अधिक वर्षा से भू-जल स्तर में वृद्धि हुई है?

(4) क्या सरकार डार्क जोन क्षेत्र समाप्त करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) भूजल पुर्नमूल्यांकन 1.1.1998 के अनुसार जालौर जिले की कुल 7 पंचायत समितियों में कुल 31 "भूजल सम्भाव्य क्षेत्र" अच्छे पानी के एवं 6 "भूजल सम्भाव्य क्षेत्र" खारे पानी के हैं। अच्छे पानी के 31 क्षेत्रों में से मात्र 6 क्षेत्रों में भूजल अवशेष उपलब्ध है। विवरण निम्नानुसार है :

क्र. सं.	पंचायत समिति	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)	भूजल सम्भाव्य क्षेत्र	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)	भूजल अवशेष (एम.सी.एम.)	भूजल विकास की दर (प्रतिशत)
1.	आहोर	1604.77	1. ए. ओ.-2	113.00	0.4418	91.28
			2. ए. ओ.-3	222.25	4.4107	55.73
2.	भीनमाल	1365.61	3. ए. ओ.—3 (उत्तरपूर्व)	100.00	1.0995	78.39
3.	जालौर	1040.05	4. ए. ओ.-2 (पूर्व)	443.75	1.4182	94.25
4.	जसवंतपुरा	1094.42	5. ए. ओ.-2	437.50	4.0290	84.00
5.	रानीवाड़ा	1000.75	6. आर	68.75	1.2316	36.64

(भू-जल मंत्री)

(2) पूर्व की "डार्क जोन" श्रेणी, "भूजल मार्गदर्शिका 1997" के अनुसार वर्तमान की "क्रिटिकल श्रेणी" के समकक्ष है। जालौर जिले में कुल 7 पंचायत समितियां हैं एवं सातों पंचायत समितियां ही समग्र दृष्टि से "अतिदोहित" (ओवर-एक्सप्लोइटेड) श्रेणी में आती है। "अतिदोहित श्रेणी" पूर्व के "डार्क जोन" (वर्तमान में "क्रिटिकल" श्रेणी) से भी अधिक दोहन की श्रेणी है।

(3) जी, हां। विधान सभा क्षेत्र जालौर की पंचायत समिति सायला भू-जल पुर्नमूल्यांकन 1.1.1998 के अनुसार (ओवर-एक्सप्लोइटेड) अति दोहित की श्रेणी में वर्गीकृत है। यह श्रेणी, पूर्व में "डार्क जोन" (वर्तमान में "क्रिटिकल" श्रेणी) से भी अधिक दोहन की श्रेणी है। जी, नहीं। पंचायत समिति सायला में भू-जल स्तर में वर्षा उपरान्त 1997 से वर्षा उपरान्त 2000 के मध्य 6.16 मीटर की गिरावट पायी गयी है।

(4) राज्य में नवीनतम भू-जल पुर्नमूल्यांकन 1.1.2001 का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। इस नवीनतम आकलन के परिणाम में यदि किसी क्षेत्र में बदलाव पाया गया तो उस क्षेत्र का पुनः वर्गीकरण किया जावेगा।

प्रतापगढ़ जेल के विचाराधीन कैदियों के भोजन, स्वास्थ्य हेतु गठित समिति की बैठकें

718. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या जेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला जेल प्रतापगढ़ में विचाराधीन कैदियों की दिनचर्या, भोजन व्यवस्था एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से क्या सरकार ने कोई समिति का गठन किया है? यदि हां, तो इसकी बैठकें कब-कब हुई एवं बैठक में कौन-कौन से बिन्दु विचारार्थ रखे गये और समाधान किस तरह किया है?

(2) क्या यह सही है कि दिन में भी जेल के अन्दर निर्मित बेरिक्स में विचाराधीन कैदियों को बंद रखा जाता है एवं समय-समय पर बाहर परकोटे के अन्दर खोला जाता है जिससे विचाराधीन कैदियों को मानसिक एवं शारीरिक उत्पीड़न दिया जाता है?

उत्तर

(1) जी, नहीं। समिति का गठन नहीं किया गया है।

(2) जी, हां। जिला कारागृह, प्रतापगढ़ पर प्रातः 11.00 बजे से सायंकाल 3.00 बजे तक विचाराधीन बंदियों को नियमानुसार बैरिकों में बन्द किया जाता है। बन्दी प्रातः सूर्योदय पर खोले जाते हैं तथा 11.00 से 3.00 बचे तक के लिए बैरिकों में बन्द किये जाते हैं एवं सायंकाल सूर्यास्त

(जेल मंत्री)

होने पर भोजनोपरान्त बैरिकों में बन्द किये जाते हैं। इन्हें कोई मानसिक एवं शारीरिक उत्पीड़न नहीं दिया जाता है।

राज्य में अकाल की विभीषिका के मध्य नजर स्थगित लगान की वसूली

719. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में लगातार तीन वर्षों के अकाल को दृष्टिगत रखते हुए क्या राज्य सरकार ने लगान माफ कर उसकी वसूली स्थगित कर दी है?

(2) क्या प्रदेश में बारानी लगान तो पहले से ही खतम कर दिया है?

(3) क्या चाही भूमि का लगान वसूला जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार उसे माफ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रदेश में लगातार तीन वर्षों से अकाल को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा लगान माफ नहीं किया गया है, बल्कि स्थगित किया गया है। आदेश क्रमांक 4 (6) राज/2/97 दिनांक 6.1.1999 द्वारा 30.9.1999 तक आदेश दिनांक 10.3.2000 द्वारा 30.9.2000 तक तथा आदेश क्रमांक एफ. 4(16) राज/2/2000 दिनांक 12.12.2000 द्वारा दिनांक 1.12.2000 से 30.9.2001 तक भू-राजस्व स्थगित किया गया है। किन्तु भू-अभिलेख में दर्ज बारानी, तालाबी अथवा सैलाबी अंकित उन भूमियों पर राजस्व वसूली स्थगित नहीं की गई है जहां कुओं का अन्य स्रोतों से सिंचाई होती है। आदेशों की प्रतियां संलग्न हैं।

(2) राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प5(4)राज/4/77/31 दिनांक 30.3.1991 व अधिसूचना दिनांक 27.8.91 द्वारा खरीफ संवत 2048 (वित्तीय वर्ष 1991-92) से भू-अभिलेख में दर्ज देहरी, सेवज खादिन, सैलाबी, तालाबीपेटा, कछार, खातली भूमि को छोड़कर समस्त बारानी भूमि को भू-राजस्व से मुक्त किया हुआ है।

(3) छोटे व सीमान्त कृषकों को छोड़कर चाही लगान वसूल किया जा रहा है। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प4(4)राज/ग्रुप-2/94 दिनांक 20.9.1994 द्वारा राज्य के समस्त छोटे व सीमान्त किसानों का कुओं द्वारा सिंचित क्षेत्र का लगान खरीफ सम्वत् 2051 वित्तीय वर्ष 1994-95 से समाप्त कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त चाही लगान माफ करने का कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

(आदेशों की प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

आमेर (जयपुर) में राजस्व रिकार्ड में दर्ज माफी मंदिर भूमि

720. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री भंवरलाल शर्मा)

(1) क्या सरकार ने मंदिर माफी की भूमि मंदिर के नाम दर्ज करने का आदेश जारी किया है? यदि हां, तो क्या उक्त आदेश की पालना कर दी गई है? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सिरस की नांगल तहसील आमेर, जिला जयपुर में भी मंदिर माफी की भूमि है? क्या उक्त भूमि संबंधित मंदिर के नाम दर्ज कर दी गयी है? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों? मंदिर के नाम दर्ज खसरों की सूची सदन की पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। आदेश की प्रति परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) ग्राम सिरस को नांगल में पुराने सैटलमैंट सम्वत् 2010-2023 को मिसल बन्दोबस्त में कालम नं.3 में काफी मंदिर श्री द्वारकाधीश जी, माफी श्री रामचन्द्र जी, माफी पुरोहितान दर्ज है। कालम सं.4 में इस समस्त माफी की भूमि पर पृथक-पृथक काश्तकारान को बहैसियत खातेदार अंकित किया हुआ है। पूरा गांव माफी का होने से एवं भूमि पर मंदिर का कब्जा नहीं होने के कारण नवीन सैटलमैंट में माफी जप्त हो जाने के फलस्वरूप माफी मंदिर का नाम हटाकर खातेदारान के नाम ही खातेदारी दर्ज की है। खतोनी बंदोबस्त की नकल परिशिष्ट "ख" पर है।

(आदेश की प्रति/नकल विधान सभा पुस्तकालयों में रखी गयी)

देसूरी (पाली) में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की भूमि पर अवैध कब्जे

721. श्री आत्माराम मेघवाल (देसूरी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील देसूरी (पाली) के ग्रामों में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की भूमि पर कतिपय सवर्ण जाति के व्यक्तियों ने कब्जा कर रखा है? यदि हां, तो किस-किस खसरा नम्बर की कितनी भूमि पर? पिता का नाम, व गांववार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार अब उक्त अतिक्रमियों का कब्जा हटाकर पुनः अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को उनकी भूमि दिलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) तहसील क्षेत्र देसूरी के ग्राम रानीखुर्द में दो प्रकरणों में अनुसूचित जाति के सदस्यों की खातेदारी भूमि पर सवर्ण जाति के लोगों ने कब्जा कर रखा है। जिनका विवरण परिशिष्ट "अ" संलग्न है।

(2) उक्त प्रकरण तहसील देसूरी के न्यायालय में अन्तर्गत धारा 183 "ब" राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत विचाराधीन है। न्यायालय के निर्णयानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

उप तहसील पीपलखूंट को तहसील का दर्जा

722. श्री नानालाल नीनामा (घाटोल) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार जनजाति बाहुल्य उप तहसील पीपलखूंट को पूर्ण तहसील स्तर पर क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? और हां, तो कब तक?

उत्तर

उप तहसील पीपलखूंट को क्रमोन्नत कर तहसील का दर्जा देने का प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

तहसीलदार, थानागाजी (अलवर) द्वारा अपने पद का दुरुपयोग

723. श्री आत्माराम मेघवाल (देसूरी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सादा वगैरह बनाम धूड़िया वगैरह व लक्ष्मीनारायण वगैरह बनाम सावा वगैरह के प्रकरण में राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा दिनांक 16.10.87 को तहसीलदार, थानागाजी (अलवर) को रिसीवर नियुक्ति किया गया है?

(2) क्या यह भी सही है कि राजस्व मण्डल द्वारा 250 रुपये प्रति पौध प्रति फसल के हिसाब से प्रतिवादीगण द्वारा जमा कराने पर कब्जा प्रतिवादीगण को सम्भालने के आदेश दिये गये?

(3) क्या यह सही है कि लैण्ड रैवन्यू एक्ट के अनुसार जिला अलवर के अन्दर तीन फसलें होती हैं व तहसीलदार, थानागाजी (अलवर) द्वारा अपने पत्र क्रमांक 1124 दिनांक 1.12.99 व पूर्व पत्र द्वारा यह माना गया कि प्रतिवादीगण द्वारा उक्त खसरा नम्बर पर सम्वत् 2055 से ज्यादा राशि की फसलें बोई है?

(4) क्या यह भी सही है कि बोने से पूर्व सिक्योरिटी के पैसे (रिसीवर) जमा कराकर ही फसलें बोनी चाहिये थी, लेकिन तहसीलदार द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए ऐसा नहीं किया गया?

(5) क्या यह सही है कि सहायक जिलाधीश, अलवर द्वारा अपने पत्र क्रमांक 51 दिनांक 18.11.99 में आदेश किये गये कि यदि प्रतिवादीगण सिक्योरिटी के पैसे जमा करा दें तो जमा कर लिये जाये अन्यथा उक्त विवादित आराजी को कब्जे राज लिया जाये? क्या तहसीलदार द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अब तक कब्जे राज नहीं लिया गया?

(6) क्या यह भी सही है कि सहायक जिलाधीश, अलवर ने पुनः पत्र क्रमांक 1484 दिनांक 25.11.2000 के द्वारा उक्त आराजी को कब्जे राज लेने के लिए आदेश दिये लेकिन तहसीलदार द्वारा आज तक कब्जे राज नहीं लिया गया? यदि हां, तो क्या कारण है? क्या इस पर रोक लगी

(श्री आत्माराम मेघवाल)

हुई है? यदि हां, तो रोक की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या यह सही है कि उक्त सारे तथ्यों से यह पूर्णतया सिद्ध है कि तहसीलदार अपने पद का दुरुपयोग कर राज कार्य में बाधा उत्पन्न की फिर भी अब तक उसकें विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं की गई? यदि हां, तो क्यों और अब आगे क्या कार्यवाही की जावेगी?

(8) क्या अब उक्त आराजी को कब्जे राज लिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, हां।

(3) अलवर जिले में तीन फसलें हो सकती हैं, जबकि अक्सर दो ही बोई जाती है तथा सम्वत् 2053 में 0.10 बिस्वा व सम्वत् 2055 में 1.10 बीघा तीन फसलें रबी, खरीफ व जायद बोई गई है।

(4) जी, हां। तहसीलदार, थानागाजी को जैसे ही तीसरी फसलें बोनें की जानकारी हुई तो उसकी जांच पटवारी हल्का से कराकर तीसरी फसलों की राशि जमा कराने हेतु कार्यवाही की गई व राशि जमा कोष कराई गई।

(5) जी, हां। विवादित आराजी की सिक्योरिटी राशि समय-समय पर जमा हुई है। इस कारण आराजी को कब्जेराज नहीं लिया गया। तहसीलदार द्वारा अपने पद का कोई दुरुपयोग नहीं किया गया है।

(6) यह सही नहीं है। सहायक जिलाधीश, अलवर के आदेश अनुसार यदि प्रतिवादीगण फसलों के अनुसार राशि जमा नहीं कराता है, तो आराजी को कब्जे राज लेने के आदेश दिये थे। चूंकि इस प्रकरण में राशि नियमित रूप से जमा कराई गई है। इस कारण आराजी को कब्जेराज लेने का कोई कारण/औचित्य नहीं है।

(7) जी, नहीं। तहसीलदार, थानागाजी द्वारा न्यायालयों से जो आदेश उसे समय-समय पर दिये गये हैं उनकी पालना तहसीलदार द्वारा बदस्तूर की गई है। उसके द्वारा पद का दुरुपयोग नहीं किया गया है। इस कारण तहसीलदार के विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई कारण नहीं है।

(8) न्यायालयों के निर्णय अनुसार इस आराजी पर नियमित रूप से राशि जमा कराई जाकर काश्त की जा रही है। अतः आराजी को कब्जेराज लेने का कोई औचित्य नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ में वक्फ की सम्पत्तियों पर अतिक्रमण

724. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या वक्फ राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ में वक्फ की कितनी चल एवं अचल सम्पत्ति कहां-कहां पर स्थित है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री नन्दलाल मीणा)

(2) क्या वक्फ की उक्त सम्पत्तियों पर किसी व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है? यदि हां, तो कितनी पर?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ में वक्फ की 102 सम्पत्तियां स्थित है। जिसमें से 94 सम्पत्तियां राजस्थान राजपत्र भाग-2-क दिनांक 23 सितम्बर, 1965 में प्रकाशित है। इसके अतिरिक्त वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 37 के अन्तर्गत संधारित रजिस्टर में 8 सम्पत्तियां दर्ज है। दोनों की सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जी, हां। वक्फ की 2 सम्पत्तियों पर विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ की भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है।

विधान सभा क्षेत्र सिवाना में सहायक कृषि अधिकारी के रिक्त पद

725. श्री गोपाराम मेघवाल (सिवाना) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना में कुल कितने सहायक कृषि अधिकारी एवं कृषि पर्यवेक्षकों के पद स्वीकृत हैं?

(2) क्या यह सही है कि लम्बे समय से सहायक कृषि अधिकारियों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो इन्हें कब तक भर दिया जायेगा और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त क्षेत्र में सहायक कृषि अधिकारियों का चार्ज कृषि पर्यवेक्षकों को दिया हुआ है? क्या क्षेत्र के किसानों ने इस संबंध में कृषि कार्यों में अनियमितताओं की शिकायत कई बार उच्च अधिकारियों को की है? क्या सरकार द्वारा इसके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सिवाना क्षेत्र में सहायक कृषि अधिकारी के 4 पद एवं कृषि पर्यवेक्षकों के 20 पद स्वीकृत हैं।

(2) जी, हां। डी.पी.सी. आयोजित कराने की कार्यवाही जारी है। चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होते ही पद शीघ्र भर दिये जावेंगे।

(3) जी, हां। 2 सहायक कृषि अधिकारियों का चार्ज कृषि पर्यवेक्षकों को दिया हुआ है। समदड़ी क्षेत्र से एक कृषि पर्यवेक्षक के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई है। संयुक्त निदेशक कृषि, जोधपुर को दिनांक 18.4.2001 को जांच अधिकारी नियुक्त किया जा चुका है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर आगे की कार्यवाही की जावेगी।

कूचौली जल ग्रहण क्षेत्र (राजसमन्द) के श्रमिकों का बकाया भुगतान

726. श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री मांगीलाल गरासिया)

(1) क्या वर्ष 1996 में उप निदेशक जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण, राजसमन्द द्वारा नाथद्वारा इकाई के अन्तर्गत कूचौली जल ग्रहण क्षेत्र में वाटर शैड का कार्य करवाया था ?

(2) क्या उक्त कार्य पर जनवरी, 1996 से जुलाई, 1996 तक नियोजित श्रमिकों को उनकी मजदूरी का भुगतान कर दिया गया है ? क्या ग्राम गुन्दाली पालछे, वासन के मजदूरों को भी उनकी मजदूरी का भुगतान किया जा चुका है ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या उक्त श्रमिकों को अब तक मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों और किस स्तर पर कौन दोषी है तथा श्रमिकों को भुगतान नहीं करने वाले दोषियों के विरुद्ध सरकार क्या कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(4) क्या सरकार अब उक्त श्रमिकों को मजदूरी राशि के भुगतान करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? क्या मजदूरी राशि के अलावा ब्याज का भुगतान भी सरकार द्वारा किया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) इकाई प्रभारी द्वारा जारी कार्यादेशों के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों पर देय मजदूरी का भुगतान कर दिया गया है। कुछ कार्य यूजर्स कमेटियों द्वारा बिना सक्षम स्वीकृति के करवा दिये थे। उन कार्यों पर नियोजित श्रमिकों का भुगतान नहीं किया गया जिसमें ग्राम गुन्दाली, पालछ, वासनों के श्रमिक भी शामिल हैं।

(3) उत्तर के भाग 2 के अनुसार। यूजर्स कमेटियों द्वारा अनधिकृत रूप से कराये गये कार्यों की विभागीय स्तर पर प्रारम्भिक जांच कराई गई है एवं प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्पष्टीकरण मांगे जा चुके हैं और जांच की आगे की कार्यवाही निदेशक के स्तर पर जारी है।

(4) यद्यपि यूजर्स कमेटियों द्वारा कार्य बिना सक्षम स्वीकृति के करवाया गया फिर भी मजदूरी भुगतान सम्बन्धित प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन है। मजदूरी राशि के अलावा ब्याज का भुगतान करने का कोई पृथक से प्रावधान योजना में नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र नदबई के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

727. श्री यशवन्त सिंह (रामू) (नदबई) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत करने के क्या मापदण्ड हैं ?

(2) विधान सभा क्षेत्र नदबई में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत हैं ?

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में कोई नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(श्री यशवन्त सिंह (रामू))

(4) क्या सरकार मई बहरामदा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भारत सरकार के द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सामान्य क्षेत्र में 30,000 व जनजाति एवं रेगिस्तानी क्षेत्र में 20,000 की ग्रामीण जनसंख्या पर खोले जाने का प्रावधान हैं।

(2) विधान सभा क्षेत्र नदबई में 05 (पांच) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत हैं।

(3) जी, नहीं। वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं होने के कारण नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने वर्ष 2001-2002 में प्रस्तावित नहीं है।

(4) वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं होने के कारण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलना प्रस्तावित नहीं है।

उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र परतापुर (बांसवाड़ा) की शैय्याओं में बढ़ोतरी

728. श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या (बांसवाड़ा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, परतापुर (बांसवाड़ा) में शैय्याओं की संख्या बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

उत्तर

जी, नहीं। वर्ष 2001-2002 के योजनान्तर्गत चिकित्सा संस्थाओं को क्रमोन्नत किये जाने के लिए वित्तीय प्रावधान उपलब्ध नहीं होने के कारण उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, परतापुर (बांसवाड़ा) में बिस्तरों की संख्या बढ़ाया जाना सम्भव नहीं है।

मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी द्वारा क्रय किये गये उपकरणों का दुरुपयोग

729. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में कुल कितने अस्पतालों में मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी बनी हुई है?

(2) क्या उक्त रिलीफ सोसायटी बनने के बाद से अब तक इनके द्वारा उपकरण क्रय किये गये हैं?

(3) क्या यह सही है कि विभिन्न रिलीफ सोसायटीज द्वारा क्रय किये गये एयरकंडीशन व फ्रीज का उपयोग अस्पताल में नहीं होकर घरों में किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार इनका सदुपयोग कराने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) प्रदेश के 216 अस्पतालों में मेडिकेयर रिलीफ सोसायटियों का गठन

(राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)

किया गया है तथा शेष अस्पतालों में मेडिकेयर रिलीफ सोसायटियों के गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) जी, हां। अधिकतर मेडिकेयर रिलीफ सोसायटीज के द्वारा उपकरण क्रय किए गए हैं।

(3) जी, नहीं।

फतेहपुर व रामगढ़ (सीकर) के अस्पतालों में चिकित्सकों के रिक्त पद

730. श्री भंवरु खान (फतेहपुर) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) फतेहपुर (सीकर) में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चल रहे हैं? उक्त केन्द्रों में प्रतिवर्ष बजट किस-किस मद में कितना-कितना दिया जाता है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) फतेहपुर व रामगढ़ शहर के अस्पतालों में चिकित्सकों के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं और उनमें से कौन-कौन से पद कब-कब से रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त रिक्त पदों को अब कब तक भर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) पंचायत समिति फतेहपुर में 8 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत हैं। बजट आबंटन की सूची संलग्न है।

(2) फतेहपुर व रामगढ़ शहर के अस्पतालों में चिकित्सकों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों की सूची मय रिक्ती के सहित संलग्न है।

(3) कनिष्ठ विशेषज्ञों के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने पर चयन पश्चात् भरा जा सकेगा जो प्रक्रियाधीन है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें)

सवाई मानसिंह चिकित्सालय एवं जनाना अस्पताल के कर्मियों के विरुद्ध जांच

731. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर के सवाई मानसिंह चिकित्सालय एवं जनाना अस्पताल में कुल कितने चिकित्सक एवं चिकित्साकर्मी कार्यरत हैं? उनके ठहराव की अवधि सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अस्पतालों में कितनी शैय्याओं की क्षमता है? इकाइवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अस्पतालों में किन-किन चिकित्सकों व चिकित्सा कर्मियों के विरुद्ध विभिन्न शिकायतों की जांच कब से विचाराधीन है और इसका निबटारा कब तक कर दिया जावेगा?

(मोहम्मद माहिर आज़ाद)

(4) क्या सरकार उक्त अस्पतालों की क्षमता बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार और कब तक?

उत्तर

(1) सवाई मानसिंह चिकित्सालय एवं जनाना अस्पताल में कुल कार्यरत चिकित्सक एवं चिकित्सा कर्मियों की सूचना निम्नानुसार है :—

(क)	सवाई मानसिंह चिकित्सालय		
	1.	चिकित्सक	242
	2.	चिकित्साकर्मी	756
(ख)	जनाना अस्पताल		
	1.	चिकित्सक	37
	2.	चिकित्साकर्मी	150

इनके ठहराव की अवधि की सूची नाम व पदनाम सहित परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) सवाई मानसिंह चिकित्सालय में कुल 1563 एवं जनाना अस्पताल में कुल 416 शैय्याओं की क्षमता है। विभागवार सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) उक्त अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सकों एवं चिकित्सा कर्मियों के विरुद्ध विचाराधीन शिकायतों की जांच से संबंधित सूचना परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(4) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

सेवानिवृत्त अध्यापक (जिला शिक्षा अधिकारी कोटा) का पेंशन भुगतान प्रकरण

732. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री प्रेमचन्द राठौर अध्यापक, जिला शिक्षा अधिकारी, कोटा की सेवानिवृत्ति दिनांक 31 अगस्त, 1999 को हुई थी? क्या पेंशन विभाग द्वारा दिनांक 17 नवम्बर, 1999 को पेंशन स्वीकृत कर दी गई थी? यदि हां, तो पेंशन स्वीकृति के बाद उसका भुगतान क्यों नहीं हुआ?

(2) क्या बिना पेंशन, ग्रेच्युटी, पेंशन रूपान्तरण की राशि प्राप्त किये ही उक्त अध्यापक की मृत्यु हो गयी है? यदि हां, तो कब? क्या सरकार भुगतान में विलम्ब के सम्बन्ध में कोषाधिकारी, कोटा को उत्तरदायी मानती है? यदि हां, तो उक्त अधिकारी के विरुद्ध सरकार ने अब तक क्या कोई कार्यवाही की है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त कर्मचारी की मृत्यु उपरान्त कर्मचारी की पत्नी को उसका समस्त भुगतान कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो पेंशन के आदेश जारी होने के पश्चात् भी अब तक भुगतान क्यों नहीं किया गया है?

(4) क्या यह सही है कि मृतक कर्मचारी की पत्नी से कोषाधिकारी, कोटा रुपये वसूलना चाहता है? यदि हां, तो

(श्री मदन दिलावर)

क्यों? क्या मृतक की पत्नी को अपमानित करने की शिकायंत सरकार/जिला कलक्टर, कोटा को प्राप्त हुई है? यदि हां, तो उक्त अधिकारी के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है? क्या सरकार कोषाधिकारी, कोटा द्वारा पेंशन भुगतान में विलम्ब होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में उसे दोषी ठहराते हुए मृतक की पत्नी को तत्काल भुगतान कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी, हां। श्री राठौर को दिनांक 4.12.1999 को पेंशन अधिकृति जारी की गई। नियमानुसार प्रथम भुगतान प्राप्त करने हेतु श्री राठौर आवश्यक दस्तावेज सहित कोषालय में व्यक्तिशः उपस्थित नहीं हुए।

(2) जी, हां। श्री राठौर का स्वर्गवास दिनांक 13.1.2000 को हो गया। चूंकि नियमानुसार श्री राठौर प्रथम भुगतान प्राप्त करने हेतु आवश्यक दस्तावेजों सहित कोषालय में व्यक्तिशः उपस्थित नहीं हुए। अतः कोषाधिकारी कोटा द्वारा भुगतान नहीं किया जा सका।

(3) उक्त कर्मचारी की मृत्यु के उपरान्त उनकी पत्नी को पारिवारिक पेंशन दिनांक 17.8.2000 को अधिकृत की गई एवं सैंट्रल बैंक आफ इण्डिया, मण्डाना से नियमित भुगतान किया जा रहा है। मृतक कर्मचारी द्वारा उपादान एवं पेंशन रूपान्तरण राशि का भुगतान हेतु किसी का मनोनयन (नोमीनेशन) नहीं किये जाने के कारण नियमानुसार उनके परिवार के पांचों सदस्यों के पक्ष में बराबर राशि के बंटवारे का अधिकार पत्र दिनांक 27.9.2000 को जारी कर दिया गया। उपादान की राशि तीन सदस्यों यथा पत्नी, पुत्री एवं एक पुत्र द्वारा प्राप्त कर ली गई है। शेष दो पुत्रों ने अपने दावे प्रस्तुत नहीं किये हैं। पेंशन रूपान्तरण राशि हेतु परिवार के किसी भी सदस्य ने अपना दावा प्रस्तुत नहीं किया है।

(4) प्राप्त शिकायत पर जांच के आदेश दिये जा चुके हैं। नियमानुसार मृतक की पत्नी एवं अन्य सदस्यों द्वारा बकाया पेंशन रूपान्तरण राशि के दावे प्रस्तुत करने पर तथा दो पुत्रों द्वारा उपादान राशि के दावे प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जा सकेगा।

जयपुर शहर में पदस्थापित लेखाधिकारियों के पदस्थापन की अवधि

733. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर शहर में कौन-कौन से कार्यालयों में लेखाधिकारियों के कितने-कितने पद सृजित हैं और उन पर कौन-कौन अधिकारी कब-कब से कार्यरत है?

(2) क्या सरकार की नीति के अनुसार एक कार्यालय में एक अधिकारी के ठहराव की अधिकतम सीमा है? यदि हां, तो

(श्री हरजीराम बुरड़क)

कितने समय तक? क्या उक्त सम्बन्ध में कोई नियमों की व्यवस्था है? क्या सरकार ने उक्त सम्बन्ध में कोई आदेश जारी किये हैं? यदि हां, तो प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अधिकारियों को उनकी सेवा अवधि में कुल कितने वर्ष जयपुर शहर के विभिन्न कार्यालय में तैनात रखा जा सकता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विवरण सदन के पटल पर रखने हेतु संलग्न है। (परिशिष्ट "अ")

(2) एक कार्यालय में एक अधिकारी के ठहराव की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है और न ही इस संबंध में कोई नियमों में कोई व्यवस्था है। स्थानान्तरण/पदस्थापन के बारे में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों की प्रतिलिपियां सदन के पटल पर रखने हेतु संलग्न हैं।

(3) जयपुर शहर में अधिकारियों को पदस्थापित करने की कोई सीमा निर्धारित नहीं की हुई है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

सहयोग अपार्टमैंट के फ्लेट्स में सुविधाओं का अभाव

734. श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार द्वारा अपने अधिकारियों/कर्मचारियों को आवास के लिए सहयोग अपार्टमैंट में फ्लेट्स उपलब्ध कराये गये हैं और उक्त आवास गृहों का किराया सरकार द्वारा वसूला जा रहा है? यदि हां, तो उक्त वसूल किया गया किराया राज्य सरकार द्वारा किस मद में जमा किया जाता है व उसका क्या उपयोग किया जाता है?

(2) सरकार द्वारा उक्त आवास गृह कब से आबंटित किये गये हैं तथा आबंटन से इनके रख-रखाव की जिम्मेदारी किस संस्था को सौंपी हुई है और उसको विभिन्न वर्षों में कितनी राशि उक्त कार्य के लिये दी गई व उक्त द्वारा इस राशि से क्या कार्य करवाये गये?

(3) क्या उक्त आवास गृहों में पीने के पानी के साथ गटर के मिश्रित जल आने की शिकायत व इसमें रहने वाले 50 से ज्यादा परिवारों के बीमार होने की शिकायत सरकार को प्राप्त हुई? यदि हां, तो सरकार द्वारा इसका क्या निराकरण किया गया? क्या भविष्य में ऐसी समस्या उत्पन्न नहीं होगी?

(श्री हेमन्त कुमार)

(4) क्या उक्त आवास गृहों में रहने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को उनकी श्रेणी के अनुसार आवास गृहों में मिलने वाली सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं? यदि नहीं, तो क्या सरकार अब ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी, हां। यह किराया वेतन से सीधे ही काटा जाता है, तथा निम्न बजट मद में जमा होता है :—

0216	—	आवास (हाउसिंग)
01	—	सरकारी रिहायशी भवन
106	—	साधारण पूल आवास
1	—	किराया

राजकोष में जमा राशि का सीधे उपयोग नहीं किया जा सकता है।

(2) ये आवास माह अप्रैल, 1996 से आबंटित किए जा रहे हैं। इनके रख-रखाव की जिम्मेदारी राज. राज्य सहकारी आवासन संघ लि. को प्रारम्भ में सौंपी गई थी, मार्च, 2001 से इन्हें आवासन मण्डल को सौंपा गया है। राज. राज्य सहकारी आवासन संघ को मार्च, 1997 में 7.00 लाख रुपये की स्वीकृति सभी 191 राजकीय आवासों के रख-रखाव हेतु जारी की गयी थी। इस राशि से इलैक्ट्रिक, सेनेट्री का कार्य (सामान्य एवं मजदूरी) गार्ड एवं स्वीपर की व्यवस्था विद्युत बिल (स्ट्रीट लाइट) आदि कार्य किये गये। माह अप्रैल, 98 में इनको रुपये 5.87 लाख की स्वीकृति सभी राजकीय फ्लेट्स में पंखे लगाने हेतु जारी की गयी थी। मार्च, 2001 में राशि रुपये 2.00 लाख राज. आवासन मण्डल को इस पेटे दी गयी है।

(3) वहां के आवासियों ने इस विभाग को पत्र लिखकर बीमारी की आशंका बतायी थी। राज. राज्य सहकारी आवासन संघ द्वारा पाइप लाइन में हुई गड़बड़ी को ठीक करवा दिया गया है। समस्या के स्थायी समाधान हेतु कार्यवाही की जा रही है।

(4) जी, हां।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री सांवर लाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भिनाय के गांवों में पेयजल का भीषण संकट होने के सम्बन्ध में।

(2) श्री हरिश्चन्द्र कुमावत, सदस्य की ओर से जिला नागौर की तहसील नावां के ग्राम देवली में पेयजल की गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन था बीसलपुर का पानी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है :—

(1) श्री मदन दिलावर एवं एक अन्य माननीय सदस्य की ओर से चिकित्सा विभाग में अर्जेंट टेम्परेरी फिक्स अमाउंट पर कार्यरत कर्मियों को स्थायी नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) डा. किरोड़ी लाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बामनवास के ग्राम नागरहेड़ा में 33/11 के.वी., जी.एस.एस. स्वीकृत होने के बावजूद उसका कार्य आरम्भ नहीं होने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव स्थगन प्रस्ताव के रूप में ग्राह्य नहीं है, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री ज्ञानदेव आहूजा, सदस्य की ओर से जिला अलवर के चिकित्सालयों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में हो रही अव्यवस्था के सम्बन्ध में।

(2) श्री रमजान खान, सदस्य की ओर से पुष्कर बाइपास रोड का कार्य पूर्ण करवाने के सम्बन्ध में।

(3) डा. रघुवीर सिंह गौड़, सदस्य की ओर से कोटपूतली तहसील के कस्बा पावटा में उप तहसील कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में।

(4) श्री केसाराम चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खारची के ग्राम सारण एवं बोरीमादा में पेयजल की समस्या के सम्बन्ध में।

(5) डा. किरोड़ी लाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बामनवास की पंचायत समिति बौंली में 132 के.वी., जी.एस.एस. का निर्माण करने के सम्बन्ध में।

(6) श्री भरोसी लाल, सदस्य की ओर से हिण्डौन तहसील के कतिपय ग्रामों को सूरोढ़ थाने से हटाकर हिण्डौन थाना के क्षेत्रान्तर्गत करने के सम्बन्ध में।

(7) श्री संजीव बेनीवाल, सदस्य की ओर से तहसील भादरा के गांव व चकों की बकाया चकबंदी का कार्य पूरा करवाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा । (अनुपस्थित) श्री रमजान खान। (अनुपस्थित) डा. रघुवीर सिंह।

(12.05 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री संयम लोढ़ा : हम आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहते हैं।

श्री रामस्वरूप : भारत सरकार की ओर दिलाना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज।

श्री संयम लोढ़ा : रामस्वरूपजी, एक मिनट।

राजस्थान के मुख्य मंत्री माननीय अशोकजी गहलोत के प्रयासों से और बार-बार केन्द्र सरकार को आग्रह किया, उसकी वजह से काम के बदले अनाज योजना शुरू हुई....(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : भारत सरकार ने अनाज को देने के लिए बंद कर दिया और आप कहते हैं कि बिराजो। (व्यवधान)

श्री रमेश खींची : उपाध्यक्ष महोदय, आप पूरी बात सुनिये।

श्री संयम लोढ़ा : .... (व्यवधान) भुगतान करने की व्यवस्था की गयी थी। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : माननीय मुख्य मंत्रीजी बार-बार मांग करते हैं इस गेहूं के लिए, गेहूं को बंद कर दिया।

श्री रमेश खींची : यह जिस तरह से हल्ला मचाते हैं न, यह बात, कारनामें सुनो।

श्री उपाध्यक्ष : एक बोलेगा कि सब बोलोगे?

श्री रामस्वरूप : एक-एक ही बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आप चाहते क्या हो?

श्री संयम लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि भारत सरकार की संवेदनहीनता की वजह से जो दो लाख मैट्रिक टन गेहूं राजस्थान को प्राप्त हो जाना चाहिए, भुगतान नहीं होने की वजह से नहीं हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : काहे पर ध्यान आकर्षित कर रहे हो, किस रूल में ध्यान आकर्षित कर रहे हो?

श्री रामस्वरूप : गेहूं का भुगतान नहीं हो रहा है, उपाध्यक्ष महोदय। एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गयी है राजस्थान सरकार के सामने। भारत सरकार ने हमको गेहूं नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष : ध्यान काहे पर आकर्षित कर रहे हो? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान सरकार के अन्दर अकाल में जो .....(व्यवधान) मजदूर काम कर रहे हैं।

श्री रामस्वरूप : किसानों के सामने समस्या पैदा हो गयी है, मजदूरों के सामने समस्या पैदा हो गयी है।

श्री कृष्ण मुरारी गंगावत : और भारत सरकार चिंतित नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री संयम लोढ़ा : ×××

श्री कृष्ण मुरारी गंगावत : ×××

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री रामस्वरूप : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

डा. किरोड़ी लाल : ×××

श्री संजीव बेनीवाल : ×××

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है। मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं।

श्री बाबूलाल नागर : ×××

श्री बाबूलाल सिंगारिया : ×××

श्री रमेश खींची : ×××

श्री रामस्वरूप : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री रतन लाल ताम्बी : ×××

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा वैल में आकर नारेबाजी)

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य, बैठें। (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : ×××

श्री रामस्वरूप : ×××

श्री कृष्ण मुरारी गंगावत : ×××

श्री रमेश खींची : ×××

श्री बाबूलाल नागर : ×××

श्री संयम लोढ़ा : ×××

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा वैल में नारेबाजी)

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

(सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा लगातार नारेबाजी)

(भाजपा के माननीय सदस्यों द्वारा वैल में लगातार नारेबाजी)

श्री रतन लाल ताम्बी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही 12.30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 12.11 बजे से 12.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(पुनः समवेत होने पर)

(12.30 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री रामस्वरूप : उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार ने जो घोर अन्याय किया है.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, प्लीज बिराजें।

श्री रामस्वरूप : इतना बड़ा काम किया है....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह विधान सभा है यहां कांच के महल में बैठ करके ....(व्यवधान)

श्री महेश जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, यह विधान सभा में ....(व्यवधान) बच नहीं

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री महेश जोशी)

सकते हैं यह लोग। इनकी जिम्मेदारी है इस राज्य की जनता के प्रति.... (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : एक तो केन्द्र सरकार हमारी मदद करे।

श्री रामस्वरूप : इतना बड़ा अन्याय जनता के साथ हो गया.... (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : जिस प्रकार की सहायता चाहे उतनी सहायता करे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, रामस्वरूपजी बिराजें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अब उसके बाद केन्द्र सरकार के प्रति इस प्रकार का बर्ताव करें....(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : क्या कार्यवाही करेंगे उसके बारे में?

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज बिराजें। आर्डर, आर्डर। आप बैठिये।

श्री रामस्वरूप : उपाध्यक्ष महोदय, क्या कार्यवाही करेंगे।

श्री राजेन्द्र पारीक : मंत्रीजी की ओर से स्टेटमैंट आना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट....(व्यवधान) माननीय सदस्य बिराजें।

श्री राजेन्द्र पारीक : मंत्रीजी से स्टेटमेंट दिलवाएं।

श्री उपाध्यक्ष : हां, बिराजें....(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आप सोचे गम्भीरता से....

एक माननीय सदस्य : हां, दो स्टेटमेंट...

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा है, ना तो यह मामला हाउस में एनलिस्ट हुआ है और सब्जेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसको तरीके से उठाया जाना चाहिए। चूंकि गम्भीर बात है, मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस पर ....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, जब आप स्वयं मानते हैं कि मामला गम्भीर है....

श्री रामस्वरूप : बहुत गम्भीर मसला है।

श्री राजेन्द्र पारीक : मंत्रीजी को स्टेटमेंट देना चाहिए....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री रामस्वरूप : मंत्री जी स्टेटमेंट दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिये। मैं सरकार से यह चाहूंगा कि सरकार, भारत सरकार से जानकारी प्राप्त करके मंडे को इस पर कोई स्टेटमेंट दे कि वस्तुस्थिति क्या है?

स्पष्टीकरण

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर में कापियां जांचने का कार्य ठेके पर नहीं

श्री सी. पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से, कल भिनाय से आने वाले माननीय सदस्य, बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य और अन्य सदस्यों ने बोर्ड के परीक्षक के संबंध में सदन का

(श्री सी. पी. जोशी)

ध्यानाकर्षित किया। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि तथ्यों का मैंने विभाग से पता लगाया है। कोई ठेके पर परीक्षक नियुक्त करके पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं हो रहा है। जिस परीक्षक के संबंध में माननीय सदस्यों ने ध्यानाकर्षित किया है वह केवल मात्र एक परीक्षक के रूप में अपनी भूमिका रखेगा। बाकी उसकी कोई भूमिका नहीं रहेगी और मैं आप सबसे भी निवेदन करूंगा कि जैसा आपने ध्यानाकर्षित किया बोर्ड की गरिमा बनाये रखने के लिए, हम वह सब काम करेंगे जिससे बोर्ड की गरिमा बनी रहे।

श्री हरिसिंह (महुवा) (सरकारी मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा मेरा निवेदन है, कल से दो दिन की छुट्टी है, हाउस बंद रहेगा और आज शादियां ज्यादा हैं। इसलिए मैं आसन से अनुरोध कर रहा हूं कि 295 के जो प्रकरण हैं, उनको पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : वह मैं कर रहा हूं।

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, एक बार तो आपने यहां व्यवस्था दी.... (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : जो आज उठाया, मैं आपसे बड़ी ही विनम्रता से प्रार्थना करता हूं कि केन्द्र सरकार हमारे हरेक आग्रह को स्वीकार करके हमको मुफ्त में दे रही है और अगर यह स्टेटमेंट दिलाना है तो आप दिलाएं। इस प्रकार का बर्ताव करके हम व्यवहार करें। अगर समय पर जो पैसा आपको एडवांस मिल जाये वह भी आप नहीं चुकाएं और उसकी गलती भी आप उन पर थोप करके इस प्रकार का वातावरण बनाएं कि 49 करोड़ रुपया आपको मिला और आपने केवल 25 करोड़ रुपये का पेमेंट किया। जो पैसा आया उसमें से 15 करोड़ आपने बचाया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कटारिया साहब, इस पर अब क्या....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, अनर्गल बात हाउस के अंदर....(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : आप फरमा रहे हैं, हम पर आप थोप रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 49 करोड़ रुपया केन्द्र सरकार ने इनको अनाज के बदले काम योजना में दिये और 25 करोड़ का भुगतान किया और हमारे ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें, आपको कौन कर रहा है....(व्यवधान) आप बिराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, संदेश क्या जायेगा? राजस्थान में संदेश क्या जायेगा....(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : प्रोसेस में है ..... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें, माननीय सदस्य....(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : बाद में सबसे ज्यादा ....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें माननीय सदस्य ....(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, फिर इस प्रकार का वातावरण यह बना रहे हैं ....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें माननीय सदस्य.... (व्यवधान) मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि आज .....(व्यवधान)

श्री नानालाल नीनामा : गेहूं दे रहे हैं तो क्या अहसान कर रहे हैं। वह गेहूं है किसका ....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये, माननीय सदस्य ....(व्यवधान)

श्री नानालाल नीनामा : है तो जनता का गेहूं, जनता को देना है, सीधी सी बात है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों का आग्रह है कि आज शादियां बहुत हैं और सब जल्दी यहां से जाना चाहते हैं, पधारना चाहते हैं इसलिए एक तो 295 को पढ़ा हुआ मान लिया जाये। इसकी आपसे सहमति चाहता हूं।

(विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट-14 देखें)

श्री रमजान खान : 295 कभी-कभी तो आते हैं। एक हफ्ते में एक दिन तो आता है। टाइम मिलता है और इस पर टाइम कितना 15 मिनट लगता है।

श्री उपाध्यक्ष : और अब पर्चियां समाप्त करके बहस शुरू करा देते हैं और कोशिश इस तरह की करते हैं कि 5 बजे तक हाउस में सरकार का जवाब हो जाये। इस बात की चेष्टा करते हैं। आप लोगों का सहयोग वांछित है। 5 बजे तक हाउस चलाएं और सरकार का जवाब हो जाये उसमें। आपका सहयोग वांछित है। आप सबकी भावनाओं की कद्र करते हुए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। श्री रतन लाल ताम्बी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे गरीब 295 ही है क्या?

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें माननीय सदस्य।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : 295 सबसे गरीब हैं क्या?

श्री उपाध्यक्ष : हाउस जल्दी भी खतम करना चाहते हो और बोलना भी चाहते हो। दोनों बात साथ नहीं चलती है। बिराजें।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

ग्राम दांतलाबड़ा, विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के सरपंच पर हुए प्राणघातक हमले विषयक

श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र के कोटड़ी तहसील के दांतलाबड़ा गांव में पंचायत की बैठक हो रही थी और उस बैठक में वहां के सरपंच श्री अंबालाल मीणा सम्मिलित थे, जहां पर वहां के उप सरपंच, उसका भाई और 9 अन्य व्यक्तियों

(श्री रतन लाल ताम्बी)

ने जाकर प्राणघातक हमला किया और बहुत भद्दी-भद्दी गालियां देकर बुरी तरह मारपीट की। बेहोश अवस्था में बड़ी मुश्किल से गांव वालों ने उनको छुड़ाकर अस्पताल में भर्ती कराया और उनके खिलाफ कोटड़ी थाने में मुकदमा नम्बर 80 दिनांक 26.4.2001 को दायर किया। उसमें धारा 332, 353, एस.सी., एस.टी. एक्ट की धारा 3(1) के अन्तर्गत मामला दायर करने के बाद भी आज 8-9 दिन हो गये। इस गम्भीर मामले को लेकर वहां के आसपास के गांवों में बहुत असंतोष है, बहुत आक्रोश है और उस सरपंच को आज गांव में जाना भी मुश्किल हो रहा है। वह एस.टी. का सरपंच उस पर इतने अत्याचार हुए हैं और उसके बावजूद भी अब तक इस गम्भीर मामले में कार्यवाही नहीं करना उचित नहीं है।

मैं माननीय गृह मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस मामले की गम्भीरता को देखते हुए उस क्षेत्र में जो असंतोष पैदा हो रहा है और एस.टी. का सरपंच आज अपना कार्य भी नहीं कर रहा है। ऐसी स्थिति वहां पर पैदा हो रही है। उसके बावजूद भी प्रशासन की ओर से आज तक, इतने गम्भीर मामले में गवाहियां भी हो चुकी हैं और कार्यवाही होने के बाद भी अपराधियों को गिरफ्तार नहीं करने से उस क्षेत्र में उसको ड्यूटी अंजाम देने में भी कठिनाई हो रही है। ऐसी सूचनाएं मुझे कल भी टेलीफोन से मिली और आज भी मिली हैं। इसलिए मैंने इस मामले की गम्भीरता को देखते हुए यहां रखा है। मैं समझता हूं गृह मंत्री महोदय को...(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : इनको पटवारी रिपोर्ट नहीं देता है, तहसीलदार नहीं देता है। एडी.एम. नहीं देता है और आज वह थानेदार इनकी नहीं सुनता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : तहसीलदार नहीं देता है, एडी.एम. नहीं देता है।

श्री महेश जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि क्या यह जोड़ी से ही बोलेंगे?

डा. किरोड़ी लाल : हां।

श्री महेश जोशी : राजेन्द्र राठौड़ जी खड़े होते हैं। जब उनका बस नहीं चलता है तो तुरन्त किरोड़ी लालजी को कहते हैं कि इधर खड़े हो। भंवरलालजी को क्यों नहीं कहते हैं? यह क्या बात हुई।

श्री रतन लाल ताम्बी : मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि मैं तो यहां था और इसके बीच में घटना घटित हुई है। मैं समझता हूं कि इस मामले में गृह मंत्री महोदय तत्काल अपराधियों को गिरफ्तार करवायेंगे और समुचित कार्यवाही करवायेंगे, ताकि वह अपना कार्य कर सके और क्षेत्र के लोगों में जो असंतोष है वह दूर हो सके।

श्री उपाध्यक्ष : मोहम्मद माहिर आजाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सदस्य ने जो बात उठायी है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप काहे को चिन्ता कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं समझता हूं कि बहुत गम्भीर मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राठौड़ साहब, बिराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : और यह धाराएं जो दर्ज हुई हैं। यह कौन-कौनसे अपराध की धाराएं हैं?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (गृह मंत्री) : मैंने नोटिस ले लिया है। आप इसकी चिन्ता मत करिये, मैं इस मामले पर कार्यवाही करूंगा।

श्री महेश जोशी : इन धाराओं को आपसे बेहतर कौन जान सकता है....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपको मालूम है यह धाराएं किस-किस के अन्तर्गत आती हैं। आप ही बता दें इनको।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राठौड़ साहब, बिराजें।

श्री महेश जोशी : राठौड़ साहब आपसे बेहतर कौन जान सकता है इन धाराओं को।

श्री जगत सिंह दायमा : राठौड़जी ने कोई ठेका ले रखा है। सारी धाराएं थोड़े ही लगी हैं। हमारे भी लगी हैं कुछ, ऐसी बात थोड़े ही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : और आप भी बचे हुए नहीं हैं....(व्यवधान)

ट्रांसपोर्ट नगर, भरतपुर की आवासीय योजना में आबंटन में हुई अनियमितताएं

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, स्वायत्त शासन मंत्रीजी तो इस सदन में आज हैं नहीं, लेकिन सरकार मौजूद है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भरतपुर शहर में जो ट्रांसपोर्ट नगर की योजना है, उपाध्यक्ष महोदय, नगर सुधार न्यास, भरतपुर ने सन् 1994 में एक योजना भरतपुर के ट्रांसपोर्टर्स, मैकेनिक और आटोमोबाइल डीलर्स के लिये बनाई थी। उसमें 750 रुपए प्रति वर्ग गज के हिसाब से रेट तय की थी और इसमें यह निर्णय लिया गया था कि जो आटोमोबाइल का काम करते हैं, जो लोग मैकेनिकल वर्क करते हैं और जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, उन्हीं को भूखण्ड आबंटित किए जाएंगे। एक सर्वे कराया गया। उपाध्यक्ष महोदय, सर्वे में 803 लोगों का चयन किया जिसमें 235 आटोमोबाइल डीलर्स, 449 मैकेनिक्स और 119 ट्रांसपोर्टर्स तय किए और इन 803 लोगों को कहा गया कि हम ट्रांसपोर्ट नगर में आपको भूखण्ड आबंटित करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, दो फेज में आबंटन हुआ। प्रथम फेज में 180 और दूसरे फेज में 600, यानि कुलमिलाकर 780 लोगों को उसमें भूखण्ड आबंटित किये गये। लेकिन जो हुआ है उसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसमें मैकेनिकल, आटोमोबाइल डीलर और ट्रांसपोर्टर्स थे, माननीय गृह मंत्रीजी, मैं आपकी तवज्जह चाहूंगा, हुआ यह कि जिन लोगों के लिए ये भूखण्ड आरक्षित किये गये थे उन लोगों

(मोहम्मद माहिर आजाद)

को नहीं देकर दूसरे लोगों को दिये और मैं इस सम्बन्ध में कुछ कागज आपको उद्धृत करना चाहूंगा। 21 फरवरी, 1997 को एक चिट्ठी नगरीय विकास विभाग के उप शासन सचिव, श्री मंमथ कुमार ने सचिव, नगर विकास न्यास, भरतपुर को लिखी और उसमें कहा कि ट्रांसपोर्ट नगर योजना में भूखण्ड उन्हीं लोगों को दिए जाएंगे जो यह निम्न व्यवसाय करते हैं, इसके अलावा किसी को नहीं दिए जाएंगे, इनके लिए ही आरक्षित है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद जो भूखण्ड आबंटित किए गए उसमें वे लोग हैं जो कोई किराने की दुकान करता है, कोई परचूनी की दुकान करता है, कोई कपड़े की दुकान करता है, कोई दुकानदार ही नहीं है। कुछ राजनेता और अधिकारियों के रिश्तेदार हैं। नगर विकास न्यास के जो कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों ने एक-एक ने आठ-आठ प्लाट किसी ने अपनी बीवी के नाम से, किसी ने अपने भाई के नाम से, यहां तक कि अपने ड्राइवरों और नौकरों के नाम तक के ले लिये और स्थिति यह है कि तत्कालीन आबंटन कमेटी के अध्यक्ष थे श्री विजय बंसल, उन्होंने जिला कलक्टर, भरतपुर को एक चिट्ठी लिखी।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो-तीन मिनट में समाप्त करूंगा। इन्होंने 21.11.1998 को चिट्ठी लिखी, उसमें कहा जिन लोगों के लिये आरक्षित थे उनको भूखण्ड नहीं दिये गये हैं, दूसरे लोगों को दिये गये हैं, इनको निरस्त करके इस पर कार्यवाही की जानी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, आज जो वर्तमान में यू.आई.टी. के अध्यक्ष हैं उस वक्त वे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष थे, श्री होतीलाल पाराशर, उन्होंने स्वायत्त शासन मंत्री महोदय को पत्र लिखा 29.7.1993 को और कहा कि नगर विकास न्यास, भरतपुर द्वारा गलत तरीके से, गलत लोगों को ये भूखण्ड आबंटित किये गये हैं, ट्रांसपोर्ट नगर योजना में, इसकी जांच कराकर, इनको तुरन्त निरस्त किया जाना चाहिए। माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी आ गए हैं सदन में, होतीलालजी पाराशर ने 29.7.1993 को चिट्ठी लिखी कि भरतपुर की ट्रांसपोर्ट नगर योजना में जिन लोगों के लिए आरक्षण किया गया था उनको नहीं देकर दूसरे लोगों को भूखण्ड दिये गये। कृपया आप सम्पूर्ण घटनाक्रम की जांच करवाकर जिन लोगों को दिये गये हैं उनको निरस्त कराने का काम करें।

श्री उपाध्यक्ष : सारी बात यहीं निपटाना चाहते हैं, निपटेगी नहीं, समझ में आ गई बात। बात आ गई।

मोहम्मद माहिर आजाद : निपटेगी नहीं। दो मिनट, साहब। 15-15 मिनट, 20-20 मिनट लोगों ने बोला। मुझे तो 4-5 मिनट हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कोई 15 मिनट नहीं बोलता है। आप ही बोलते हो।

मोहम्मद माहिर आजाद : 2 मिनट लूंगा, आपसे निवेदन है। मंत्रीजी अभी

(मोहम्मद माहिर आजाद)

आए हैं। दिनांक 31.3.2000 को यू.डी.एच. सेक्रेटरी श्री जी.एस. संधू ने जिला कलक्टर, भरतपुर को चिट्ठी लिखी। उसमें लिखा है, Irregularities in Transport Nagar Yozana. इसमें इन्होंने कहा है, "Please find enclosed a copy of the representation submitted by the Bharatpur Automobile Dealers Society. You are requested to examine the various issues pointed out in the representation and send the factual note along with the suggestions." और यह भी कहा कि आप आटोमोबाइल एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग कर इसको मीट आउट करें।

उपाध्यक्ष महोदय, आज तक इस सम्बन्ध में कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई। शासन सचिव महोदय ने नगर विकास न्यास के सचिव को दिनांक 6.10.2000 को एक चिट्ठी लिखी। उसमें यह कहा गया कि भरतपुर स्थित विवादित ट्रांसपोर्ट नगर के सम्बन्ध में जो अनियमितता हुई उसकी पैरावाइज रिपोर्ट मुझे भेजे। यह यू.डी.एच. सेक्रेटरी ने नगर विकास न्यास के सचिव को लिखा। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, अब तक इसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं आपके माध्यम से माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि जिन लोगों के लिए आपने ये भूखण्ड आरक्षित किए थे, उनको नहीं देकर दूसरे लोगों को और यू.आई.टी. के कर्मचारियों ने अपने ड्राइवरों, परिजनों और नौकरों को और दूसरे लोगों को दे दिए। मेरा आपसे निवेदन है कि इसकी जांच करवाएं। जो आरक्षित नहीं थे, रिजर्व नहीं थे, जो मैकेनिक नहीं हैं, ट्रांसपोर्ट आपरेटर्स नहीं हैं, आटोमोबाइल डीलर नहीं हैं, उनको दिए गए हैं। इसकी जांच करवा कर आप वस्तुस्थिति जानकर लोगों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। यह मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाब चन्द कटारिया।

मोहम्मद माहिर आजाद : मंत्रीजी, उत्तर तो दें। आप करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे जांच? ये सारी चीजें मैंने आपको बता दीं। आपके सामने है, आपको चिट्ठी लिखी है, आपके जिला कांग्रेस के अध्यक्षजी ने भी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आजाद साहब बिराजें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन मंत्री) : पहले तो आप यह बताएं कि किस नियम में मुझसे उत्तर चाहते हैं?

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, उत्तर तो हम दे रहे हैं। आपको चिट्ठी कांग्रेस, के जिला अध्यक्ष, यू.आई.टी. के अध्यक्ष....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इस प्रकरण में गम्भीर प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जो बातें आपने आज कही है उनको मानता हूं। जो कुछ आपने कहा है तथ्यों

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

के आधार पर ही कहा होगा। यदि आपकी संतुष्टि इस बात से हो सकती है, जांच चल रही है, यह भी आप जानते हैं। उस जांच में मैं आपको भी आमंत्रित कर लेता हूं, जांच कमेटी के सामने आप अपना प्रतिवेदन या अपनी शिकायत या जो कुछ सुझाव देते हैं, दें। और यह यकीन मानें कि अगर एक भी गलत अलाटमेंट हुआ है और जिसकी जानकारी हमको मिल जाएगी उसका हम कैंसीलेशन करेंगे और जो पात्रता रखते हैं उन्हीं को मिलेगा।

मोहम्मद माहिर आजाद : बहुत बढ़िया। फाइन।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाब चन्द कटारिया।

कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों में तरल नाइट्रोजन उपलब्ध करवाने विषयक

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज सदन में एक ऐसी बात बताना चाहता हूं कि राजस्थान तीन साल से लगातार अकाल से जूंझ रहा है और राजस्थान के किसान की हालत पिछले तीन साल में बद से बदतर बनती चली जा रही है। न तो खेती में किसी प्रकार की पैदावार लेने की उसकी स्थिति रही और लगातार तीन वर्षों के अकाल से जो भी उसकी आय होती थी वह बंद हो गई, आय स्रोत बंद हो गए। पिछले कई वर्षों से राजस्थान और हिन्दुस्तान की सरकारों ने किसान की आर्थिक स्थिति ठीक बने इसके लिए उसके पशुधन की नस्ल सुधार, उसके दूध उत्पादन, डेयरी के माध्यम से और कई प्रकार से सहयोग करके किसान की मदद की थी। आर्थिक स्थिति को अच्छी बनाने के लिए, पशु धन को संवारने का प्रयास किया। और इसमें हमें संतोष है कि निश्चित रूप से राजस्थान में इन प्रयासों के कारण से किसान की दैनिक आमदनी का सोर्स, उसके पास नकद पैसा आए तो वह उसका पशुधन ही है, पशुधन से प्राप्त होने वाले दूध से है। लेकिन पिछले 6 महीने से जितने भी कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र राजस्थान में हैं, उनको यहां जो सुविधा मिलती थी, वह उपलब्ध नहीं है। इस बारे में प्रत्येक जिले के जितने भी काश्तकार हैं, उन्होंने उन सारे अस्पतालों में जाकर बार-बार इस बात के लिए आग्रह किया कि आखिर आप हमें वह सुविधा क्यों नहीं उपलब्ध करवा रहे हो। उसका कारण आपके ध्यान में है, विभाग के ध्यान में है। वह तरल नाइट्रोजन है, इसकी पिछले 6 महीने से सप्लाई बंद है और इस कारण से जो भी वीर्य लाया जाता है उसको सुरक्षित नहीं रखा जा सकता, उसको सुरक्षित रखने का सबसे बड़ा अगर कोई कारण है तो वह तरल नाइट्रोजन में रखना है। ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक किसान के पशु को यह सुविधा उपलब्ध हो सकती थी। हमने राजस्थान में भी प्रयास किया कि चार ऐसे कारखाने थे जो हमें तरल नाइट्रोजन उपलब्ध करा रहे थे, लेकिन ये चारों इकाइयां बंद हैं जिनसे हमने तरल नाइट्रोजन की सप्लाई ली वह भी पिछली छह महीने से सप्लाई नहीं दे रहे हैं और सप्लाई नहीं देने का जो कारण

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

है, मुझे अफसोस इस बात का है कि हम करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। माननीय मंत्री महोदय मैं आपसे आग्रह करता हूं आप पशुधन की रखवाली और रक्षा के लिए हमेशा चिंतित रहे हैं, लेकिन आपके विभाग ने आपको जानकारी नहीं दी या किसी तरह से जानकारी आयी तो उन्होंने अपने स्तर पर दबाए रखी। आपके पास तरल नाइट्रोजन उपलब्ध नहीं होने के कारण पिछले छह महीने से क़िसानों को किसी भी औषधालय में कृत्रिम गर्भाधान के लिए जो वीर्य है उसको सुरक्षित रखने के लिए कोई तरल नाइट्रोजन नहीं आया। इसके कारण से मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं अगर छह महीने में आपके किसी भी क्षेत्र में एक भी गर्भाधान हुआ हो, किसी भी किसान के पशु को यह सुविधा उपलब्ध करायी हो, और नहीं करायी तो इस छह महीने में जो किसान का नुकसान हुआ है, उसके पशुधन का जिस प्रकार से ह्रास हुआ है, उसके दूध क्षमता में जिस प्रकार की गिरावट आयी, एक तरफ अकाल उसको मार रहा है। जैसे-तैसे करके अपने पशु को बचाने के लिए कहीं से भी चारा जुटाकर उसकी व्यवस्था करके 10-5 किलो दूध बेचकर शाम को आकर अपने बच्चों की व्यवस्था करता है। उसकी आमदनी का सोर्स दूध से आने वाला रोज का पैसा है, यही उसका एकमात्र सहारा है। लेकिन इस एकमात्र सहारे को छह महीने से तरल नाइट्रोजन उपलब्ध नहीं होने के कारण से जिस फर्म से आपने लिया था उसका पेमेंट नहीं किया। और उसका पेमेंट नहीं होने के कारण से उसने आपको तरल नाइट्रोजन देना बंद कर दिया। इसकी शिकायत हर अस्पताल में आपको इंगित है। रोज किसान आता है, भटक कर वापस जाता है और वहां एक ही जवाब मिलता है हम क्या कर सकते हैं, सरकार की तरफ से उपलब्ध ही नहीं है। सरकार की तरफ से उपलब्ध नहीं है तो वीर्य को सुरक्षित रखना और उसके कारण से गर्भाधान करना यह सम्भव ही नहीं है। तो हमने इतना बड़ा लवाजमा, इतनी तनख्वाह, इतना खर्चा सब हम उठा रहे हैं, तनख्वाह हम दे रहे हैं, लेकिन लाखों रुपए की चीज हम कहीं से उसकी व्यवस्था करके किसान को इस समय की हालत में बचाने की स्थिति में नहीं हैं। इसलिए मंत्री महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि आप आज ही इस बारे में कोई व्यवस्था कराएं, राजस्थान का सम्पूर्ण किसान जगत इससे बहुत उद्वेलित है, लेकिन वह करे क्या। चारों तरफ से पिटा हुआ है, अस्पताल जाकर अपने जानवर को लेकर जाता है लौट कर वापस आता है। यह एक-दो दिन की घटना नहीं है, लगातार छह महीने से और छह महीने में मैं सोचता हूं कोई भी एरिया ऐसा नहीं बचा होगा, राजसमंद हो, चाहे चित्तौड़ हो, चाहे डूंगरपुर हो, चाहे आपका कोटा हो, हर जिले से इसकी बराबर सूचना मिल रही है, अखबारों में आ रही है, लेकिन सरकार ने इस पर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की। मैं आज माननीय मंत्रीजी से चाहता हूं, मेरा बोलना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्व इस बात

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

का है कि आप इस तरल नाइट्रोजन की व्यवस्था कितने दिन में उपलब्ध करा देंगे ताकि ग्रामीण क्षेत्र के किसान को उसकी आर्थिक स्थिति में मदद करने वाली यह चीज तुरंत उसको उपलब्ध हो सके और उसका पशुधन बचाया जा सके।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) (राज्य मंत्री, डेयरी एवं पशुपालन) : माननीय उपाध्यक्षजी, आपकी चिंता से मैं वाकिफ हूं। जो माननीय सदस्य ने कहा है इस संबंध में मैं चर्चा करके आया हूं और मुझे पूरी आशा है कि हम बहुत जल्दी इस समस्या का निराकरण कर लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सांवर लाल।

भिनाय, जिला अजमेर के सरपंच पर दर्ज मुकदमे विषयक

श्री सांवर लाल (भिनाय) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सहायता मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अजमेर जिले का भिनाय गांव, जो मेरा कांस्टीट्यूएंसी हैडक्वार्टर है जिसकी आबादी लगभग 10 हजार की है, माननीय मंत्री महोदय, वहां पर 150 आदमी कार्य कर रहे हैं फेमिन के अंदर। कल-परसों 210 आदमी हुए हैं। हमारे कार्यकर्ता और हमारी जनता इसको बरदाश्त कर रही है, पर मैं आपकी जानकारी में यह तथ्य लाना चाह रहा हूं कि दो दिन पहले जो पूर्व सरपंच है, जो आपकी पार्टी से संबंधित है, एक विशेष वर्ग के लोगों को वहां पर ले गये सरपंच के घर पर। वहां पर उसके साथ दुर्व्यवहार करवाया और कहा कि इन लोगों को काम पर लगाओ। अब आप जानते हो जिस गांव के अंदर 800 के लगभग चयनित परिवार हैं, 150 आदमी काम कर रहे हैं उसमें ग्राम पंचायत के भी हो सकते हैं, दूसरे भी हो सकते हैं। मैं यह भी मानता हूं कि एस.सी., एस.टी. की आबादी वहां पर बहुत है, वहां पर अगर आप एक हजार आदमियों को कम से कम काम दें तो दो-तीन पखवाड़े में उनका नाम आता है। उस सरपंच के साथ गाली-गलौच किया, दुर्व्यवहार किया और वे लोग भी एस.सी. के थे, सांसी जाति के एस.टी. के थे, पर उनको भड़काया गया। भड़का कर उलटा उस सरपंच के खिलाफ एट्रोसिटी का मुकदमा दायर करवाया गया। माननीय सहायता मंत्रीजी, अब सरपंच से उसको आपत्ति थी, लोगों को लगाना था तो ज्ञापन देते, तहसीलदार के पास जा सकते थे, विकास अधिकारी के पास जा सकते थे, पर जान-बूझकर एक टेंशन, जो हमारा बड़ा शांत कस्बा है, आज तक कोई माथाफोड़ी नहीं हुई है वहां पर पैदा करने की कोशिश की गई है। कल रात को मैंने कलक्टर से, एस.पी. से बात की, रातों-रात इन्होंने फोर्स भेजी, 11-12 बजे फोर्स गयीं, एस.डी.ओ. केकड़ी से गया और मैं आपको बता रहा हूं सवेरे एस.डी.ओ. से बात हुई, उधर से पत्थरबाजी करवायी गयी और पत्थरबाजी में एक बड़ा पत्थर एस.डी.ओ. के बिलकुल पास पड़ा। वह कह रहा है साहब, मैं बच गया यह बहुत है। तो मेरा निवेदन यह है कि इस प्रकार के झूठे मुकदमे....

डा. महेश जोशी : हम भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं आप बच गये।

श्री सांवर लाल : मुझे तो आप मार भी नहीं सकते हो। मैं तो आपके बस में नहीं हूं, आप चिंता मत करो। आप अपने लिए कर रहे हो वह ठीक है। परन्तु मेरा निवेदन यह है कि हम अगर कोई बात करें तब तो आप कह देते हो आप लोगों को भड़का रहे हो, आप यह कह रहे हो और आपके लोग बाग इस प्रकार का वातावरण तैयार करें। अब आपकी लिमिटेशन हो सकती है, मैं यह नहीं कह सकता कि आप सब लोगों को जो रोजगार चाहते हैं उनको दे सकते हैं, सीमाएं सब जगह होती हैं, लेकिन मेरा अनुरोध यह है कि झूठे मुकदमे जिस प्रकार से बने उनके ऊपर आप थोड़ा ध्यान दीजिए। दूसरा, इस प्रकार का वातावरण आपके लोग पैदा नहीं करें, क्योंकि आपका लिमिट का फैक्टर भी है कि आप कितने लोगों को काम दे सकते हैं और काम नहीं लगाया तो उसके लिए आप एस.डी.ओ. तहसीलदार के पास भेजिए, कलक्टर के पास भेजिए, अगर एक पूर्व सरपंच दूसरे सरपंच के पास भेजेगा तो इससे आपस में टेंशन बढ़ेगी, स्थिति खराब होगी, गांवों का माहौल खराब होता है, फिर गुटबंदी होती है, लोग-बाग आपस में आ जाते हैं। कल रात को 12 बजे तक मेरा सोना नहीं हुआ क्योंकि बार-बार टेलीफोन आये, मैंने सबको कहा कि शांति कायम रखिए, सब आ जाएंगे और लगभग 11-12 बजे फोर्स पहुंच गयी। आज सवेरे फिर इनका सुलटारा हुआ, राजीनामा हुआ। तो मेरा विशेष अनुरोध यही है कि जो झूठे मामले दर्ज हुए उन पर आप ध्यान दीजिए और उप सचेतक महोदय, आप पार्टी के भी पदाधिकारी रहे हो, अपनी पार्टी वालों को पाबंद करो कि राज के नशे में इतना मदहोश मत होओ कि आप तो कुछ कर नहीं पाओ....

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो, बिराजो।

श्री सांवर लाल : जो हमारी छाती छोलने के लिए आ जाए, यह कतई उचित नहीं है। इसको बरदाश्त करने वाले भी हम नहीं है। इसलिए यह थोड़ा आपको हम आगाह कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए, प्लीज माननीय सदस्य। (व्यवधान) बिराजिए, बिराजिए प्लीज।

श्री सांवर लाल : तो माननीय मंत्री महोदय, इस पर थोड़ा आप कृपा रखना।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय, आर्डर, आर्डर। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, जब ये बोलते हैं तो यह बात जरूर कहते हैं कि राज का नशा नहीं होना चाहिए। मेरा इसमें निवेदन यह है कि गणगौर पर ही घोड़े नहीं दौड़ेंगे तो फिर कब दौड़ेंगे?

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो।

श्री सांवर लाल : यही शौक हो तो दौड़ाकर देख लें क्या?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, प्लीज।

श्री सांवर लाल : नहीं, यह शौक हो तो आ जाओ, फिर दौड़ा ही लें। घोड़े कैसे दौड़ते हैं पता चल जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय गृह मंत्रीजी

श्री राजेन्द्र पारीक : आ जाओ, आ जाओ, दौड़ाते हैं।

श्री सांवर लाल : यह गृह मंत्रीजी से कहलवा दो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, प्लीज। माननीय सदस्य। माननीय जोशीजी। गृह मंत्रीजी, सागवाड़ा पर स्टेटमेंट।

शासकीय वक्तव्य

ग्राम सरोदा, पंचायत समिति सागवाड़ा में एक व्यक्ति की हुई मृत्यु विषयक

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक 1.5.2001 को समय 11. पी.एम. पर श्री शांतिलाल पुत्र हेतलाल उपाध्याय, निवासी सरोदा, उप सरपंच ने सरोदा में प्रभारी थाना बांसवाड़ा को लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की कि आज दिनांक 5/2001 को शाम 7.30 बजे प्रभुलाल पुत्र रतन लाल कोठारी ने टेलीफोन से सूचित किया कि नाहरसिंह जाति हजूरी राजपूत उम्र 70 वर्ष ने अपने शरीर पर केरोसिन डाल कर जल गया है। जिस पर वह नाहरसिंह के घर पहुंचा तो नाहर सिंह जली हुई हालत में जिंदा था। जिस पर सरोदा के डाक्टर को बुलाया। डाक्टर ने नाहर सिंह का उपचार किया। उसके बाद 9.30 बजे नाहर सिंह की मृत्यु हो गई। नाहर सिंह मानसिक रूप से विक्षिप्त था। उसकी पत्नी ने करीब एक सप्ताह पहले उसे बताया था कि उसका पति उम्रयाफ्ता व मानसिक रूप से विक्षिप्त है, काम-धंधा नहीं करता है इसलिए उसे वृद्धावस्था पेंशन दिलवाएं जिससे उसकी गुजर-बसर हो सके। श्री नाहर सिंह की मृत्यु मानसिक रूप से विक्षिप्त होकर स्वयं द्वारा केरोसिन डालकर जल जाने से हुई। उसकी मौत पर किसी प्रकार का शक-शुबहा नहीं है। आज ही रिपोर्ट पर थाना सागवाड़ा पर मुकदमा संख्या 5/2001 अन्तर्गत धारा 174 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत दर्ज किया जाकर जांच प्रारम्भ की गई। जांच के दौरान संबंधित गवाहान के बयान लिये गये। जिला कलक्टर, डूंगरपुर व एस.पी., एस.डी.एम. सागवाड़ा, तहसीलदार सागवाड़ा व एम. एल. ए. वहां मौके पर पहुंचे।

(13.00 बजे)

25.2.2000 को करवाया जाकर लाश वारिसान को सुपुर्द की गयी। जलने के सभी घाव पूर्व के हैं। मृत के आमाशय में अनडाइजेस्टेड फूड पाया गया, बड़ी आंत में मल भी पाया गया जिससे प्रतीत होता है कि मृतक ने मृत्यु से पूर्व आहार लिया था। जांच के दौरान लिये गये बयान घरवाले, पंचायतनामा और अन्य गवाहों ने घटित घटना की ताइद की है। जांच में यह भी पाया गया कि मृतक नाहर सिंह के दो लड़के 15 सालों से पहले घर से निकल गये थे जिनका कोई अता-पता नहीं था

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

तथा एक लड़का गत वर्ष मर गया। इस कारण मृतक नाहर सिंह मानसिक रूप से चिन्तित और विक्षिप्त था। उसने इस कारण से आत्महत्या कर ली। जिला कलक्टर की रिपोर्ट के अनुसार मृतक नाहर सिंह के दो लड़के तो पिछले 15 वर्षों से लापता हैं, तीसरे लड़के की भी गत वर्ष बांसवाड़ा में लाश मिली थी जिसकी अन्त्येष्टि भी बांसवाड़ा में कर दी गयी थी। उसकी मौत गम्भीर बीमारी कैंसर के कारण हुई थी। दिनांक 8.4.2001 व 28.4.2001 को अकाल राहत व अन्त्योदय योजना के तहत 99 किलो गेहूं एवं 280 रुपये नकद राशि दिये गये थे। यदि माननीय सदस्य और भी अधिक जानकारी चाहते हैं तो मेरे पास पटवारी की रिपोर्ट है। मेरे पास नाहर सिंह के एक साथी की, जो जांच करवाई गयी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मेरे पास मौजूद है।

(13.00 बजे)

श्री सुरेन्द्र व्यास : इसकी अब क्या आवश्यकता है?

श्री गुलाब चन्द कटारियां : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से बहुत विनम्रतापूर्वक निवेदन कर रहा हूं कि केवल अगर आत्म संतोष के लिए ही इससे अगर आप आत्म संतुष्ट होना चाहें तो आपको मुबारक हो। इस बात की कोशिश किसी ने नहीं की कि वस्तुस्थिति क्या थी। केवल हम अपने पापों को कैसे ढकें वही तर्क देना। अगर यही मानवता रह गयी तो मुझे बहुत अफसोस है। यह जो नाहर सिंह है, इसके बच्चे 15 साल पहले से ही गये हुए हैं। अगर यह मानसिक विक्षिप्त था तो इसने एक तारीख की 15 साल के बाद ही इंतजार की थी? यह गलत है। फिर एक साल पहले इसका जो तीसरा बच्चा था उसकी भी मृत्यु हो गयी बांसवाड़ा में। यह सत्य है। उसके बाद भी वह एक साल रहा। घर में दो ही प्राणी हैं, एक यह नाहर सिंह है जिसकी उम्र लगभग 70 साल बताते हैं और उसकी पत्नी है। घर में कोई कमाने-खाने वाला नहीं है। आपके सरकारी रिकार्ड से भी यह गरीबी रेखा में भी इसका चयन, बी.पी.एल. परिवारों में भी इसका चयन है। इसके पास न पेंशन है न आमदनी का कोई स्रोत है और इसीलिए आपने पिछली 22 मार्च, 2001 के दिन आपकी इस योजना के तहत इसको 17 किलो अनाज दिया था और उसके बाद फिर 9 अप्रैल के दिन इसने चूंकि यह मजदूरी पर लगा था उस मजदूरी के एवज में इसको 60 किलो अनाज और दिया था। उसके बाद फिर 28 तारीख को इसको 22 किलो अनाज और मिला लेकिन....

श्री उपाध्यक्ष : इसके अलावा आपके पास कोई तथ्य हों तो बताएं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं कोई तथ्यों को नहीं छुपा रहा हूं, कोई भी तथ्य मैं छुपाना नहीं चाहता हूं लेकिन चूंकि इसके पास केवल इस गेहूं के अलावा उसके पास घर खर्ची के लिए....

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : 280 रुपये नक़द भी थे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं बता रहा हूं आपको।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जो स्टेटमेंट माननीय मंत्रीजी ने दिया है उसके अलावा आपको कोई और बात जिसका और इंवेस्टीगेशन आप चाहते हैं, वह आप बता दें, सरकार जांच कर लेगी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं वही बता रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : तो आप कह रहे हो जो तो कह चुके ये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं इसलिए कि मैं कोई बात को यह नहीं मिला यह कह कर बात को सत्य साबित नहीं करना चाह रहा हूं लेकिन चूंकि इसके पास....

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं आपको इंटरप्ट तो नहीं करना चाहता था लेकिन इसको काम पर भी लगाया गया था। काम पर लगाने के बाद इसको 99 किलो गेहूं भी दिया गया था, 280 रुपये नकद भी दिये गये थे। जो अप्रैल माह में मिले थे तो भूख से कैसे मर गया, यह मेरी समझ में नहीं आता है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : पेंशन वाली गलती है आपकी तो बाकी भूख से तो नहीं आएगा क्योंकि अनडाइजेस्टेड मैटीरियल मिला है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : फिर भूख से मरने की बात को कैसे जोड़ते हैं?

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, भूख से तो मरने वाली बात ही नहीं है। वह तो नहीं आएगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इसने जो आत्म हत्या की वह काम नहीं मिलने के कारण से की।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : इसके घर की तलाशी ली, इसके घर में क्या-क्या मिला यह बता दूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह काम के लिए हमेशा भटकता रहा। यह पालड़ी में भी गया काम के लिए, वहां इसको काम पर नहीं रखा और जिस दिन एक तारीख के दिन यह सरपंच जो शांतिलाल उपाध्याय, जिसने आपकी रिपोर्ट दर्ज करायी। यह वहां का उप सरपंच है। यह प्रातःकाल उप सरपंच साहब के पास गया कि मेरे पास घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, मेरा गुजारा नहीं चलता है, आप किसी तरह से मेरी सिफारिश करके मुझको काम पर लगवा दो और वह उसको लेकर काम पर भी गया जिस तालाब पर काम चल रहा था वहां काम पर जाकर उसने मेट से आग्रह किया लेकिन मेट ने कहा कि नहीं, मेरे लिए सम्भव नहीं है, मैं नहीं लगा सकता। अब इसकी मृत्यु के बाद आपका एस.डी.ओ. गया, तहसीलदार गया, जनप्रतिनिधि गये, इसके सारे घर की देखभाल की, उसमें केवल साढ़े चार किलो आटा मिला। बाकी इसके घर में....

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : गलत है। मैं आपको रिकार्ड उपलब्ध करा दूंगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हां, तो आप दे दो न। आपके तहसीलदार ने, एस.डी.ओ. ने इस बात को स्वीकार किया है, 10 जनप्रतिनिधि हैं, उनके सामने इस बात को स्वीकार किया कि इसके पास किसी प्रकार का नहीं था और यह निराश होकर जब घर लौटा तो अपनी पत्नी को कहा कि मेरे को काम पर किसी ने लगाया नहीं और इसलिए उसकी पत्नी तो कोई पड़ोस में शादी थी वहां गयी थी और वह मन से दुःखी था क्योंकि उसके पेट भरने के लिए कोई साधन उसके पास उपलब्ध नहीं था। उसने हाथा-जोड़ी की कि मुझे काम पर लगा दो जिसके कारण से मुझे दो पैसे मिलेंगे। मैं किसी तरह से अपना पेट भर सकूंगा। जब उसे लगा मेरे को इतनी प्रार्थना करने के बाद भी काम नहीं मिला, उप सरपंच के पास जाकर रोने के बाद लेकिन मुझे काम पर नहीं लगाया इससे उसको आत्मग्लानि हुई और पत्नी तो गई थी पास में एक शादी में और इसने जाकर अपने घर के पास ही एक आम का वृक्ष है उस पर केरोसिन डालकर जलकर अपने आपको इसने समाप्त कर लिया। यह जो समाप्ति की घटना है ना, वह यह चाहता था क्योंकि उसकी आमदनी का एकमात्र सोर्स अगर कोई था तो यह काम था और काम के आधार पर मजदूरी लेना चाहता था और उसके आधार पर किसी प्रकार से अपने पेट को पालता था। अब आपके स्वयं तहसीलदार ने जाकर और एस.डी.ओ. ने जाकर मौके पर जाकर देखा जहां काम चल रहा था उस काम की जो लिस्ट बनी थी उसी लिस्ट पर नम्बर 24 पर नाहर सिंह का नाम अंकित था, 24 पर, यह वर्शन मेरा नहीं है, यह आपके एस.डी.ओ. का वर्शन है कि उसका नाम जो लिस्ट बनायी थी कच्ची उसमें 24 नम्बर पर नाहर सिंह का नाम अंकित था लेकिन मस्टर रोल में नाहर सिंह का नाम जब नहीं चढ़ाया, इस बात से उसे निराशा हुई क्योंकि गांव के सब लोगों ने आग्रह किया था कि इस आदमी को लगा दो, इसकी शक्ति तो नहीं है, यह काम तो बहुत ज्यादा नहीं कर सकेगा, न ही उम्र भी इसकी ज्यादा है लेकिन इसके खाने-पीने का और कोई साधन नहीं है और राजपूत जाति का होने के बाद में भी अपने ईमान को नहीं बेचना चाहता है, मेहनत करके दो रोटी कमाना चाहता है। इस कारण से, गांव के सब लोगों के आग्रह से जो सूची बनी थी उस सूची पर 24 नम्बर पर इस नाहर सिंह का नाम अंकित था लेकिन जब वहां से निराश होकर लौट कर आया तो उसके कारण से आत्मग्लानि के कारण से उसका जिंदगी में और कोई सहारा था नहीं, पिछले 15 साल से बच्चा नहीं, उसकी आमदनी का कोई दूसरा साधन नहीं, खेती नहीं, कुछ भी नहीं तो उसके कारण से उसने आत्मग्लानि से अपने आप पर केरोसिन डाल कर अपने आपको समाप्त कर लिया। इसकी जिम्मेदारी आपके वहां के प्रशासन पर जाती है। यह बी.पी.एल. परिवार में सिलेक्ट है, यह गरीबी रेखा के नीचे सिलेक्ट है। गांव का एक-एक बच्चा वहां का जो धर्मपाल कोठारी है जिसने अपनी विज्ञप्ति जारी की, उसका है, गांव के सब

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

लोगों का कहना है क्योंकि अपनी गरीबी से और भुखमरी से इतना, बाकी यह जो मानसिक बच्चों के कारण केवल यह कहकर कि मानसिक विक्षिप्त था तो किसी ने उसको पागल घूमते हुए देखा, कभी-भी उसने किसी को गाली देते हुए देखा, कभी किसी के साथ कोई अव्यावहारिक कार्य करते हुए देखा, नहीं देखा, बिलकुल ही यह *गलत है। इस नाहर सिंह ने एक स्वाभिमानी आदमी होने के कारण अपना पेट भरने के लिए अपनी मजदूरी पर जाना है और मजदूरी नहीं मिलने के कारण से निराश होकर लौट कर आया तो अपने आप पर केरोसिन डालकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली तो क्या यह जिम्मेदारी हमारी और प्रशासन की नहीं जाती? प्रशासन जब यह कहता है कि उसको 17 किलो गेहूं मार्च में दिया प्रशासन कहता कि इसको 28 तारीख को फिर 22 किलो गेहूं दिया तो यही गेहूं तो उसकी आमदनी का साधन था। गांव के सारे लोग चाहते थे कि यह दोनों बूढ़े-बूढ़ी हैं और इनके परिवार में कोई नहीं है इसलिए कम से कम इसको काम पर लगा दो जिससे यह कम से कम ठीक प्रकार से रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : तो यह हमारी नादानी और गलती के कारण से केवल हम बचने के लिए केवल एक आडम्बर तैयार करें, इससे ज्यादा कोई अफसोस नहीं होगा। यह सीधा का सीधा सरकार पर जाता है कि सरकार के इतने डायरेक्शन होने के बाद भी जब यह 70 साल का बूढ़ा है तो इसको पेंशन क्यों नहीं स्वीकृत हुई? क्यों नहीं इसका पेंशन का फार्म भरकर किया गया? क्यों नहीं इसे पेंशन मिली? केवल आटा और गेहूं नहीं खा सकता है। उसके घर में जाकर सारी सम्भाल करने के बाद उसे कुछ नहीं मिला और मैं यह कह रहा हूं कि जिसने यह कहा था कि भोजन किये हुए था, बिलकुल गलत कहा था क्योंकि उसकी पत्नी ने चावल बना कर रखे हुए थे। उसकी पत्नी ने सबके सामने, एस.डी.ओ. के सामने, सारे गांव के सामने यह बयान दिया कि मैंने कहा था कि तुम चावल खा लो, मैंने चावल बनाये हैं। उस पर यह ना करके चला गया। मैं तो शादी के लिए चली गयी और थोड़ी देर बाद मुझे बुलावा आया कि उन्होंने अपने आप पर केरोसिन डालकर समाप्त कर दिया। इस स्वाभिमानी आदमी ने आपसे मजदूरी मांगने की कोशिश की लेकिन दुर्भाग्य से उसे मजदूरी नहीं मिली। ऐसा एक नहीं है, ऐसे हजारों केस होंगे। हमारा मानवीय दृष्टिकोण जो देखने का है वह नहीं होने के कारण, यह सरपंच की जिम्मेदारी है, यह तहसीलदार की जिम्मेदारी है कि अगर इस व्यक्ति ने लगातार इस प्रकार का, हमको जानकारी है कि उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है तो भिखमंगे की तरह रोटी तो नहीं खा सकता है। उसने भिखमंगे की तरह से रोटी

* शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार प्रतिस्थापित किया गया।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

नहीं खायी। उसके गांव में कोई जाकर के पूछ लो कि इस नाहर सिंह ने कभी किसी से दो पैसे भी नहीं मांगे कि मुझे दो पैसे भी तुम दान में दो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : वह स्वाभिमानी होने के कारण मजदूरी चाहता था और मजदूरी में लिस्ट में नाम होने के बाद भी जब उसे निराश लौटकर आना पड़ा तो उसके कारण से आत्महत्या की और इस आत्महत्या की जिम्मेदारी सीधी-सीधी सरकार पर जाती है। इस अकाल के समय में और इस गरीबी के समय में यह मेरा कहना है, आप चाहो तो मैं आपके वर्शन को, आपके कलक्टर के वर्शन को, आपके एस.डी.ओ. के वर्शन को और जो एफ.आई.आर. दर्ज हुई है उस एफ.आई.आर. को आप पढ़िये। उस एफ.आई.आर. के अन्दर भी आपके स्वयं के उस थानेदार ने जो शायद कोई परमार नाम का व्यक्ति है, उसने स्वयं ने जाकर पहली रिपोर्ट वहां गांव के लोगों के सामने इकट्ठी की, बसंती का जो बयान लिया जो उसकी पत्नी है, उसकी पत्नी ने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि क्योंकि भुखमरी के कारण से, काम नहीं मिलने के कारण से बहुत मानसिक दृष्टि से दुःखी था और उसके कारण से उसने आत्महत्या की।

श्री उपाध्यक्ष : हो गया न। यह कितनी दफे कहोगे?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : एक बात को कितनी बार रिपीट करेंगे? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये। आप विराजिये। आपका कोई सब्जैक्ट ही नहीं है। आप बिराजिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं भाषण देना नहीं चाहता। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। आप बिराजिये प्लीज। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मुझे एक पाइंटेड सवाल पूछने की अनुमति दें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपको पूछने की जरूरत ही नहीं है। क्या है पूछने की जरूरत आपको? कहां से जरूरत है पूछने की? बिराजिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए निवेदन कर रहा था कि माननीय गृह मंत्रीजी ने....

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठें। जिन्होंने प्रश्न उठाया उसका स्टेटमेंट। (व्यवधान) आप बिराजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अकाल राहत मंत्रीजी का है, गृह मंत्रीजी का नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पूरी घुमा फिराकर एक ही बात कही है कि इस व्यक्ति ने मानसिक रूप से विक्षिप्त होने के कारण अपनी इहलीला समाप्त की है। गृह मंत्रीजी, संवेदनशील सरकार की संवेदनहीनता की तो पराकाष्ठा हो गयी। माननीय कटारिया

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

साहब ने सारे तथ्य आपके सामने रखे हैं। मेरा तो सीधा-सा सवाल है कि अगर यह व्यक्ति पागल था तो इस व्यक्ति को वहां पर काम पर क्यों लगाया गया? अगर यह व्यक्ति पागल था तो जब इसको गेहूं वितरित किया तब इसने वहां अंगूठा किया है। मतलब पागल कह कर सारी चीज पर लीपापोती करने की जो कुचेष्टा सरकार कर रही है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बात कह दी न इन्होंने। अब आप रिपीट क्यों कर रहे हो। अब बिराजिये आप प्लीज। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह छोटी बात नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये प्लीज। (व्यवधान) अंकित नहीं हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राठौड़ साहब, प्लीज विराजिये। (व्यवधान) आप नयी बात क्या कह रहे हो। (व्यवधान) कटारिया जी कह चुके न सारी बातें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री उपाध्यक्ष : अब क्या रह गया। (व्यवधान) किसलिए पूछते हैं आप? (व्यवधान) हो गयी न इनकी और इनकी बात। इन्होंने प्रश्न उठाया, उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई डिबेट का विषय तो है नहीं। इस पर डिबेट तो है नहीं। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप उठे तो फिर ये उठ जाएंगे। फिर वे उठ जाएंगे। (व्यवधान) और सदस्य नहीं उठ सकते क्या? (व्यवधान) अगर आप पूछते हो तो दूसरे लोग भी उठ सकते हैं, दूसरे माननीय सदस्य भी पूछ सकते हैं? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री उपाध्यक्ष : यह तरीका नहीं है। बिराजिये प्लीज। दिस इज नोट ए डिबेट। (व्यवधान) एक मिनट।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

एक माननीय सदस्य : ×××

श्री उपाध्यक्ष : इतनी लम्बी बात माननीय सदस्य ने कह दी। उसका जवाब आ गया। उसके बाद क्या है? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, this has nothing to do with this questions.

सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सुरेन्द्र व्यास, इस प्रश्न का कोई लेना ही नहीं है । आप

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)
तो जनरल बात कहने लग गये कि आपने कहीं नहीं लगाये। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री उपाध्यक्ष : अब आप यह बात अकाल की बहस हो तब कह देना। (व्यवधान) श्री रामस्वरूप जी मीणा। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

एक माननीय सदस्य : ×××

श्री हीरासिंह चौहान : ×××

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

एक माननीय सदस्य : ×××

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ×××

श्री हीरासिंह चौहान : ×××

श्री उपाध्यक्ष : हां, गम्भीर है, बिराजिये आप। (व्यवधान) माननीय कटारिया साहब, आप बिराजिये प्लीज। आपको मैंने बहुत विस्तार से बात कहने का मौका दिया है। मैंने आपको रोका नहीं है। (व्यवधान) What more do you want?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ×××

श्री उपाध्यक्ष : इससे ज्यादा क्या होगा? (व्यवधान) हो गयी न यह बात। माननीय सदस्य। (व्यवधान) आप माननीय सदस्य, बिराजें। (व्यवधान) आपने सारी बात इसमें कह दी। माननीय मंत्रीजी। आर्डर प्लीज। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ×××

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री उपाध्यक्ष : That is your lookout.

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : वह अलग सवाल है। मैं जवाब दे दूंगा। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं बता रहा हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सुरेन्द्र जी व्यास, आप बिराजिये। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : फेमिन पर जब बहस होगी तो मैं जवाब दे दूंगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इतना ही निवेदन करना है कि यह कहना गलत है कि भूख से मृत्यु हुई है। उस रोज पटवारी से उस मकान की तलाशी ली गई थी। उसके घर में आटा मौजूद था, उसके घर में गेहूं मौजूद था। उसकी पत्नी ने चावल बनाये जो खाने के लिए मौजूद थे और जैसा कि

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)
डाक्टरी रिपोर्ट है कि बिना पचा हुआ खाना डाक्टरी मुआयने में मिला हुआ है और यहां यह कहना भी गलत है कि उसको काम नहीं दिया गया। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : गरीबी की बात छोड़िये। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सुरेन्द्रजी व्यास। This has nothing to do with the subject. क्या बात करते हो आप। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : इसको काम दिया गया था और मैंने....

श्री उपाध्यक्ष : It has nothing to do.

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : जैसा मैंने कहा कि 8.4.2001 को और 28.4.2001 को 99 किलो और 280 रुपये भी नगद दिये गये थे। जब यह काम पर गया था तभी तो दिये गये थे। (व्यवधान) कहते हैं कि काम पर नहीं लगाया गया। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय समाज कल्याण मंत्रीजी। प्लीज सिट डाउन। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री जगत सिंह दायमा : ×××

अनुदान की मांग

मांग संख्या-30—जनजाति क्षेत्रीय विकास की प्रस्तुति

श्री बनवारी लाल बैरवा (समाज कल्याण मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 30—जनजाति क्षेत्रीय विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,20,87,65,000/- (रुपये तीन अरब बीस करोड़ सत्यासी लाख पैंसठ हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री बनवारी लाल बैरवा : उपाध्यक्षजी, एक और है।

श्री उपाध्यक्ष : दो हैं क्या।

मांग संख्या-33—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण की प्रस्तुति

श्री बनवारी लाल बैरवा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,14,57,67,000/- (रुपये पांच अरब चौदह करौड़ सत्तावन लाख सड़सठ हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

मांग संख्या-30 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-30 मुख्य शीर्षक जनजाति क्षेत्रीय विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि :—

श्री बाबूलाल सिंगारिया (केकड़ी)

1. जनजाति क्षेत्रों का विकास सुनियोजित तरीके से किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़)

2. संवैधानिक जनजाति परामर्शदात्री समितियों का समय पर गठन एवं बैठकें बुलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

3. वर्ष 1998 से पूर्व खोले गये आवासीय विद्यालय एवं आश्रम तथा प्रतिभावान छात्रावासों के लिए केन्द्र सरकार से प्राप्त की गई राशि को अन्य कार्यों में लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

4. राज्य के उपयोजना क्षेत्र में महाराष्ट्र पेटर्न को दो वर्ष व्यतीत होने पर भी लागू नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर)

5. जनजाति विकास के कार्यों का प्रभावी क्रियान्वयन, माडा योजना के कार्यों के अन्तर्गत सिंचाई, एनीकट, पेयजल की योजनाओं को बढ़ाने एवं आश्रम स्कूल एवं छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़)

6. आदिवासी क्षेत्रों में पेयजल समस्या का निराकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

7. जनजाति क्षेत्रों में पुरानी सड़कों का डामरीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कुबेर सिंह (फलासिया)

8. जनजाति क्षेत्रीय विकास योजनाओं का लाभ निर्वाचन क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) की आदिवासी जनता को पूरी तरह से नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

9. निर्वाचन क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) में विभाग द्वारा चलाये जा रहे छात्रावासों में समुचित सुविधा नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

10. उदयपुर जिले की आदिवासी जनता को जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा खाद, दवाइयां एवं बीच निःशुल्क आबंटित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(श्री कुबेर सिंह)

11. राज्य के जनजाति क्षेत्रों में महाराष्ट्र पेटर्न लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़)

12. प्रतापगढ़ विधान सभा क्षेत्र के जनजाति क्षेत्रों में आश्रम, छात्रावासों का निर्माण कार्य पिछले दो वर्षों से वित्तीय स्वीकृति के अभाव में अधूरे पड़े रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

13. राज्य के जनजाति उपयोजना क्षेत्रों में खोले गये आवासीय विद्यालय के अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा)

14. जनजाति उपयोजना क्षेत्र में श्रेणी एक से छह तक को विभागों में भर्ती (नियुक्ति) नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी)

15. जनजाति छात्रावासों की व्यवस्थाएं सुधारे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

16. जनजाति क्षेत्रों में आवासीय विद्यालय बनाने की योजना का क्षेत्र के लोगों को लाभ नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री अमराराम (धोद)

17. जनजाति क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों पर इस वित्त वर्ष में धनराशि में कटौती करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा)

18. ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जनजाति क्षेत्रीय विकास को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जीतमल खांट (बागीदौरा)

19. जनजाति उपयोजना क्षेत्र में लक्ष्य के अनुसार जलोत्थान सिंचाई योजना का निर्माण नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

20. जनजाति उपयोजना क्षेत्र के खेल छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को हो रही असुविधा को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

21. जनजाति क्षेत्र की बस्तियों में लक्ष्य के मुताबिक विद्युतीकरण नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

22. बागीदौरा क्षेत्र की बन्द लिफ्टों को चालू नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

23. विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा में कृषि कुओं का विद्युतीकरण नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री कन्हैया लाल (बस्सी)

24. विधान सभा क्षेत्र बस्सी में जनजाति बालिका छात्रावास एवं स्कूल के भवन निर्माण की धीमी गति पर चर्चा के लिए।

25. अनुसूचित जनजाति के छात्रावासों में व्यापक सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

26. जनजाति विभाग द्वारा माडा योजना एवं अन्य योजनाओं में हैण्डपम्प, विद्युतीकरण आदि कार्य करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

27. अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं के साथ हो रहे घिनौने अपराधों की रोकथाम हेतु कारगर कदम उठाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

28. जनजाति महिलाओं के साथ घोर अन्याय की अनदेखी पर चर्चा के लिए।

श्री गणेशीराम मेघवाल (जालौर)

29. जालौर विधान सभा क्षेत्र में जनजाति क्षेत्र धवला गांव में पेयजल की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

30. जालौर विधान सभा क्षेत्र में जनजाति क्षेत्र के विकास की उपेक्षा किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

31. विधान सभा क्षेत्र जालौर के जनजाति मोहल्लों में प्राथमिक विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

32. विधान सभा क्षेत्र जालौर के जनजाति मोहल्लों में सड़क निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

33. विधान सभा क्षेत्र जालौर में जनजाति क्षेत्र सांफाड़ा-एलाना, बालवाड़ा में रोड लाइटे लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर)

34. जनजाति क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने एवं उक्त योजनाओं के सफल क्रियान्वयन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

35. जनजाति क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों का लाभ दूरदराज के दुर्लभ पहाड़ियों में रहने वाले आदिवासियों को नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री जनार्दन गहलोत (करौली)

36. जनजाति ग्रामीणों के विकास हेतु अधिक धनराशि आबंटन करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

37. राज्य योजना मद की राशि का उपभोग जनजाति क्षेत्र में जनसंख्या के अनुपात में सभी विभागों द्वारा नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

(श्री जनार्दन गहलोत)

38. जनजाति परिवारों के शैक्षणिक एवं आर्थिक उन्नयन हेतु विशेष योजनाएं बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

39. विधान सभा क्षेत्र करौली के जनजाति क्षेत्रों के विकास के संबंध में चर्चा के लिए।

मांग संख्या-33 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-33 मुख्य शीर्षक सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपये कम कर दिया जाय, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि :—

श्री अमीन खान (शिव)

1. ग्रामीण क्षेत्रों में पेंशन के विचाराधीन प्रकरणों को शीघ्र निपटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बाबूलाल सिंगारिया (केकड़ी)

2. सभी वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने एवं उनका समुचित कल्याण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर)

3. जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र पंडेर में स्थित राजकीय छात्रावास हेतु आबंटित राशि का 4 वर्ष में भी आवास विकास संस्थान द्वारा उपयोग नहीं करने, छात्रावासों में छात्र एवं छात्राओं की संख्या बढ़ाने एवं छोड, टीकड़ खजूरी में नये छात्रावास स्वीकृत किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा)

4. सामाजिक सुरक्षा की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में बरती जा रही शिथिलता तथा अधिकारियों के उपेक्षापूर्ण रवैये से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

5. वृद्धावस्था पेंशन तथा अन्य प्रकार की पेंशनों का पूरा लाभ, पात्र लोगों को नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

6. सरकार की घोषित नीति के अनुसार बी.पी.एल. परिवारों तथा कार्डधारी बीमार लोगों को दवाई उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़)

7. राज्य सरकार द्वारा आम नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा करने में विफल रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही)

8. राज्य में सामाजिक सुरक्षा व कल्याण योजनाओं की दयनीय स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर)

9. जैसलमेर जिले में पर्व स्वीकृत समाज कल्याण छात्रावास नोख व फलसूड में खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़)

10. राज्य के जनजाति उपयोजना क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से फसल बीमा योजना एवं पशु बीमा योजना का प्रचार-प्रसार युद्ध स्तर पर कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोपाराम मेघवाल (सिवाना)

11. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में ग्राम कुण्डल में अनु. जाति, जनजाति के लिये समाज कल्याण छात्रावास खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सोहन नायक (रायसिंहनगर)

12. समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाये जा रहे छात्रावासों की व्यवस्था सुधारे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ललित भाटी (अजमेर)

13. अजमेर में उत्पीड़ित महिलाओं के लिए, अल्प प्रवास हेतु अल्प ठहराव आवास, तथा डेकेयर सेंटर की स्थापना के संबंध में चर्चा के लिए।

14. अजमेर के तोपवडा में स्थित अनु. जाति एवं जनजाति के प्रतिभावान छात्रों के छात्रावास में जरूरतमंद सामान उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

15. अजमेर शहर में अनु. जाति, जनजाति की बालिकाओं के लिए उच्च शिक्षा हेतु छात्रावास निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू)

16. समाज कल्याण अधिकारी, चूरू द्वारा विभिन्न छात्रावासों का गत दो वर्षों में एक बार भी निरीक्षण नहीं किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

17. चूरू व रतननगर के समाज कल्याण छात्रावास में व्याप्त अव्यवस्था व चूरू समाज कल्याण छात्रावास की मरम्मत करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

18. रतननगर समाज कल्याण छात्रावास में वार्डन पदस्थापित कर प्रवेश दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा)

19. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीब लोगों को समय पर सहायता नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर)

20. भारत सरकार की योजना के अनुसार 100 रुपये किश्त की सालाना बीमा योजना का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(श्री हीरासिंह चौहान)

21. केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा चयनित परिवार के लोगों को इन्दिरा आवास मकानों का अधिक से अधिक आबंटन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

22. समाज के अति गरीब व चयनित रेखा से भी नीचे परिवारों का अलग चयन कर उनके सामाजिक जीवन को ऊपर उठाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमराराम (धोद)

23. विधान सभा क्षेत्र धोद जिला सीकर में जांच के नाम पर वृद्धावस्था पेंशन बंद किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

24. विधान सभा क्षेत्र धोद में समाज कल्याण छात्रावास भवन का निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)

25. कमजोर वर्ग के लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध कराने में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए।

26. समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में प्रति छात्र दी जा रही राशि को बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

27. वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत सभी पात्र व्यक्तियों को पेंशन नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

28. अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्गों के छात्रों की छात्रवृत्ति राशि बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जीतमल खांट (बागीदौरा)

29. बागीदौरा विधान सभा क्षेत्र में कुटीर ज्योति योजना का एक भी परिवार को लाभ नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

30. विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा में विधवा, वृद्धावस्था पेंशन को बंद कर देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

31. जनजाति उपयोजना में जिलों के आश्रम, छात्रावासों में पढ़ने वाले छात्रों को व्यवस्था का लाभ नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

32. उपयोजना क्षेत्र उदयपुर के बांसवाड़ा जिले में लक्ष्य के मुताबिक कुटीर ज्योति योजना में विद्युत कनेक्शन नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

33. विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा में डीजल पम्प सेटों का वितरण नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा)

34. समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जाति की विभिन्न उप जातियों में भेदभाव करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

35. सरकार द्वारा घोषणा के बावजूद जिला टोंक के तह. मालपुरा का ग्राम बीडगडवर जो कि शत-प्रतिशत अ.जा. (बैरवा समाज) का है, का विद्युतीकरण नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री कन्हैया लाल (बस्सी)

36. विधान सभा क्षेत्र बस्सी में पेयजल पर भारी पूंजीगत व्यय के बावजूद भी विभाग की अनदेखी से उसका सद्‌पयोग नहीं होने पर चर्चा के लिए।

37. अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य जातियों के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े अशक्त व्यक्तियों को बी.पी.एल. योजना में चयनित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

38. अनुसूचित जाति, जनजाति के ग्यारह व्यक्तियों के न्यायिक सेवाओं में लिखित परीक्षा पास करने के उपरान्त, मात्र एक ही बालिका को लिया जाकर इस वर्ग की अनदेखी करने के संबंध में चर्चा के लिए।

39. बस्सी विधान सभा क्षेत्र में समाज कल्याण छात्रावास भवन तूंगा में आवश्यक सुधार नहीं होने से छात्रों को हो रही असुविधा के संबंध में चर्चा के लिए।

40. ग्राम कानोता तहसील बस्सी में अनुसूचित जाति-जनजाति के लोगों को 1967 व 1986 में आबंटित भूमि पर कब्जा होने के बावजूद नामान्तरण नहीं खोले जाने पर चर्चा के लिए।

श्री गणेशीराम मेघवाल (जालौर)

41. विधान सभा क्षेत्र जालौर में पेयजल टंकियों के निर्माण में लाखों रुपये लगाने के बाद भी चालू नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

42. जिला जालौर में अनुसूचित जाति जनजाति के मौहल्लों में रोडलाइट लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

43. विधान सभा क्षेत्र जालौर में एस.सी. एवं एस.टी. कोलोनियों में सड़क बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

44. विधान सभा क्षेत्र जालौर के सामतीपुरा, एलाना, बांसवाड़ा, बावतरा, देलदरी गांवों में सार्वजनिक नल लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

45. अकाल राहत कार्यों में जालौर विधान सभा क्षेत्र के बी.पी.एल. परिवार के प्रत्येक मजदूर को अकाल राहत कार्यों में नहीं लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर)

46. प्रदेश में सितम्बर, 2000 से वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान नहीं करने से गरीब लोगों को जीवन यापन में हो रही

(मोहम्मद माहिर आजाद)

कठिनाई से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

47. प्रदेश की विधवाओं एवं विकलांगों को घोषित सुविधा प्रदान नहीं करने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिए।

48. समाज कल्याण छात्रावासों की खराब हालात व छात्रावासों में रह रहे विद्यार्थियों को पर्याप्त सुविधाएं मुहैया नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

49. नगर, सीकरी, कामां सहित भरतपुर के छात्रावासों में स्वीकृत छात्रों की संख्या बढ़ाने तथा पर्याप्त भवन की व्यवस्था कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

50. समाज कल्याण विभाग के गृहों में रह रही आवासनियों से उनके परिजनों को मिलने की सुविधा उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री जनार्दन गहलोत (करौली)

51. राज्य में सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

52. राज्य में अनु. जाति-जनजाति के छात्रावासों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

53. राज्य में समाज कल्याण द्वारा संचालित होस्टल्स की ईमारतों की मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

54. सामाजिक उत्थान और सुरक्षा योजना का संबंधित व्यक्तियों को समुचित लाभ नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

मांग संख्या-30 एवं 33 पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग संख्या-30 और मांग संख्या-33 के बारे में निवेदन कर रहा हूं, जोकि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग और गरीबों के हित से संबंधित है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारतवर्ष जब आजाद हुआ, उसके बाद कांग्रेस ने इसकी बागडोर सम्भाली और कांग्रेस का लम्बा शासन देश के अन्दर रहा। उस समय अगर कोई सबसे बड़ा काम कांग्रेस ने किया तो एस.सी., एस.टी. और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए किया था और उसी के अनुसार उन्होंने समाज कल्याण विभाग की स्थापना की थी। यह समाज कल्याण विभाग जिसने गरीबों के उत्थान के लिए अपने कार्यक्रम बनाये थे, गांवों में स्कूल खोलने, एस.सी., एस.टी. की बस्तियों में स्कूल, सड़क, पानी की व्यवस्था करने, छात्रावास खोलना, यह सारी व्यवस्था करना—

(13.21 बजे)

(श्री दिग्विजय सिंह, सभापति, पदासीन)

श्री जगत सिंह दायमा : सभापति महोदय, मुझे एक मिनट आपको निवेदन करना है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। कल मान्यवर ताम्बी साहब के लिए आपने भ्रष्टाचार का मामला उठाया और जाने कैसे-कैसे आरोप उन पर लगाये। सही है या गलत है, वह तो जांच का विषय है परन्तु आपने उठाये। वैसे तो बहुत अच्छी शुरूआत है यह परन्तु मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एम.एल.ए. कोटे का और माननीय रामस्वरूप जी मीणा साहब ने भी अपने खेत में काम कराया, क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है? आप इसमें सौतेला व्यवहार क्यों करते हो?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। इससे कोई संबंध नहीं है। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : नहीं, यह जनता का पैसा है यह।

श्री सभापति : डिबेट शुरू हो गई डिमाण्ड पर और अब आप बीच के अन्दर— आपको मौका मिलेगा, आप सोमवार के दिन नोटिस देकर उठा लेना।

श्री जगत सिंह दायमा : कल भी डिबेट ही चल रही थी। मतलब यह हुआ कि मैं भाजपा वालों से कहना चाहता हूं कि ताम्बी जी ने तो यह कर दिया और रामस्वरूप जी मीणा ने क्या कर दिया कि इसके लिए न आपने कभी इस तरह की बात उठाई है?

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री हरिसिंह (महुवा) : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने न तो किसी प्रकार का नोटिस दिया है—

श्री जगत सिंह दायमा : —जनता का पैसा, जनता के लिए और इन्होंने अपने खेत में यूज कर लिया तो क्या यह भ्रष्टाचार की श्रेणी में नहीं है?

श्री हरिसिंह (महुवा) : माननीय सभापति महोदय, आप रोकिये इन्हें।

श्री रामस्वरूप : माननीय सभापति महोदय, आपने कहा है कि मैंने कोई खेत में बाड़ बनाई है, बिलकुल असत्य है। माननीय सभापति महोदय, कोई दीवार किसी प्रकार की विधायक कोटे से नहीं खींची है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : रामस्वरूप जी, रुकिये। रामस्वरूप जी रुकिये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बिराजिये।

श्री जगत सिंह दायमा : यह सही है या गलत है, आप इस पर मत जाइये।

श्री सभापति : आपके मुख्य सचेतक जी बोल रहे हैं, आप बिराजें।

श्री रामस्वरूप : बिलकुल यह असत्य बात है इसलिए आप ही कह रहे हैं इस बात को, यह असत्य बात है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप जवाब मत दो, फोटो-वोटो है। इसलिए आप जवाब मत दो। फोटो है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री रामस्वरूप : यह असत्य लांछन लगाया जा रहा है। मैंने कभी भी आज

(श्री रामस्वरूप)

तक मेरे विधायक कोटे से कोई भी दीवार किसी प्रकार की अपने खेत में नहीं खींची है, यह बिलकुल असत्य है। केवल एक ही दुःख हो रहा है कि मैं कांग्रेस के लिए बोलता हूं, अपनी सरकार के पक्ष में बोलता हूं, अपनी आवाज उठाता हूं। गरीबों के बारे में, किसानों के बारे में, अपनी आवाज उठाता हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य जगत सिंह जी दायमा, आप बिराजिये प्लीज। एक मिनट आप बिराजिये।

श्री जगत सिंह दायमा : यह भ्रष्टाचार की बात हो रही है।

श्री सभापति : आप एक मिनट बिराजिये।

श्री जगत सिंह दायमा : एक ऐसी शुरूआत है जो लाभदायक होगी सदा-सदा के लिए और भ्रष्टाचार करेंगे लोग-बाग—

श्री रामस्वरूप : अपने क्षेत्र की आवाज को लगातार उठाऊंगा और अपनी पार्टी की आवाज को उठाऊंगा। मेरी आवाज ये कभी बंद नहीं कर सकते। जो झूठा लांछन लगा रहे हैं मेरे ऊपर—

श्री सभापति : आप एक मिनट के लिए बिराजें तो सही।

श्री जगत सिंह दायमा : — कि इस तरीके से विधान सभा में भ्रष्टाचारी लोगों के लिए बोला जाता, बोलने नहीं दिया जाता, अच्छी स्वस्थ परम्परा है।

श्री रामस्वरूप : इसलिए माननीय सभापति महोदय, कोई किसी प्रकार की नहीं बनी है। आपसे भी विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि मेहरबानी करके अपने भाषण में इस प्रकार से लांछन नहीं लगाएं। यह बिलकुल आप असत्य बात कर रहे हैं सदन के अन्दर। मैंने आज तक कोई भी विधायक कोटे से किसी प्रकार की बाड़ नहीं बनवाई, नहीं बनवाई है। (व्यवधान)

श्री सभापति : मुख्य सचेतक जी, आप बोलिये।

श्री जगत सिंह दायमा : बहुत बड़ा लीडर हूं परन्तु जनता का पैसा व्यर्थ में नहीं जाना चाहिये, किसी पर्सनल काम में नहीं आये, इसलिए कहना चाहता हूं— (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : —सरकार के पक्ष में क्यों बोलता हूं। मैं सरकार के पक्ष में, कांग्रेस का नुमाइंदा हूं, कांग्रेस से जीत कर आया हूं, कांग्रेस के पक्ष में बोलूंगा। और अपने क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा सदन में लड़ता चला आया हूं। इन लोगों ने हमेशा, इस बात के लिए कई बार—

श्री हरिसिंह (महुवा) : रामस्वरूप जी, रुकिये।

श्री सभापति : माननीय जगत सिंह जी दायमा, बिराजिये।

श्री जगत सिंह दायमा : हरिसिंह जी महुवा साहब कुछ कह रहे हैं।

श्री रामस्वरूप : कई बार इन्होंने मेरा निष्कासन किया, इन्होंने कई बार मेरी टांग

श्री रामस्वरूप)

भी तोड़ी लेकिन मैं तो बोलता रहा, बोलता रहूंगा, ये चाहे कितना ही असत्य लांछन मेरे ऊपर लगाएं। (व्यवधान)

श्री सभापति : हो गया, आप करिये रामस्वरूप जी शुरूआत।

श्री जगत सिंह दायमा : नहीं, क्या हो गया? आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो इसलिए बैठे हैं कि आप कुछ कहना चाहते थे। आपके सम्मान में बैठे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं, आप बताइये।

श्री रामस्वरूप : हम सब इस तरह से बंद करना—

श्री हरिसिंह (महुवा) : सभापति महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि—

श्री सभापति : आप बिराजिये तो सही।

श्री हरिसिंह (महुवा) : सभापति महोदय, भ्रष्टाचार का कोई आरोप अगर हमारे माननीय सदस्य पर या मंत्रिमण्डल के किसी सदस्य के खिलाफ लगता है तो हम उसका स्वागत करेंगे लेकिन वह प्रक्रिया के नियमों के तहत लगाना चाहिये। कोई भी माननीय सदस्य जब जी चाहे, न कोई मोशन है, न कोई उनकी तरफ से नोटिस है और प्रक्रिया नियमों की अवहेलना करते हुए—

श्री जगत सिंह दायमा : कल क्या कानून कायदा अपनाया था इन्होंने, मुझे बताएं। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने कल क्या कानून कायदा अपनाया और आप कुछ नहीं कर पाये। आप क्या कर पाये?

श्री हरिसिंह (महुवा) : इच्छा हो जब खड़े हो जाएं। मेरे कहने का आशय है कि माननीय सदस्य के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये हैं, इनको सदन की कार्यवाही से हटा दिया जाये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री जगत सिंह दायमा : आप बाहर से आये हो, एकदम से बोलने लग गये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बिराजिये। जैसा मुख्य सचेतकजी ने कहा, नियमों के अनुसार आपको कोई नोटिस, किसी भी माननीय सदस्य के खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई आरोप है उनके लिए उसको लिखित में कोई इस प्रकार का नोटिस दिया जाना चाहिए ताकि माननीय सदस्य उसको पढ़ कर, वह भी उसका उत्तर दे सके, ऐसा आपने कोई नहीं किया है। इसलिए जो अनर्गल आरोप लगाये गये हैं और जो रिकार्ड पर है, उनको देखने के बाद में कार्यवाही कर ली जायेगी।

श्री जगत सिंह दायमा : परन्तु यह स्वस्थ परम्परा है, मैं उसका स्वागत करता हूं।

श्री सभापति : जारी रखें। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : माननीय सभापति महोदय, आज बहुत ही—(व्यवधान) ठीक है, वह तो माननीय सभापति महोदय ने कह दिया कि असत्य मेरे ऊपर लगाया गया है इसलिए उसको निकाल दिया कार्यवाही से, बात खतम हुई। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप तो विषय पर आ जाओ। आप तो विषय पर आ जाओ।

श्री रामस्वरूप : धन्यवाद, धन्यवाद। मैं मांग संख्या पर ही आ रहा हूं। इनको पाबंद कर दो, ये दुबारा नहीं बोलेंगे।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप तो बोलो ना।

श्री मानिक चन्द सुराना : जो भी आरोप है, वह कार्यवाही से निकालने के आदेश सभापति जी ने नहीं दिये हैं। सभापति जी ने नहीं दिये हैं।

श्री रामस्वरूप : धन्यवाद साहब।

श्री सभापति : लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य, आप तो वरिष्ठ हैं। उनको जारी रखने दो।

श्री रामस्वरूप : माननीय सभापति महोदय, आज ऐसे विषय की मांग चल रही हैं, जिससे समाज कल्याण विभाग जुड़ा हुआ है। हमारी कांग्रेस सरकार ने जब से देश के अन्दर बागडोर सम्भाली और उन्होंने आकर जन कल्याण के और समाज कल्याण के कार्यक्रम किये और उसी के आधार पर उन्होंने समाज कल्याण विभाग को खोला और उसी के परिणामस्वरूप आज हमारे सदस्य एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. के आकर यहां बैठे हुए हैं। यह सब उस समाज कल्याण विभाग की देन है। हम सब लोग पिछड़े लोग थे, जिनको न कोई शिक्षा थी, न किसी प्रकार का हमारा आचार-व्यवहार, सारी चीजें इस प्रकार की थी, लोग हमें क्या-क्या कहते थे लेकिन जो समाज कल्याण विभाग के द्वारा 50 साल का जो कांग्रेस का राज रहा, उससे हम लोग आज इस स्थिति में आये। यह सारी स्थिति, इसी सत्य बात के ऊपर मैं निवेदन कर रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद भी आज समाज कल्याण के अन्दर बहुत सी बातें ऐसी रह गई, जो इतनी अच्छाइयां होने के बावजूद भी पूरा विकास नहीं कर सका है। आज समाज कल्याण विभाग की जितनी योजनाएं हैं, एस.सी., एस.टी. पिछड़े वर्गों की जितनी भी योजनाएं हैं, उनका पूरा लाभ हमारे लोग नहीं प्राप्त कर रहे हैं। समाज कल्याण विभाग के द्वारा चलाये जा रहे आश्रम, समाज कल्याण विभाग के द्वारा चलाये जा रहे हमारे छात्रावास, जो उनकी दुर्दशा है माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय बिराजमान हैं, आप भी इस बात को उनसे कहें। आपसे पहले भी उसके बारे में मैंने निवेदन किया था, पिछली सरकार के समय भी मैंने निवेदन किया था और छात्रावास में क्या हालात हुई? बच्चों के लिए, खाने के लिए, कैसा खाना मिल रहा है, इल्लियां जिसके अन्दर पड़ी हुई हैं। बेकार गेहूं उनको लाकर खिलाया जा रहा है और उनके साबुन, तेल इत्यादि की कोई समय पर व्यवस्था नहीं हो पाती है। आज यह स्थिति हो गई है। अब जो छात्र उसके अन्दर रह रहा है, वह दूसरी जगह खाना खाकर आता है और मात्र रात्रि में विश्राम कई जगह करता है। इसलिए मेरा निवेदन है मंत्री महोदय, इस प्रकार की व्यवस्था

(श्री रामस्वरूप)

गलत हो रही है जिसके कारण से छात्रों को परेशानी होती है। कम से कम मेहरबानी करके आप उन छात्रावासों में एक इस प्रकार की समिति बनाई जाये जिसमें जिलाधीश महोदय भी हो और वह प्रत्येक महीने में एक बार तो कम से कम उनका निरीक्षण करे और जो लोग गलती करते हैं, जिसने व्यवस्था गड़बड़ कर रखी है, उनके खिलाफ आप सख्त कार्यवाही करें। एक निवेदन मेरा।

दूसरा मेरा निवेदन है कि छात्रावासों के भवन की अभी तक व्यवस्था सब जगह नहीं हो पाई है। आपने किराये पर भवन ले रखे हैं। किराये के भवन आज आपको इतने महंगे पड़ रहे हैं उनसे आपका नया भवन भी अभी तक बन सका। मैं मेरे क्षेत्र का ही उदाहरण दूं, सभापति महोदय, टोडाभीम क्षेत्र.....

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : माननीय सभापति महोदय, छात्रावास भवन बने हुए हैं, दो वर्ष हुए, और प्रश्न के उत्तर में यह देते हैं कि हम इसलिए उसको किराये पर चला रहे हैं कि वह जीर्ण-शीर्ण है। बताइये, कितना असत्य है यह। मेरे क्षेत्र के भानूदा के अन्दर समाज कल्याण विभाग की तरफ से भवन बना हुआ है, उसका उद्घाटन नहीं हुआ और छात्र वहां पर प्रवेश दूसरी जगह किराये पर लेकर छात्रावास चला रहे हैं। यह राज को चूना क्यों लगा रहे हो? इस पर कुछ कार्यवाही तो करो। और यहां तक है कि....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिये आप। जब भी सुविधा होगी, आपको समय दे देंगे, आप फिर बोल लेना।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : मैं तो बैठ जाऊंगा। मुझे बोलना नहीं है। इन्होंने छात्रावास का प्रश्न किया है, तब मैंने मंत्रीजी के नोटिस में लाने के लिए कहा है कि छात्रावास भवन का उद्घाटन ही नहीं हुआ और उसके लिए आप और आपका विभाग यह कह रहा है कि वहां शिफ्ट इसलिए नहीं किया कि वह जीर्ण-शीर्ण है। इससे बड़ा असत्य और क्या हो सकता है। (व्यवधान)

श्री बनवारी लाल बैरवा (समाज कल्याण मंत्री) : माननीय सभापति जी।

श्री सभापति : आप अपना उत्तर दें तब बता देना।

श्री रामस्वरूप : सभापति महोदय, मैं विनम्र निवेदन कर रहा था कि मेरे विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के अंदर कोई छात्रावास का भवन नहीं है। आज तक कोई भवन इस सरकार की तरफ से नहीं बनाया गया है। बार-बार मैंने निवेदन किया, पिछली सरकार में भी किया, लेकिन वह चले गये अपने कर्मों से। अब हमारी सरकार संवेदनशील आ गई, जन कल्याण की भावना से ओत-प्रोत हमारी सरकार आ गई और लगातार जन कल्याण के कार्य हमारी सरकार करती चली आ रही है, लेकिन बड़े दुःख की बात है, टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र जो अनुसूचित जनजाति का एक क्षेत्र है

(श्री रामस्वरूप)

और जो जिला वहां का है, वह भी अनुसूचित जनजाति का जिला है, वहां पर एम.पी. अनुसूचित जनजाति का है, एम.एल.ए. भी अनुसूचित जनजाति का है, उसके बावजूद भी वहां जो छात्रावास है, आज भी उसी पुराने किराये के भवन में चल रहा है। उस भवन की हालत, माननीय मंत्रीजी, आप निरीक्षण करें तो यह हालत है कि पूरा जर्जर हो चुका है, शीलन आती है पूरे भवन के अंदर, हवा चारों तरफ से कहीं मिल नहीं सकती, बच्चे उसमें इस प्रकार से रहते हैं जैसे मानो कोई जेल के अन्दर हों। जेल में तो फिर भी सुविधा होगी। क्या कारण है? एक बार मैं आपसे मिला भी था, निवेदन किया, आपने कहा कि पैसा दे दिया है। आपने कहा कि पैसा इसके लिए पास हो गया है लेकिन उसके बावजूद भी आज तक भवन क्यों नहीं बना। आप इतने अच्छे मंत्री हो, हमारे सवाईमाधोपुर जिले के प्रभारी भी हो और जन कल्याण की भावना से ओत-प्रोत भी हैं आप और आपके बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं, उसके बावजूद भी माननीय मंत्रीजी—

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अभी प्रभारी थोड़े ही हैं वह आपके जिले के।

श्री रामस्वरूप : सवाईमाधोपुर के। मैं तो निवेदन करना चाहता हूं, अब मेहरबानी करके आज ही जब आप जवाब दें उसमें कम से कम यह जवाब जरूर दें कि टोडाभीम में छात्रावास का भवन अवश्य बनेगा। और जो छात्रावास वर्तमान में है, उस छात्रावास में बच्चों की सुविधा के लिए, यह तो पूरे राज्य की ही बात है, आज वही पुरानी रेट के अन्दर देते हुए चले आ रहे हैं। आज साबुन की क़ीमत इतनी बढ़ गई है। एक बच्चे पर खर्च आप साबुन का कर रहे हैं वही एक रुपया, दो रुपया। आज दस रुपये के बगैर कोई साबुन नहीं आता है, आठ रुपये बगैर कोई साबुन नहीं आता है, पांच रुपये बगैर कोई साबुन नहीं आता है। तो आप मेहरबानी करके इस प्रकार की राशि को बढ़ाएं, चाहे वह साबुन पर हो, चाहे वह तेल पर हो, चाहे वह दूसरी चीजों के ऊपर हो। यह जो वहां का खर्चा है उस खर्चे को छात्र संख्या के आधार पर जोड़ते हुए, उसको महंगाई के आधार पर जोड़ते हुए आप अपने छात्रावासों की व्यवस्था पर पैसा ज्यादा से ज्यादा खर्च करें।

दूसरा मेरा निवेदन वृद्धावस्था पेंशन के बारे में है। माननीय मंत्रीजी, जो सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन चालू की, और दूसरी पेंशन और छात्रवृत्तियां चालू की गई, उन छात्रवृत्तियों के कारण ही आज हमारे बच्चे जो एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. के हैं, वह आज इस स्थिति में पहुंचे हैं कि आर.ए.एस., आई.ए.एस. अच्छे-अच्छे अफसर बन कर आज बैठे हुए हैं। लेकिन उसी छात्रवृत्ति को, पिछली बार भी मैंने निवेदन किया था कि छात्रवृत्ति बार-बार बंद की जा रही है। पिछली बार भी छह महीने तक लगातार छात्रवृत्ति बच्चों को नहीं दी गई, बच्चे समय पर छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर पाते हैं, परीक्षाएं लग जाती हैं बच्चों की

(श्री रामस्वरूप)

तब तक छात्रवृत्ति उनको मिल नहीं पाती है। तो ऐसे गरीब बच्चे जो पढ़ रहे हैं, उन गरीब बच्चों को समय पर अगर छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी तो उस छात्रवृत्ति का सही लाभ नहीं मिल सकता। मेरा आपके जरिये विनम्र निवेदन है हमारी सरकार से, जन कल्याणकारी सरकार से, कि आप मेहरबानी करके इसकी जांच कराएं, छात्रवृत्ति आज सही समय पर नहीं मिल रही है उसके लिए कौन दोषी हैं। जो यह दोषी लोग हैं, ये हमारी सरकार को बदनाम कराना चाहते हैं। इसलिए आप मेहरबानी करके जो दोषी लोग हैं उनको आप दण्डित करें और समय पर छात्रवृत्ति को आप दिलाएं।

इसी प्रकार पेंशन का मामला आ रहा है। वृद्धावस्था पेंशन के मामले छह-छह महीने से पड़े हुए हैं। क्यों नहीं सरकार इनको पास करती है। क्यों नहीं हमारी सरकार इनको पेंशन दे रही है। बहुत से वृद्ध तो ऐसे हैं जिन्होंने फार्म भर दिया, सारा काम उन्होंने कर दिया और बेचारें मर भी गये लेकिन उनका तो आज तक फार्म ही मंजूर नहीं हुआ। इन वृद्धों के लिए आपने कोई पेंशन बांधी है, इनके फार्मों की कहीं कोई जांच करानी है तो जांच करा लें, इनको बार-बार क्यों रोक देते हैं आप, फार्मों की जांच हो रही है साहब, गलत तरीके से भर दिये गये साहब, गलत लोगों का चयन हो गया है इसके कारण। दस-प्रतिशत कोई गलत चयन हो गया तो उसके कारण नब्बे प्रतिशत को दण्ड क्यों मिल रहा है। नब्बे प्रतिशत लोगों को दण्ड मिल रहा है इसके अन्दर। नब्बे सही हैं, दस प्रतिशत का गलत हो गया तो आप दस प्रतिशत को हटा दीजिये और एक टाइमबद्ध कार्यक्रम निश्चित कीजिये माननीय मंत्रीजी। एक महीने के अन्दर-अन्दर पेंशन के जितने भी केस हैं, इन सारे केसेज के बारे में जानकारी ले ली जायेगी और जो लोग गलत हैं उनको हटा दिया जायेगा, सही लोगों का निर्णय ले लिया जायेगा, तुरन्त ही वृद्धावस्था पेंशन चालू कर दी जायेगी। विधवा पेंशन, और भी जितनी हमारी अन्य पेंशन है, आप मेहरबानी करके इसको समय पर दिलाएं ताकि लोगों में एक विश्वास जगे, गरीब के दिल में विश्वास जगे, गरीब हमारी सरकार से खुश होंगे। जब गरीब खुश होता है तो समझलो कि हमारा राज और हमारी सरकार सारी अमन-चैन से चलती है। इसलिए यह गरीबों का मामला है, यह समाज कल्याण विभाग और आपके गरीबों का मामला है, पिछड़े लोगों का मामला है। यह एस.सी., एस.टी. के लोगों का मामला है जिनके लिए गांधी-जी ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, जिन्होंने हरिजनों की पूजा कराई थी। ऐसे लोगों के लिए आपको विभाग मिला है, धन्य हैं आपके भाग, जो आपको यह विभाग मिला है समाज कल्याण मंत्रीजी। यह विभाग ऐश और आराम का विभाग नहीं है। इस विभाग में जितनी आप मेहनत करोगे, उतना ही आपको फल मिलेगा। यह सेवा का मौका दिया गया है आपको। इसलिए सभापति महोदय, मैं

(श्री रामस्वरूप)

निवेदन करना चाहता हूं कि छात्रावासों में जितने भी बच्चे रह रहे हैं उनकी सुविधाएं आप बढ़ाएं और उनके पैसे को भी आप बढ़ाएं। छात्रवृत्ति का पैसा भी आपने लगातार उसी आधार पर बहुत कम संख्या में बढ़ाया है। मेरा विनम्र निवेदन है, आज महंगाई भत्ता कर्मचारियों का बढ़ जाता है। आज महंगाई भत्ता और डिपार्टमेंट्स का भी बढ़ जाता है। आज महंगाई सब में लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : छात्रवृत्ति का पैसा कितना बढ़ा है, कितना पैसा बढ़ा है छात्रवृत्ति का, जरा बता दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह आपसे दबने वाले नहीं हैं अब। अब आत्मा जाग चुकी है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अपने स्थान से बोलें।

श्री रामस्वरूप : सभापति महोदय, जब मेरी स्पीड बन पाती है, स्पीड बनती है तो तुरन्त रोक देते हैं मुझे। कोई बात नहीं, फिर भी बोलूंगा, कोई परवाह नहीं इनकी।

मेरा निवेदन है आपसे कि छात्रवृत्ति के प्रति जितना भी पैसा आपने तय कर रखा है, वह मापदण्ड आपके हैं, उनमें आप चेंज करिये। छात्रवृत्ति बच्चों की आप और बढ़ाइये, महंगाई के अनुसार बढ़ाइये। लड़कों पर जो खर्चा आजकल आता है, जो गरीब लोग हैं, वह इतना महंगा नहीं पढ़ा सकते, दूसरे लोग तो अच्छी-अच्छी स्कूलों में जाकर बच्चों को पढ़ा लेते हैं। काम्पीटीशन हो रहा है आज शिक्षा का, उस काम्पीटीशन में यह बच्चे कहां जाकर बैठेंगे। यह तो आपकी छात्रवृत्ति पर आश्रित रहते हैं पूरे ही,. तो इनका कल्याण अगर आपको करना है तो इनकी छात्रवृत्ति भी बढ़ानी पड़ेगी। बड़े-बड़े स्कूल हैं उनमें एडमिशन के लिए आपने दे रखा है। पिलानी जैसे बड़े-बड़े स्कूल हैं, उसमें आपके बच्चों को प्रवेश मिलता है, लेकिन उसमें भी भेदभाव बरता जाता है। जितने बच्चे आपने निर्धारित कर रखे हैं, दस प्रतिशत, पांच प्रतिशत, जो भी प्रतिशत आपने निर्धारित किया है, सभापति महोदय, बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पाता है और एडमिशन भी मिलता है तो उसके लिए अलग से पैसा लिया जाता है, तब जाकर उन बच्चों को दिया जाता है वरना उनको फेल कर देते हैं। एक इन्टरव्यू का ऐसा बहाना ले रखा है उन्होंने, हम तो इन्टरव्यू लेंगे पहले। उनके हाथ में सारा, नम्बर देना है। एस.सी., एस.टी. के बच्चों को तो इन्टरव्यू में फेल कर देते हैं, यह तो बच्चा होशियार कोई नहीं है, यह बच्चा तो तैयारी करके नहीं आया, क्योंकि उसने तो कोई ट्यूशन नहीं लगाया, उसने कोई इस प्रकार का अध्ययन नहीं किया। उसके पास पैसा नहीं था, कहां से अध्ययन करता। ऐसे बच्चों को इन्टरव्यू के बहाने से निकाल देते हैं। यह जितनी भी सेठों की स्कूल खुल रही हैं, इन सेठों की स्कूलों ने जो मोनोपोली चला रखी है और इस मोनोपोली के आधार पर अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के बच्चों के

(श्री रामस्वरूप)

साथ अन्याय हो रहा है। इसलिए आप मेहरबानी करके इस इन्टरव्यू को खतम कराएं और यह इन्टरव्यू का बहाना लेकर न सरकार की परवाह करते हैं, न ही किसी जन कल्याण की परवाह करते हैं और छात्रों के साथ अन्याय होता है। इसलिए आप इसके लिए कोई अलग व्यवस्था करें इस प्रकार की कि अगर इन्टरव्यू आपको करवाना है तो सरकार के जरिये इन्टरव्यू करवाएं आप, उनकी योग्यता के अनुसार कराएं। जब बच्चा होशियार है, नब्बे प्रतिशत और निन्यानवे प्रतिशत लगातार ला रहा है, ऐसे बच्चों को करने के लिए क्या उनका अहसान है। जो बच्चा है खुद उनको सुधारना चाहिए। कोई गलत रास्ते चला गया तो उसको सुधारना भी चाहिए। एस.सी., एस.टी. के बच्चों को कहते हैं कि तुम्हारे तो 99 प्रतिशत नहीं आये, इसलिए नहीं लिया जायेगा। इसलिए मेहरबानी करके आप इसके लिए कोई अलग व्यवस्था करें ताकि इन बच्चों को सही एडमिशन टाइम पर मिल सके और यह अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें।

दूसरा मेरा विनम्र निवेदन है कि जितने भी जन कल्याण के काम आप करवा रहे हैं, सबसे ज्यादा काम हमारी एस.सी., एस.टी. की बस्तियों में होना चाहिए। आज भी अकाल राहत के तहत जो भी कार्य हो रहे हैं, इन सारे कामों में पता लगा लें, जितने भी कार्य हो रहे हैं उनमें एस.सी., एस.टी. के लोगों को कितनों को रोजगार दिया जा रहा है, इनके मजदूर भी कम लगाये जा रहे हैं, क्यों इनके साथ भेदभाव इस प्रकार का बरता जा रहा है। इसलिए मेहरबानी करके आप यह आंकड़ें मंगवाएं कि एस.सी., एस.टी. के लोगों को कितनों को रोजगार दिया है, कितनी एस.सी., एस.टी. की बस्तियों में कार्य चल रहा है, कितने काम जन कल्याण के इनके यहां हो रहे हैं, इसके आप मेहरबानी करके पूरे आंकड़ें मंगवाएं।

तीसरा मेरा निवेदन है कि आज एस.सी. के लिए सब लोग कहते हैं कि सब समान हैं, कोई जातिवाद का भेदभाव किसी प्रकार का नहीं है। आज भी देखते हैं आप, माननीय मंत्रीजी, पिछली सरकार में भी एक बात हमारे यहां यह उठी थी, दूल्हे को घोड़ी से उतार दिया जाता है। लोग कहते हैं कि सब समान हैं, जन कल्याण हो रहा है, सब को एक दृष्टि से देखा जा रहा है, उसके बावजूद भी दूल्हे घोड़ी से उतारे जाते हैं। आज भी गांव के अन्दर दूल्हा घोड़ी पर बैठ कर अपनी निकासी नहीं कर सकता, बैण्ड बाजे बजा कर नहीं निकल सकता, इतना बड़ा अन्याय आज भी एस.सी., एस.टी. के लोगों के साथ हो रहा है। यहां तक ही नहीं, मैं तो निवेदन करना चाहता हूं कि समाज कल्याण विभाग के जो विधवा आश्रम हैं, जिसमें महिलाएं रहती हैं, बड़े शर्म से सिर झुक जाता है इस सदन में बोलते हुए कि उन महिलाओं को गर्भवती कर दिया जाता है कई बार। इसी सदन में यह बात उठी थी पिछली बार।

श्री बनवारी लाल बैरवा (समाज कल्याण मंत्री) : माननीय सभापति जी, यह बात इस दौर की नहीं है। माननीय सदस्य पहले की बात कह रहे होंगे।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : माननीय मंत्रीजी, आपको पहले की क्यों अबकी बता दें। आपकी जो मीटिंग होती हैं छात्रावासों में मीटिंग होती नहीं है उसकी पहले ही प्रोसीडिंग लिख ली जाती है। मैंने आपको लिख कर दिया है और मैंने शिकायत की है आप पूछो तो सही क्या हो रहा है। और हम कहते हैं कि उस पर आप विश्वास करते नहीं है और जो अधिकारी मनचाही रिपोर्ट आपको देते हैं वह पढ़ कर यहां सुना देते हो।

श्री बनवारी लाल बैरवा : पंडित जी, मैं तो आपकी ही बात पर विश्वास करता हूं।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : विश्वास कहां करते हो, आपने तो यह कहा है कि भवन जीर्ण-शीर्ण है यह लिखा है आपने।

श्री बनवारी लाल बैरवा : यह मुझे सूचना दी गयी थी।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : हां, सूचना दी गयी थी तो मैं आपको....

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय सभापति जी, मैंने दुबारा कलक्टर साहब को कहा है, वह जांच करके स्वयं उसकी रिपोर्ट मुझे भेजें।

श्री नन्दलाल मीणा : आप क्यों नहीं गये वहां पर?

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : मंत्रीजी, मैं जिस अवस्था में हूं उस अवस्था में मैं असत्य नहीं बोलता। मैं आपको ठीक कहता हूं नया भवन बना हुआ है और उसमें उद्घाटन नहीं हुआ और उसके लिए आपने यह कह दिया कि यह जीर्ण-शीर्ण है। मुझे बड़ा दुःख हुआ इस बात का कि इतना असत्य कह सकते हैं आप।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बीच में व्यवधान न करें। आपकी बात को मंत्रीजी और सरकार बहुत गम्भीरता से लेती है।

श्री रामस्वरूप : माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था जन कल्याण के बारे में यह सरकार, जिसने भी बुरा किया है जिसके समय में भी हुआ है, सब जानते हैं। यहां पर सबको पता है उस समय किसकी सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस समय थी उस समय यह मुद्दा उठा था। आज भी अगर कोई गलत काम यहां राजस्थान में होता है तो मुद्दा सदन के अन्दर उठता है। उस समय मैंने स्वयं ने ही यह मुद्दा उठाया था। उस विधवा आश्रमों में जो महिला आश्रम है उनमें जो महिलाएं हैं वो गर्भवती हो गयी थी और यह मामला अखबारों में आया था। बड़ा लम्बा-चौड़ा आया था इसमें हमको दबने की बात नहीं है माननीय मंत्रीजी, जिन्होंने कर्म किये हैं उन्होंने अपना कर्म भोग लिया। अगर हम भी ऐसे कर्म करेंगे तो हमको भी भोगना पड़ेगा। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि अब मैं तो कहता हूं कि विभाग के अन्दर क्या हो रहा है, पहले ऐसा हुआ है आपके टाइम का मैं नाम नहीं ले रहा हूं। मैं तो कहता हूं कि समाज कल्याण विभाग इतना पवित्र विभाग जिसका नाम ही समाज कल्याण है।

(श्री रामस्वरूप)

उस समाज कल्याण विभाग में महिलाओं की इज्जत नहीं हो चाहे सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो या कोई भी हो लेकिन जहां महिला की इज्जत चली जाए, महिलाएं गर्भवती रह जाए वहां पर उनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं करें तो यह दुःख तो होता ही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के राज में ऐसा हुआ है तो वह भी दुःख माना उन्होंने। उन्होंने भी खेद व्यक्त किया था उस समय। मेरा निवेदन है कि आप इस व्यवस्था को सुधारें। आज भी वे ही अधिकारी और कर्मचारी लगे हुए हैं इस विभाग में। माननीय मंत्रीजी मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूं आज भी वे ही अधिकारी और कर्मचारी लगे हुए हैं जिन्होंने उस समय बलात्कार करवाया। वे गर्भवती रही थी महिलाएं आप तुरन्त हटा दें उनको जांच करके। उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्यवाही की गयी, क्यों नहीं उनको सस्पेंड किया गया, आज तक क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्यवाही हुई? मुझे आशा है आपसे, आप बहुत अच्छे मंत्री हैं। आप, मतलब अन्याय को सहन नहीं करते हैं आपकी बहुत अच्छी आदत है। आप महिलाओं के कल्याण के लिए भी चाहते हैं। एस.सी./एस.टी. की रक्षा कर रहे हैं। इसलिए आप मेहरबानी करके उसकी जांच कराइये और जांच कराने के बाद जो लीपापोती की गई थी उसके अन्दर, इन लोगों ने उन लोगों को बहाल कर दिया। उस समय तो यहां घोषणा कर दी उनके खिलाफ, उसके बाद ही उनको बहाल कर दिया और बहाल करके आज भी वे लग रहे हैं। जो अच्छे अफसर हैं, जो अच्छे काम करते हैं उनका आप स्वागत करें सम्मान करें अपने विभाग के अन्दर। अच्छे-अच्छे लोग इस विभाग में आज भी बैठे हुए हैं एस.सी./एस.टी. के। ज्यादातर एस.सी./एस.टी. के लोग आपको लगाने चाहिए विभाग में ताकि एस.सी./एस.टी. और ओ.बी.सी. का भला कर सकें। इसलिए आप सम्मानित करिये अच्छे लोगों को, लेकिन जो अन्यायी हैं जिन्होंने बहन की इज्जत लुटवायी है जिन्होंने बुरा कर्म करवाया है, उन लोगों को दण्ड मिलना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, वही जन कल्याणकारी सरकार होती है, जो काम बुरा करेगा उसे बुरा फल मिलेगा, जो अच्छा कर्म करेगा उसे अच्छा फल मिलेगा। आज ये 153 हमारे जीत कर क्यों बैठे हैं, कांग्रेस की देन है। कांग्रेस हमारी मां है। कांग्रेस ने हमारा कल्याण किया है और उसी का परिणाम है आज 153 आप बैठें हैं, इसमें एस.सी./एस.टी. और ओ.बी.सी. का काम किया है इनके लोगों का साथ मिला है आपको। अगर ये लोग आपके साथ नहीं होते तो आज कांग्रेस इतने बड़े बहुमत से नहीं आती। आज उसकी की देन है आपको। इसलिए आप मेहरबानी करें अपने कार्यक्रमों में विस्तार करें। और मैं 5-7 पाइंट और निवेदन करता हूं, आज बोलता हूं, उसके बाद अपनी वाणी को विश्राम दूंगा।

(श्री रामस्वरूप)

सबसे पहले राजकीय उप योजना क्षेत्र में महाराष्ट्र पैटर्न को दो वर्ष व्यतीत होने पर भी आज तक आपने लागू नहीं किया है। नं. 1, नोट कर लें माननीय मंत्रीजी, सुझाव है मेरा। कुछ मेरे सुझाव हैं अमूल्य, जिनको मैंने गहन अध्ययन करने के बाद में लिखा है। मेहरबानी करके आप इनको नोट कर लें ताकि आपके काम आएंगे और हमारी सरकार की तरक्की होगी, हमारी सरकार का नाम रोशन होगा।

श्री नन्दलाल मीणा : पहला पाइंट क्या है?

श्री रामस्वरूप : वो ही बोल रहा हूं, साहब। बिराजिये आप साहब, आप भी रहे हैं इसके। आब भी बहुत अच्छे रहे हैं उस समय।

श्री नन्दलाल मीणा : इसलिए मैं आपके श्रीमुख से सुनना चाहता हूं।

श्री रामस्वरूप : महाराष्ट्र पैटर्न को दो वर्ष व्यतीत होने पर भी आज तक उसको लागू नहीं किया गया, नम्बर एक। दूसरा मेरा निवेदन है कि जनता के विकास कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन, माडा योजना के अन्तर्गत सिंचाई, एनीकट, पेयजल योजनाओं को बढ़ावें और आश्रम, स्कूल एवं छात्रावास और खोलने के बारे में। तीसरा, राजकीय योजना मद की राशि का उपयोग जनजाति क्षेत्र में जनसंख्या के अनुपात में सभी विभागों द्वारा नहीं करने के बारे में मतलब करना चाहिए अनुपात के आधार पर। आज एस.सी., एस.टी. के लोगों के बैकलाग को नहीं भरा जा रहा है।

श्री संयम लोढ़ा : सब भर गया।

श्री रामस्वरूप : कहां भर गया। अगर भर जाएंगे तो तारीफ करूंगा इसी सदन में आपकी पूरी। हां कुछ जगह भर गये हैं लेकिन आज भी पूरा बैकलाग नहीं भरा गया है इसलिए उनके बैकलागों को आप भरवाएं। आज भी एस.सी./एस.टी. के और ओ.बी.सी. के लोगों के साथ कई जगह कई विभागों में अन्याय हो रहा है क्योंकि वे अन्यायी लोग बैठे हैं उनको जब तक नहीं हटायेंगे तब तक न्याय नहीं हो सकता।

श्री संयम लोढ़ा : रामस्वरूपजी, हनुमानगढ़, गंगानगर में बैकलाग भरा न अभी पुलिस की भर्ती में। दो धन्यवाद।

श्री रामस्वरूप : जनजाति क्षेत्रीय विकास कार्यों पर इस वर्ष में धन की कटौती की गयी है। माननीय मंत्रीजी मेरा विनम्र निवेदन है कि विकास के कार्यों में जो कटौती की गयी है उसकी राशि को और बढ़ाया जाए।

श्री सभापति : कितने सुझाव और हैं?

श्री रामस्वरूप : माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 11 व्यक्तियों को न्यायिक सेवा में लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण किया गया था लेकिन उसके बावजूद भी मात्र एक बालिका को इसमें लिया गया। यह मेरा विनम्र निवेदन है कि जितनी भी नौकरियां हैं चाहे वे किसी विभाग की नौकरियां हों उन सारी

(श्री रामस्वरूप)

नौकरियों में कम से कम अनुपात के आधार पर उन को दिया जाना चाहिए। एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी. का जो कोटा आपने निर्धारित कर रखा है उसके आधार पर उनको न्याय मिलना चाहिए। यह मेरा विनम्र निवेदन है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अब एस.सी./एस.टी. के लोग राज के पुरोहित हैं इसलिए आप राज पुरोहित शुद्ध शब्द बोलें। अब वे राज के पुरोहित हैं।

श्री रामस्वरूप : हां, बिलकुल हम राज के पुरोहित हैं। हमारा भला किया है कांग्रेस ने।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : पहले पुरोहित थे समाज के ब्राह्मण लोग। अब राज के पुरोहित हैं एस.सी./एस.टी. यह शुद्ध शब्द है।

श्री संयम लोढ़ा : आपको तकलीफ है क्या कोई पुरोहित हैं तो?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपको तकलीफ नहीं हो तो चुपचाप बैठो।

श्री संयम लोढ़ा : राज के मालिक बनेंगे।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मैं समर्थन कर रहा हूं। मैं माननीय रामस्वरूपजी का समर्थन कर रहा हूं।

श्री संयम लोढ़ा : पांच हजार साल शोषण किया आप लोगों ने इनका।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : भारी शोषण आपने किया है हमने नहीं किया। असली तो स्वर्ण कास्ट आप हो हम लोग तो फिर भी वाल्मीकि हैं हमारे जैसे लोग तो फिर भी वाल्मीकि हैं सेवा करते हैं। असली शोषण तो आपने किया है।

श्री संयम लोढ़ा : कांग्रेस ने दिलाया हक कांग्रेस ने।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : कांग्रेस ने किया है असली शोषण 50 साल में दिया ही क्या है हमारे डाक्टर साहब तो दुःखी इसलिए हैं कि अभी तक भी ओ.बी.सी. की पूरी सीटें भरीं नहीं जा रही हैं। डा. साहब इसलिए खड़े हुए हैं। मैंने तो शुद्ध शब्द प्रयोग किया है कि अब एस.सी./एस.टी. के लोग राज पुरोहित कहलाएंगे। यह एक शुद्ध शब्द है, इस शुद्ध शब्द में कोई अशुद्धि नहीं है। धारा-3 का केस मेरे ऊपर लग नहीं सकता क्योंकि मैं तो इनको और दर्जा देकर आगे बढ़ा रहा हूं।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आपका मतलब है कि ये कोई दान दक्षिणा का खा रहे हैं। कोई अहसान कर रहे हो इनके ऊपर।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : राज के पुरोहित राजदान दक्षिणा नहीं रिजर्वेशन जो दिया आपने.....

श्री हरिसिंह (महुवा) : नहीं, जो व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो शोभनीय नहीं है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : कोई व्यंग्यात्मक नहीं है माननीय सचेतक महोदय यह तो शुद्ध शब्द है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : यह शोभनीय नहीं है। ये कोई दान-दक्षिणा का खा रहे हैं, कोई पुरोहितपना कर रहे हैं? सदियों से जो दबा-कुचला समाज है उसके लिए उसको समानता के स्तर पर लाने के लिए, सामाजिक न्याय देने के लिए जो व्यवस्था संविधान के तहत और सरकार ने जो किया है वो ही है इसमें राज पुरोहित कहां से हो गये। आप कृपया व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग नहीं करें।

श्री नगराज : मर्जी आये जो बोलते हो खड़े हो करके।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : हमने तो आदर दिया है।

श्री नगराज : नहीं काहें का आदर दिया है आपने, मजाक कर रहे हैं आज हमारे समाज की। कहां का आदर दिया आपने। मर्जी आये जो खड़े होकर बोलते हो। मर्जी आये जो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सम्मान दिया है सम्मान। राजपुरोहित कह कर सम्मान किया है।

श्री नगराज : खड़े होकर के मर्जी आये जो बोलते हो कोई मजाक समझ रखा है। हमारे समाज की मजाक उड़ा रहे हो इस हाउस में।

एक माननीय सदस्य : यह असंसदीय नहीं है, सभापति महोदय।

श्री नगराज : समझ क्या रखा है, माननीय सभापति महोदय, यानी कोई भी सदस्य उठ कर कुछ भी भाषा बोल जाए कारण क्या है? यह स्पष्ट कीजिये आप तो।

श्री सभापति : आसन पैरों पर है, माननीय सदस्य।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मैंने संसदीय शब्द बोला है, माननीय सभापति जी संसदीय शब्द है।

श्री सभापति : आप बिराजिये। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आप आपस में बातचीत नहीं करें। आप जो भी हो आसन को सम्बोधित करें फिर बात करें। मैंने आपको अलाउ नहीं किया है, आप बिराजें। रामस्वरूपजी, आप सुझावों के साथ समाप्त करें।

श्री रामस्वरूप : मेरा लास्ट सुझाव चल रहा है, माननीय मंत्री महोदय, मैंने आपसे विनम्र निवेदन किया है कि यह जो मैंने सुझाव दिये हैं जिसमें मुख्य तौर से टोडाभीम में छात्रावास भवन बनवाना। दूसरा मेरा निवेदन है कि छात्रों को जो छात्रवृत्ति समय पर नहीं मिल पा रही है, या कई जगह नहीं मिलती है उसको दिलवाना। तीसरा मेरा निवेदन है जो वृद्धा पेंशन है और जो राशि आप इनके लिए देते हैं, वृद्धों के लिए जो आप राशि दे रहे हैं उस राशि का महंगाई के अनुसार बढ़ाना और चौथा मेरा निवेदन है कि जितने भी विकास के कार्य हो रहे हैं इन विकास कार्यों को एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी.

(श्री रामस्वरूप)

की बस्तियों में कराना और पांचवां मेरा महत्वपूर्ण सुझाव है वह यह है कि हमारे एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. के लोग जितने भी पढ़ लिख कर तैयार हो गये हैं, जिन्होंने नौकरियों में अपना आवेदन कर रखा है और जो नौकरी कर रहे हैं, मेहरबानी करके आप उनकी तरक्की और जगहों को भरवाने के लिए, बैकलाग पूरा करवाने के लिए हमारी सरकार दृढ़ संकल्प है, हमारी कल्याणकारी सरकार है। अशोकजी गहलोत जो जन कल्याणकारी मुख्य मंत्री हैं, जिन्होंने मुख्य मंत्री बनने के बाद राजस्थान का चहुंमुखी विकास किया है। यह अनुसूचित जाति और जनजाति हमारी हमेशा सहयोग करती रही है। माननीयं सभापति महोदय, मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं इन जातियों का भला आप करते रहोगे तो कांग्रेस को कोई हजार साल तक भी नहीं हिला सकता।

श्री सभापति : माननीय श्री रघुवीर सिंह मीणा।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 30 और 33 पर चर्चा हो रही है। मैं भी अपने आपको इसमें सम्मिलित करता हुआ कुछ चंद सुझाव रखना चाहूंगा।

सभापति महोदय, मांग संख्या-30 पर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की जनजातियों के उत्थान के लिए 1975 में यह विभाग बना जिसको जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग कहते हैं। विशेष कर इस विभाग का कार्य क्षेत्र पूरा राजस्थान है जिसको सिर्फ चार भागों में बांटा गया है। काम करने का अलग-अलग क्राइटेरिया बना रखा है। एक है ट्राइबल सब प्लान एरिया जो पूरे राजस्थान में पांच जिलों की 23 पंचायत समितियों में है। जिसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़ और सिरोही का जिला आता है। कुलमिलाकर इस क्षेत्र की 35 लाख 19 हजार की जनसंख्या में से 24.1 लाख जनसंख्या ट्राइबल सब प्लान एरिया में जनजाति की है जो कुल जनसंख्या का 68.24 प्रतिशत है। महोदय, दूसरा क्षेत्र माडा आता है जिसमें 10 हजार तक की जनसंख्या जिस ग्राम में होती है और वहां 50 प्रतिशत जनजाति की जनसंख्या होती है उसको माडा क्षेत्र कहते हैं। 17 जिलों के 44 लघु खण्डों का गठन किया गया है और 3592 गांव माडा में सम्मिलित हैं। तीसरा, माडा क्लस्टर योजना क्षेत्र में 5000 की जनसंख्या और उसमें 50 प्रतिशत जनजाति की संख्या होती है, उसे माडा क्लस्टर योजना कहते हैं। चौथी है सहरिया आदिम जाति क्षेत्र जिसमें बारां जिले की किशनगढ़ और शाहबाद तहसीलें आती हैं और एक बिखरी जनजाति क्षेत्र होता है जो अनुसूचित क्षेत्र, माडा लघु खण्ड, माडा क्लस्टर सहरिया क्षेत्र के अतिरिक्त 17.31 लाख जनजाति के व्यक्ति 31 जिलों में बिखरे हुए हैं। इसके साथ इन जातियों के और इन क्षेत्रों के विकास के लिए केन्द्र से और राज्य से अलग-अलग योजनाएं हैं जिसके तहत पैसा खर्च होता है। एक विशेष केन्द्रीय सहायता,

(श्री रघुवीर सिंह)

दूसरा संविधान की धारा 275/101 और तीसरा राज्य योजना का होता है और चौथा केन्द्र परिवर्तित योजना के अन्तर्गत इन क्षेत्रों का विकास किया जाता है।

महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत जनजाति उप योजना क्षेत्र में विशेष कर कृषि संबंधित योजनाएं होती हैं जिसमें कई तरह के कार्यक्रम चलते हैं। बैल संचालित यंत्र वितरण, संचरण यंत्र वितरण, जिप्सम वितरण, इस तरह के कई कार्यक्रम चलते हैं। दूसरा, उन्नत सब्जियों के क्षेत्र के अन्तर्गत विस्तार योजना, सेरी कल्चर योजना, कृषक प्रशिक्षण योजना, कृषक महिला योजना। योजनाएं कई तरह की होती हैं। परन्तु कई सारी योजनाएं ऐसी हैं जिनका उपयोग मैं समझता हूं नहीं के बराबर है और जिनमें जिस तरह से काम होना चाहिये, वह नहीं होकर सिर्फ खानापूर्ति होती है। सरकार कोई भी हो, चाहे पूर्ववर्ती सरकार रही हो, चाहे हमारी सरकार रही हो परन्तु काम जो करती है वह मशीनरी उस एरिया में काम करती है, प्रशासनिक ढांचा जो होता है वह काम करता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपसे निवेदन करूं मैं जिस क्षेत्र से आता हूं और करीब 17 जनजाति क्षेत्र के विधायकगण हैं और एक जनरल के हैं ट्राइबल सब प्लान एरिया से 18 विधायक आते हैं। मैं पूरे राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूं परन्तु मुझे जानकारी जहां की है मैं वहीं की निवेदन कर रहा हूं। नई फसल प्रदर्शन एक स्कीम है। उसमें मेरी जानकारी में, यहां अन्य सदस्य भी हैं उनकी जानकारी में भी होगा कि 1999-2000 में 7 लाख रुपये के विरुद्ध 1 लाख 96 हजार रुपये का व्यय किया गया है और 3150 के लक्ष्य के विपरीत 2393 जनजाति काश्तकारों को लाभान्वित किया गया है। मैं समझ नहीं पाया हूं कि कहां नई फसल का प्रदर्शन होता है और आपने किया भी है तो आपका टार्गेट है 7 लाख और 2 लाख भी पूरे खर्च नहीं कर रहे हैं, हम करना क्या चाहते हैं। इसी तरह से सेरी कल्चर, कई अन्य भी हैं, उन्नत सब्जियों के अन्तर्गत क्षेत्र विस्तार योजना परन्तु यह भी हमारे स्वयं की जानकारी में नहीं है, काश्तकारों के तो मेरे खयाल से नहीं होगी। सेरी कल्चर योजना और मशरूम कार्यक्रम में निश्चित तौर से उस एरिये में काम चलते हैं। मैं कह रहा हूं, चलते हैं परन्तु इसको और गति देने की आवश्यकता है। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं परन्तु मेरा निवेदन यह करना है कि इस कार्यक्रम को गति देने के लिए और उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने की आवश्यकता है। 1999-2000 में 26.79 के आबंटन के विरुद्ध 32.45 लाख व्यय हुए हैं और 1200 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है, यह तो ठीक लगता है परन्तु 2000-2001 में 22.79 का प्रावधान है उसके विपरीत दिसम्बर, 2000 तक 20.5 लाख व्यय हुए और 1200 के विपरीत 735 व्यक्तियों को लाभान्वित किया है। अब यहां ऊपर 1999-2000 में आप 32.45 में 1200 को लाभान्वित कर

(श्री रघुवीर सिंह)

रहे हैं और यहां 1200 को लाभान्वित कर रहे हैं 20.5 लाख में, इन आंकड़ों में कोई तालमेल नहीं लगता है। जरूर इसमें कोई बनावटी आंकड़े भी लगते हैं या फिर आपने जिस तरह का लाभ दिया है उसमें कम ज्यादा भी लगता है।

सभापति महोदय, इसी तरह से सिंचाई योजनाएं चलती हैं। सिंचाई योजनाओं में जैसे विस्फोटन द्वारा कृषि कूप गहरे कराये जाते हैं। वहां कुओं में 72 होल देकर हम एक काश्तकार को 3240 की आर्थिक सहायता देते हैं। 72 होल दिए जाते हैं और एक होल के 45 रुपये होते हैं। मेरा निवेदन करना यह है कि यह योजना वाकई में बहुत अच्छी है, मैं स्वयं भी इस योजना को एप्रिशिएट करता हूं। परन्तु मेरा निवेदन इसमें यह है कि जनजाति विभाग द्वारा सैंक्शन जारी कर दी जाती है परन्तु समय पर मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि समय पर उनको ट्रैक्टर, चूंकि उस एरिया में ट्रैक्टर के अलावा ब्लास्टिंग नहीं हो सकती है और जब तक ट्रैक्टर हम समय पर उपलब्ध नहीं कराएंगे और पर्याप्त साधन, हम कुएं तो सैंक्शन कर रहे हैं 3000, और ट्रैक्टर भेज रहे हैं 10, तो इतने कुएं एक साथ गहरे करने के लिए 10 ट्रैक्टर काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए जैसे ही हम सैंक्शन जारी करते हैं तत्काल हमको टैण्डर करके ट्रैक्टर समय पर भेज देने चाहिए ताकि एक बार ब्लास्टिंग करने के बाद काश्तकार दूसरी बार मलबा निकालेगा तब तक दूसरी बार और ट्रैक्टर आ जाए। 72 होल एक साथ नहीं हो सकते उसको करने के लिए कम से कम दो-तीन बार ट्रैक्टर घूमेगा, एक कुएं पर जब जाकर हो पाएगा। बाकी जब तक हम वहां के काश्तकारों के कुएं गहरे नहीं करेंगे, जब तक कुओं में पानी नहीं आएगा, तब तक चाहे कितनी भी योजना चला लें, चाहे केन्द्र से चला लें, चाहे स्टेट से चला लें, कोई बेनीफिट वाली योजना नहीं लगती। चूंकि जब तक छोटी-छोटी जमीनें हैं वहां, और वहां के काश्तकारों के कुएं मजबूत हो जाएंगे तो वह उन कुओं के द्वारा लाभ प्राप्त कर पाएंगे, यह निवेदन मुझे करना है।

एनीकट भी बनाते हैं, सामुदायिक जल उत्थान सिंचाई योजना भी इसी योजना के मार्फत होती है। परन्तु मैं निश्चित तौर पर यह कहूंगा कि सामुदायिक जल उत्थान सिंचाई योजना बहुत लाभदायक योजना है। इस योजना को हम जितना प्रैक्टिकल रूप दे सकें वह मैं ज्यादा अच्छा समझता हूं। क्योंकि एक बार हम बनवा देते हैं किन्तु वहां के लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं होती है कि वह उस योजना का रख-रखाव समय पर करें और पाइप लाइन का रख-रखाव हो। चाहे टंकी का रख-रखाव हो, चाहे बिल जमा कराने की बात हो, वह समय पर नहीं कर पाने की वजह से या तो कनेक्शन कट जाएंगे या पाइप लाइन टूट जाएगी। तो वह फिर किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं होती है। हम सोसायटी बनाकर वह योजना सुपुर्द कर देते हैं।

(श्री रघुवीर सिंह)

मेरा निवेदन यह है कि अलग से थोड़ा फण्ड हो जिसकी वजह से हम आवश्यकता पड़े उस समय उनको हम एडिशनल मदद करें ताकि एक बार बिजली का बिल जमा करा दिया, फिर उनको कहे कि अब इसको पुनः चालू कर दी है, तो आप इसको आइंदा अवेयर के रखें। तो इस तरह से हमको करने की आवश्यकता है और समय-समय पर देखने की आवश्यकता है। एक बार डिपार्टमेंट खर्चा करके, क्योंकि यह योजना करीब लाखों की बनती है तो 8 लाख प्रति इकाई इसकी लागत है। तो इतनी बड़ी योजना हम बनाकर देते हैं उसके बाद डिपार्टमेंट की भी यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उसकी मोनीटरिंग समय-समय पर करें। हमारे पास स्टाफ तो होता ही है तो मोनीटरिंग समय-समय पर करनी चाहिए, ताकि समय पर चैकिंग करने से काश्तकारों में भी जागरूकता रहे और किसी तरह की लापरवाही रहे तो उसके बारे में बता सकते हैं।

डीजल पम्पसैट की जहां तक बात है, डीजल पम्पसैट देना आज के समय में तो मेरे खयाल से कोई उपयोगिता नहीं है क्योंकि 10,000 तो उसकी सब्सिडी है और 10,000 लोन है। जिस तरह से आज कुओं में पानी नहीं है और नालों में पानी नहीं है, काश्तकार को या वहां के ट्राइबल को हम कह देंगे कि आप वाटर पम्प ले लो। बीच में जो एजेन्ट्स होते हैं वह उनको उत्साहित करेंगे क्योंकि दस हजार सब्सिडी जो मिल रही है। वह सब्सिडी के कारण वाटर पम्प तो ले लेगा परन्तु वह वाटर पम्प रखेगा कहां। सब्सिडी में भी बीच में कई डाकू पड़े हुए हैं, कई लोग उसमें बीच में होते हैं जो आधी सब्सिडी तो वह पार कर जाएंगे। पांच हजार रुपये के कारण से वह कर्जे में फंस जाएगा और दस हजार का कर्जा हो जाएगा उस पर, फिर वह उस कर्जे को भर नहीं पाएगा और फिर उसको बैंक भी ब्लेक लिस्टेड कर देंगे बाद में, और उसके कारण पूरे गांव में यह होगा।

मेरा यह मानना है डीजल पम्पसैट देने चाहिए। लेकिन समय के हिसाब से कुओं में पानी अच्छा हो और जो सक्षम लोग हैं जो ले सकें, उनको ही देना चाहिए, आइडेंटीफाई करके ही देना चाहिए। जिसका कुआं ही नहीं है वह भी आकर पम्प सैट मांग रहा है और हम पम्प सैट दे दें तो हम तो उलटा उसको फंसाने की बात कर रहे हैं।

एनीकट और वाटर शैड की बात है। 1999-2000 में 12 एनीकटों और वाटर शैडों के निर्माण पर 149.96 लाख रुपये व्यय किये। वर्ष 2000-2001 में 15 एनीकटों के निर्माण के लक्ष्य के विरुद्ध दिसम्बर, 2000 तक 7 एनीकटों का निर्माण किया गया। 120 लाख रुपये के विरुद्ध 66 रुपये खर्च किये, यहां थोड़ा सा लगता है कि काम करने में हमने जरूर शिथिलता बरती है। चूंकि 1999-2000 में तो हमने डेढ़ करोड़ के करीब खर्च कर दिया और 2000-2001 में 15 एनीकट्स के अगेंस्ट 7 एनीकटों का निर्माण किया। यह आधा

(श्री रघुवीर सिंह)

काम भी नहीं किया और उसके अलावा जो खर्चा किया वह आधा पैसा ही खर्च किया। मैं यह जानना चाहूंगा कि अप्रैल से लेकर दिसम्बर तक आठ-नौ महीने का समय मिलता है, इसमें हम आधा काम भी नहीं कर पाये। यह बजट सत्र जो आता है दिसम्बर के बाद तीन महीने में, तीन महीने में हम क्या बाकी बचा हुआ काम पूरा कर लेंगे? पूरा पैसा खर्च कर लेंगे तो इसमें कहीं न कहीं हमारी लापरवाही जरूर नजर आती है।

सभापति महोदय, इस योजना के अन्तर्गत विद्युत विभाग के माध्यम से भी योजनाएं संचालित हैं। उसमें हम जन जातियों की बस्ती का विद्युतीकरण करते हैं और 15-20 मकानों की जहां बस्ती है उसको इलेक्ट्रिफाई करते हैं। मैं यह जानना चाहूंगा मंत्री जी से कि वर्ष 1999-2000 में इस योजना के अन्तर्गत 18 बस्तियों के विद्युतीकरण के लक्ष्य के विरुद्ध केवल दो बस्तियों का विद्युतीकरण किया जा सका, जिस पर 5.99 लाख रुपये व्यय हुआ। वर्ष 2000-2001 में 20 बस्तियों के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया। दिसम्बर, 2000 तक इस योजना के अन्तर्गत 10.44 लाख रुपये व्यय किये गये। यह भी एक बड़ा डाउटफुल मामला है। 18 बस्तियों को इलेक्ट्रिफाई करना था, पिछले साल हमने वहां दो बस्तियों को इलेक्ट्रिफाई किया।

श्री सभापति : माननीय सदस्य सदन में अखबार नहीं।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : महोदय, मेरा निवेदन यह करना था कि पिछले वर्ष में हमने 18 में से दो बस्तियों को ही क्यों इलेक्ट्रिफाई किया, क्या कारण रहे, इसकी निश्चित तौर पर आप जानकारी देंगे। 2000-2001 में 20 बस्तियों का लक्ष्य रखा गया था। दिसम्बर, 2000 तक कोई आंकड़ा नहीं है, आपने कितनी बस्तियों को इलेक्ट्रिफाई किया, और 10.44 लाख रुपये व्यय किए यह भी सोचने योग्य बात है।

कुटीर ज्योति योजना के तहत करीब एक कनेक्शन पर हम 1600 रुपये खर्च करते हैं। 1000 रुपये भारत सरकार द्वारा दिए जाते हैं और शेष राशि विभाग द्वारा दी जाती है। वर्ष 1999-2000 में इस योजना के अन्तर्गत 1783 परिवारों को लाभान्वित करने पर रुपये 13.30 लाख व्यय किए गए और 2000-2001 में 2500 परिवारों को लाभान्वित करने हेतु 18.65 लाख रुपये का प्रावधान किया। अब मैं यह जानना चाहूंगा कि आपने 1783 परिवारों को लाभान्वित करने के लिए 13.30 लाख रुपये व्यय किए और एक पर 1600 रुपये देने का है। आज बिजली विभाग कनेक्शन देती है। चाहे आपके कोई एक्स्ट्रा पोल नहीं लग रहा है, पोल के पास ही अगर मकान है, तब भी मैं सोचता हूं कि 1200 रुपये से कम, 1200-1100 रुपये के कम डिमाण्ड नहीं आती है डाइरेक्ट कनेक्शन में भी। तो आपने यह जो इतने लोगों को कनेक्शन दिया है 1783, तो अगर इनको 1600 दिया है आपने, पूरा, तो भी अब आपका कितना

(श्री रघुवीर सिंह)

रुपया होना चाहिए था और 2500 परिवारों को आप 1600 रुपये के हिसाब से पैसा देंगे तो भी आपका कितना रुपया होना चाहिए था, यह थोड़ा सा बनावटी सा आंकड़ा लग रहा है। मुझे हो सकता है, आप निश्चित तौर पर इसमें करेंगे, मेरा यह मानना है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

महोदय, ट्राइबल की डिमाण्ड है, इस पर मेरे खयाल से कोई माननीय सदस्य इतने इंट्रेस्टेड होंगे नहीं और ट्राइबलों के अलावा ट्राइबल की डिमाण्ड पर कोई पंडितजी तो बोलने वाले हैं नहीं।

श्री सभापति : आप जारी रखें।

श्री केसाराम चौधरी : पंडितजी ने तो आपके लिए बोला है।

श्री सभापति : आप यह बात कह कर अपना समय काहे को, आप तो जारी रखो।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : तो 1783 को आप 1600 रुपये के हिसाब से देते तो 28 लाख और 52 हजार से ऊपर रुपया होना चाहिए था। 1783 को आप 1200 रुपये ही देते, 1200 रुपये अगर मिनिमम डिमाण्ड होती तो 21 लाख से भी ज्यादा होता। मेरा कहने का सीधा तात्पर्य यह है कि हम अगर ट्राइबल को कनेक्शन देना चाहते हैं, बिजली देना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर हमें विभाग से पूरा जितना मिनिमम दे सकें, उतना देना चाहिए। थोड़ा पैसा हम दे रहे हैं और यह उम्मीद कर रहे हैं कि बाकी वह दे दें तो सम्भव नहीं है और आर.एस.ई.बी. को अगर हम पैसा देते हैं, ट्राइबल फण्ड से, आर.एस.ई.बी. उसको ताक में रख देते हैं और पूरे साल तक काम नहीं करती है। अगर आर.एस.ई.बी. पर हमारी पूरी निगरानी हो, पूरा पैसा देकर हमारी यह मंशा हो कि हमें उसको कनेक्शन दिलाना है तो निश्चित रूप से डिमाण्ड का जितना पैसा है, वह पैसा देना पड़ेगा और उस पर निगरानी भी बराबर रखनी पड़ेगी कि वाकई हमने जो पैसा दिया उस पैसे का उपयोग बराबर बिजली विभाग कर रहा है या नहीं कर रहा है।

मान्यवर, शैक्षणिक योजनाएं भी इसी योजना के अन्तर्गत है। इसमें कई सारी हैं, छात्र व्यय किराया भी है, स्वयंपाठी जनजाति छात्र-छात्राओं की फीस का भरण-पोषण भी है और प्रतिभावान छात्रवृत्ति योजना भी है। उच्च व्यावसायिक शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता भी है। उनमें मेरे को किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है और मैं निश्चित तौर पर मानता हूं कि बच्चों को सहायता मिलती है वह सब अच्छी है। परन्तु मुझे एक बात निवेदन करनी है, ओपन स्कूल से शिक्षा प्राप्त करने वाले जनजाति छात्र-छात्राओं को आर्थिक सहायता के तहत, यह बात इसलिए कह रहा हूं कि हमारी कमजोरी यह है कि हमने पर्याप्त एडवरटाइजमेंट किया नहीं। इसलिए जनजाति योजनाओं में, स्वयंपाठी ओपन स्कूल से जो परीक्षा देना चाहते हैं, वे लोग इस योजना को नहीं समझ पाए और उनको यह भी पता नहीं है कि हमें सहायता

(श्री रघुवीर सिंह)

मिलती है। आप देखिये कि 1100 रुपये वार्षिक एक मुश्त आर्थिक सहायता स्वीकृत की जाती है। वर्ष 1999-2000 में तीन छात्र-छात्राओं को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2000-2001 में इस हेतु 10 हजार का प्रावधान किया गया है तो एक साल में तीन छात्रों को ही हमने सहायता दी इसका मतलब यह है कि जिस क्षेत्र में 68 परसेंट पापुलेशन है ट्राइबल की, और उनको यह भी पता नहीं है कि हम परीक्षा दे सकते हैं और हमें डिपार्टमेंट से सहायता मिल सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि डिपार्टमेंट की तरफ से, हमारी तरफ से किसी तरफ से कोई एडवरटाइजमेंट हुआ ही नहीं है। योजना के बारे में लोग जान ही नहीं रहे हैं। इसलिए इसके बारे में निश्चित तौर पर सोचने की आवश्यकता है।

इसके अलावा महोदय, एक ट्राइबल डवलपमेंट के लिए सबसे बड़ी महत्ती बात है ट्राइबलों के डवलपमेंट के लिए महाराष्ट्र पैटर्न। महाराष्ट्र पैटर्न। यहां पर पूर्व मंत्रीजी भी बिराजे हुए हैं, पिछली सरकार के समय में माननीय नन्दलालजी मीणा इस विभाग के मंत्री थे और उनके भी बहुत सराहनीय प्रयास रहे। उन्होंने, हमने, सबने कमेटी के रूप में जाकर महाराष्ट्र, आन्ध्र, गुजरात सब तरफ गये और अध्ययन किया। महाराष्ट्र पैटर्न ट्राइबलों के डवलपमेंट के लिए बहुत उपयुक्त लगा। मैं उनकी तारीफ भी कर रहा हूं परन्तु मुझे यह अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मंत्रीजी के प्रयास थे, इस बात की बधाई उनको दे भी रहा हूं, धन्यवाद भी दे रहा हूं परन्तु लागू नहीं हो पाया। लागू नहीं होने के पीछे कई सारे फंदे थे, कई सारी बल्लियां गाड़ दीं उन बल्लियों की वजह से इसलिए नहीं हो पाया कि पहले-पहले यह कहा गया कि महाराष्ट्र पैटर्न लागू करते हैं, तो ठीक है साहब, लागू कर दीजिए। तो इन्होंने यह किया कि 13 विभागों को जोड़ कर जितना पैसा बनता था उतना पैसा दे दिया महाराष्ट्र पैटर्न का। तो 13 विभाग में भी क्या किया? कोई उद्यान विभाग है, कोई मत्स्य विभाग है, कोई भेड़-ऊन विभाग है, इस तरह से 13 विभाग जोड़ कर, जिसका पैसा नहीं के बराबर बनता था। उस समय प्रयास करते तब तक चुनाव भी हो गये और नई सरकार बनी। फिर नई सरकार ने देखा कि यह पर्याप्त पैसा नहीं है इसलिए और विभाग जोड़े। पी.डब्ल्यू.डी. विभाग भी जोड़ा और यह पालिसी बनाई कि वार्षिक योजना का 8 परसेंट पैसा ट्राइबल डवलपमेंट के लिए इस विभाग को ही दे दिया जाए क्योंकि यह विभाग पहले नोडल डिपार्टमेंट की तरह से कार्य करता था। सूचनाएं कलेक्ट करता था और कोई काम नहीं था। इस विभाग में पांच तो आई.ए.एस. और जिसमें राजस्व संघ में है एकाध, एकाध स्वच्छ में है, वहां भी थे। और लम्बा-चौड़ा लवाजमा होते हुए भी कोई उपयोगिता नहीं थी तो हमारी सरकार ने यह तय किया कि इनको 8 परसेंट के हिसाब से पैसा दे दिया जाए। तो पिछले साल 112 करोड़ बन रहा था तो वह पैसा

(श्री रघुवीर सिंह)

अकाल की वजह से नहीं दे पाये और उसका दूसरा कारण यह भी था, मान्यवर, कि एक-एक विभाग का पैसा अलग-अलग जा नहीं सकता था। 14 विभाग को छांट कर दे नहीं सकते थे। तो यह किया कि वार्षिक योजना का 8 परसेंट पैसा दे दिया जाए। तो मैं इस बात के लिए धन्यवाद माननीय अशोकजी गहलोत को दे रहा हूं कि उन्होंने इस साल इस मद में 30 करोड़ रुपये दिये हैं। एक शुरूआत की है। इस विभाग को दे दिये जाएंगे और यह विभाग, जिसमें एक परामर्शदात्री समिति बनी हुई है, वह मिलकर बैठकर प्राथमिकताएं तय करेगी कि किस-किस तरह से कहां पैसा खर्च होगा। तो वह करने के बाद मुझे अब यह कहते हुए प्रसन्नता है कि आने वाले साल हमारी सरकार 8 परसेंट के हिसाब से जितना भी पैसा बनेगा उतना पूरा का पूरा इस विभाग को दे देगी तो मैं निश्चित तौर पर यह दावे के साथ कह रहा हूं कि आने वाले पांच साल में ट्राइबल्स के डवलपमेंट के लिए, ट्राइबल्स के उत्थान में जितना पचास साल में काम नहीं हुआ, उतना आने वाले पांच साल में होगा। यह मैं दावे के साथ कह रहा हूं और यह कहते हुए मुझे प्रसन्नता भी है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : समाप्त कर रहा हूं। सभापति महोदय, इसमें एक निवेदन मैंने किया था कि संविधान की धारा 275 (1) में भी प्रावधान है कि कुछ पैसा हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से भी आता है तो इसमें पिछले साल पैसा मार्च के एंड में आया था इसलिए कुछ नहीं कर पाये। परन्तु मंत्रीजी से मैं यह जानना चाहूंगा कि मार्च के एण्ड में आया था करीब 8 करोड़ 29 लाख रुपये परन्तु क्या वह पैसा 1999-2000 में लेप्स मानोगे या फिर उसको लेप्स नहीं माना गया है। 2000-2001 में जो आपने बस्तियां, इलेक्ट्रिफाइड, हैण्ड पम्प, यह सारे प्रपोजल्स जो बनाये हैं तो इसके अनुरूप वह पैसा और इस साल और आने वाला पैसा सभी मिलाकर खर्च होंगे या वह पिछले साल का पैसा लेप्स हो गया? एक मुझे निवेदन करना है कि इस पैसे में आपने यह दर्शाया है कि चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह कहा है कि अब जब स्कीम भेजेंगे तब स्कीम के हिसाब से सैंक्शन करके भेजेंगे। लघु सिंचाई योजना, ठीक है ट्राइबल बैल्ट में होगी। बालिका विद्यालयों में शौचालय निर्माण, यह भी ठीक है। प्रशिक्षित संस्थाओं के माध्यम से शिक्षा, यह भी अच्छा है। उदयपुर के आस-पास वृक्षारोपण, मैं यह जानना चाह रहा हूं कि उदयपुर के आस-पास वृक्षारोपण कहां होगा? क्या ट्राइबल क्षेत्र में होगा या उदयपुर शहर के आस-पास होगा? इसकी वजह से ट्राइबलों को कुछ बेनीफिट होगा। 87.35 लाख का प्रावधान है।

एक माननीय सदस्य : अरावली वृक्षारोपण का है।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : अरावली वृक्षारोपण हो, परन्तु यह पैसा जिस उद्देश्य से आ रहा है....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब समाप्त करें। आप बिराजें।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : समाप्त कर रहा हूं, एक मिनट। राज्य योजना का एक यह निवेदन करना था कि हमारे वहां राज्य, संघ की तरफ से जो स्कीम्स चलती हैं, उसमें हमें बड़ी तकलीफ होती है हर समय कहते-कहते, कि कभी हम कह देते हैं कि इस विभाग को ही खतम कर देना चाहिए। कभी हम कहते हैं इस विभाग में कई सारी कमजोरियां हैं। मैं भी इस पक्ष में हूं कि इस विभाग को खतम ही कर दें तो बेहतर ही है। क्योंकि लम्बा-चौड़ा लवाजमा है। इससे डिपार्टमेंट का पैसा भी खर्च होता है और जनजातियों को फायदा भी क्या मिल रहा है? मैं समझता हूं कोई फायदा नहीं हो रहा है। एक मात्र कामर्शियल विभाग बन कर रह गया है। यह एक व्यावसायिक विभाग, जो बेनीफिट कमाने वाला विभाग बन गया है, इसके बारे में मंत्रीजी सोचें। इसमें जो संचालक मण्डल बना रखा है, पिछले वर्ष मैंने कहा था इस संचालक मण्डल में जो सदस्य हैं, 10 मैम्बर हैं। मैं जानना चाह रहा हूं....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : दो मिनट बस।

श्री सभापति : नहीं, दो मिनट नहीं। अब आप समाप्त करें। आपको आधा घण्टा हो गया है।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : अगर आप इजाजत दें तो मैं बोल लूं। बिठा देंगे तो बैठ जाऊंगा। कोई दिक्कत नहीं है।

श्री सभापति : आपकी पार्टी के और भी माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। उनको भी समय देंगे। सारा ही समय आपके लिये नहीं है। अब माननीय सदस्य, विराजें और चाहें तो जल्दी समाप्त कर दें।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : मंत्री महोदय, संचालक मण्डल के जो सदस्य हैं, उसमें मैं जानना चाहता हूं कि चुने हुए प्रतिनिधि क्यों नहीं होते? चुने हुए प्रतिनिधि को आप मैम्बर क्यों नहीं बनाते? अधिकारियों को ही मैम्बर बना रखा है। इसके पीछे लोजिक क्या है, यह तो हमें स्पष्ट करेंगे न? इसके साथ मैं निवेदन कर रहा हूं कि जो माणिक्य लाल वर्मा शोध संस्था है....

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : इसका लोजिक क्या है मेरे से मिल लेना, मैं बता दूंगा आपको। इसका लोजिक क्या है, यह मैं बता दूंगा आपको।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : मान्यवर, माणिक्य लाल वर्मा शोध संस्था है जिसके अन्तर्गत ट्राइबल बच्चों को काफी तरह के बेनीफिट दिये जाते हैं। पी.एम.टी., पी.ई.टी. और प्रशासनिक अधिकारियों की परीक्षाओं की तैयारी वगैरह, प्री-बी.एड. आदि बेनीफिट देते हैं। मुझे इसमें कोई लम्बी-चौड़ी बात

(श्री रघुवीर सिंह)

नहीं कहनी। परन्तु यह थोड़े एतराज की बात है कि वहां की जिस तरह की व्यवस्था है...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब बिराजें आप। समाप्त करें।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : आखिरी बात कह रहा हूं। मैं बस आखिरी बात ही कह कर खतम कर रहा हूं। मैं तो जिद करने वाले लोगों में से हूं नहीं, मान्यवर। हमारे से संबंधित डिमाण्ड है, इसलिए बोल रहा हूं। बाकी हम किसी डिमाण्ड पर नहीं बोले।

श्री सभापति : और भी माननीय सदस्य, इसी पर बोलेंगे, ऐसी बात नहीं है। इसलिए आप बिराजें। आपने काफी समय ले लिया।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : मान्यवर, यहां की जो व्यवस्था है, टी.आर.आई. की व्यवस्था के बारे में मुझे बड़ा एतराज है कि वहां जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, जिस भी तरह की हैं, उससे वहां के बच्चे सन्तुष्ट नहीं हैं। हम भी व्यक्तिगत कभी वहां जाते हैं तो बच्चे अपनी शिकायत कह कर रह जाते हैं और हम भी कुछ नहीं कर पाते। इसके लिए आप थोड़ी मानसिकता बनाइये और मानसिकता बना कर वहां जितने संसाधन हैं, उनके आधार पर उन बच्चों को प्रैक्टिकल लाभ देने की कोशिश करें। वह जनजाति के छात्रों की मदद करने के लिए बना है। इस समाज के अच्छे अधिकारी बनाने के लिए बना है और हम वहां किसी और संस्था को किराये पर मकान दे दें और वहां के बच्चे घूमते रहें और उनको सुविधा ही हम बराबर नहीं दे पायें तो फिर कहां से वह अधिकारी बनेंगे। हमारी मंशा यह है कि वह पढ़-लिख कर अधिकारी बनें। वहां के पुस्तकालय में 30,000 पुस्तकें उपलब्ध हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : 135 पत्र-पत्रिकाएं हैं।

श्री सभापति : श्री नन्दलाल जी मीणा।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : और 75 पी.एच.डी. शोध प्रकाशित...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब आप बिराजें।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : ठीक है।

श्री हीरासिंह चौहान : यह कह देंगे अधूरी रही बात। बहुत अच्छा अध्ययन है, यह कह दो न, साहब।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : वह भी वही बात कहने हैं।

श्री सभापति : दो मिनट की बात का कभी अन्त नहीं होता। श्री नन्दलाल जी मीणा।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-30 और समाज कल्याण विभाग के बारे में सदन में आज चर्चा हो रही है। मैं भी इस चर्चा में भाग लेते हुए अपने विचार व्यक्त

(श्री नन्दलाल मीणा)

करता हूं। राजस्थान के निर्माण के बाद अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े हुए वर्ग और कमजोर दर्जे के लोगों के कल्याण के लिए इस कल्याणकारी सरकार ने एक विभाग का गठन किया और लगातार 1974 तक सारे समाज के लोग इस समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत कल्याणकारी योजनाओं की क्रियान्विति में सम्मिलित होते रहे। 1974-75 में भारत सरकार के मन में एक विचार आया कि समाज के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए ऐसे वर्ग हिन्दुस्तान के राज्यों में हैं, जो दूर-दराज पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं और समाज की मुख्य धारा से वह वंचित हैं। राजस्थान में भी भारत सरकार के निर्देश के अनुसार 1974-75 में समाज कल्याण विभाग से हटाकर इस आदिवासी वर्ग का चहुंमुखी विकास हो, उसके लिए जनजाति विकास विभाग का गठन किया। 1994-95 तक जनजाति विकास विभाग अनवरत काम करता रहा। आदिवासी उप योजना क्षेत्र के जरिये से माडा क्षेत्र के जरिये, माडा क्लस्टर के जरिये, बिखरी हुई आबादी के जरिये, राजस्थान की लगभग 54 लाख जनता का सर्वांगीण विकास हो, इस मामले में योजना बनती रही। परन्तु फरवरी, 1995 में तत्कालीन केन्द्रीय सरकार के कल्याण मंत्री, श्री सीताराम केसरी जी की अध्यक्षता में गौहाटी में देश के इन राज्यों के शिड्यूल एरिया के जो राज्य थे, उनके कल्याण मंत्री और कल्याण सचिवों का एक सम्मेलन हुआ। उसके बाद 1996 में दिल्ली में हुआ और भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से यह निर्देशित किया कि जब तक इन शिड्यूल एरिये के विकास के लिए योजना से निर्धारित राशि निश्चित नहीं की जाती, तब तक जिस गति से इस समाज का विकास होना चाहिये, वह संभव नहीं है। 1995-96 में इस सम्मेलन के बाद राजस्थान में भी, जैसा कि सराड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है उस वक्त यह दायित्व मेरे पास था। हम गुजरात गये, महाराष्ट्र गये, आन्ध्र गये, मध्य प्रदेश गये, किस तरह से राजस्थान का जनजाति विकास का प्रशासन भी सुदृढ़ किया जाए, त्वरित गति से परिणाम सामने आये, इसके लिए यह महाराष्ट्र पैटर्न लागू हो। इसका पोस्टमार्टम किया गया।

(14.28 बजे)

(श्री शिवनाथ सिंह, सभापति, पदासीन)

दिसम्बर, 1995 में ही, सभापति महोदय, जनजाति विकास विभाग के इस उप योजना क्षेत्र के लिए एक सलाहकार परिषद् का गठन होता है। भारतीय संविधान की प्रदत्त शक्तियों के आधार पर परामर्शदात्री समिति का गठन होता है और यह मसला कि महाराष्ट्र पैटर्न राजस्थान में लागू किया जाए, परामर्शदात्री समिति के सम्मुख रखा गया तो सर्वसम्मत निर्णय लिया गया कि राजस्थान में भी महाराष्ट्र पैटर्न लागू किया जाए।

सभापति महोदय, इसके बाद राजस्थान के जनजाति विकास विभाग ने एक मंत्रिमण्डल ज्ञापन तैयार किया और जनवरी,

(श्री नन्दलाल मीणा)

1998 में महाराष्ट्र पैटर्न राजस्थान में लागू किया जाए, इसके लिए मंत्रिमण्डलीय ज्ञापन मंत्रिमण्डल के सम्मुख प्रस्तुत किया। सभापति महोदय, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि दिसम्बर, 1998 में विधान सभा के चुनाव निश्चित थे और ऐसा नीतिगत निर्णय उस समय राज्य सरकार को नहीं लेना था जो चुनावों को प्रभावित कर सके तो यह जो निर्णय महाराष्ट्र पैटर्न राजस्थान में लागू किया जाए। इसके निमित्त निर्णय कागजों में रहा और चुनाव हो गये। नयी सरकार बन गयी। नयी सरकार ने भी आव देखा न ताव देखा, ना सोचा-न-समझा, मंत्री महोदय ने यहां आकर के घोषणा कर दी कि नयी सरकार बनी है, कल्याणकारी सरकार है, यह पारदर्शी सरकार है, यह संवेदनशील सरकार है और जब जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग नहीं रहेगा, इसका नाम बदल करके हम जनजाति विकास विभाग करेंगे। क्यों, मंत्री महोदय, फरमाया था न आपने उदयपुर में? और जब आपने मुझे मेरे सवाल का जवाब दिया तो उसमें आपने यह बताया कि नाम बदलने की कोई योजना नहीं है। क्योंकि आपके समझ में आ गया कि यह जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के बजाय अगर जनजाति विकास विभाग कर दिया तो इस उप योजना क्षेत्र के लिए जो पैसा भारत सरकार, केन्द्र सरकार देती है, उस पैसे का बंटवारा राजस्थान की 24 लाख उप योजना क्षेत्र में रहने वाली आदिवासी जनता को न होकर के सम्पूर्ण राजस्थान में जो 24 लाख जनजातियां रहती हैं, उनको मिलेगा। और आप चाहते थे परन्तु योग्य अधिकारियों ने आपको राय दी कि आप ऐसा नहीं कर सकते, संविधान के दायरे से बाहर नहीं जा सकते। उसके बाद इस महाराष्ट्र पैटर्न को लागू करने के लिए 31 दिसम्बर, 1999 को वित्त विभाग ने एक आदेश प्रसारित किया जो कि यहां पर मैं कोट करना चाहूंगा। विषय-जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग में महाराष्ट्र पैटर्न अपनाये जाने बाबत। उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार द्वारा जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग में महाराष्ट्र पैटर्न अपनाये जाने सम्बन्धी प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया गया है। जिसके सम्बन्ध में निम्न प्रक्रिया निर्धारित की गयी है। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग हेतु जिन 14 विभागों में महाराष्ट्र पैटर्न लागू करने का निर्णय किया गया है उन 14 विभागों की प्रत्येक की कुल आयोजना परिव्यय सीमा राशि का 8 प्रतिशत भाग से समतुल्य राशि ट्राइबल सब प्लान के लिए अलग से निर्धारित कर दी जायेगी। 14 विभागों के लिए ट्राइबल सब प्लान के पेटे जो-जो राशियां 8 प्रतिशत के आधार पर आयेगी वह राशि जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग को आयोजना विभाग द्वारा एक मुश्त उपलब्ध करायी जायेगी। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग विभिन्न विभागों से प्रस्तुत प्रस्तावों द्वारा प्रत्येक विभाग के लिए व गतिविधियों के लिए कितनी-कितनी राशियां आवश्यक होंगी, यह इंगित करेगा। कार्यक्रमों की प्राथमिकताएं जनजाति क्षेत्रीय विकास

(श्री नन्दलाल मीणा)

विभाग निर्धारित करेगा। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक विभाग के लिए 8 प्रतिशत राशि के ही प्रावधान प्रस्तावित किये जाएं। बजट में प्रावधान सम्बन्धी मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत—

श्री बनवारी लाल बैरवा : सभापति महोदय, प्रतापगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य यह तो महसूस करेंगे कि हमने ईमानदारी से इस महाराष्ट्र पैटर्न को लागू करने के प्रयत्न किये।

श्री नन्दलाल मीणा : मैं यही कहने जा रहा हूं कि आप बड़े ईमानदार हैं और ईमानदारी विभाग के लिए भी 31 दिसम्बर, 1999 को यह आदेश जारी करके आपने व्यक्त कर दी।

मैं यह कहना चाहता हूं कि उसके बाद जो विभाग था, सभापति महोदय, वो कृषि विभाग है, उद्योग विभाग है।

श्री बनवारी लाल बैरवा : आप तो वह भी नहीं कर पाये।

श्री नन्दलाल मीणा : क्या? यह हमारे किये पर ही आप कर रहे हो, आपको यह मालूम होना चाहिए। + + + यह तो हमारा दुर्भाग्य कहिये कि हम उधर नहीं हो कर के इधर आ गये और आपको अवसर मिला। परन्तु मैं तो आपको धन्यवाद देता हूं कि चलो आपने हिम्मत तो की कि यह महाराष्ट्र पैटर्न लागू हो। परन्तु आगे क्या हो रहा है, वह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, जो विभाग हैं, कृषि विभाग, उद्यान विभाग, जल ग्रहण विभाग, पशुपालन विभाग, मत्स्य विभाग, सहकारिता विभाग, वन विभाग, परिवहन विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण विभाग, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, सिंचाई और आर.एस.ई.बी. और सार्वजनिक निर्माण विभाग।

सभापति महोदय, इसके बाद जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग को वित्त विभाग ने एक पत्र और लिखा। इस विभाग के यू.ओ. नोट समसंख्यक दिनांक 31.12.1999 के बिंदु संख्या 1 व 2 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नप्रकार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :— जनजाति क्षेत्रीय विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2000-2001 में महाराष्ट्र पैटर्न समस्त विभागों के लिए लागू की जायेगी। 2000-2001 में, तथा आयोजना विभाग द्वारा कुल आयोजन सीमा के 8 प्रतिशत राशि जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की ट्राइबल सब प्लान के लिए एक मुश्त उपलब्ध करायी जायेगी। कृपया उपरोक्त कार्यवाही करने की व्यवस्था करावें तथा की गयी कार्यवाही से वित्त विभाग को अवगत करायें। यह शासन सचिव, जनजाति विकास विभाग को शासन सचिव, वित्त ने लिखा है।

सभापति महोदय, अब आगे क्या होता है, 2000-2001 में यह महाराष्ट्र पैटर्न

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री नन्दलाल मीणा)

राजस्थान में लागू हो जाना चाहिए था और 8 प्रतिशत राज्य योजना का पैसा विभाग को हस्तान्तरित हो जाना चाहिए था। सभापति महोदय, मुझे कल ही विधान सभा के सवाल पर जवाब मिला है। सवाल यह था क्या यह सही है कि जनजाति क्षेत्रीय विकास को प्राथमिकता देने की दृष्टि से सरकार ने राजस्थान में महाराष्ट्र पैटर्न लागू कर रखी है? यदि हां, तो जनजाति विकास से जुड़े कौन-कौन से विभाग को राशि आबंटित की जाती है?

सभापति महोदय, उत्तर में लिखा है कि जनजाति उप योजना क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देने की दृष्टि से सरकार ने राजस्थान में महाराष्ट्र पैटर्न लागू करने का निर्णय लिया गया है। उक्त प्रणाली जनजाति उप योजना क्षेत्र में कार्यरत आयोजना से सम्बन्धित समस्त विभागों पर लागू होगी।

सभापति महोदय, खण्ड दो है—महाराष्ट्र प्रणाली लागू होने से अब तक कितनी राशि जनजाति विभाग के पास पहुंची है? सूचि सदन के पटल पर रखें।

सभापति महोदय, यह है महत्वपूर्ण बात। जो उत्तर है, आपके सामने निवेदन कर रहा हूं—महाराष्ट्र प्रणाली लागू करने हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1999-2000 में निर्णय लिया गया था। यह सही है कि दिसम्बर, 1999 में निर्णय लिया गया था। वर्ष 1999-2000, 2000-2001 में इस प्रणाली के अन्तर्गत जनजाति विकास विभाग को कोई राशि उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

श्री बनवारी लाल बैरवा : सभापति महोदय, जैसा माननीय पूर्व मंत्रीजी स्वयं जानते हैं कि राजस्थान के अन्दर बहुत भीषण अकाल हुआ और उससे निपटने के लिए राज्य में जगह-जगह अनेक तरीके के काम खोलने पड़े। लिहाजा वह वित्तीय संसाधन उस वर्ष में नहीं जुटा पाये, इस साल में हम व्यवस्था कर रहे हैं।

श्री नन्दलाल मीणा : सभापति महोदय, दो बात हैं। मैंने पहले निवेदन किया कि ट्राइबल सब प्लान एरिया के लिए एक संवैधानिक परामर्शदात्री समिति है। जिसमें यह प्रावधान है कि ट्रायबल सब प्लान एरिया के थ्री फोर्थ एम.एल.एज. उसके सदस्य होंगे। हर साल में कम से कम दो बार मीटिंग होगी। मैं मंत्री महोदय आपसे पूछना चाहता हूं कि जब महाराष्ट्र पैटर्न लागू करने का निर्णय आपने लिया तो क्या उस पैसे को, राज्य मद का जो पैसा 2000-2001 के लिए था, उस पैसे का अनुमोदन कराने के लिए क्या जनजाति परामर्श समिति से आपने अनुमोदन कराया? मीटिंग नहीं बुलायी।

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय सदस्य, निश्चित रूप से...(व्यवधान) और वहां यह सब चर्चा हुई थी।

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय, हर सेंटेंस का जवाब आपके लिए जरूरी नहीं होगा मेरे खयाल से।

श्री नन्दलाल मीणा : सभापति महोदय, मेरा यह कहना है कि न ही उन्होंने अनुमोदन कराया, सभापति महोदय, और एडवाइजरी कौंसिल केवल सलाह देने के लिए होती है, राज्य सरकार उसकी सलाह के लिए बाध्य नहीं है कि वह माने या नहीं माने। परन्तु राज्य सरकार का यह निर्णय 24 लाख आदिवासियों के गले पर छुरी फेरने के बराबर था। आज की हालत में सारा उदयपुर, और जिले, सभापति महोदय, आप देख रहे हैं, कभी कुशलगढ़ में मौत है, कभी कोटड़ा में धमाल है, कहीं सागवाड़ा तहसील में मर रहा है, कहीं बागीदौरा में आन्दोलन चल रहा है, कहीं प्रतापगढ़ में क्या धमालें हो रही हैं, कहीं धरियावद में क्या हो रहा है, यह सारे इस बात का सबूत है कि गरीब, स्वाभिमानी आदिवासी, जो केवल आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, वह दया का नहीं श्रद्धा का पात्र है। मेवाड़ के स्वतंत्रता आन्दोलन में इन आदिवासियों ने मेवाड़ की मर्यादा और स्वतंत्रता की रक्षा की। इसीलिए, आज जयपुर के मुकाबले उदयपुर किसलिए पिछड़ा हुआ है, क्या इसलिए कि उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपने आपको बलिवेदी पर चढ़ा दिया? आज वे इस स्थिति में आ गये कि आज सरकार के सामने वे बड़ी इस निगाह से देखते हैं कि इस इलाके में कोई योजना ऐसी लागू हो जिससे उनका उत्थान हो सके।

सभापति महोदय, इस साल का जो बजट माननीय वित्त मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया है कि उसमें जनजाति विकास विभाग के लिए जो प्रावधान किया वह मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। अब 112 करोड़ की बात सालाना की आप छोड़ दीजिये। आप इस साल वर्ष 2001-2002 में केवल 8.44 करोड़ रुपये का राज मद से प्रावधान है। बजट का खण्ड नं. 94 मैं पढ़ कर सुना देता हूं।

श्री बनवारी लाल बैरवा : तीस करोड़ है।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : तीस करोड़ है, साहब और यह भी कर दिया कि आने वाले साल में पूरा 8 प्रतिशत जितना पैसा चाहिए, उतना पूरा कर देंगे।

श्री नन्दलाल मीणा : आने वाले साल में आप रहोगे कि नहीं रहोगे।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : यह अलग बात है।

श्री नन्दलाल मीणा : हम लोग रहेंगे कि नहीं रहेंगे सवाल यह नहीं है, आज जो आपने इस वित्तीय वर्ष में इस मांग के आधार पर आदिवासियों का गला घोंटा है इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : एम.एल.ए. तो हर हालत में रहेंगे। मैं आपको इन्टरप्ट नहीं कर रहा, प्लीज।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बिराजिए। ये बहुत विद्वान आदमी हैं।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : आप इस किताब को देखिए इसमें तीस करोड़ है।

श्री नन्दलाल मीणा : यह और वह एक ही है।

श्री सभापति : आपको शादी में भी जाना है।

श्री नन्दलाल मीणा : चन्द्रभानजी ने बुलाया नहीं लेकिन आप कहोगे तो चल चलेंगे शादी में। सभापति महोदय, 1550 कुएं गहरे करने के 90 लाख रुपये, अभी खुद ही सराड़ा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि 72 होल लगाये जाते हैं और एक टाइम में कम्प्रेशर मशीन से 12 होल लगते हैं और छह टाइम में जाकर 72 होल लगते हैं और किसी वर्ष में भी आज अब तक इस योजना को उठा कर देख लीजिए। कभी भी एक साल में यह सारा काम पूरा नहीं होता है। और तीन सौ डीजल विद्युत पम्प सैट तीस लाख रुपये, सभापति महोदय, 23 पंचायत समितियां हैं ट्राइबल सब प्लान एरिया में 24 लाख की आबादी है। अब ये तीन सौ डीजल सैट, मतलब एक-एक पंचायत समिति के लिए साढ़े नौ के करीब आता है। इसी तरह से 16 सामुदायिक जलोत्थान योजनाएं, मतलब 23 पंचायतों को 16 जलोत्थान लिफ्ट इर्रिगेशन लगेगी। एक पंचायत समिति में एक भी नहीं। इसी तरह से 26 एनीकट मतलब एक-एक एनीकट सबको मिल जाएंगे। दयारामजी चूंकि राज्य मंत्री हैं, उनको मिल जाएगा। रघुवीर सिंह (सराड़ा) बूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनको मिल जाएगा और निवाई में माननीय मंत्री महदोय....

श्री बनवारी लाल बैरवा : आपको पहले देंगे, साहब।

श्री नन्दलाल मीणा : ट्राइबल सब प्लान के लिए खुलने वाला छात्रावास निवाई में आपने किया, क्या निवाई माडा क्षेत्र में आता है? निवाई शहर आता है क्या?

श्री बनवारी लाल बैरवा : वह जहां बन रहा है वह माडा में ही है, साहब।

श्री नन्दलाल मीणा : मैंने यह पढ़ा है इसलिए कह रहा हूं कि निवाई माडा क्षेत्र में नहीं आता है।

श्री बनवारी लाल बैरवा : धड़ जुगलपुरा माडा में है।

श्री नन्दलाल मीणा : सभापति महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि राज्यपाल चेन्ना रेड्डी जब यहां के राज्यपाल थे, राष्ट्रपति शासन था, जनजाति विकास विभाग का पैसा माउन्ट आबू में, ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जब वे पहुंचे तो कुछ लोगों ने फूल मालाएं गले में और फूल फेंक कर उनका स्वागत किया। राज्यपाल महोदय प्रसन्न हो गये और यहां टेलीफोन किया, सभापति महोदय...(व्यवधान)

श्री सभापति : वह राजस्थान के राज्यपाल थे। उनके कार्यों की आलोचना अपन यहां नहीं कर सकते। मैं कहता हूं, महामहिम राज्यपाल थे, उनके कार्यों की आलोचना यह सदन नहीं कर सकता।

श्री नन्दलाल मीणा : महामहिम राज्यपाल महोदय, सभापति महोदय, मैं

(श्री नन्दलाल मीणा)

महामहिम राज्यपाल महोदय कह रहा हूं। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं। मैंने मेरे कर्तव्यों का किस तरह से निर्वहन किया वह बात कह रहा हूं।

श्री सभापति : आप तो सरकार की आलोचना करो न। यह कहो।

श्री नन्दलाल मीणा : सरकार के लिए कह रहा हूं, निवाई के मामले में कह रहा हूं। महामहिम राज्यपाल महोदय ने माउन्ट आबू में सोल गांव में सड़क बनाने के लिए जो ट्राइबल सब प्लान एरिया में नहीं आता है, जनजाति विकास विभाग का पैसा वहां लगाने का आदेश कर दिया और ज्योंहि भैरोंसिंह शेखावत ने 1998 में राजस्थान का शासन संभाला, इस विभाग का दायित्व जब मुझे दिया गया, मेरी पहली कलम से आदेश हुए कि जो पैसा जनजाति विकास विभाग का है उसको नॉन ट्राइबल एरिया में खर्च नहीं किया जा सकता, चाहे कहीं भी जहां रोलर चल रहे हों तो उसी स्थिति में खड़े कर दिए जाएं। मंत्री महोदय, आज आप जनजाति विकास विभाग का पैसा निवाई नगरपालिका में लगा रहे हैं।

श्री सभापति : अब आप समाप्त कीजिए।

एक माननीय सदस्य : अभी तो शुरू ही हुआ है।

श्री सभापति : नहीं, शुरू तो हो गया। शुरू और अन्त में ज्यादा फर्क नहीं रहना चाहिए। (व्यवधान) शादी वाली बात याद दिला रहा हूं मैं तो आपको।

श्री नन्दलाल मीणा : सभापति महोदय, हमने पिछले आठ वर्ष माननीय शेखावत साहब के नेतृत्व में इस ट्राइबल सब प्लान एरिया में माडा क्षेत्र में बिखरी हुई आबादी जनजाति के लिए पिछले आठ वर्षों में कांग्रेस की तुलना में हमने क्या किया, उसका लेखा-जोखा विचार रखना चाहता हूं। सभापति महोदय, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हमने आदिवासियों के ऊपर अहसान नहीं किया है, यह हमारा कर्तव्य बनता है, यह एक मानवीय जिम्मेदारी है इस हिसाब से जिम्मेदारी का हमने निर्वहन किया है। इस आदिवासी इलाके में लगभग 68 फीसदी जनता एस.टी. की रहती है जब किसी नौकरी में उनका अपाइंटमेंट/इन्टरव्यू होने का सवाल आता था तो केवल 12 प्रतिशत नियुक्तियां ही होती थीं, इसको हमने गम्भीरता से लिया है। और माननीय शेखावत साहब ने 1998 में इस शिड्यूल्ड एरिया के लिए, जैसाकि कल सराड़ा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि स्केल नम्बर एक से छह तक 45 प्रतिशत स्थानीय एस.टी. के लोगों के लिए हमने किया। 1995 में, 45 प्रतिशत आरक्षण कर दिया, ऐसा कल माननीय सदस्य कह रहे थे। एम.बी.सी. खैरवाड़ा में नियुक्तियां हो रही हैं और 45 प्रतिशत आरक्षण को तो छोड़िए एस.टी. के एक भी व्यक्ति को आवेदन करने तक से वंचित कर दिया है। तो हमने वेतनमान संख्या एक से छह तक के सभी पदों को

(श्री नन्दलाल मीणा)

पंचायत राज विभाग के ग्राम सेवक, स्कूल अध्यापक, शारीरिक शिक्षक को भर्ती में स्थानीय जनजातियों के 45 प्रतिशत आरक्षण किये जाने हेतु मार्च, 1998 में अधिसूचना जारी की है। तो सभापति महोदय, आज इसके बाद न तो महाराष्ट्र पैटर्न राजस्थान में लागू किया, न 45 प्रतिशत आरक्षण लागू किया। इस क्षेत्र के प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए मेधावी छात्रों के लिए पांच आवासीय विद्यालय इस ट्राइबल सब प्लान एरिया में खोले गये थे जिसमें प्रतापगढ़, सलूम्बर, शाहाबाद, कोटड़ा, कुशलगढ़ और आबूरोड, ये वो इलाके हैं सभापति महोदय, कांग्रेस के 40 वर्ष के राज में राजनीतिक शिकार हुए हैं। कुशलगढ़, आज अखबार में आपने पढ़ा है, वहां लोग भूख से मर रहे हैं। कोटड़ा का इलाका, सलूम्बर का इलाका, आबूरोड का इलाका जो राजनीतिक यात्रा में कहीं नहीं आते थे, मेन तलेटी स्थान, संयमजी लोढ़ा जानते हैं, पहला व्यक्ति मैं था, सभापति महोदय, जो 1978 में वहां पहुंचा, गुजरात में होकर राजस्थान में आना पड़ता है। वहां के गरासिया बन्धुओं की हालत यह थी कि उनको यह भी मालूम नहीं था कि देश आजाद है कि नहीं है उन पर अगर कोई जुल्म करता था तो वह कहते कि हमको दरबार के पास ले चलो, राजा के पास ले चलो। चालीस साल की आजादी के बाद भी यह उनकी हालत थी। वहां के इलाके के शैक्षणिक उत्थान के लिये लड़के और लड़कियों के लिए जो आवासीय छात्रावास खोले वह आज दिन तक मंत्री महोदय, पूरे नहीं हुए। आप निवाई जाते हो तब आपके आश्रम को तो फटाफट देख लेते हो आवासीय छात्रावास को, आपने कभी प्रतापगढ़ का देखा है क्या? आप कभी कुशलगढ़ गये हैं क्या?

श्री बनवारी लाल बैरवा : सलूम्बर देख कर आया हूं।

श्री नन्दलाल मीणा : क्या हालत है उसकी?

श्री बनवारी लाल बैरवा : पूरा करवा रहा हूं। अबकी बार चालू करूंगा मैं।

श्री दयाराम परमार (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास) : माननीय सदस्य, आप लोगों ने आवास विकास संस्थान को एक चैक से सारा रुपया दिया और आवास विकास संस्थान खतम हो गया तो फिर उसको पूरा कौन करता। अब नया रुपया हम सैंक्शन करेंगे, उस सबको पूरा करायेंगे।

श्री नन्दलाल मीणा : आप कोई खैरात नहीं बांट रहे हो। यह पैसा राज्य सरकार का नहीं है। आवास विकास संस्थान कोई प्राइवेट कम्पनी नहीं थी, कोई ठेकेदार नहीं थी। राज्य सरकार का एंटरप्राइजेज था।

श्री दयाराम परमार : आवास विकास संस्थान प्राइवेट कम्पनी नहीं थी तो खतम क्यों हो गया। अगर सरकारी डिपार्टमेंट होता तो वह बराबर उस काम को करता।

(श्री दयाराम परमार)

संस्थान में खतम हो गया। जिसका न कोई हिसाब किताब है, न कोई कागज है, न पानड़ा है। कोई पैसा...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : कौन खा गया उसको...(व्यवधान)

श्री दयाराम परमार : कोई मतलब ही नहीं है...(व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा : नन्दलाल मीणा खा गया तो मैं खड़ा हूं...(व्यवधान) क्या तकलीफ है।

मोहम्मद माहिर आजाद : तो यह तो जनता को आपको हिसाब देना पड़ेगा कि पैसा गया कहां। पैसा तो जनता का होता है यह कहने से तो काम चलेगा नहीं...(व्यवधान)

श्री सभापति : वह तो हो गया। जनता का ही है।

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय सभापतिजी, आदिवासी क्षेत्रों का जो पैसा था बिना बैंक गारंटी के पूरा पैसा दे दिया गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, माननीय मंत्रीजी सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री सभापति : कोई बात नहीं, आप इसको ठीक कर देना। आप समय पर ठीक कर देना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आवास विकास संस्थान हाउसिंग बोर्ड की सिस्टर कन्सर्न है और उसका आवसान हुआ है। उसमें जितने कर्मचारी, अधिकारी काम कर रहे थे उनको सबको सरप्लस करके हाउसिंग बोर्ड में आज भी सारे नौकरी कर रहे हैं। मंत्रीजी हम न केवल प्रशासनिक स्वीकृतियां निकाला करते थे, हम वित्तीय स्वीकृति भी निकाला करते थे।

श्री सभापति : माननीय नन्दलालजी के बीच में ही आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपकी तरह घोषणा करके भूल नहीं जाया करते थे।

श्री महेश जोशी : आप तो सब करते थे सिर्फ काम नहीं करते थे।

श्री सभापति : माननीय नन्दलालजी शुरू रखिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : करते थे, कितना बड़ा फर्क है। वंस अपोन ए टाइम। हम करते हैं यह फर्क है...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : स्वीकृति निकालते थे, काम नहीं करते थे।

श्री सभापति : हो गया, हो गया। अब समाप्त कीजिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : यह + + + हैं आप दिन में मत देखा करो...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : कई बार पूरे हो जाते हैं।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री नन्दलाल मीणा : जिस तरह से पुल निगम है उसी तरह से यह था। अगर इसमें पैसा खा लिया तो आज आपके हाथ में हुकूमत है, आपको किसने रोका है? क्यों उनके हथकड़िया नहीं डालते, क्यों उसको जेल के शिकंजे में बन्द नहीं करते? क्या चूड़ियां पहन रखी हैं आपने?

श्री दयाराम परमार : चूड़ियां पहनने का सवाल ही नहीं है। जब सारी संस्था ही खतम हो गयी, कोई आदमी ही नहीं रहा तो किससे रुपया वसूल करें। इसलिए विभाग को फिर से रुपया मंजूर करना पड़ेगा।

श्री नन्दलाल मीणा : मैं यह जानना चाहता हूं कि इन पांच आवासीय छात्रावासों के लिए....

श्री दयाराम परमार : अगर मैं यह आरोप लगाऊं कि आप लोगों की नीयत खोटी थी इसलिए एक चैक में उनको रुपया दिया, किंस बात की खुशी में उनको एक साथ रुपया दिया? नहीं देना चाहिए था उनको।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री महोदय, आपको ज्ञान नहीं होगा, यह आवासन बोर्ड हाउसिंग बोर्ड की सिस्टर कन्सर्न है। यह आवास विकास संस्थान राजस्थान आवासन मण्डल की सिस्टर कन्सर्न है। अगर बंद हुई है तो पैसा आवासन मण्डल में पड़ा है। कोई पैसा प्राइवेट किसी आदमी को दे दिया क्या? हिम्मत है तो निकालो उससे पैसा...(व्यवधान)

श्री दयाराम परमार : कोई किसी के पास पैसा नहीं पड़ा है। (व्यवधान) न तो कोई एम.डी. अवेलेबल है, न ही किसी तरह का कोई रिकार्ड अवेलेबल है। क्या बात कर रहे हैं आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हम जो काम करते थे मंत्रीजी....

श्री दयाराम परमार : नो, नो, कोई अवेलेबल नहीं है कोई रिकार्ड अवेलेबल नहीं है...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्रीजी हम आपकी तरह प्रशासनिक स्वीकृतियां निकाल कर चुप नहीं बैठ जाया करते थे।

श्री राजेन्द्र पारीक : आपके आर.एस.एस. के जो स्वयं सेवक थे उनको नौकरी देने के लिए आपने सिस्टर कन्सर्न का गठन किया...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, नहीं सभापति महोदय, माननीय चूरू से आने वाले सदस्य ने जो बात कही है वह सही है। आवास विकास संस्थान तो आवासन मण्डल का ही एक अंग था। आवासन मण्डल आज भी स्टैण्ड कर रहा है और माननीय शांति धारीवालजी उसके मंत्री हैं। वह पैसा कहीं लैप्स नहीं हो सकता। वह पैसा तो मिलेगा आपको। आवास विकास संस्थान कोई प्राइवेट कम्पनी या कोई ठेकेदार तो था नहीं।

श्री दयाराम परमार : आपको इसकी कोई जानकारी नहीं है। आप वैसे ही बोल रहे हैं। चार करोड़ रुपये टी.ए.डी. का उस

श्री राजेन्द्र पारीक : दिन में + + + नहीं देखने चाहिए माननीय सदस्य यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, मेरा स्वास्थ्य बिलकुल ठीक है। आपसे अच्छा है। (व्यवधान)

श्री सभापति : बोलने दीजिए अब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पण्डितजी, यह जो वाद-विवाद चल रहा है इसमें आप जैसे बुद्धिमान की एक टिप्पणी आ जाय...(व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा : सभापति महोदय, मैं यहां पर यह बात भी सदन के सामने लाना चाहता हूं कि विधान सभा 1998 के चुनावों में शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब की दो तिहाई से अधिक से सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीतीं, परन्तु कांग्रेस पार्टी की कथनी और करनी में सभापति महोदय, क्या अन्तर है, यह मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, चालीस वर्ष पहले कांग्रेस के राज में लगातार 1977 तक अनवरत 1977 तक कांग्रेस का राज था। इन्होंने आदिवासियों के विकास के लिए, शैक्षणिक उत्थान के लिए खास करके आदिवासियों का शोषण, वह गहरी मेहनत करता है, कमाई करता है परन्तु पढ़ा लिखा नहीं होने की वजह से सूदखोर और मुनाफाखोर उसके पसीने का पैसा खा जाते हैं। इन्होंने केवल ट्राइबल सब प्लान एरिया में मार्च, 1991 तक बालकों के लिए केवल पांच महाविद्यालय खोले, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर। भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद वह क्षेत्र जो अछूते थे राजनीतिक दृष्टि से, कुशलगढ़ में महाविद्यालय खोला। आजादी के बाद एम.पी., एम.एल.ए. आयोग के अध्यक्ष रहे भीखा भाईजी, अपने इलाके में आदिवासियों को पढ़ाना नहीं चाहते थे ताकि वह उनके बराबर आकर खड़े नहीं हो जायं, वहां पर भी कालेज नहीं खोला और भैरोंसिंहजी शेखावत की सरकार ने सागवाड़ा में सबसे पहले महाविद्यालय की स्थापना की। सभापति महोदय, इसी तरह से दो बालिका महाविद्यालय, सलूम्बर में, दो बालिका महाविद्यालय ट्राइबल सब प्लान में, स्कूलों के हिसाब से मैं गुलाब चन्दजी कटारिया को बधाई देता हूं कि इन्होंने पिछले समय में, कांग्रेस के राज में 2932 प्राथमिक विद्यालय थे, सभापति महोदय, मार्च, 1991 में और भारतीय जनता पार्टी ने शासन छोड़ा उस दिन 3673 प्राथमिक विद्यालय ट्राइबल सब प्लान एरिया में चल रहे थे। किस प्रकार शिक्षा का विस्तार उस इलाके में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के टाइम पर हुआ। उच्च प्राथमिक विद्यालय 252 थे जो 1998 में 1111 कर दिये। माध्यमिक विद्यालय 237 थे जो मार्च, 1998 में 245 किये गये। उच्च माध्यमिक विद्यालय कांग्रेस के राज में 60 थे, 1998 में मार्च में जब हमने हुकूमत

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री नन्दलाल मीणा)

छोड़ी, 101 उच्च माध्यमिक विद्यालय ट्राइबल सब प्लान एरिया में...

श्री सभापति : वर्तमान सरकार की खामियां बताओ ना आप तो।

श्री नन्दलाल मीणा : वर्तमान सरकार में सभापति महोदय, जो आश्रम छात्रावास अब मैं आपके सामने आ रहा हूं, आदिवासियों की माली हालत की वजह से वह घर के पैसों से विद्यार्थियों को स्कूल नहीं भेज सकता अपने बच्चों को, आवासीय विद्यालय, आश्रम छात्रावास और समाज कल्याण विभाग के छात्रावास थे उनकी स्थिति भी मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूं। केवल ट्राइबल सब प्लान एरिया में 1991 तक 98 आश्रम छात्रावास थे और पिछले आठ वर्ष में 129 आश्रम छात्रावास खोल कर लगभग 7600 विद्यार्थियों को प्रवेश दिला करके उनको एक ऐसे रास्ते पर लगाया कि वह अपने भविष्य का निर्माण कर सकें।

सभापति महोदय, इसी तरह से सहरिया क्षेत्र में, माडा क्षेत्र में आपके मीणा साहब साफे वाले बहुत * रहे थे, केवल तीस छात्रावास कांग्रेस के राज में चलते थे और...

श्री राजेन्द्र पारीक : यह * रहे थे, शब्द निकलवाइये। क्या मतलब है?

श्री नन्दलाल मीणा : सारी। मैं विथड्रा करता हूं। श्रीमुख से कुछ कह रहे थे, उपदेश दे रहे थे। सभापति महोदय, कोटा डिवीजन के बारां जिले में जहां सहरिया आदिवासी रहते हैं उनका, आप शायद वहां पधारे होंगे, उस इलाके का दौरा किया होगा। आज चालीस वर्ष में सहरिया की खेती पंजाब के लोगों ने छीन ली और प्रभावशाली लोगों ने छीन ली, सवर्ण जाति के लोगों ने छीन ली। ज्योंहि 1994 में इस बात का निर्णय लिया कि उनकी जमीन गैर सहरियाओं के हाथ में न जाय, इस कानून में परिवर्तन करके उनके लिए न केवल जमीन का सलैक्शन किया, उनके बच्चों के पढ़ने के लिए, सभापति महोदय, केवल इनके राज में सहरिया छोटा सा आबादी क्षेत्र है और उसकी आबादी मान लो केवल अड़तालीस हजार है, एक विधान सभा क्षेत्र है। हीरालालजी सहरिया वहां से निर्वाचित हो करके आते हैं। कांग्रेस के राज में केवल छह आश्रम छात्रावास थे तीन सौ बच्चों के लिए, एक सौ पचास बच्चों के लिए। भारतीय जनता पार्टी की संवेदनशील सरकार ने उस इलाके में नौ अतिरिक्त आश्रम छात्रावास खोल कर तीन सौ से अधिक बच्चों को प्रवेश देकर उनको शिक्षा के आयाम से अवगत कराया।

सभापति महोदय, मैं आवासीय छात्रावासों के साथ-साथ एक और निवेदन करना चाहता हूं। यह जो प्रगति प्रतिवेदन मुझे मिला है, यह कुछ बिंदु हैं जो मैं आपके सामने वर्ष 2000-2001 के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। विस्फोटक द्वारा

* शब्द माननीय सदस्य द्वारा वापस लिया गया।

(श्री नन्दलाल मीणा)

कृषि कूप गहरा करना, वर्ष 2000-2001 में स्वीकृत राशि 372.76 लाख रुपये के विरुद्ध माह दिसम्बर, 2000 तक 99.54 लाख रुपया व्यय किया गया। यह है सरकार की जागरूकता। सभापति महोदय, 372 लाख के मुकाबले में 99 लाख रुपये खर्च किये। इसी तरह से सामुदायिक जलोत्थान योजना 2000-2001 में बीस योजनाओं के निर्माण हेतु एक सौ साठ लाख रुपये का प्रावधान किया गया था जिसकी तुलना में तीन योजनाएं हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं यह तीन योजनाएं, फिर दयारामजी परमार चिढ़ने लग जाएंगे, यह तीन योजनाएं किसके बना दीं? तीन जो जलोत्थान योजनाएं आपने कायम कीं तो एक तो आपके वहां की होगी और एक आपने मुझ पर दया की होगी और एक दया और किस पर की वह भी बता दो।

श्री दयाराम परमार : बाद में बता दूंगा।

श्री नन्दलाल मीणा : मेरा वहां तो एक ही होगी ना? आपका तो कोई कहना मानता नहीं है...(व्यवधान) आपकी सड़क ही मैंने बनाई है। आप तो भले ही कांले बाल और कलफदार कपड़े पहन कर घूमते फिरो, कोई पूछने वाला नहीं है आप लोगों को।

सभापति महोदय, यह डीजल पम्प के, रघुवीरजी सराड़ा वाले कह रहे थे डीजल सैट की स्कीम है, बंद कर दी गयी, सभापति महोदय, और मैं उन्हें इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत अच्छा काम किया। सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र की मैंने लिस्ट ली कि किन-किन आदिवासी काश्तकारों को डीजल सैट दिया गया है। उसकी लिस्ट जब मेरे पास आयी तो मैंने उन काश्तकारों को पत्र लिखा कि आपको डीजल इंजन दिया गया था इससे आपकी माली हालत में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ है। कृपया मुझे पत्र दें या फलां तारीख को मैं प्रतापगढ़ आ रहा हूं मेरे घर पर बैठ करके चर्चा करेंगे, मिलेंगे। सभापति महोदय, फिर पता लगा कि वह डीजल सैट नाम तो किसी रामलाल के है और गया दयाराम के वहां पर, उसके कुएं पर लगा हुआ है। इस तरह की स्थिति है। मंत्री महोदय, यह आपने किया यह बहुत बढ़िया किया परन्तु एक और करें कि जो अब तक डीजल सैट्स दिये गये हैं उनकी छानबीन कराई जाये। जिन दूसरों के कब्जे में हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करें। जो वास्तव में नीडी हैं, आप बिलकुल बंद कर देंगे तो जो वास्तव में नीडी हैं वह उससे लाभान्वित नहीं हो पायेंगे। इसके लिए एक प्रक्रिया निश्चित करें ताकि उन लोगों को जिनको वास्तव में आवश्यकता है, कहीं ऐसा नहीं हो कि बागीदौरा के एक गांव में गया तो वहां एक काश्तकार मुझे मिला तो मैंने कहा क्या कर रहे हो भाई, कहा, डीजल ले जा रहा हूं। मैंने कहा कुआं कितना गहरा है, कहां कुआं तो है ही नहीं मेरे पास, क्यूं? साहब, मिल गया यह तो मेरे को? क्यों मिल गया कि एम.एल.ए. शंकर लालजी हैं। मैंने

(श्री नन्दलाल मीणा)

बताया नहीं सही कह रहा हूं। सिमलवाड़ा के पास में एक गांव है मैं तो बहुत पहले गया था।

श्री हरिसिंह (महुवा) : यह लगातार जीत कर आ रहे हैं, आप कई बार धराशायी हो गये।

श्री नन्दलाल मीणा : नहीं हुआ हूं, दिल्ली गया हूं, दिल्ली। जो आपने शक्ल नहीं देखी होगी उसकी। यह कैसे दिमाग में आ गया।

श्री हरिसिंह (महुवा) : दिल्ली की शक्ल तो देखी है...(व्यवधान) आपकी शक्ल में दिल्ली की शक्ल दिख रही है। हमने आपकी शक्ल देख ली।

श्री नन्दलाल मीणा : यह मूछें बढ़ाने से और साफा पहनने से काम नहीं चलेगा।

श्री हरिसिंह (महुवा) : बहुत मेहनत का काम है।

श्री नन्दलाल मीणा : वास्तविक धरातल पर आइये। केवल संवेदनशील और पारदर्शी, हाका करने से संवेदनशील नहीं है। कुछ करके दिखाइये। आपको समय मिला है वरना वही हालत होगी जों कि हम इधर आ करके बैठे हैं और आप कह रहे हैं कि शक्ल तक नहीं दिखती है। यह जनता राजस्थान की है, ध्यान कर लेना।

श्री हरिसिंह (महुवा) : चलो खुशी है आप अपने खोटों को स्वीकार तो कर रहे हैं।

श्री नन्दलाल मीणा : सभापति महोदय, एनीकट के बारे में कुछ कहना चाहता हूं कि 2000-2001 में 15 एनीकट के निर्माण के लिए 149.96 लाख का प्रावधान किया। अब मुझे यह समझ में नही आता मंत्री महोदय कि दो, चार, छह साल अगर एक-एक पंचायत समिति में एक-एक बना दो तो 23 पंचायत समितियां हैं। कम से कम एक तो हिस्से में आना चाहिए। इसका मतलब सीधा यह आरोप लगता है कि आदिवासियों के विकास और उत्थान के लिए जो राशि आबंटित की गयी है उसको राजनीतिक तराजू में तोल करके आबंटित की जाती है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, एक सैकण्ड के लिए, जब यह वाद-विवाद शुरू हुआ था तो एक विचार सामने आया था कि 5 बजे तक इस डिबेट को कनक्लूड करना है जिसमें माननीय मंत्री महोदय का जवाब भी आयेगा। मुझे कोई एतराज नहीं है आप कितना ही इसमें बोलिये लेकिन उस हिसाब से अपने को करना है तो फिर आपका सहयोग अपेक्षित है।

श्री नन्दलाल मीणा : सभापति महोदय, मैं केवल एक मिनट में ही समाप्त कर दूंगा। मुझे अंतिम एक बात कहनी है। मैं बनवारी लालजी बैरवा के प्रति बहुत आभारी हूं, दयारामजी मेरे मित्र हैं।

श्री सभापति : वह बात तो दिख रही है।

श्री नन्दलाल मीणा : परन्तु मैं इनसे आशा क्या करता हूं कि यह लुंजपुंज नीति

(श्री नन्दलाल मीणा)

नहीं चलेगी। निर्णय करें कि यस, यह होगा, यह नहीं होगा। सारी दुनिया, सारा राजस्थान भौतिक युग की जिंदगी जी रहा है और कोटड़ा में किसी गांव में चले जायें तो बिजली के लट्टू नजर नहीं आते हैं। उसके पास में गुजरात का इलाका है। गुजरात में रहने वाले प्रत्येक आदिवासी के घर पर एक बल्ब लगा हुआ है और कुछ गांव ऐसे हैं जो गुजरात में हो करके राजस्थान में कोटड़ा तहसील में आया जाता है तो वहां के लोग पूछते हैं कि यह सामने वाली लाइट लग रही है यह गुजरात है। अपने यहां कब आयेगी। दयारामजी, बनवारी लालजी का कोई लेना देना नहीं है, यह वहां नहीं आएंगे, इनका निवाई सलामत। परन्तु आपकी धोती खुल जाएगी। पजामा फट जाएगा। बिजली की जो योजना आपने बंद की है अनुदान की—

एक माननीय सदस्य : कड़क बांध रखा है।

श्री नन्दलाल मीणा : कड़क बांधा हुआ है तो बहुत बढ़िया। बिजली के खंभे का पैसा, डिमाण्ड का पैसा, आदिवासियों के कुएं पर बिजली पहुंचाने का जो जनजाति विकास विभाग देता था उसको आपने जो बंद किया है। कृपया उसको आप वापस चालू करायें।

श्री दयाराम परमार : यह सारे चालू कर देंगे। कोई बकाया नहीं रखेंगे और अगली बार एक भी ट्राइबल सब प्लान एरिये से बीजेपी. का आदमी सदन में नहीं आने देंगे।

श्री नन्दलाल मीणा : मजा आ गया फिर तो। यह आप ऐसा करना, यह तो कटारिया साहब से पूछना, मैं यहां सदन में नहीं कहना चाहता हूं।

एक माननीय सदस्य : एक आ गया गलती से।

श्री नन्दलाल मीणा : परन्तु अपने को अपने वजूद में रहना चाहिए। इस बात को नहीं भूलना चाहिए। सभापति महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मेरी बात को मैं यहीं समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय डा. करण सिंह यादव।

डा. करण सिंह यादव (बहरोड) : सभापति महोदय, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा की जहां हम बात करते हैं, वहां इस वाद-विवाद में जाना कि इस सरकार ने क्या किया। इस पार्टी की मानसिकता क्या है, यह उनके कार्य-कलापों से जगजाहिर है। हमारी पार्टी, हमारे मुख्य मंत्री सचमुच में महात्मा गांधी के विचार पर "वैष्णव जन तो तेने कहिये पीर परायी जाने रे" के सिद्धान्त को मानने वाले व्यक्ति हैं और यही कारण है कि महात्मा गांधी का यह अमूल्य सेन्टेंस मैं पढ़ करके दुबारा इस सदन के सामने सुनाना चाहूंगा, जिसको उन्होंने ताबीज कहा। और वह था, "जब कभी आप दुविधा में हों या आपको अपना स्वार्थ प्रबल होता दिखाई दे तो यह नुस्खा आजमाकर देखिये। अपने मन के

(डा. करण सिंह यादव)

सामने, आंखों के सामने किसी ऐसे गरीब और असहाय व्यक्ति का चेहरा लाइये जिसे आप जानते हों और अपने आपसे पूछिये कि क्या आपकी करनी उसके किसी काम आएगी। क्या उसे कुछ लाभ होगा? क्या उस काम से उसे अपना जीवन और भविष्य बनाने में कुछ मदद मिलेगी। बस इतना सोचते ही आपकी सारी दुविधा दूर हो जायेगी।"

महोदय, अभी बात कर रहे थे सामाजिक न्याय और कल्याण की, कहां गये वह लोग, जब 1990 में देश की केन्द्र सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण घोषित कर दिया, यहां के लोग सड़कों पर घूमते रहे। केन्द्र के अंदर साझेदारी सरकार निभाते हुए भी बी.जे.पी. की तत्कालीन सरकार ने यहां अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों पर डंडे बरसाये और आरक्षण नहीं दिया। वह आरक्षण दिया तत्कालीन गवर्नर महामहिम बलिरामजी भगत ने, आज करते हैं इन वर्गों के कल्याण की बात। दस साल हो गये यह कहते हुए कि राजस्थान में पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति और जनजाति के मेडिकल कालेज और टैक्निकल कालेज में आरक्षण की सीमा 6 प्रतिशत और 8 प्रतिशत क्यों है? किसी ने जवाब नहीं दिया। यह अशोक गहलोत साहब की सरकार आयी जिसने इस आरक्षण को दुगुना किया।

हम लोगों ने अनेकों धरने दिये और बार-बार कहा कि आरक्षण नीति लागू करने का मतलब सिर्फ नौकरियों में आरक्षण नहीं है। आपको आरक्षण देना होगा शिक्षा क्षेत्र के अंदर, मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेज में, क्या कारण थे कि पूर्ववर्ती सरकार इसके बारे में कोई विचार नहीं कर पायी और अशोक गहलोत साहब की सरकार को यह निर्णय लेना पड़ा मेडिकल कालेज और इंजीनियरिंग कालेज के अंदर अगर गरीब की पीड़ा को समझने का माद्दा होता तो क्या कारण है कि जीवन रक्षा कोष जैसी जन कल्याणकारी योजनाएं आपके शासनकाल में नहीं निकलीं। आपने चुन लिया था।

श्री हरिसिंह (महुवा) : यह है सोशल सिक्योरिटी।

डा. करण सिंह यादव : गरीबी रेखा के नीचे 22 लाख, 24 लाख परिवार, क्या कारण है कि आप उनको मेडिकल कार्ड इश्यू नहीं कर सके और यह सरकार जिस दिन चुन कर आयी उसने इन लोगों के लिए ऐसे कार्ड बनाये और आम गरीब आदमी कहीं जा करके अपना इलाज करा सके।

सभापति महोदय, अस्पताल में डाक्टर रहा हूं, सर्जन रहा, हृदय रोग का विशेषज्ञ रहा हूं। मैं इतना दुःखी हो जाता था, गरीब आदमी को देख करके, उसको यह बताना कि तेरे बेटे को दो वाल्व खराब हैं, इनका आपरेशन करना पड़ेगा। शुरू-शुरू में एक आध बार हुआ, मुंह से निकल गया इसमें लाख रुपये लगेगा, सवा लाख रुपये लगेगा। ऐसा कहते ही वह गरीब आदमी गिर पड़ा, आंसू निकल गये और मुझे लगा कि मैंने इसके साथ बहुत क्रूर मजाक किया

(डा. करण सिंह यादव)

है। आज राजस्थान का कोई भी गरीब आदमी उस कार्ड को ले करके बड़े हौसले के साथ में एस.एम.एस. अस्पताल में आता है और अपना कार्ड दिखा करके, आपरेशन कराके अपने बच्चे को ठीक करा करके जाता है। यह पीर परायी जानने की बात है। यह इन वर्गों के कल्याण के बारे में सोच की बात है। यही कारण है कि आज एस.एम.एस. में लगभग पांच सौ आपरेशन हार्ट के हर साल होते हैं, बड़े आपरेशन बाइपास सर्जरी के, जिनमें एक तिहाई आपरेशन की उपलब्धि इस बात में अर्जित की गई है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा वित्त मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी को जिन्होंने इस बार जीवन रक्षा कोष में 15 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की।

सभापति महोदय, यहां जब मैं हार्ट के वाल्व की बात कर रहा था, माननीय मंत्री महोदय को मैं सुझाव देना चाहूंगा कि हार्ट के वाल्व का रोगी भी अपने आप में विकलांग होता है। वाल्व लगाने के बाद भी उनको सरकारी नौकरी में नहीं लिया जा सकता, उनके शादी ब्याह में दिक्कत आती है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप हृदय रोगी को विकलांगों की श्रेणी में लीजिए जिससे कि आपने जो निःशक्त लोगों के लिए, आपकी सरकार ने कल्याणकारी काम किए हैं, उन निःशक्तों की श्रेणी में हार्ट के वाल्व के पेशेंट भी आवें। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि क्या कारण था कि आपके कार्यकाल में निःशक्तजन आयुक्त की नियुक्ति नहीं हो सकी। अशोक गहलोत सरकार के समय में दामोदर थानवीजी निःशक्तजन आयुक्त नियुक्त हुए समाज कल्याण मंत्रीजी के नीचे, अपने आप में यह मानसिकता दर्शाता है कि हम कितने सजग हैं। उसके कारण से आज जैसा मैंने अखबारों में पढ़ा है, पहले से निःसहाय, निःशक्त व्यक्तियों को 3 प्रतिशत आरक्षण है नौकरियों में, उनके लिए 3 प्रतिशत आरक्षण है शिक्षा के हर क्षेत्र में, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, क्या कारण था कि आप इस आरक्षण को नहीं कर पाए? क्या कारण है कि रोजगार देने के लिए कियोस्क देने की बात आती है, सूची आती है उसमें निःशक्त आदमी सबसे पहले आता है। क्या कारण है कि सन् 1998-99 के कम्पेरीजन में जो डिसएबल्ड लोग हैं उनके लिए तीन गुना, चार गुना, पांच गुना बजट आबंटित किया गया है। इसलिए इस बात को आप छोड़ दीजिए, इन तर्कों में जाने का कोई मकसद नहीं है। मैं बहुत सम्मान करता हूं मेरे साथी रामगढ़ से आने वाले भाई आहूजाजी का, जो अभी सदन में नहीं हैं। उन्होंने जो बात कही, मैं इसलिए उनकी तारीफ करता हूं कि वह जो बात अपने मन में महसूस करते हैं कह देते हैं। वह बीजेपी की मानसिकता को दर्शाता है जो एस.सी., एस.टी. के लोगों को राजपुरोहित कह कर सम्बोधित करते हैं, उस खेमे में बैठे हुए वह अपनी बात कह रहे हैं। सभापति महोदय, ऐसी सोच, कभी सोचा किसी ने, 15 करोड़, 7 करोड़ रुपए का आबंटन 25 हजार व्यक्तियों को पोलियो करेक्शन में, यह सोच है सरकार

(डा. करण सिंह यादव)

की, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जन कल्याणकारी नीतियां, मैं माननीय मंत्री महोदय को ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इस प्रदेश में पोलियो का आपरेशन करने वाले बड़े नामी गिरामी डाक्टर हैं, डाक्टर एम.एन. काटजू, जो आज 80-82 साल की उम्र के अंदर भी ये आपरेशन करते हैं। पद्मश्री डाक्टर पी. के. सेठी, डाक्टर पाण्डे, ये तीन-चार नाम हैं जिन्होंने इस दिशा में बहुत बड़ा काम किया है। जब आप इतना बड़ा कार्यक्रम अपने हाथ में ले रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप इन लोगों को उसमें इन्वाल्व करें। इनसे परामर्श लें। जिस तरह आपने 7 करोड़ से अधिक की राशि आबंटित की है, उससे अधिक व्यय कर सकें और इस प्रदेश के अंदर भविष्य में कोई विकलांग नहीं रहे, कोई डिसएबल्ड नहीं रहे, कोई असहारा नहीं रहे। इसके लिए आपको ठोस प्रयास करना पड़ेगा।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया (रतनगढ़) : डाक्टर करण सिंह यादव का भी सहयोग लेना चाहिए।

डा. करण सिंह यादव : मैं सरकार के किन-किन जन कल्याणकारी कार्यों की बात करूं, चाहे वह डिसएबल्ड की पेंशन हो, चाहे विधवाओं की पेंशन के लिए हो, चाहे परित्यक्ताओं को नौकरी में लेने की बात हो, चाहे मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष से राशि का तत्काल आबंटन, मुझे यह कहते हुए कतई संकोच नहीं है और मैं कहना चाहता हूं कि चाहे मुख्य मंत्री कार्यालय हो, उसके अंदर काम करने वाले अकाउंटेंट हनुमान प्रसाद हों, चाहे सैक्रेटरी हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग में जीवन रक्षा कोष को डील करने वाले लोग हों, मुझे जानकर बहुत खुशी होती है कि वहां बहुत संवेदनशील व्यक्ति बैठे हुए हैं, जो गरीब, अर्जी लेकर जाने वाले को, मीनमेख नहीं निकाल कर उसको तत्काल सहायता उपलब्ध कराते हैं। यह परिलक्षित होता है सरकार के नेतृत्व में कि जैसा उसका नेता हो, वैसे उसके नीचे के लोग काम करने वाले होते हैं, उसकी नीयत में भी वही बात होती है।

मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और मंत्रीजी का ध्यान रिजर्वेशन पालिसी की ओर दिलाना चाहता हूं। राजस्थान में आपकी सरकार आने के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेज, टैक्नीकल कालेज और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं में, नर्सिंग कालेज में किए गए आरक्षण के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। लेकिन आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि आपकी और हमारी अच्छी नीयत होने के बावजूद सरकार के अंदर कुछ नियमों की आड़ लेकर कुछ स्वार्थी तत्व ऐसे हैं जो इन आरक्षणों का पूरा लाभ लोगों को उठाने नहीं देते। मैं पूर्व में भी सदन में यह बात ध्यान में ला चुका हूं। जहां मेडिकल कालेजों और इंजीनियरिंग कालेजों या शैक्षणिक, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में 21 प्रतिशत, 16 प्रतिशत और 12 प्रतिशत का आरक्षण है, इन्होंने इस तरह के पुराने समय के कानून जो बी.जे.पी. के टाइम में थे, आज भी उन्हीं को चालू

(डा. करण सिंह यादव)

कर रखा है। उसका सीधा-सा तात्पर्य यह निकलता है कि आप मात्र 21 प्रतिशत ही सीटें ले सकेंगे। मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जो अभ्यर्थी अपनी खुद की मैरिट्स अन्य पिछड़ा वर्ग, एस.सी. या एस.टी. का अपनी योग्यता से आता है उसको आप आरक्षण का लाभ दे रहे हैं। अगर पहले नम्बर की पोजीशन कोई लड़का अख्तियार करता है उसको उसी 21 प्रतिशत में गिनेंगे। जिसका उदाहरण देकर बताना चाहूंगा। मांन लीजिए 100 छात्र भर्ती करने हैं मेडिकल कालेज में और 100 छात्रों में से 21 छात्र ऐसे हैं जिनके मार्क्स जनरल मैरिट के कैंडीडेट के बराबर या उससे ज्यादा है। हमारे जो ऊपर के 21 हैं, उनको 21 के रिजर्व कैटेगरी में काउंट कर लेते हैं, वे तो अपनी योग्यता से आए हैं। 21 प्रतिशत रिजर्वेशन का कतई यह मतलब नहीं था कि इनको मात्र 21 दीजिए, ये जो जातियां हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग जिनको 52 प्रतिशत माना गया है, संविधान में ऐसी परिस्थितियां थीं कि उनको पूरा 52 प्रतिशत उनके अनुपात में नहीं मिल सकता था, जैसे कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों को मिल रहा है, उसका आधा मिला है। लेकिन उसके साथ में यह बड़ा स्पष्ट आर्डिनेंस में कहा गया है कि जो छात्र, जो विद्यार्थी अपनी स्वयं की योग्यता से इसमें सलैक्ट होकर आएंगे उनको आरक्षित वर्ग में नहीं माना जाएगा लेकिन राजस्थान में आज नौकरियों के अंदर आप देख लीजिए। खैरवाड़ा की बात अभी सामने आयी, मुझे बहुत दुःख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार की मंशा को अधिकारी वर्ग समझ नहीं पा रहा है। जहां पर रोस्टर प्रणाली और विभागों में लागू नहीं की गई, राजस्थान विश्वविद्यालय पूरा का पूरा उच्च वर्ग से भरा हुआ है, वहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के 10 आदमी भी नहीं हैं। वहां पर तो रोस्टर नहीं बनाया, उनका तो बैकलॉग पूरा नहीं कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि इस सरकार ने एस.सी., एस.टी. के बैकलॉग को पूरा करने का काम किया लेकिन आज आप होने वाले आरक्षण को देखेंगे तो खैरवाड़ा वाला एग्जाम्पल ऐसा है, कल हम बैठे थे पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ डी.ओ.पी. में। वे यह बता रहे थे कि आपका इसलिए नहीं कर सकते कि भील कोर के अंदर तो पहले से भील बहुत ज्यादा हैं, जनरल कैटेगरी का आरक्षण, दे रहे हैं आरक्षण, वह कह रहे हैं कि इसमें जनरल कैटेगरी का आदमी नहीं है इसलिए हमने सारी चीजें जनरल कैटेगरी को दी हैं। ऐसे कानून लेकर आ जाएंगे डी.ओ.पी. के लोग बाग जिससे कि इन वर्गों का पूरा जन कल्याण जो हम करना चाहते हैं वह तो नहीं कर सकते।

जिस तरह से सदन में बार-बार यह मुद्दा उठता है कि किस तरह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों को पुलिस में रिवर्ट होना पड़ा। कोई कोर्ट का फैसला लेकर आ गया। दुनिया में किसी ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया,

(डा. करण सिंह यादव)

राजस्थान में डी.ओ.पी. के अधिकारियों ने सबसे पहले उसको आपको परोस दिया। ठीक इसी तरह से आज रोस्टर बड़ी नौकरियों में तो मेनटेन नहीं है, मेडिकल विभाग में मेनटेन नहीं है किसी भी विभाग का रोस्टर मंगवा कर देख लीजिए लेकिन पुलिस विभाग वाले कहते हैं कि हमने तो रोस्टर मेनटेन कर लिया, क्या कर लिया रोस्टर मेनटेन कि जो लोग 1993 से पहले, आरक्षण से पहले अन्य पिछड़ा वर्ग में भर्ती हुए थे, जिनकी भर्ती मैरिट से हुई थी, किसी रिजर्वेशन से भर्ती नहीं हुई थी, उन सबका नाम आपने रोस्टर रजिस्टर के अंदर रिजर्वेशन के सामने रख दिया। ये जो खामियां हैं, इनको देखना जरूरी है और मैं तो आपको यहां तक कहना चाहूंगा कि आज अन्य पिछड़ा वर्ग के अंदर और जातियों का समावेश हो गया है। राजस्थान में बहुत बड़ा तबका है, सरकार यह कर सकती है, चाहे हम आरक्षण की सीमा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर सकें, 70 प्रतिशत कराएं। जब कर्नाटक में, तमिलनाडू में 80 प्रतिशत आरक्षण हो सकता है तो यहां क्यों नहीं हो सकता राजस्थान के अंदर। यह मानसिकता अगर सरकार लेकर चलेगी तो हम आगे इस दिशा में प्रयत्न कर सकेंगे। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा माननीय महामहिम के अभिभाषण में आपने राजस्थान में अन्य पिछड़ा वर्ग विकास निगम की स्थापना की बात कही थी। मुझे यह कहते हुए खेद है कि आज तक उसकी स्थापना नहीं हुई जबकि केन्द्र में ऐसा निगम है। इस बार के अभिभाषण में यह बात जरूर कही गई है कि अल्पसंख्यकों के लिए, अन्य पिछड़े वर्गों के विकास के लिए निगम बनेगा। अगर कांग्रेस की सरकार अल्पसंख्यकों के लिए नहीं कर सकती तो क्या वे करेंगे जिन्होंने हमारे अल्पसंख्यक के लिए नहीं कर सकती तो क्या वे करेंगे जिन्होंने हमारे अल्पसंख्यक आयोग का पद समाप्त कर दिया। आज अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। उन्होंने कभी हज पर जाने वाले यात्रियों के लिए दो लाख रुपये का इंश्योरेंस करवाया क्या? नहीं करवाया। (व्यवधान)

इस मामले में मंत्री महोदय मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि यह बहुत हर्ष का विषय है कि राजस्थान सरकार ने एक बहुत साहसिक निर्णय लेते हुए राजस्थान में अनेक प्राइवेट संस्थाएं, मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेज, पोलीटेक्निक कालेज, डेंटल कालेज खोले हैं। अब इन कालेजों में भी भर्ती राजस्थान के पी.एम.टी. या अन्य टैस्टों के माध्यम से होगी। इन प्राइवेट कालेजेज में भी एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. के लड़के अपनी वरीयता के हिसाब से जाएंगे। प्राइवेट कालेजों के अंदर जिसको फ्री सीट कहते हैं उसमें लगभग 40 हजार रुपये साल की फीस आएगी और जिसको पेड सीट कहते हैं उसमें लगभग लाख रुपये का खर्चा होगा। मेरा निवेदन यह है कि जो अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का जो विकास निगम बने उसमें आप ऐसे कानून बनाएं, आज इन

(डा. करण सिंह यादव)

वर्गों के जो छात्र पी.एम.टी. और पी.ई.टी. से सलेक्ट होकर किसी कारण से सरकारी मेडिकल कालेजेज में भर्ती नहीं हो पाते या उनका एडमिशंन उन प्राइवेट मेडिकल कालेजेज में होता है तो आप उनको कम से कम लोन दें, उनको पढ़ने के लिए जितनी फीस है उतनी फीस आप ऋण में दीजिए और जिस दिन वे डाक्टर या इंजीनियर बन जाएंगे, सक्षम हो जाएंगे, अधिकारी बनकर आएंगे उस दिन से आप उस लोन को वापस लीजिए, अपनी ब्याज की दरें तय कीजिए। तभी हम समझते हैं कि जो प्राइवेट संस्थाएं खुली हैं इनका हमको फायदा होगा वरना तो चंद गिने-चुने पैसे वाले उच्च वर्ग के लोग इन सारी सीटों पर आकर बैठ जाएंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए इस सरकार के अच्छे कल्याणकारी कार्यों की पुनः प्रशंसा करते हुए आरक्षण के क्रियान्वयन में जो खामियां हैं खास तौर से डी.ओ.पी. से सर्कुलर्स वगैरह जिस तरह के हैं, जाते-जाते इनकी एक छोटी सी बात बता दूं। ओ.बी.सी. का आरक्षण बलिरामजी भगत ने कर दिया। पहली बार जब भर्ती होने लगी तो डी.ओ.पी. ने एक सर्कुलर निकाल दिया कि जो ओ.बी.सी. का लड़का पहले से नौकरी में है, चाहे तहसीलदार लगा हुआ है, चाहे स्कूल का हैडमास्टर लगा है, अब अगर वो आर.ए.एस. या आर.पी.एस. में चयनित होता है तो उसको क्रिमीलेयर में गिना जाएगा। महोदय, क्रिमीलेयर की अवधारणा होती है कंडीडेट के पैरेंट्स की क्या स्टेट्स है, लेकिन राजस्थान की तत्कालीन सरकार ने उनको बाहर कर दिया कि इन लोगों को रिजर्वेशन का बेनीफिट नहीं मिलेगा। महोदय, मेरे जैसे आदमी को सरकारी नौकरी में रहते हुए आंदोलन करना पड़ा, लड़ाई लड़नी पड़ी, कोर्ट में केसेज लड़ने पड़े तब जाकर डी.ओ.पी. का बेबुनियाद आर्डर था उसको निरस्त किया गया। तो मैं यह बताना चाह रहा था कि सरकारें बदल जाने के बावजूद भी अफसरशाही में आज भी कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो आपके हाथों की कलम को त्वरित गति से नहीं चलने देते।

(15.24 बजे)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

मेरा निवेदन है। कि आप डी.ओ.पी. के सभी निर्णयों का मूल्यांकन कराएं और समाज कल्याण मंत्री होने के नाते समाज कल्याण विभाग का यह सबसे बड़ा दायित्व हो जाता है कि जो कल्याणकारी योजनाएं आपने दी हैं उनका पूर्ण क्रियान्वयन हो इन्हीं शब्दों के साथ में आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री नगराज। (अनुपस्थित), श्री बाबूलाल सिंगारिया।

श्री बाबूलाल सिंगारिया (केकड़ी) : सभापति महोदय, आज मैं मांग संख्या-30 और 33 के संदर्भ में अपने विचार आदरणीय मंत्रीजी को आपकी मार्फत पहुंचाना चाहूंगा। साथ ही निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे पूर्वजों को भी इस मौके पर जरूर याद करना ठीक रहेगा

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

क्योंकि अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याणकारी फैसलों के संबंध में यह मांग है।

माननीय सभापति महोदय, आजादी से पहले भी अनुसूचित जाति और जनजाति का समाज हर प्रकार से शोषित होता हुआ आया है और बाबा भीमरावजी अम्बेडकर के नेतृत्व के अंदर और कांग्रेस पार्टी के महान नेताओं के नेतृत्व के अंदर हिन्दुस्तान को आजादी मिली और आजादी मिलने के बाद में दलित और शोषित समाज को किस प्रकार से संरक्षण मिले, किस प्रकार से उनका कल्याण हो सके इसके लिए बाबा भीमरावजी अम्बेडकर ने संविधान बना कर उसमें 10 साल के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति को आरक्षण देकर संविधान का गठन किया। इसके लिए आज भीमरावजी अम्बेडकर को हम लोग श्रृद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथ ही बाबा भीमरावजी अम्बेडकर के बनाये हुए संविधान को 10 साल के अंदर भी दलितों का जब उत्थान नहीं हो पाया तो जो अछूतों के उद्धारक थे, जो समानता की लहर समाज के अंदर दौड़ाना चाहते थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी ने छुआछूत को मिटाने के लिए और समानता के लिए आपस में जो खाई बंटी हुई थी उसको पाटने के लिए 10 साल के आरक्षण को फिर आगे बढ़ाया।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि बीसवीं शताब्दी के अंदर जब पूरे विश्व में आकलन हुआ तो उस आकलन के अंदर राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी की जीवनी के अनुसार और उनके किये हुए कल्याणकारी फैसलों के आधार पर बीसवीं शताब्दी के अंदर पूरे विश्व के अंदर छुआछूत को इन्होंने मिटाया, हरिजन को हरि का जन बताया और उनको जो समानता का अधिकार दिलाया इसके लिए पूरे विश्व के अंदर स्वर्गीय महात्मा गांधीजी को प्रथम पुरुष घोषित किया गया। यह हमारे पूरे भारत के लिए देन की बात है, कांग्रेस पार्टी के लिए देन की बात है कि उनकी वजह से उनके किये हुए कल्याणकारी फैसलों के कारण से पूरे विश्व के अंदर उनको प्रथम नागरिक घोषित किया गया, प्रथम पुरुष घोषित किया गया जो हमारे हिन्दुस्तान के लिए एक गर्व की बात है।

सभापति महोदय, जब दलितों के उत्थान के लिए जिस प्रकार से गिरावट आती गयी या उत्थान में जिस प्रकार से समय लगता गया अन्तरराष्ट्रीय नेता स्व. श्रीमती इन्दिरा गांधीजी ने 10 साल के आरक्षण को आगे बढ़ाया, लेकिन देखा कि इसके बावजूद भी उत्थान नहीं हो पा रहा है, राजा-रजवाड़ों के राज कायम थे, समानान्तर एक राज चल रहा था, आज हम इस बात के लिए अहसानमंद हैं कि स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधीजी ने जो राजा-रजवाड़ों के नीचे या उनके रावलों के, आज भी मेरे बुजुर्ग यहां विराजमान हैं या गांवों के अंदर जब हम बात करते हैं या हमारे बुजुर्ग लोग-बाग जब बताते हैं कि गांव के रावलों के सामने से अनुसूचित जाति, जनजाति के समाज का व्यक्ति पांव में चप्पल पहन कर पांव में जूतियां

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

पहन कर रावलों के सामने से गुजर नहीं सकता था, घोड़ी पर नहीं बैठ सकता था। इस प्रकार के जो अत्याचार और अन्याय चला करते थे स्वर्गीय इन्दिरा गांधीजी ने इस बात को समझा और समझने के बाद में आपने देखा होगा सन् 1970 के अंदर स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी ने राजा-रजवाड़ों के राज खतम कर दिये, रावलों और गढ़ के राज खतम करके उनकी किलेबंदी कर दी। तब जाकर 10 साल का आरक्षण और बढ़ाया और अनुसूचित जाति, जनजाति समाज को राहत मिली।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बीसवीं शताब्दी के अंदर जब पूरे विश्व के अंदर इस बात का आकलन हुआ, इस आकलन के अंदर स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा गरीबों और दलितों को जो न्याय दिलाया और वर्षों से जो शोषित व दलित समाज था, जो राजा-रजवाड़ों से और अंग्रेजों के समय जो उनकी गुलामी करते हुए आया उन राजा-रजवाड़ों का राज खतम करने के कारण से ही पूरे विश्व के अंदर जब आकलन हुआ तो प्रथम महिला स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी को घोषित किया गया। यह हमारे लिए फख्र की बात है, अनुसूचित जाति, जनजाति समाज के लिए गर्व की बात है, पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए गर्व की बात है, अपने हिन्दुस्तान के लिए गर्व की बात है।

आदरणीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से इन्दिरा गांधीजी के बाद में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय स्वर्गीय राजीवजी गांधी ने भी उस पीड़ा को समझा। और समझने के बाद में कि अनुसूचित जाति, जनजाति समाज का किस प्रकार से विकास हो, तो उन्होंने देखा कि इसकी राजनीतिक रूप से दखलअंदाजी होना जरूरी है। उसे लेकर स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने हमें जिस गांव के अन्दर जिस चौपाल के सामने से गुजरने के लिए पाबंदी थी, राजीव गांधी ने वार्ड पंच से लेकर सांसद तक जो आरक्षण दिया, जो नौकरी से लेकर शिक्षा का आरक्षण दिया, उसी का परिणाम है कि उनके नेतृत्व के अन्दर 73वां और 74वां संविधान संशोधन पारित हुआ। और संशोधन पारित होने से, आज भी उनके आरक्षण के कारण से ही जिन गढ़ और रावलों के सामने शिड्यूल्ड कास्ट का आदमी नहीं गुजर सकता था, आज उसी गांव की वार्ड पंचायतों के अन्दर या वार्ड सभा के अन्दर या वार्ड के अन्दर और वहीं ग्राम पंचायत के अन्दर आज अनुसूचित जाति, जनजाति समाज का व्यक्ति आरक्षण के माध्यम से आज सरपंच बन कर, आज उसी गढ़ और रावलों के सामने बनी हुई चौपाल पर बैठ कर न्याय की बात करता है, गांव के विकास की बात करता है। यह राजीव गांधी की देन है, यह कांग्रेस पार्टी की देन है।

सभापति महोदय, इतना ही नहीं, राजीव गांधी के सपनों को साकार करने के लिए और बाबा भीमराव अम्बेडकर के सपनों को साकार करने के लिए जिस प्रकार से इस आरक्षण को लगातार कायम रखने के लिए

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री आदरणीय अशोक गहलोतजी ने जिस प्रकार से आरक्षण को बढ़ावा दिया है। अनुसूचित जाति समाज का जो 8 प्रतिशत आरक्षण था उसको बढ़ा कर 12 प्रतिशत आरक्षण किया, यह एक अनुसूचित जाति समाज के लिए आदरणीय अशोक गहलोत के प्रति हम आभार प्रकट करते हैं। उसी प्रकार से अनुसूचित जाति समाज को जो 6 प्रतिशत आरक्षण था उसको बढ़ा कर 12 प्रतिशत आरक्षण किया इसके लिए भी अनुसूचित जाति का समाज आदरणीय अशोक गहलोत साहब के प्रति आभार प्रकट करता है। इसी प्रकार से अन्य पिछड़ा वर्ग जिनका 21 प्रतिशत आरक्षण दिया, वह गहलोत साहब की मेहरबानी है, आदरणीय मुख्य मंत्रीजी की मेहरबानी है। उनके प्रति इसके लिए हम लोग आभार प्रकट करते हैं। साथ ही साथ में, मैं निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री आदरणीय अशोक गहलोतजी के नेतृत्व में एक नहीं, दो नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 150 नहीं, 200 से अधिक कल्याणकारी फैसले करके इस समाज को एक नई दिशा दी है। उसके अन्तर्गत आपने देखा होगा कि पूर्व में महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में गहलोत सरकार को हर मोर्चे पर सफल सरकार बताया है, उनके श्रीमुख से निकले हुए शब्दों पर हम लोग उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। साथ ही साथ, आदरणीय सभापति महोदय, आदरणीय अशोक गहलोतजी की सरकार किसान हितैषी सरकार है, कांग्रेस का किसान से गहरा रिश्ता है। कांग्रेस और किसान एक दूसरे के पूरक हैं। गहलोत सरकार ने हर वर्ग को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की है। साथ ही, सभापति महोदय, जिस प्रकार से गांव के अन्दर अन्तिम छोर पर किसान व्यक्ति वह चाहे अनुसूचित जाति का व्यक्ति हो, अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति हो, चाहे पिछड़ा वर्ग का आदमी हो, चाहे वह चयनित परिवार का व्यक्ति हो।

मोहम्मद माहिर आजाद : सभापति महोदय, कोरम नहीं है।

श्री सभापति : कोरम है।

मोहम्मद माहिर आजाद : कहां हैं 20 सदस्य? देखो न, गिनो आप।

श्री सभापति : इसकी जरूरत नहीं है, 20 हैं।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : इतना ही नहीं, सभापति महोदय, आदरणीय अशोक गहलोतजी के नेतृत्व में हर वर्ग को और गांव के अन्तिम छोर पर बैठे हुए उस किसान व्यक्ति को हर प्रकार की सामाजिक सुरक्षा प्रदान की गयी है। आदरणीय सभापति महोदय, अगर किसी किसान की खेत में काम करते हुए एक अंगुली कट जाती है तो आदरणीय गहलोतजी की सरकार उसको 1500 रुपये मुआवजा देती है और खेत में काम करते हुए उसकी दो अंगुलियां कट जाती है तो आदरणीय गहलोत सरकार उसको 3000 रुपये मुआवजा देती है।

मोहम्मद माहिर आजाद : सभापति महोदय, कोरम नहीं है, देखिये आप, आप गिन लो। कोरम नहीं है।

एक माननीय सदस्य : वह आ गये उधर।

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, कहां आ गये? गिन लीजिए नहीं है, कोरम नहीं हैं। कहां आ गये।

श्री हरिसिंह (महुवा) : 22 हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : कहां हैं 22 गिन लो न? सभापति महोदय, बड़े दुःख का विषय है कि आज समाज कल्याण विभाग की अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग की जब डिमाण्ड हो रही है तो सदन का आज कोरम नहीं है। यह हमारी मानसिकता को दर्शाता है। क्या स्थिति है। मैंने तो गिन लिया, आप अब लाये हैं पकड़ कर। बड़े दुःख की बात है (व्यवधान) एक भी नहीं है इसीलिए, कोई भी एक भी तो नहीं है।

डा. करण सिंह यादव : उनका तो ध्यान है ही नहीं, साफ दिखाई दे रहा है खाली सीटों पर।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह बड़े आश्चर्य की बात है, बड़े दुःख की बात है।

श्री परसादी लाल : बी.जे.पी. का एक भी सदस्य हाउस में नहीं है। बी.जे.पी. की मानसिकता ही खिलाफ है।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय सभापति महोदय, बड़ा गंभीर विषय है कि आज हम जिन दलितों की, शोषितों की बात करते हैं, आज कितना हमने उनको हल्केपन से लिया है, बड़े दुःख की बात है।

श्री सभापति : बहुत है, बहुत है।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं, आदरणीय अशोक गहलोत के राज के अन्दर किसी भी किसान भाई की, व्यक्ति की अगर अपने खेत में काम करते हुए और अगर उसकी पुली में 3 अंगुलियां कट जाती हैं तो साढ़े 4 हजार रुपये उसको मुआवजा राशि गहलोत सरकार देती है। इतना ही नहीं, अगर काम करते हुए उसका हाथ कट जाय तो आदरणीय गहलोत सरकार उसे 6 हजार रुपये मुआवजा देती है। सभापति महोदय, इतना ही नहीं, खेत पर काम करते हुए कोई भी किसान भाई की अगर आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो आदरणीय अशोक गहलोतजी की सरकार उसको 10 हजार रुपये मुआवजा देती है। सभापति महोदय, अगर कोई भी किसान भाई अपने खेत से लेकर कृषि उपज मण्डी तक अपनी फसल लेकर जाता है और बीच के अन्दर उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, तो राजस्थान की गहलोत सरकार उसको 25 हजार रुपये मुआवजा देती है। सभापति

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

महोदय, अगर किसी भी अज्ञात वाहन से अगर किसी भी व्यक्ति की....

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय सभापति महोदय, यह तो सारे 95 के बने हुए हैं भैरोंसिंहजी के शासन में, अब उन्होंने क्या दे दिया? कानून तो पहले बना था, मण्डी समिति का अब आज दे रहे हैं क्या? उसी का फालो कर रहे हैं। यह कोई नया कानून है क्या जो गहलोत सरकार ने बनाया है?

श्री हरिसिंह (महुवा) : 95 में आपने क्या किया, यह तो 98 में जीत कर आये हैं।

श्री हीरासिंह चौहान : यह बहुत पुराना कानून है और शुरू से मिल रहे हैं।

श्री हरिसिंह (महुवा) : यह तो 98 में जीत कर आये हैं, 95 में आपने क्या कर लिया....

श्री सभापति : माननीय हीरासिंहजी साहब, आपका नाम बोलने वालों में है। और जब आपका नम्बर आये, तब कह देना।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : माननीय सभापति महोदय, पहले कृषि उपज मण्डी से मात्र 10 हजार रुपये मिलते थे, यह 15 हजार रुपये आदरणीय अशोक गहलोतजी की सरकार ने बढ़ाया। इसके लिए पूरे किसान और पूरे राजस्थान की जनता उनके प्रति आभार प्रकट करती है। सभापति महोदय, इतना ही नहीं, अगर किसी भी व्यक्ति की अज्ञात वाहन से भी टक्कर हो जाय और उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाय तो आदरणीय अशोक गहलोतजी द्वारा तोषण निधि के माध्यम से 25 हजार रुपये उसको मुआवजा राशि देती है। तो राजस्थान में तमाम् जो पिछड़ा वर्ग, जो अनुसूचित जाति, जनजाति व बी.पी.एल. फैमली में जो भी चयनित परिवार के व्यक्ति हैं उनको हर प्रकार से दो सौ कल्याणकारी फैसलों के मार्फत उनको हर प्रकार की सुविधाएं और हर प्रकार की उनकी सामाजिक सुरक्षाएं प्रदान की गयी हैं। यह आदरणीय अशोक गहलोतजी के प्रति राजस्थान की जनता आभार प्रकट करती है।

माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से चिकित्सा में 23 लाख मेडिकेयर रिलीफ कार्ड बांटे गये उसके माध्यम से अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के बी.पी.एल. के लोग-बाग आज लाभान्वित हो रहे हैं। चाहे वह किसी भी असाध्य रोग से पीड़ित हो, चाहे वह टी.बी. का रोगी हो, चाहे वह हार्ट का रोगी हो, चाहे उसके हार्ट का वाल्व बदलना हो, चाहे उसके हार्ट की बाइपास सर्जरी करानी हो, चाहे गुर्दे का प्रत्यारोपण कराना हो अगर पीले कलर का फार्म भरकर मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष के अन्दर यह मांग करता है तो उसको निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था मिलती है। यह आदरणीय अशोकजी की देन है।

आदरणीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से कल ग्रामीण विकास विभाग पर चर्चा हो रही थी उसके साथ ही साथ, आज यह

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

सामाजिक सुरक्षा का मामला है, जो पूरे राजस्थान से जुड़ा हुआ मामला है। पूर्ववर्ती सरकार ने एक बनिये की दुकान खोल रखी थी कि लाओ दो लाख रुपये तो प्राइमरी से उच्च प्राथमिक विद्यालय के अन्दर हम लोग क्रमोन्नत कर देंगे, लाओ 5 लाख रुपये तो हम माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत कर देंगे। सभापति महोदय, गांव के अन्दर हम दौरा करते हैं तो पिछली सरकार ने जिस प्रकार से शिक्षा कों गिरवी रख रखा था, बच्चों के भविष्य को खराब कर रखा था। आदरणीय अशोक गहलोतजी ने पूरे राजस्थान के अन्दर शिक्षा का अलख जगाया, हजार नहीं, दो हजार नहीं, दस हजार नहीं, सोलह हजार राजीव गांधी पाठशालाएं गांव के अंतिम छोर पर बैठे हुए उस किसान व्यक्ति के बच्चों को साक्षर करने के लिए वहीं के 40 बच्चों के साथ बैठकर, वहीं गांव का मास्टर लगाकर उन बच्चों को साक्षर किया जा रहा है। इसको अशोक गहलोतजी द्वारा बनाया हुआ है जो दो सौ से अधिक कल्याणकारी फैसलों की क्रियान्विति का लाभ उस गांव के अन्तिम छोर पर बैठे हुए किसान व्यक्ति को मिले, यह आदरणीय अशोक गहलोत की देन है।

सभापति महोदय, गांव के अन्दर नागरिक अधिकार पत्र जारी किया गया है। यह नागरिक अधिकार पत्र की क्रियान्विति तभी हो सकती है जब पूरे राजस्थान के अन्तिम छोर पर बैठा हुआ हर बच्चा साक्षर बनेगा ताकि उस अधिकार पत्र की जानकारी वह अपने बूढ़े मां-बाप को देकर और राजस्थान के कल्याणकारी फैसलों की क्रियान्विति का लाभ अपने माता-पिता को दिलवा सके।

सभापति महोदय, जिस प्रकार से नामान्तरण की बात है। हर प्रकार से नागरिक अधिकार पत्र के माध्यम से ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पटवारी को पाबन्द किया गया है कि गांव के अन्दर ही बैठकर वह वहां नाम नामान्तरण खोलेगा व जमाबन्दी देगा। वहीं गिरदावरी रिपोर्ट देगा। सभापति महोदय, उसके अन्दर समय सीमा भी बांधी गयी है। अगर 15 दिन में पटवारी रिपोर्ट नहीं देता है तो 30 दिन के अन्दर वहां के तहसीलदार को देनी पड़ती है। अगर तहसीलदार भी 30 दिन में आनाकानी करता है तो 45 दिन में उप खण्ड अधिकारी को जमाबन्दी गिरदावरी देनी पड़ती है। इतना महत्वपूर्ण फैसला अशोक गहलोतजी की सरकार ने किया है। आदरणीय सभापति महोदय, ग्राम पंचायत मुख्यालय को एक मिनी सचिवालय का रूप दिया गया है और उसके अन्दर ग्राम सचिव तैनात करके उसे पाबन्द कर दिया गया है कि 10 बजे से लेकर 5 बजे तक ग्राम पंचायत उसी तरह खुली रहनी चाहिए जिस तरह जयपुर का सचिवालय खुला रहता है। आदरणीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से इस मांग के आधार पर—

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप अशोकजी गहलोत पर भाषण दे रहे हैं या कोई समाज कल्याण पर दे रहे हैं?

श्री बाबूलाल सिंगारिया : समाज कल्याण की बात है। अशोक गहलोतजी के 200 से अधिक फैसलों की क्रियान्विति गांव के अंतिम छोर पर बैठे हुए किसान को मिलती है, उसकी जानकारी दे रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, कांग्रेस, पार्टी के लोग कितने गम्भीर हैं, उन लोगों के प्रति कितने चिंतित हैं, आज उनकी मांग पर बहस चल रही है और उपस्थिति देख लीजिये। कांग्रेस के लोग कितने गम्भीर हैं कि जिन लोगों के नाम पर चुनाव की वैतरणी पार करके यहां पधारते हैं, संख्या देख लें आप। और आप यह + + + बंद करो।

श्री संयम लोढ़ा : आपको तो नींद में से मैं उठाकर लाया हूं और आप कहते हैं कि कांग्रेस के लोग नहीं हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हम तो खुद जानबूझकर देख रहे थे कि आप कितने हो।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : सभापति महोदय, इतना ही नहीं, गरीबों के, अनुसूचित जाति, जनजाति के विकास के लिए स्वर्गीय इन्दिरा गांधीजी ने—

श्री महेश जोशी : आपको तकलीफ अशोक गहलोतजी से है या इनके भाषण से है? आपने तो अपनी कोशिश करके देख ली। आप जानबूझकर सदन से बाहर रहे कि कोरम अधूरा रह जाए। आपकी कितनी चिंता है यह इस बात से जाहिर होती है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह आपकी फेल्योरनैस है उप मुख्य सचेतकजी। आपके 10 से ऊपर सदस्य रहते नहीं हैं और हमें कहते हो कि यह जिम्मेदारी आपकी है।

श्री महेश जोशी : हमारी फेल्योरनैस नहीं है। आपने षड्यंत्रपूर्वक एक साजिश रची कि इतनी गम्भीर बहस खतम हो जाए। आप इस सदन से भागना चाहते थे।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हम सदन से भागना नहीं चाहते।

श्री महेश जोशी : आपकी तो आदत है भागने की। आप जाते हो और वापस आ जाते हो भागकर। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हम तो आपकी कलई खोलना चाह रहे थे कि आप कितने गम्भीर हैं।

श्री महेश जोशी : यह आपकी बहुत पुरानी आदत है भागने की, राठौड़ साहब।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, इस बात को ध्यान में रखा जाए कि सदन में कोरम बनाये रखने की जिम्मेदारी दोनों पक्षों की है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है। इसलिए आम तौर पर जब तक कि कोई ऐसी बात नहीं हो तब तक

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री सभापति)

इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कोरम का बहुत कम मामला उठाया जाता है। (व्यवधान) तो चूंकि पूरा सदन ही भाग ले रहा है तो बहुत कम केसेज में कोरम का प्रश्न उठाया जाता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं तो इनके लखण बता रहा हूं, कोरम की बात ही नहीं है। ये कितने गम्भीर हैं, गरीबों के लिए उनके नाम से वोट ले लेते हैं। देखो आप उपस्थिति।

श्री सभापति : मान्यवर, आपने यह कहा है कि कोरम बनाये रखने की जिम्मेदारी उनकी है।

श्री महेश जोशी : आप तो अमीरों के नाम से वोट लेते हो।

श्री सभापति : मैं यह कह रहा हूं कि कोरम बनाये रखने की जिम्मेदारी दोनों पक्षों की है। हां पक्ष और विपक्ष, दोनों की जिम्मेदारी है।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं, 200 कल्याणकारी फैसलों की क्रियान्विति के लिए 90 हजार वार्ड पंचों को अधिकार दिया गया ताकि उनके माध्यम से गांव के अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को उसका लाभ मिल सके। इसके लिए आदरणीय सी.पी. जोशी साहब का हम लोग हृदय से आभार प्रकट करते हैं। पूरे राजस्थान की जनता उनके प्रति आभार प्रकट करती है कि 90 हजार वार्ड पंचों को उन्होंने अधिकार देकर के 200 से अधिक कल्याणकारी फैसलों की क्रियान्विति करवाई है।

सभापति महोदय, जिस प्रकार से 20 सूत्री कार्यक्रम के मार्फत अनुसूचित जाति और जनजाति समाज का कल्याण हो रहा है और उसके अन्तर्गत उसी बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत 15 सूत्री कार्यक्रम को प्रायोरिटी के तौर पर तय करके राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री आदरणीय अशोक गहलोतजी ने अपनी संवेदनशीलता का परिचय दिया है। सभापति महोदय, साथ-साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय, जिस प्रकार राजस्थान की राजधानी जयपुर के अन्दर झालाना डूंगरी के अन्दर....

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, समय आपका डिबेट का हो गया है।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : एक मिनट, सभापति महोदय, मैं तो दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

श्री सभापति : मुख्य सचेतक महोदय का सुझाव है कि सदन की कार्यवाही पांच बजे तक चलेगी जिसमें मंत्री महोदय का जवाब भी होगा।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं, सभापति महोदय। माननीय मंत्री महोदय, जिस प्रकार राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर झालाना डूंगरी में आपका छात्रावास बनकर कम्पलीट है। आदरणीय हरिदेवजी जोशी के टाइम में उसका निर्माण हुआ था। मैं आपको

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

निवेदन करना चाहूंगा कि दूर-दराज के और ग्रामीण क्षेत्र से जो आर.ए.एस. और आर.पी.एस. और अन्य प्रतिस्पर्धा में जो भाग लेने के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति के आदमी जयपुर पधारते हैं, मैं चाहता हूं कि उस छात्रावास को खोला जाए ताकि इसका लाभ अपने अनुसूचित जाति, जनजाति के समाज के लोगों को मिले।

साथ ही मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि केकड़ी के अन्दर छात्रावास का जो भवन है....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : उस भवन के अन्दर 60 बच्चों की स्वीकृति है लेकिन उसके अन्दर भवन के अभाव के कारण से मात्र 25 बच्चे अध्ययनरत हैं और इस चीज को आप भी भली-भांति जानते हैं कि शहर के अन्दर या गांव के अंदर अनुसूचित जाति, जनजाति समाज के लिए किसी भी प्रकार से अपना भवन किराये पर देने के लिए कोई भी कुंठाग्रस्त आदमी तैयार नहीं होता, वह नहीं देता। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसके लिए आप भवन जरूर बनायें।

साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माडा योजना के अंतर्गत मेरे क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा एस.टी. बैल्ट के लोग रहते हैं इसलिए मैं चाहूंगा कि बासला या चौसला नापाखेड़ा के अन्दर भी आपने जो बजट में प्रावधान किया है, वहां पर भी अगर आप छात्रावास खोलेंगे तो मैं समझता हूं कि अनुसूचित जाति, जनजाति का समाज आपके प्रति आभार प्रकट करेगा।

साथ-साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आदरणीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोतजी की सरकार ने छात्रवृत्ति 360 से 675 रुपये बढ़ायी है इसके लिए भी अनुसूचित जाति का समाज उनके प्रति आभार प्रकट करता है।

सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत यह निवेदन करना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति, जनजाति के आयोग के गठन के सम्बन्ध में आज जिस प्रकार से राजस्थान के अन्दर अनुसूचित जाति, जनजाति के समाज का राष्ट्रीय स्तर पर तो गठन है उस प्रकार से अल्पसंख्यक आयोग का भी वहां पर गठन है और राज्य स्तर पर अल्पसंख्यक आयोग का गठन हो गया है लेकिन अनुसूचित जाति आयोग का गठन नहीं हुआ है। अनुसूचित जाति आयोग के गठन के अन्दर पिछली बार फैसला लिया गया है, मंत्री महोदय, इसके अन्दर आप भी मैम्बर हैं, आप जरा इसकी क्रियान्विति करवायें ताकि अनुसूचित जाति, जनजाति के अधिकारियों और कर्मचारियों को इसके मार्फत लाभ मिले। इसके मार्फत उनको संरक्षण मिले। जिस प्रकार से पदावनति का प्रकरण चल रहा है उसके अंदर भी, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि उसके अन्दर भी आप संरक्षण प्रदान करके उनको ज्यादा से ज्यादा राहत दिलवायें और अनुसूचित जाति आयोग का गठन करके

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

उनको संवैधानिक दर्जा भी दिलवायें। यह मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है। धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री सभापति : श्री माहिर आजाद।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय सभापति महोदय, आज यह सदन.....

श्री सभापति : आपके भाषण में भी समय सीमा है, मान्यवर।

मोहम्मद माहिर आजाद : टाइम बता दें उतने टाइम में खतम कर दूंगा।

श्री सभापति : 10 मिनट में समाप्त करें।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : 15 मिनट। माननीय सभापति महोदय, आज यह सदन उन शोषित दलितों और पिछड़े समाज की मांगों और समस्याओं के सम्बन्ध में विचार कर रहा है। यह सही है कि एक जमाना डाक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फूले, साहूजी महाराज के समय का था जब दलित वर्ग के व्यक्ति को अपने मुंह के ऊपर मटका या हांडी लगाकर चलना पड़ता था। उसको हाथ में थाली और चम्मच बजाते हुए चलना पड़ता था। उसको अपनी पीठ के पीछे झाडू बांधनी पड़ती थी। मुंह पर मटका इसलिए लगाता था कि उसका निकला हुआ सांस किसी सवर्ण जाति के व्यक्ति के सांस में दूषित तरीके से प्रवाहित नहीं हो जाए। वह थाली इसलिए बजाते हुए चलता था कि कोई उससे भिड़ न जाए, लोग रास्ता दे दें और वह वहां से निकल जाए और उसके पीछे झाडू इसलिए बंधी हुई होती थी कि उसके पदचिन्ह झाडू से मिटते चले जाएं, उस पर किसी दूसरे के पांव नहीं पड़े। एक यह स्थिति थी। यह बात सही है कि उस समय में और आज के समय में काफी सुधार हुआ है लेकिन फिर भी माननीय सभापति महोदय, दलित समाज के लोगों को...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह कौनसे जमाने की बात है? औरंगजेब के जमाने की बात है शायद।

मोहम्मद माहिर आजाद : डाक्टर अम्बेडकर और महात्मा ज्योतिबा फूले की है और आप तो ऐसा कराते थे इसलिए आप इस पर मत बोलिये। यह तो सामंतशाही के समय की बात है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ये सारी बातें मुगलकालीन समय की हैं न? मुगल सल्तनत के समय की बात है न?

मोहम्मद माहिर आजाद : समाज कल्याण मंत्रीजी से पूछ लीजिये कि यह सही है या गलत।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, यह सारी की सारी व्यवस्था का जिक्र माननीय सदस्य कर रहे हैं, यह मुगलकालीन समय की बात है।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह हकीकत है, आप इसको मजाक बनाने की बात कर रहे हैं।

श्री सभापति : वह पुरानी बात बता रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मुगलकालीन न ?

श्री सभापति : कोई भी हो लेकिन वे बता रहे हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सदस्य, मुगलकाल के पक्षधर नहीं हैं क्या ?

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय सभापति महोदय, वह एक कहावत है कि किसकी दाढ़ी में तिनका, इसलिए वह कहावत चरितार्थ मत करिये आप। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जरा गंभीरता से इस बात को सोचें।

श्री महेश जोशी : आपने दाढ़ी तो कटवा दी पहले ही।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैंने कभी रखी ही नहीं। ये मनुवादी लोग, आज दायमाजी यहां नहीं हैं, नहीं तो वे आपको चुप कर देते। मैं अच्छा नहीं समझता कि ऐसी बात कहूं। इसलिए आप कृपया इस बात को ध्यान से सुनिये।

श्री सभापति : प्लीज कंटीन्यू। बोलिये आप।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह समय निकल जाएगा इसमें से। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आज वह स्थिति तो नहीं है लेकिन आज भी जो सुविधाएं इन पिछड़े वर्ग और दलित वर्ग के लोगों को मिलनी चाहिए थीं जिसके ये वाजिब हकदार थे वे सुविधाएं हम आजादी के 53 साल बीत जाने के बाद भी इनको मुहैया नहीं करा पाये हैं। आज भी दलित वर्ग के दूल्हे को घोड़ी से उतारने की घटनाएं आये दिन हमारे प्रकाश में आती हैं। आज भी दलित वर्ग का, पिछड़े वर्ग का व्यक्ति जो कुआं खोद करके, चुनाई करके कुएं का निर्माण करने का काम करता है,— जब कुएं से पानी चू जाये तो उसी को कहा जाता है कि तेरे चढ़ने से यह कुआं अपवित्र हो जायेगा। आज भी मंदिर निर्माण का काम कोई उच्च जाति के लोग नहीं, आपके दलित वर्ग के और ओ.बी.सी. के लोग नींव खोदने का काम बैरवा, रैगर और खटीक समाज के लोग करेंगे और उस पर चुनाई का काम कुम्हार, सुथार, दूसरे जो ओ.बी.सी. के लोग हैं, वे करेंगे। जब मंदिर बनकर तैयार हो जायेगा और ठाकुरजी उसमें बिराज जायेंगे तो उसको कहा जायेगा कि "नेड़े आने की जरूरत कोनी भाया, दूर सूं ही दर्शन कर ले, थारूं तो ठाकुरजी बियां ही राजी हैं।" आज यह स्थिति है। इसलिए मैं माननीय समाज कल्याण मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आज दलित वर्गों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, जो उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं। दलित वर्गों की महिलाओं, मां और बहनों के साथ जो बलात्कार हो रहे हैं, आपका यह कर्तव्य बनता है कि आप उनको न्यायिक अधिकार दिलवायें। आज दिन इसमें से तीन चौथाई मुकदमे अदम पैरवी और गवाहों के अभाव के अन्दर और साक्ष्यों के अभाव में खारिज हो जाते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि समाज कल्याण विभाग की तरफ से

(मोहम्मद माहिर आजाद)

एक ऐसा एडवोकेट पैनल्स बनाया जाये जो इस दलित वर्ग पर होने वाले अत्याचारों की पैरवी करे, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, आज स्थिति देखिये। राजस्थान की आबादी का 21 प्रतिशत एस.सी., एस.टी. और पिछड़ा वर्ग है और छात्रावासों की स्थिति क्या है। आज आपके राजकीय छात्रावासों में 17896 विद्यार्थी और निजी अनुदानित संस्थाओं के अन्दर 21,000 क्या यह काफी हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। यह संख्या बहुत कम है इसकी आबादी को देखते हुए। मैं मेरे निर्वाचन क्षेत्र का भी उदाहरण आपको दे रहा हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में दो समाज कल्याण विभाग के छात्रावास हैं। एक कस्बा नगर में और एक सीकरी में। दोनों में 25-25 की छात्र संख्या आपने तय कर रखी है। अभी आप स्वयं नगर गये थे और आपने देखा भी है और आपने वहां 40 की घोषणा की गई थी लेकिन आज तक उसके आदेश नहीं निकले और आखिर आपके वह बनाये हुए कानून, नियम, कायदे, जो इस दलित और शोषित और पिछड़े समाज के लिए हैं, उनकी सफल तरीके से क्रियान्विति होनी चाहिए, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आज राजकीय छात्रावासों की स्थिति क्या है। आप चाहें नगर को ले लें। मुझे पिछली दिनों चूरू से आने वाले माननीय सदस्य के चूरू जाने का मौका मिला और मैं वहां चूरू के समाज कल्याण छात्रावास को देखने गया। वहां पर जो हमारे दल के लोग हैं, हमारे वर्ग के लोग हैं, उन्होंने एक सभा वहां रखी थी। माननीय सभापति महोदय, खिड़कियां नहीं हैं, दरवाजे नहीं हैं और जो तख्ता है, कुलमिलाकर एक तख्ता, वह भी टूटा हुआ था, एक तरफ से नीचे झुक रहा था। गद्दों की स्थिति यह थी कि कोई भी आदमी बैठ नहीं सकता। चूरू से आने वाले माननीय सदस्य, आपको शायद समाज कल्याण छात्रावास चूरू में देखने का मौका नहीं मिला होगा, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जरा जाकर देखिये, आप भी पांच साल तक मंत्री रहे हैं और आपके छात्रावास की स्थिति क्या है और छात्रावास के बाहर कीकर के पेड़ हैं, वहां इतना कचरे का ढेर लगा हुआ था, कचरा भरा पड़ा था। किस तरह की नारकीय जिंदगी आज हमारे दलित समाज के छात्रावास में बिता रहे थे। वे अपना समय इन चीजों में लगाएंगे या अपने अध्ययन के लिए लगाएंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आपके इस बजट के अन्दर जो 20 लाख रुपये का प्रावधान छात्रावासों के रख रखाव और मरम्मत के लिए किया है। पिछले साल भी आपने 20 लाख रुपये का प्रावधान किया था। आप इसमें एक लाइन लिखकर बरी हो गये कि हमने यह राशि समाज कल्याण विभाग को दे दी लेकिन आप जरा यह तो बतायें कि समाज कल्याण विभाग ने इसमें से खर्च कितनी की। कौन-कौनसी छात्रावास की आपने रिपेयर कराई और रंगाई-पुताई कराई, सफाई कराई, क्या मरम्मत कराई, क्या काम

(मोहम्मद माहिर आजाद)

कराया। केवल प्रावधान रख दें, उसके बाद उस पर खर्च नहीं हो और उसी 20 लाख रुपये को आप फिर इस साल में काम में ले लें या आपने इसमें नया प्रावधान किया है, यह मैं आपसे जानना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरीके से जनजाति क्षेत्रीय विकास की बात, हमारी कल्पना यह थी कि यह पैसा दुर्लभ पहाड़ियों में बैठे हुए आदिवासी और भील, जहां कोई पहुंच नहीं सकता, वह अपनी सांस्कृतिक धरोहर और संस्कृति को कायम रखने के लिए आज भी जंगल के अन्दर और दूसरे दूर-दराज के इलाकों में रह रहा है, क्या आपकी उन योजनाओं का लाभ उनको मिल पा रहा है या नहीं, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं। इन योजनाओं का लाभ उन्हीं सम्पन्न लोगों को जो नेताओं के, अधिकारियों के इर्द गिर्द घूमते हैं, उन्हीं को इन योजनाओं का लाभ मिलता है। इसलिए मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं कि इसके वास्तविक हकदार लोग जिन्होंने शहर भी नहीं देखा, जिनके पास पहनने के लिए लंगोटी नहीं, धोती नहीं, जिनके पांच परिवारों में खाने के लिए एक बरतन है, जिनके पूरे खानदान के अन्दर एक बैलों की जोड़ी है जिससे खेती करते हैं, जो मक्की को भी पीसकर, पानी में भिगोकर खाने का काम करते हैं, मुझे दूर दराज के बांसवाड़ा और डूंगरपुर के आदिवासी क्षेत्रों में जाने का मौका मिला। उनकी क्या स्थिति है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इनका लाभ उन लोगों को मिल रहा है या नहीं, यह मेरा आपसे आग्रह है। मैं यह भी आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि समाज कल्याण विभाग के छात्रावास हैं, उनके नाम अगर हमारे महापुरुषों के नाम पर, डाक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर, महात्मा ज्योतिबा फूले के नाम पर, साहूजी महाराज के नाम पर, पेरियारजी के नाम पर, इन लोगों के नाम पर, जैसे उत्तर प्रदेश में आदरणीया बहन मायावतीजी जब मुख्य मंत्री थीं, उनको अवसर मिला, आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि इन्होंने उन महापुरुषों के नाम पर विश्वविद्यालयों की स्थापना की। डाक्टर भीमरावजी अम्बेडकर के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाई। उन्होंने ज्योतिबाजी फूले के नाम पर कानपुर में यूनिवर्सिटी बनाई। उन्होंने जिलों के नाम, इनके नाम पर महात्मा बुद्ध के नाम पर और इनके नाम पर रखने का काम किया है तो राजस्थान में भी छात्रावास तो आपके हैं ही, उनके नाम पर अगर आप छात्रावासों का नाम रखेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को उसका लाभ मिलता रहेगा।

माननीय सभापति महोदय, आपने यह जो प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, मैं जरा संक्षेप में इसके बारे में आपसे निवेदन करना चाहता हूं। अभी बहरोड से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, आज वही की वही स्थिति है जो आपके सामने है। आपके इसमें लिख दिया कि "राजस्थान में अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड राज्य में अल्पसंख्यक वर्ग के आर्थिक उत्थान के लिए राष्ट्रीय

(मोहम्मद माहिर आजाद)

अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड से रियायती दरों पर ऋण प्राप्त कर योजनाओं के संचालन हेतु राज्यादेश दिनांक 19.4.2000 द्वारा राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, जयपुर का गठन कर दिया गया है और 29 मई, 2000 को राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत उसका पंजीकरण भी करा लिया गया है। "माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय समाज कल्याण मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में अल्पसंख्यक वित्त विकास सहकारी निगम लिमिटेड है क्या? अगर है तो कहां इसका कार्यालय है, कौन इसके अध्यक्ष हैं, कौन इसके पदाधिकारी हैं, कितना इसका बजट है, कौनसी बैंक में इसका खाता है? यह सरासर असत्य कथन आपने किया है। एक-डेढ़ साल बीत जाने के बाद भी व्यवहारिक रूप से आज तक अल्पसंख्यक वित्त विकास सहकारी निगम लिमिटेड, राजस्थान में अमली रूप में नहीं आया है और यही स्थिति राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम की है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम आप पर ही भरोसा करते हैं। राजस्थान की जनता ने बदलाव किया था, आपसे पिछड़े वर्ग को और अल्पसंख्यकों को, दलितों को बहुत आशाएं और अपेक्षाएं थीं, आपको उनकी कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। अभी पिछले दिनों मैंने मुस्लिम प्रोग्रेसिव फ्रंट के नाम से रामलीला मैदान में एक बड़ा अल्पसंख्यक सम्मेलन किया था। उसमें अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब कारी मोहम्मद मियां मजहरी साहब आये थे। उनकी माननीय मुख्य मंत्रीजी से, आपके साथ भी बातचीत हुई थी और उस समय मुख्य मंत्रीजी ने लिखित में यह समझौता किया था कि एक मई से राजस्थान में माइनोरिटीज फाइनेंशल डवलपमेंट कारपोरेशन काम करना शुरू कर देगा। आज वह एक मई भी निकल गई। सभापति महोदय, आखिर इन घोषणाओं का, इन समझौतों का और इस फैसलों का क्या होगा? इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, निहायत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि आप फौरन राजस्थान में अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम और अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम को क्रियान्वित करें, उसको लागू करें और उसको सही तरीके से आप बनायें।

मैं अंत में सभापति महोदय, आपके माध्यम से कुछ सुझाव आपको देना चाहता हूं। आज क्या स्थिति है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग बन गया लेकिन आप राजस्थान में सफाई कर्मचारी आयोग नहीं बना रहे हैं। क्यों भाई? आप मुझे एक बात बतायें। सफाई का काम भी आप दूसरे लोगों को देना चाहते हैं? क्या पूजा का काम आप किसी दूसरे वर्ग को दे सकते हैं, फिर सफाई का काम दूसरे लोगों को देने का आपको हक कैसे है? आपसे मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य में भी सफाई कर्मचारी आयोग बनाया

(मोहम्मद माहिर आजाद)

जाये। दूसरा मेरा आपसे निवेदन है कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम बन गया लेकिन राजस्थान के अन्दर आपने राज्य सफाई कर्मचारी वित्त आयोग का गठन अभी तक नहीं किया है। तीसरा निवेदन आपसे करना चाहता हूं, सफाई कार्य को आप ठेकेदारी पर क्यों देना चाहते हैं? आप ठेकेदारी प्रथा खतम कीजिये। ठेके पर देने के बजाय आप सफाई का काम करने वाले लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, उनके यहां, जैसा अभी केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि आप उनमें जो बी.पी.एल. के लोग हैं, जिनको खाने के लिए रोटी नहीं है, रोजी नहीं है, सिर छुपाने के लिए जिनके पास मकान नहीं है, आज भी फुटपाथ पर बस्तियां बसती हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि आप उनको इसकी मुक्ति दिलाने के लिए, उन्हीं लोगों से इसका काम कराएं। राजस्थान में एस.सी., एस.टी. आयोग अभी तक आपने घोषणा तो कर दी लेकिन इसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य आपने अभी तक नहीं बनाये हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है माननीय समाज कल्याण मंत्री महोदय, आप बहुत अनुभवी हैं, आपको संसद से लेकर सरकार तक और दलित से लेकर पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों तक की सारी समस्याओं का ज्ञान है इसलिए गम्भीरता से आप इस पर काम करेंगे, ये मैं आशा और विश्वास करता हूं। अंत में कुछ शेर सुनाकर इस दलित समाज के ऊपर अपनी बात खतम करना चाहता हूं।

(16.00 बजे)

एक शायर ने सही कहा है।

"आ मरकजे खयाल में मेरे समा के देख,
तुफां उठ रहे हैं यहां किस बला के देख।

मुफलिस की बेबसी का तसब्बुर बना के
देख, ठहाकों के दर्द से तू कभी
तिलमिला के देख।

और क्या-क्या मुसीबतें हैं एस.सी., एस.टी. के
घर पर जाकर देख।

दौलत लूटा रहा है बज्मे शराब में, दलित की
तरह तू कभी पसीना बहा के देख।

क्या-क्या मुसीबतें हैं एस.सी., एस.टी. के
घर पर जाकर देख।

करके लिबास, यानि कोट-पेंट।

करके लिबास में भी तुझे लग रही है ठंड,
नंगे भी कुछ बदन हैं, निगाहें उठा के देख।

फुटपाथ के करीब भी बसती है जिंदगी, आज
भी लोग फुटपाथ और जमीन पर सोते हैं,
फुटपाथ के करीब भी बसती है जिंदगी,
महलों के अपने रेशमी परदे उठा के देख।
क्या-क्या मुसीबतें हैं एस.सी., एस.टी. के
घर पर जाकर देख।

श्री राजेन्द्र पारीक : आपको इतना लम्बा भाषण देने की जरूरत ही नहीं थी। जयहिन्द।

श्री सभापति : श्री शंकरलाल अहारी।

श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी) : सभापति महोदय, आज मांग संख्या 30 और 33 पर चर्चा हो रही है जिसमें मैं भी

(श्री शंकरलाल अहारी)

अपने विचार रखूंगा और मैं कुछ अतीत की ओर आपको ले जाना चाहूंगा।

सभापति महोदय, जब हमारा देश आज़ाद हुआ और आजादी के बाद में जिन नेताओं के सानिध्य में हम लोगों की रक्षा की गई, उन नेताओं को हम भूल नहीं सकते। महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरू, डाक्टर अम्बेडकरजी और अन्य कई महात्मा और महान पुरुष पैदा हुए जिनकी अगुवाई के, जिनके सानिध्य में हम लोगों को आगे बढ़ाया गया। हमारी अंगुली पकड़ी और अंगुली पकड़ करके हमको इस पथ पर चलना सिखाया। मैं कांग्रेस के उन तमाम् हमारे राजनेताओं का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने आज हमको बोलता किया, जिन्होंने हमको इस विधान सभा में खड़ा होने का, विधान सभा में आने का और हमको विचार रखने का मौका दिया। मैं अत्यन्त आभारी हूं हमारी कांग्रेस की सरकार का, उन लोगों का जिन्होंने आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और अन्य ऐसे कार्यक्रम दिये जिससे कि हम आगे बढ़ सके। मैं मानता हूं कि आदिवासी समाज, जनजाति समाज के लोगों की पहले रहने की क्या स्थिति थी, खाने की स्थिति नहीं थी, पहनने की स्थिति नहीं थी। यह निश्चित है कि हमने कई विपदाएं देखीं, कई मुसीबतें देखीं और उन मुसीबतों का सामना करते हुए हम आज आपके बीच में आ करके अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। मैं माननीय हमारे मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि आपने महाराष्ट्र पैटर्न को यहां ला करके जनजाति क्षेत्रीय विकास की योजना से जोड़कर हम लोगों को सर्वांगीण विकास की ओर आगे बढ़ाने का एक साहस और हिम्मत दी। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा और उनका आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे लोगों के दिलो-दिमाग में जो सोच है गरीब को आगे बढ़ाने के लिए, आगे ले जाने के लिए, यह मैं मानता हूं कि हमारे मुख्य मंत्रीजी राजस्थान के उन लोगों में से एक है जिन्होंने हम लोगों की सारी जो सुख सुविधाएं हैं, कल्याणकारी योजनाओं से इन्होंने हमको जोड़ा है, मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। इनके साथ-साथ हमारे जनजाति क्षेत्रीय मंत्री को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने प्रबल विचार करते हुए इस प्रकार के कार्यक्रमों को हाथ में लिया है जो आने वाले...

श्री नन्दलाल मीणा : बैरवा साहब को, दयारामजी को....

श्री शंकरलाल अहारी : नहीं, मैं पूर्व मंत्रीजी को भी धन्यवाद देता हूं।

श्री नन्दलाल मीणा : नहीं, इन दोनों मे से फैसला करो।

श्री शंकरलाल अहारी : पूर्व मंत्रीजी को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने वास्तव में हम लोगों को बुला करके, बैठा करके और जहां-जहां ले जाना पड़ता था वहां ले जा करके आपने आदिवासी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए जो बात उठाई थी, एक अहम् मुद्दा उठाया था, वह आज वास्तव में साकार हुआ है। तो मैं वर्तमान हमारे दयारामजी परमार साहब को और

(श्री शंकरलाल अहारी)

हमारे मंत्रीजी बनवारी लाल बैरवा साहब को भी धन्यवाद दूंगा कि आपने महाराष्ट्र पैटर्न को लागू करके हमारी हिम्मत और हौसले को बढ़ाया है।

माननीय, आपने जनजाति क्षेत्र के विकास के लिए जनजाति विभाग की स्थापना की, जनजाति विकास के लिए भारतीय संविधान में विशेष प्रावधान भी रखा है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा 1975 में जनजाति विकास की स्थापना की गई। जो आपने इसलिए की कि इस जनजाति बाहुल्य आदिवासी क्षेत्र का जो विकास है, वह अन्य विभागों के साथ में जोड़ कर जो रहा था, तो क्यों नहीं इस विभाग को एक अलग से कायम किया जाय जिससे कि आदिवासी का विकास चहुंमुखी हो सके। यह आपका एक बहुत बड़ा सोच था और उस सोच के साथ उसकी स्थापना की गई। राज्य के दक्षिणी-पूर्वी क्षेत्र में स्थित पांच जिलों में 23 पंचायत समितियां इसमें आती हैं और 23 पंचायत समितियों में यह आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र मिलाकर निर्मित किया गया है, जो 1991 की जनगणना के अनुसार इस क्षेत्र की जनसंख्या 35.19 लाख है जिसमें जनजाति की संख्या 24 लाख के लगभग है। यह जाति पांच जिलों में निवास करती है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़, सिरोही और आबूरोड। इस जाति में भील समुदाय के लोग होते हैं, मीणा समुदाय के लोग होते हैं, गरासिया समुदाय के लोग होते हैं और डामोर समुदाय के लोग होते हैं। इनका सभी प्रकार का रहन-सहन कोई अलग नहीं है, एक जैसा है, शादी का क्या और अन्य मामलों में भी क्या, हमारा रहन-सहन, खान-पान कोई अलग नहीं है। यह निश्चित है कि हम लोग जो पहले दारू और मांस का सेवन करते थे, आज हम लोगों ने, हम कह सकते हैं कि दारू और मांस को छोड़ दिया और हम बिलकुल शुद्ध शाकाहार की ओर आगे बढ़े हैं तो निश्चित ही हमारे समाज का विकास हुआ, समाज की प्रगति हुई और दिन प्रतिदिन हमारे में बदलाव आया है। मैं विभाग को धन्यवाद देता हूं कि विभाग ने समय-समय पर देखरेख की है और इस कल्याणकारी विभाग के प्रभारी मंत्री जनजाति विकास मंत्री हैं, इनके सानिध्य में अनुसूचित जनजाति परामर्शदात्री परिषद् का गठन 6.5.2000 को किया गया। इस परिषद् का गठन क्यों करना पड़ा? इसलिए करना पड़ा है कि हम चाहते हैं तरक्की, उन्नति और प्रगति। इस सघन आदिवासी क्षेत्र का विकास तभी संभव हो सकता है, आपके दिल-दिमाग में जो सोच थी उसके अनुसार आपने परामर्शदात्री परिषद् का गठन किया, जो उदयपुर में एक संभागीय आयुक्त हैं, उनको आपने नियुक्ति दी, हमारा आफिस आपने उदयपुर में कायम किया है। हमें खुशी है कि आप 23 पंचायत समितियों को हाथ में दे करके वहां के आदिवासी लोगों का, एस.टी. के लोगों का विकास सुनिश्चित करेंगे। तो मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि

(श्री शंकरलाल अहारी)

आपने उदयपुर में बैठकर, जो हमारा आफिस लागू किया, उसमें आपने 23 पंचायत समितियों में जो कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं, मैं धन्यवाद देता हूं विभाग के आयुक्त महोदय को, धन्यवाद देता हूं हमारे मंत्री महोदय को कि इनकी सोच है कि वास्तव में यहां के गरीब आदिवासी, गरीब किसान, गरीब मजदूर, गरीब खेतीहर की कैसी प्रगति की जाय। तो आपने कुछ ऐसे अच्छे विचार और अच्छी कल्याणकारी योजनाएं बनाई जिसमें पहली योजना सिंचाई की ली है आपने। आदिवासी क्षेत्र में....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मान्यवर सभापति महोदय, पहली बार बोल रहा हूं।

श्री सभापति : आपने बहुत टाइम ले लिया है।

श्री शंकरलाल अहारी : नहीं, नहीं लिया।

श्री सभापति : पांच बजे से पहले-पहले बोलना है मंत्रीजी का जवाब होगा।

श्री शंकरलाल अहारी : आदिवासी क्षेत्रों में जो हमारे कुएं हैं उनको गहरा करना अत्यंत आवश्यक है और आपने कदम उठाया कुओं को गहरा करने के लिए और टी.एस.पी. एरिये के हिसाब से आपने ट्राइबल सब प्लान में एक कुएं पर 72 होल खोदने का निर्णय लिया। मैं स्वागत करता हूं आपका और इसके बावजूद भी आपने कहा है...(व्यवधान)

श्री महेश जोशी : माननीय सभापति महोदय, ये खुद आपत्ति उठाते हैं ऐसे बात करने पर।

श्री शंकरलाल अहारी : कि अगर उस कृषक का कुआं पूरा नहीं होता है तो 72 होल के बजाय 72 होल और भी हम दे सकेंगे परन्तु कुआं पूरा करना अत्यन्त आवश्यक है। सामुदायिक जलोत्थान में आपने सिंचाई की योजना बनायी है...

श्री सभापति : माननीय अहारी साहब समाप्त करें, समाप्त करें भाषण को।

श्री शंकरलाल अहारी : नहीं साहब बोलूंगा मैं 5 मिनट बस। 5 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। सामुदायिक जलोत्थान की जो योजना है वह आदिवासियों के विकास के लिए है और बिलकुल सही बनायी है और हमारी तरफ जो योजना आपने बनायी है वह लागू है हम उसको किसी भी प्रकार से दुर्भावना की दृष्टि से नहीं देखते। जो अच्छाई है वह अच्छाई कहेंगे जो बुराई है बुराई ही कहेंगे। उसी से ही हमारा विकास हो रहा है। आज हमारे कुओं का जलस्तर नीचे चला गया परन्तु नदी नालों में पानी तो है तो उससे हम लिफ्ट लगा करके और हम हमारी सुविधा के अनुसार खेती में पानी ला करके सिंचाई करके और फसल प्राप्त करते हैं। तो उसमें 90% आपकी तरफ से है और 10% किसानों की तरफ से है तो वह भी आप व्यवस्था करके, हण्ड्रेड परसेंट वैसे फ्री है ऐसा ही मैं मानता हूं, उसमें कहीं हमको दिक्कत नहीं आती है। इसी तरह

(श्री शंकरलाल अहारी)

से सामुदायिक जलोत्थान में आपने 2000-2001 में 160 लाख रुपये का प्रावधान रखा है और ये 20 लिफ्टों पर रखा है आप, वास्तव में 20 लिफ्टें कहां-कहां पहुंचायेंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आपने लिफ्ट अगर 20 रखी है और 23 जिले हैं तो आप उसका भौतिक सत्यापन करा करके और आप उसमें 23 हैं तो 23 देते तो उसका कुछ अनुपात देखना चाहिए। यह आवश्यक है। डीजल पम्पसैट का वितरण आपने किया। आदिवासी लोगों का लाभ मिला है 50% का अनुदान है और 50% हम ऋण लेकर ले लेते हैं तो आपने अनुदान दिया तो हमारी हिम्मत हुई तो 50% हम हमारे घर का पैसा लगा करके और पम्पसैट लावें वास्तव में कई आदिवासियों ने जो पम्पसैट आपके माध्यम से दिये हैं उसका सही ढंग से उपयोग हो रहा है। मैंने देखा है मेरे क्षेत्र में तो मैं कम से कम बता सकता हूं वास्तव में अधिकांश स्थानों पर जंग लग जाती है परन्तु हमारे लोग अब समझ चुके हैं और काम करना चाहते हैं बेफिजुल घूमना नहीं चाहते हैं सरकार से जो योजना में लाभ मिल रहा है उसका डट कर लाभ किस ढंग से मिले वह काम करना चाहते हैं। टी.एस.पी. योजनान्तर्गत आपने एनीकट निर्माण करने की बात की है। माननीय मंत्रीजी आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा उदयपुर संभाग और उदयपुर संभाग का जो क्षेत्र है, चाहे सिरोही गिन लो, चाहे उदयपुर गिन लो, चाहे डूंगरपुर गिन लो, चाहे बांसवाड़ा गिन लो, यह भू-भाग पहाड़ी क्षेत्र का है और पहाड़ी क्षेत्र में जो पानी आता है बरसात का वह पानी बहकर के सीधा चला जाता है। वास्तव में उसकी रोकथाम की व्यवस्था नहीं है। आपने जो एनीकट बनाने की बात कही है यह एनीकट अगर आप बना देंगे, नदी नालों को बांध देंगे, तो पानी का जलस्तर जो नीचे जा रहा है वह ऊपर आएगा और किसान को लाभ मिलेगा। मैं प्रशंसा करता हूं कि आपने यह एनीकट बनाने की बात रखी। परन्तु एनीकट सिंचाई विभाग, स्वच्छ परियोजना, भू-संरक्षण पंचायत समिति और पहल परियोजना सभी विभागों की तरफ से ये जो एजेंसियां हैं जो बनाती हैं वह अपने-अपने ढंग से निर्मित करती हैं। मैंने देखा है, पहले परियोजना का काम भी देखा है, सिंचाई विभाग का भी काम देखा है। तो जो एनीकट बनाये हैं उससे पानी वास्तव में रुकता है और रुकने के बाद में हम लोगों को लाभ मिलता है। तो आपसे प्रार्थना है कि 7 एनीकट नहीं बनायें, 15 एनीकट नहीं बनायें, आप एनीकटों का ज्यादा से ज्यादा जाल बिछा देवें ताकि हर एक क्षेत्र में अगर आप जाल बिछाएंगे तो निश्चित ही आदिवासियों को पानी मिलेगा। आदिवासी बस्तियों में विद्युत व्यवस्था की है जो टी.एस.पी. योजना से जो आपने राशि जमा करायी और विद्युत विभाग ने लाइन खींची है निश्चित ही हमको भी लाभ मिला है। कुटीर ज्योति योजना जो है वह गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली बस्तियों के लिए

(श्री शंकरलाल अहारी)

आपने, भारत सरकार द्वारा यह कार्यक्रम चलाया जाता है। जहां-जहां भी स्थापित हुई हैं, माननीय सभापति महोदय, एक ये कुटीर ज्योति योजना है वह उन लोगों के लिए लाभकारी है जिसने कभी भी लट्टू तक नहीं देखा था तो घरों में जब लट्टू लगा तो ये किसकी तरफ से लगा रहे हो एम.एल.ए. साहब ने तो हमने कहा था कि ये सरकार का एक विचार है कि गरीब भाइयों के घर में इस प्रकार रोशनी लगा दें जिससे अंधेरा न समझ कर उजाला आप समझो तो लोगों ने काफी प्रशंसा की।

श्री सभापति : आपने 5 मिनट मांगे थे मैंने आपको 6 मिनट दे दिये अब बैठ जाइये आप।

श्री शंकरलाल अहारी : शिक्षा की व्यवस्था, शिक्षा आश्रमों की व्यवस्था.....

श्री सभापति : बैठिये-बैठिये प्लीज।

श्री शंकरलाल अहारी : एक मिनट। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मंत्रीजी को आपने हमारे सीमड़ा में एक अच्छा आश्रम, 4 करोड़ के आश्रम की शुरूआत की है। मेरे क्षेत्र की तरफ से, मेरी जनता की तरफ से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री गणेशीराम मेघवाल।

श्री शंकरलाल अहारी : मुझे राजस्थान प्रदेश के गांवों में जाने का मौका मिला है। मैंने समाज कल्याण के छात्रावासों को देखा है। वहां समाज कल्याण के छात्रावासों में अभी भी विकास की आवश्यकता है।

श्री सभापति : प्लीज बैठिये। माननीय अहारी साहब।

श्री शंकरलाल अहारी : अगर हम नहीं देख-रेख करेंगे। आज अपन किराये के भवन की बात करते हैं, किराये का भवन देने के लिए तैयार नहीं हैं लोग, कहीं-कहीं तो यह स्थितियां हैं। कहीं-कहीं जहां भवन निर्माण है वह अधूरा है। वास्तव में पिछले समय से जो अधूरा है उसको भी पूरा कराने की आवश्यकता है।

श्री सभापति : आप उसी बात को दुबारा पलट-पलट कर कह रहे हैं। विराजिये।

श्री शंकरलाल अहारी : माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार की पूरी प्रशंसा करता हूं। माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं कि आपने यह चहुंमुखी विकास की कल्याणकारी योजना एस.सी./एस.टी. और अन्य लोगों के लिए बनायी है जो लाभकारी है। धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री सभापति : यह सब रिकार्ड कर लिया गया है आपने आसन को और आपने जो बोला है वह सब अक्षरशः रिकार्ड हुआ है। माननीय श्री गणेशीराम मेघवाल।

श्री गणेशीराम मेघवाल (जालौर) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग संख्या-21 और 33 जनजाति क्षेत्रीय विकास और सामाजिक

(श्री गणेशीराम मेघवाल)

सुरक्षा एवं कल्याण के बारे में अपने विचार रखना चाहता हूं। हमारा देश 1947 में आजाद हुआ। उसके पहले भी एस.सी./एस.टी. और पिछड़े वर्ग ने जो जनरल समाज का काम किया है उसके उपकार के रूप में आजादी के बाद इन वर्गों का विकास करना हरेक सरकार का काम है दायित्व है और उन्हीं के बलबूते पर आज हम यहां बैठे हुए हैं।

माननीय सभापति महोदय, डा. भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा का प्रारूप प्रस्तुत करते हुए कहा था कि जिस भारत के अन्दर जात-पांत का अलगाव आया है और नफरत पैदा हुई है उसे सभी लोग त्याग करके एक राष्ट्र बनायें। महात्मा गांधी जी ने

(16.19 बजे)

(श्री दिग्विजय सिंह, सभापति, पदासीन)

भी कहा था कि मैं समाजवादी नहीं हूं और जिनके पास में सम्पत्ति संचय है उसको मैं छीनना भी नहीं चाहता। लेकिन जो कुछ भी आपके और हमारे पास है उस पर जब तक आपका और हमारा कोई अधिकार नहीं है जब तक भारत के करोड़ों लोगों को खाने को अन्न और पहनने को वस्त्र नहीं मिल जाता। विवेकानन्दजी ने भी कहा कि जब तक करोड़ों लोग भूख और अज्ञान से पीड़ित हैं तब तक मैं उस व्यक्ति को देशद्रोही समझूंगा कि उसके खर्च से शिक्षक बनकर उसके प्रति तनिक भी ध्यान नहीं देते। माननीय सभापति महोदय, आज जो भी कार्यक्रम इस समाज के लिए, विकास के लिए, उन्नयन के लिए बनाये जा रहे हैं जो होना चाहिए था वह हो रहा है लेकिन जो वास्तव में होना चाहिए वह नहीं हो रहा है। आज गांवों की स्थिति देखिये आप। गांवों में बन्द से बदतर हालत हो गयी और किस अभाव अभियोग में वे जी रहे हैं। उनके मौहल्लों में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। हमारे यहां से बजट जाता है कि एस.सी., एस.टी. के मौहल्लों में यह काम होने चाहिये। जहां पर सार्वजनिक नल नहीं है, सार्वजनिक टांके नहीं है, रोड लाइटें नहीं है और पेयजल के लिए किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। आज वह तीन साल से अकाल से जूझ रहे हैं, उनकी स्थिति बहुत बदतर हो गई है।

माननीय सभापति महोदय, आज से 35-40 साल पहले की बात है। जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, जहां पर हमारे भील भाई रहते हैं, करीबन 30-40 गांव हैं। वह दूर दराज के पहाड़ों में रहते थे। 35 साल पहले जो अभी हमारे भीखा भाईजी मंत्री महोदय हैं, उस समय भी वे मंत्री थे। सुन्दा पर्वत की पहाड़ियों में दूर दराज में रहने वाले भील भाई जो जनजाति क्षेत्र से थे उनको बसाने के लिए 20-30 फ्लैट बनाकर दिये गये कि आप एक जगह पर रहिए, शांति से रहिए। आज 25 साल के बाद उनकी कोई सार-संभाल करने वाला नहीं है।

सभापति महोदय, जसुपुरा में दो साल पहले एक जनजाति छात्रावास शुरू किया गया। वह जनजाति छात्रावास आज की

(श्री गणेशीराम मेघवाल)

तारीख में बाहर दे दिया गया। एक लाख रुपये उसकी सामग्री के लिए भी आये। सामग्री खरीदी गई। एक साल सामग्री पड़ी रही और वह जनजाति छात्रावास और जिले में दे दिया गया। 30-40 गांवों में रहने वाले हमारे एस.टी. भाइयों के लिए एक छात्रावास खोला गया था। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को यह याद दिलाना चाहता हूं कि उस क्षेत्र में वह छात्रावास पुनः स्थापित करावें। वहां पर 30-40 गांव हमारे भील भाइयों के हैं। आपने जालौर के लिए भी दो छात्रावास दिये थे दो साल पहले। उसमें से एक तो ट्राइबल का था जसुपुरा में सुन्दा माता पर्वत जालौर जिले में। दूसरा, आहोर में एस.सी. का छात्रावास था। वह तो शायद इस समय कायम रह गया है लेकिन वह छात्रावास बहुत जरूरी था। इसलिए उस छात्रावास को पुनः वहां स्थापित करावें। वहां सामग्री एक लाख रुपये की लायी गई थी। अभी शायद वहीं पड़ी है या भेजी गई है, उसका अभी कोई मालूम नहीं है, आप उसका मालूम करें। इसके अलावा भी हमारे एस.सी. और एस.टी. के भाई लोग वहां रहते हैं। जालौर क्षेत्र में मांडवला और सियाला में एक छात्रावास की आवश्यकता है। जसुपुरा समिति में एक भी छात्रावास नहीं है, न एस.टी. का है, न एस.सी. का है। रामसीन में एक एस.सी. का छात्रावास खोला जाए ताकि वहां के बच्चे अध्ययन कर सके।

जालौर में जो छात्रावास है आसपास के हमारे क्षेत्र में उसमें आपके अधीक्षक लगे हुए नहीं है। एक अधीक्षक तीन-तीन छात्रावासों को देखता है और जिसकी दूरी 50-50, 60-60 किलोमीटर तक है। कहां सायला, कहां जालौर, कहां बागरा। हमने उनसे बात करके एक-दो छात्रावासों के लिए तो टेम्प्रेरी अध्यापक-अध्यापिकाओं की व्यवस्था कराई है लेकिन जब तक वहां पर आपका अधीक्षक पूर्ण समय तक नहीं रहेगा बच्चों की देखभाल नहीं कर सकेगा और एक-दो घंटे के लिए वह आता है और फिर चला जाता है। उसकी कोई देखभाल नहीं होती है। कितना राशन बच्चे निकालते हैं, कितना खर्च करते हैं, कितना क्या करते हैं, वह उन बच्चों को ही मालूम है। वह कभी आकर रजिस्टर में इन्द्राज कर लेते हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन करता हूं कि छात्रावासों में जो अधीक्षक के रिक्त पद हैं उन्हें शीघ्र भरा जाए ताकि उन छात्रावासों की व्यवस्था सुधर सके।

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा भी हमारे जालौर जिले में और जो क्षेत्र हैं यह जनजाति क्षेत्र हैं जसवंतपुरा, चेकला, जाबीया की बाला, दांतलावास, राजी का वास, पावली, मनोरजी का वास, पूर्ण पंसेरी, गोलाना, दोरडा, पावटी, चांदूर, गुगाय, रामसीन, यह भील बाहुल्य बस्ती के गांव हैं और यहां पर उनके पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं है। अतः मेरा सभापति महोदय के माध्यम से निवेदन है कि आप वहां पर अवश्य ही एक जनजाति छात्रावास शुरू

(श्री गणेशीराम मेघवाल)

करावें ताकि इन बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था हो सके। इसके अलावा एक एस.सी. का छात्रावास रामसीन में भी स्थापित करावें जसुपुरा समिति में ताकि वहां के एस.सी. के छात्रों को फायदा हो सके।

जब विद्यालय खुलने का समय आता है तो एक-एक छात्रावास के लिये 50-50, 100-100 आवेदन पत्र आते हैं। सभापति महोदय, आपने वहां पर 25 छात्रों की संख्या दर्शायी है और 25 छात्र वहां रहते हैं इसके अलावा भी कम से कम एक छात्रावास में 50 छात्र हैं। इस तरह के आप आदेश दिलावें ताकि वहां के बच्चे पढ़ने से महरूम नहीं रहें। वह दूर जाने में बड़े अक्षम हैं, गरीब हैं, निर्धन हैं, इतना खर्च नहीं कर सकते। इसलिए इन छात्रावासों में जो एस.सी., एस.टी. के छात्रावास हैं उनमें कम से कम 50 बच्चे रहें, इस तरह के आदेश करावें ताकि गरीब तबके के लोगों को फायदा हो सके और उनके बच्चे पढ़ सके।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

कई माननीय सदस्य : बोलने दीजिए, पहली बार बोल रहे हैं।

श्री सभापति : यह तो आसन का कर्म है, जो कर रहे हैं।

श्री गणेशीराम मेघवाल : सभापति महोदय, सेवाओं में जो चयन होता है उसमें 16 प्रतिशत एस.सी. और 12 प्रतिशत एस.टी. का होता है। उसका कड़ाई से पालन किया जावे। यदि उपलब्ध नहीं होते हैं तो जनरल से भरे जाएं। लेकिन आज हर विभाग में एस.सी., एस.टी. के पद बड़ी संख्या में खाली हैं। उन्हें उनका जो बैकलाग है उसे पूरा करके दिया जाए ताकि एस.सी., एस.टी. के वर्ग के बच्चों को फायदा हो सके। बच्चों की छात्रवृत्ति भी बढ़ाई जाए।

इसके अलावा शाफाड़ा, बालवाड़ा, एलाना, नबी, नारनावास यह भील बस्तियां हैं। गांवों में जहां भीलों की बस्ती थी, मेघवालों की बस्ती है, एस.सी., एस.टी. की बस्ती है वहां पाइप लाइन, सार्वजनिक नल और टांके बनाने के लिए मैंने अपने विधायक कोटे से पैसे दिये हैं। समाज कल्याण विभाग में इस बस्ती के लिए जो पैसे आते हैं, मंत्री महोदय द्वारा एस.सी., एस.टी. की बस्तियों के लिए जो बजट दिया जाता है समाज कल्याण विभाग द्वारा वह समय पर खर्च नहीं होता है और वहां के सहायक निदेशक या आपके समाज कल्याण विभाग के अधिकारी उन बस्तियों में जाकर यह भी देखते कि किसमें क्या कमी है, किसको पानी का टांका देना है, किसको पाइप लाइन देनी है। अगर समय पर आपके समाज कल्याण विभाग के अधिकारी इन मौहल्लों में जावे और देखें ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके और जो पैसे सरकार के द्वारा दिये जाते हैं वह लैप्स नहीं हो और उन गरीब तबके के लोगों के काम में आ जावे। सभापति महोदय, आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री हीरासिंह जी।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : सभापति महोदय, आज समाज कल्याण सुरक्षा और जनजाति क्षेत्रीय विकास के बारे में चर्चा हो रही है।. सभापतिजी, मैं सबसे पहले यह जो अन्य पिछड़ी जातियां हैं इसके आरक्षण के संबंध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। भारत का संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ और उस संविधान की धारा 348 में अन्य पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने की व्यवस्था संविधान निर्माताओं ने की थी और उसमें साफ डाइरेक्शन दिया गया था कि प्रत्येक स्टेट अपने-अपने राज्य में उन लोगों को चिन्हित करें जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं। सन् 1951 में इस प्रकार की एक लिस्ट भी जारी की गई। लेकिन उसके बाद भी अन्य पिछड़ी जातियों को आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई। सभापति महोदय, इस देश के निर्माणकर्ता, इस देश में पंचवर्षीय योजना लागू करने के लिए और इस देश का समग्र विकास करने के लिए इस मौके पर पंडित जवाहर लाल नेहरूजी को याद करना चाहता हूं। इस हाउस में मेरा वक्तव्य देते हुए मुझे अफसोस है। इस देश का निर्माण करने में महती भूमिका जवाहर लाल नेहरूजी ने निभाई। लेकिन मुझे अफसोस है इस सदन में कोई भी उनका नाम नहीं लेता है, केवल राजीव गांधीजी का नाम ही लेते हैं। राजीव गांधीजी तो 40-45 साल बाद आए हैं। देश का निर्माण करने वाले तो जवाहर लाल नेहरूजी थे। उनको मैं इसलिए याद करना चाहता हूं कि सन् 1953 में देश की लोक सभा में एक बिंदु आया था कि मद्रास में देश आजाद होने के पहले जनार्दन सिंहजी सुनिए, देश आजाद नहीं हुआ उसके पहले कम्पार्टमेंट रिजर्वेशन था। 1927 में अंग्रेजों के काल में ओ.बी.सी. का व अन्य सभी जातियों का। इसी बात का मद्रास हाईकोर्ट ने फैसला एडवर्स दे दिया था कि शैक्षणिक संस्थाओं में एडमिशन नहीं दिया जाता। मैं एडजेक्ट वर्ड तो रिपीट नहीं कर सकता, लेकिन मैं उन पण्डित नेहरू को याद करना चाहता हूं, जिन्होंने इस प्रकार के उद्गार प्रकट किए कि समाज में बहुत सारे पिछड़े लोग हैं। इस समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए, उन सब लोगों को आगे लाने के लिए हमें उनको आरक्षण देना चाहिए और उसके बाद उन्होंने काका कालेलकर आयोग गठन किया। काका कालेलकर आयोग का गठन 1953 में कर दिया था, 1957 में उसको पार्लियामेंट में रखा गया। लेकिन मुझे कहते हुए बड़ा अफसोस है कि पार्लियामेंट में काका कालेलकर के आयोग को नहीं माना गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं 14 अगस्त, 1961 को Central Government has written to all the State Governments.

श्री राजेन्द्र पारीक : आप मेहरबानी करके 2001 में पधार जाइये। (व्यवधान) आप 2001 में आ जाइये।

श्री हीरासिंह चौहान : मैं आ रहा हूं, दरबार, मैं दो मिनट में आ रहा हूं।

(श्री हीरासिंह चौहान)

14 अगस्त, 1964 को केन्द्रीय सरकार ने सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को यह डायरेक्शन दिया था कि अपनी-अपनी स्टेट में जिस प्रकार के ओ.बी.सी. के लोग हैं उनको चिन्हित करके आरक्षण देवें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 1977 तक यहां पर कांग्रेस का शासन था। हिन्दुस्तान के सभी राज्यों में, सभी स्टेट्स में ओ.बी.सी. के आरक्षण की व्यवस्था कर दी थी लेकिन राजस्थान एक मात्र ऐसा राज्य था जिसमें ओ.बी.सी. के आरक्षण की व्यवस्था नहीं की, उसके कारण से हमको कम से कम 40 साल पीछे रहना पड़ा है। अब यह हमारे कांग्रेस के भाई कहते हैं हमने आपका कल्याण कर दिया। आज क्या कल्याण करेंगे, यह तो 40 साल पहले हो जाना चाहिए। फिर मेरे साथी करण सिंहजी ने कहा कि यह तो महामहिम राज्यपाल श्री बलिरामजी भगत के समय में लागू हुआ था। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। 16 नवम्बर, 1992 को सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ था और उस समय तक सरकार लागू नहीं कर सकती थी। 31 दिसम्बर, 1980 को मण्डल आयोग की रिपोर्ट आ गई थी लेकिन 10 साल तक कांग्रेस सरकार ने इसको बस्ते में पड़ा रखा। उस समय राजस्थान में भी कांग्रेस का शासन था और दिल्ली में भी कांग्रेस का शासन था लेकिन उन्होंने आरक्षण नहीं दिया। दस साल बाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद.... (व्यवधान) मैं कोई गलत नहीं कह रहा हूं।

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय सभापति महोदय, यह एक गलत बयान आप बोल रहे हैं।

श्री हीरासिंह चौहान : वह कौनसा? (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : वह यह कह रहे हैं कि मैं मंत्री था और मैंने खुद ने खड़े होकर यह...(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : आप पैरवी करते थे मैं धन्यवाद दे रहा हूं, हम आपके साथ ही थे।

श्री जगत सिंह दायमा : एक मिनट, सच्चाई सुनने में आपको क्या दिक्कत है। मैं खुद आपके साथ में था और मैंने कई बार निवेदन किया कि मण्डल आयोग की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए। आप लास्ट दिन रखते थे और हो-हुल्ला करते थे और छोड़ कर भाग जाते थे। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : इनको व्यक्तिशः ना कहें यह तो स्वयं डिप्टी स्पीकर थे।

श्री जगत सिंह दायमा : अंत में मैंने यह घोषणा की यह बी.जे.पी. सरकार भी जिसमें हम जनता दल के लोग शामिल थे, वह भी मण्डल आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं करना चाहती थी और मैंने हंगामा किया था और एक-दो मिनिस्टर भी ठुक-पिट गए थे, यहां तक की बात हुई थी और उसके बाद में...

श्री सभापति : अब आप बिराज जाइए।

श्री हीरासिंह चौहान : यह मेरा समय ले रहे हैं।

श्री जगत सिंह दायमा : नहीं, नहीं, राष्ट्रपति शासन आया और उसके बाद महामहिम बलिरामजी भगत ने मण्डल आयोग की रिपोर्ट लागू की। अगर वह नहीं होते, अच्छा रहा वह सरकार चली गई—

श्री हीरासिंह चौहान : उस समय हमारी गवर्नमेंट नहीं थी। जिस समय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था उस समय हमारी गवर्नमेंट नहीं थी।

श्री जगत सिंह दायमा : वह सरकार नहीं जाती तो आप कभी भी मण्डल आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं कर सकते थे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य बिराजिए।

श्री हीरासिंह चौहान : उस समय हमारी सरकार नहीं थी। जैसे ही हमारी सरकार 1994 में आई, यह सभी प्रकार की व्यवस्थाएं आरक्षण के विषय में ओ.बी.सी. की, की गई।

श्री जगत सिंह दायमा : मुझे कुछ बोलना पड़ेगा नहीं तो...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय हीरासिंहजी, आप अपनी स्पीच चालू रखिये।

श्री हीरासिंह चौहान : मैं माननीय सभापति महोदय, निवेदन करना चाहता हूं...(व्यवधान)

डा. करण सिंह यादव : हीरासिंहजी साहब यह तो गलत बयान है। देखिए, यहां पर मण्डल आयोग की नौकरियों में तो बलिरामजी भगत ही लगाते थे।

श्री हीरासिंह चौहान : मैं बिलकुल गलत नहीं कह रहा हूं। दिल्ली में जब मण्डल आयोग बना था केन्द्र में आरक्षण नहीं था, केवल स्टेट गवर्नमेंट के लिए बना था, मण्डल आयोग का गठन ही नहीं किया गया था। माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंहजी ने, सैंट्रल गवर्नमेंट में सर्विसेज में आरक्षण नहीं था ओ.बी.सी. का, इसीलिए केवल और केवल उसके लिए किया गया था, नोट फोर स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट में तो केवल राजस्थान को छोड़ कर सारे स्टेट्स में लागू कर दिया था। केवल एम.पी. में था, एम.पी. में भी हाईकोर्ट का स्टे था। (व्यवधान)

डा. करण सिंह यादव : सभापति महोदय, यहां पर तो बी.जे.पी. की सरकार ने लागू नहीं किया।

श्री हीरासिंह चौहान : Have you got complete knowledge? Please get the complete knowledge. I have got complete knowledge in this subject.

डा. करण सिंह यादव : यहां पर तो बलिराम भगतजी ने राष्ट्रपति शासन में 28 सितम्बर, 1993 को लागू किया।

श्री हीरासिंह चौहान : लागू किया उस समय हमारी गवर्नमेंट नहीं थी। We were not in Government. BJP was not at all at that time in

(श्री हीरासिंह चौहान)

Government. हम गवर्नमेंट में नहीं थे...(व्यवधान) राज्यपाल का शासन था।

श्री जनार्दन गहलोत : सभापति महोदय, माननीय रायपुर से आने वाले सदस्य को याद नहीं है चैन्नारेड्डी के जमाने में बैकवर्ड कमीशन हमने बनवाया था। हमने बनाया था इसरानीजी की अध्यक्षता में।

श्री हीरासिंह चौहान : कौनसा कमीशन जो कभी...(व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : सुप्रीम कोर्ट के फैसले को क्रियान्वित करने के लिए चैन्नारेड्डी से, राज्यपाल से हमने बैकवर्ड कमीशन बनाया।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री हीरासिंह चौहान : वह तो बाइंडिंग डायरेक्शन था। "Within the six months all the State Governments will obey." इस डायरेक्शन को बी.जे.पी. की सरकार ने उस बाइंडिंग को नहीं माना। (व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : आपका उसमें क्या योगदान था?

डा. करण सिंह यादव : राजस्थान में बी.जे.पी. की सरकार ने उस बाइंडिंग को नहीं माना था। राजस्थान में उस बाइंडिंग को नहीं माना था। 21 प्रतिशत आरक्षण बलिराम भगतजी ने राष्ट्रपति शासन में लगाया था, यह तथ्य है कि इसमें बाद में आपकी गवर्नमेंट ने रेक्टिफाई किया। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : बलिरामजी का कोई काम नहीं था इसमें। It was the direction of the Supreme Court. The State Government was bound. कौनसा काम बलिराम भगतजी ने कर दिया। ही वाज बाउण्ड।

श्री सभापति : माननीय सदस्य आप कंट्रोवर्सी में नहीं जाएं। आपको लाभ मिल गया और मिल रहा है वह बहुत अच्छा है।

श्री हीरासिंह चौहान : सभापति महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं यह जो वाह-वाही लेते, 40 साल पहले लेते।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : इस पक्ष पर ऐतिहासिक दृष्टि से चर्चा हो जाए तो क्या दिक्कत है? मूल बात तो यह है कि यह तो जनता दल की सरकार ने 1989-90 में जब वी. पी. सिंह आये उन्होंने मण्डल आयोग लागू किया। कांग्रेस की सरकार ने लागू नहीं किया, ध्यान रखिए। कांग्रेस के तो बस्ते में पड़ा रहा।

श्री जनार्दन गहलोत : बी.जे.पी. का तो कोई योगदान नहीं था न?

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री मानिक चन्द सुराना : कांग्रेस का कोई लेना-देना उस बात को लागू करने में नहीं है। उस वक्त बी.जे.पी. की सरकार थी और हम लोग जनता दल में थे, उस वक्त लागू करवाया।

श्री राजेन्द्र पारीक : आप यह भी कह दें कि बी.जे.पी. का क्या योगदान है। कोई योगदान कोई लेना-देना नहीं है। माननीय सदस्य, आप तो यह फरमाइये कि बी.जे.पी. का कोई लेना-देना नहीं था।

डा. करण सिंह यादव : सारी दुनिया में लागू हो गया था, राजस्थान में लागू नहीं हुआ था। बाद में बलिराम भगतजी ने लगाया था।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सदस्य, आप यह फरमाइये कि बी.जे.पी. का कोई लेना-देना नहीं था। + + +

श्री मानिक चन्द सुराना : किस का? पीड़ा तो हमको ज्यादा है कि हम लोगों ने लागू किया था मण्डल आयोग।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सदस्य, मैं तो यह कह रहा हूं कि आप यह तो फरमाइये कि बी.जे.पी. का कोई लेना-देना नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद : चौधरी देवीलाल और वी.पी. सिंहजी को जाता है जिन्होंने मण्डल आयोग की सिफारिशों को लागू किया।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिए। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय मानिक चन्दजी सही कह रहे हैं कि 31 दिसम्बर, 1980 को मण्डल आयोग ने रिपोर्ट दी थी, आपकी सैंट्रल में गवर्नमेंट थी और स्टेट में भी आपकी गवर्नमेंट थी, इसको लागू नहीं किया। (व्यवधान) इसलिए मैं अब चाहता हूं, अन्य स्टेट में, कर्नाटक में कितना प्रतिशत 80 प्रतिशत। तमिलनाडु में 69 प्रतिशत। हिम्मत कीजिए हरिसिंहजी मुख्य सचेतकजी, हिम्मत कीजिए। जनार्दन सिंहजी अपनी स्टेट गवर्नमेंट से इस आरक्षण को बढ़ाएं। सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है कि 50 प्रतिशत से ऊपर आरक्षण ओ.बी.सी. को नहीं दिया जा सकता। वह जो गवर्नमेंट पिछली बार वाली हमारी, इसी देश में कर्नाटक और तमिलनाडु में और बिहार में ज्यादा है। मैं तो माननीय मुख्य-मंत्रीजी से अपील करूंगा, सौभाग्य से देश आजाद होने के बाद इस राजस्थान में पहली बार ओ.बी.सी. का मुख्य मंत्री बना है। उनको चाहिए कि इस आरक्षण को बढ़ावे। यहां हमने पिछले समय में कोशिश करके पिछड़ा वर्ग की समिति भी बनाई। हम कोशिश करेंगे अन्य राज्यों में भी इसका अध्ययन करें अगर हमें उस कमेटी में जाने का मौका मिला तो इस राजस्थान में यह करने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप यह जो कह रहे हैं यह कौनसा...(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : मैं क्षमा चाहता हूं, आपके मुख्य सचेतकजी ने आपका नाम उस कमेटी के लिए सजेस्ट ही नहीं किया। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि...

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री हीरासिंह चौहान : मैं कह रहा हूं कि मुझे मौका मिला तो। मैं कह रहा हूं मुझे मौका मिला तो जरूर....(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : हम तो चाह रहे थे कि आपका नाम उस कमेटी में आवे तो आप अपनी प्रभावी भूमिका अदा करें।

श्री हीरासिंह चौहान : जहां तक मैंने सुना है मेरा नाम प्रस्तावित किया गया है और नहीं किया तो कर देंगे, कौनसा अभी कमेटियों का गठन हो रहा है। होगा जब हो जाएगा।

श्री हरिसिंह (महुवा) : नाम चले गए।

मोहम्मद माहिर आजाद : नाम अभी दिए ही नहीं हैं। नाम अभी किसी ने दिए ही नहीं हैं.... (व्यवधान) आप इनको विचलित क्यों कर रहे हो।

श्री हरिसिंह (महुवा) : नहीं, नाम दे दिए कमेटी ने....

मोहम्मद माहिर आजाद : तो आपका नाम कौनसी कमेटी में है?

श्री राजेन्द्र पारीक : आज भी पिछड़ों पर अत्याचार जारी है। चौहान साहब, आपका नाम तक नहीं दिया गया।

श्री हीरासिंह चौहान : मेरे पर कोई अत्याचार न तो आज दिन तक हुआ है और न किसी काल में हुआ है। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : सभापति महोदय, कांग्रेस का बस चलता तो....

श्री हीरासिंह चौहान : हमारा तो मगरा ऐसा है। जहां कभी राज नहीं रहा, बादशाह नहीं रहा, हम तो खुद ही राज हैं। उस आंचल को देख लीजिए जहां कभी किसी का अधीनस्थ रहा ही नहीं। हम पर क्या कोई राज करेगा। आज दिन तक ही नहीं किया, किसी कौम ने हम पर राज नहीं किया।

श्री केसाराम चौधरी : पिछड़े आयोग ने सिफारिश कर दी थी उसकी सिफारिश करने के बाद भी डेढ़ साल तक वे घसीटते रहे। उनका बस चलता तो सिरवियों को ओ.बी.सी. में भी नहीं लेते। तो कांग्रेस तो इस तरह से फूट डालो और राज करती आई है और करती रहेगी।

श्री जगत सिंह दायमा : एक कमेटी बनाई थी चतुर्वेदीजी की अध्यक्षता में।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय सभापति महोदय, मैं तो आपसे यही निवेदन करता हूं कि यह जो आरक्षण का प्रतिशत है, ओ.बी.सी. का वह....(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : सभापति महोदय, एक कमेटी का मैं जिक्र करना चाहता हूं चौहान साहब आपसे।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : चौहान साहब, दुबारा वह राजाओं और ठाकुरों का नाम मत लेना अब राठौड़ साहब पधार गये हैं।

श्री हीरासिंह चौहान : वह तो राजाओं का राज था और इस समय की परिस्थिति के अनुसार रहता पर यह जो हैं न यह भी.... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, हीरासिंहजी, एक मिनट जगत सिंहजी बोल रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : आपके बगल में भी यह राठौड़ साहब बैठे हैं।

श्री जगत सिंह दायमा : मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं और भाई चौहान साहब को बताना चाहता हूं कि जब यह आरक्षण लागू किया और आपकी सरकार उसके बाद में आ गई। उसके बाद में आरक्षण की व्यवस्था कैसी हो, पिछड़े वर्ग को उसमें रोस्टर सिस्टम बनाया गया और उसमें आपको पता है उसका चेयरमैन माननीय चतुर्वेदीजी को बनाया और हम लोग पिछड़ों में से किसी को नहीं लिया। माननीय चतुर्वेदीजी को जो कह सकता हूं फिर आप हंसोगे, पक्का मनुवादी है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री हीरासिंह चौहान : यह कोई मैटीरियल बात नहीं है।

श्री सभापति : इसकी कोई रेलेवेंसी नहीं है। माननीय सदस्य, बैठिये आप।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय सदस्य, दायमा साहब (व्यवधान)....

श्री सभापति : हीरासिंहजी, आप जारी रखो।

श्री जगत सिंह दायमा : मनुवादी हमारे को आरक्षण दे सकते हैं? मनुवादी, आपने बोल दिया।

श्री हीरासिंह चौहान : No, I have not completed. Please take your seat. I am possessing the floor of the house. I am speaking. Please sit down. दायमा साहब, मैं कह रहा हूं, अच्छा तो मैं बता रहा हूं।

श्री जगत सिंह दायमा : साहब, या तो मुझे समय दे दो।

श्री सभापति : माननीय जगत सिंहजी दायमा साहब।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि दायमा साहब को.... (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : या तो मुझे समय दे दो।

श्री हीरासिंह चौहान : हां, समय ले लेना आप। Please don't disturb me.

श्री सभापति : आप उपस्थित नहीं थे जब माहिर आजाद साहब ने सारी बात कह दी।

श्री जगत सिंह दायमा : या तो मुझे पांच मिनट का समय दे दो, नहीं तो मैं बोलूंगा।

श्री हीरासिंह चौहान : हां, बोल लेना लेकिन मुझे डिस्टर्ब मत करो आप। Please don't disturb me.

श्री जगत सिंह दायमा : गलत बयानी की। या तो मुझे पांच मिनट का समय दे दो नहीं तो बोलूंगा।

श्री सभापति : आप उपस्थित नहीं थे जब माहिर आजाद साहब ने आपकी सारी बात कह दी। अब आप विराज जाएं, इनको पूरा कर लेने दीजिए।

श्री जगत सिंह दायमा : माहिर आजाद मेरे पार्टी के विधान सभा के नेता हैं। मैं विधान सभा के बाहर की बात करना चाहता हूं।

श्री हीरासिंह चौहान : आप विराजो दो मिनट। प्लीज दो मिनट।

श्री सभापति : हीरासिंहजी, आप जारी रखो।

श्री हीरासिंह चौहान : मैं कैसे बोलूंगा जब तक यह है, Please order to Mr. Dayama to sit down.

श्री जगत सिंह दायमा : तो उस कमेटी का चेयरमैन माननीय चतुर्वेदीजी को बनाया। जैसा मैंने अभी कहा था कि दूध की रखवाली और बिल्ली कर सकती है क्या? हमारे आरक्षण की रखवाली प्रणाली माननीय चतुर्वेदीजी कर सकते थे? आपको बनाते, मुझको बनाते, नाथूसिंहजी को बनाते, किसी और को बनाते।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री हीरासिंह चौहान : अब तो बिराजो प्लीज।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री जगत सिंह दायमा : पर उन्होंने यह हाल किया कि आज तक आरक्षण हमको नहीं मिल रहा है। (व्यवधान)

श्री सभापति : मैं आपसे निवेदन करूंगा कि व्यवधान नहीं डालें। उनको पूरा करने दे।

श्री हीरासिंह चौहान : बोल लेना आप बाद में। अब तो बैठो। आप तो बोल गये साहब।

श्री जगत सिंह दायमा : फिर साहब, मुझे भी दे देना। पांच मिनट।

श्री सभापति : आप इनको पूरा करने के बाद, पूरा करने दे, आप बिराजें।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार समय की आवश्यकता है, ओ.बी.सी. समाज अब 52 परसेंट ही नहीं है, 65 परसेंट के ऊपर चढ़ गया है इसलिए समय की आवश्यकता है कि इसका आरक्षण का परसेंटेज बढ़ाया जाए। अब मैं राजस्थान सरकार के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। आपने एक आयोग बनाया है जिसमें जनजाति और पिछड़ा वर्ग सारा शामिल है। माननीय समाज कल्याण मंत्रीजी, आप बहुत बुजुर्ग हैं और सारी बातों को जानते हैं लेकिन आज दिन तक इस आयोग के द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग का अगर आप आंकड़ा देखें तो कहीं मुझे सन्तुष्ट करेंगे कि उस-उस जिले में उस-उस तहसील में इन-इन लोगों को जो तीन करोड़ का फण्ड है उसमें से सिंगल पाई भी किसी को दी गई हो, आज दिन तक। उसका उपयोग, आप जवाब दें जब बता देना। आज दिन तक उस पूरे फण्ड का उपयोग केवल शिड्यूल्ड कास्ट और

(श्री हीरासिंह चौहान)

शिड्यूल्ड ट्राइब्स कर रही है, हम लोगों को आज दिन तक इसका फायदा नहीं मिला। इसलिए मैं मांग करता हूं, माननीय सभापति महोदय, एक अन्य पिछड़ा वर्ग का एक कल्याण मंत्री अलग से बनाया जाए इसका विभाग ही बिलकुल अलग किया जाए। एक अलग मंत्री, एक अलग विभाग बनाया जाए, जब तो कम से कम इस ओ.बी.सी. के विभाग का...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं इसके लिए बहरोड से आने वाले माननीय सदस्य डा. करण सिंह यादव का नाम प्रस्तावित करता हूं।

श्री हीरासिंह चौहान : हम भी प्रस्तावित करते हैं डाक्टर करण सिंह यादव का नाम ओ.बी.सी. के मंत्री के रूप में। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव किया है उससे सहमत हैं हम। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : हम भी प्रस्ताव करते हैं कि इसके लिए हम सहमत हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं भी समर्थन करता हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपके प्रस्ताव करने से सहानुभूति आ गई, ठीक है पर आपके प्रस्ताव करने से कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है।

श्री हीरासिंह चौहान : हाउस में हमने भावना बताई है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हमने सर्वोच्च सदन में भावना व्यक्त की है फिर कौनसा सदन है इससे ऊंचा?

मोहम्मद माहिर आजाद : आप मंत्री महोदय को अवगत करा देना।

श्री सभापति : यह तो माननीय सदस्य...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : हम सब उनकी मांग कर रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, माहिर आजाद साहब, आप तो वकील हैं, आप सब जानते हैं जिसका प्रेरोगेटिव है वही करता है।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप हमारी भावना पहुंचा देना।

श्री हीरासिंह चौहान : अब माननीय सभापति महोदय, बनेंगे तो करण सिंहजी ही बनेंगे।

श्री सभापति : यह तो माननीय सदस्य, आपकी पापुलरिटी बता रही है।

श्री हीरासिंह चौहान : पापुलरिटी नहीं है, इस ओ.बी.सी. के बारे में इनको चिन्तन है कि यह यहां जब एस.एम.एस. में बहुत ऊंचे पद पर थे, चिकित्सक के पद पर उस समय भी इन्होंने काफी कोशिश की।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं सभापति महोदय, समाप्त कर रहा हूं। मैं समाज कल्याण मंत्रीजी से निवेदन करना चाह रहा हूं कि यह तो आपने एक अच्छा डाइरेक्शन दिया कि अपने-अपने क्षेत्र में

(श्री हीरासिंह चौहान)

समाज कल्याण के जहां-जहां भी छात्रावास हैं, उसकी देख-रेख की व्यवस्था स्थानीय विधायक को दी इसके लिए तो मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन तकलीफ की बात एक है कि जहां-जहां भी आपके अधीक्षक हैं, वहां पर आज दिन तक मैंने तो एक-दो बार कहा कि भाई मीटिंग रख कर मुझे बुलाओ। मुझे तो एक सालभर में आपके डाइरेक्शन के बावजूद, दो छात्रावास रायपुर में और बर में चल रहे हैं। एक बर वाला आपके द्वारा खोला गया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं लेकिन एक दिन भी उन छात्रावासों में मीटिंग रख कर हमको नहीं बुलाया गया है। इनकी क्या स्थिति है, क्या स्थिति नहीं है, मेरे को भी वहां जाने का मौका नहीं पड़ा लेकिन कम से कम यह डाइरेक्शन तो हो कि...(व्यवधान)

श्री सोहन नायक : माननीय सभापति महोदय, मैं दो मिनट बीच में बोलूंगा। जब अध्यक्ष बना दिया गया तो अध्यक्ष को कौन बुलाएगा। अध्यक्ष खुद मीटिंग बुलाये समाज कल्याण छात्रावास की। जब अध्यक्ष ही बना दिया गया है तो अध्यक्ष मीटिंग बुलाए।

श्री हीरासिंह चौहान : लेकिन मैं यह निवेदन कर रहा था, सभापति महोदय, कम से कम अधीक्षक की या जो होस्टल चलाते हैं उसकी भी कोई ड्यूटी बनती है।

श्री सोहन नायक : समाज कल्याण छात्रावास के प्रवेश की मीटिंग.... (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : आप, एक मैं यह निवेदन कर रहा था कि एक कोई अपंग है, अपाहिज है या अंधापन है या आप वृद्धावस्था पेंशन देते हैं। माननीय समाज कल्याण मंत्रीजी, यह जो वृद्धावस्था का पेंशन का मामला है, केवल जिला कलक्टर मीटिंग बुला सकता है। लेकिन आपने किसी जिला कलक्टर को डाइरेक्शन नहीं दे रखा कि छह महीने में कम से कम एक मीटिंग बुलाए और विभिन्न पंचायत समितियों में कितने फार्म हैं जो ओल्ड एज के पेंशन के पेंडिंग हैं और मैंने अपने जिला कलक्टर से रिक्वैस्ट की थी कि कम से कम आप एक बार, दो साल पहले मीटिंग बुलाई गई और फिर मैंने उनको निवेदन किया कि कम से कम पेंडिंग जो एप्लीकेशन हैं, किस प्रकार से उनको डिस्पोज आफ किया जा सकता है, किस प्रकार से उनको पेंशन मंजूर हो सकती है, आज दिन तक उनकी सुनवाई नहीं हुई है। इसलिए जितने भी ओल्ड एज पेंशन के मामले हैं, बहुत दुर्भाग्य है। पिछले दिनों में हमको धरना देने के लिए भी बाध्य होना पड़ा और यह ओल्ड एज पेंशन....(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : माननीय क्षमा चाहता हूं, एक सैकण्ड। माननीय ऐसा है, यह तो सही है कि पहले जो ओल्ड एज पेंशन पर राजस्थान सरकार टोटल 27 करोड़ रुपये खर्च कर रही थी, 25 करोड़ आज 127 करोड़ रुपये हम पेंशन के खाते में पेमेंट कर रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में जो पेंशन मंजूर की है जरा उसका भी उल्लेख कर दें आप।

मोहम्मद माहिर आजाद : वह जवाब दे देना।

श्री हीरासिंह चौहान : ऐसा है उसमें भारत सरकार का 3/4 रेश्यो आपको मिलता है और भारत सरकार देती है आपको और आप देते हो तो उसके बाद।

श्री हरिसिंह (महुवा) : वह आपको भी मिलता था।

श्री हीरासिंह चौहान : देखिये हम कल्याणकारी सरकार की घोषणा करते हैं। घोषणा करने के साथ-साथ हमारा यह कर्तव्य बन जाता है कि जो-जो ओल्ड एज पेंशन है, अंधे हैं, अपंग हैं उनको बराबर सब प्रकार की सुरक्षा और सामाजिक व्यवस्था दें। इसलिए मेरा माननीय समाज कल्याण मंत्रीजी, आपसे निवेदन है कि कम से कम ओल्ड एज पेंशन के जितने भी फार्म हैं पंचायत समितियों में बहुत सारे जो उचित पात्र थे जिनको एक-एक, दो-दो बार पेंशन मिल गई और वे अब बंद कर दी गई है उसकी आप विस्तार से जांच करवायें और जांच कराकर सारे आंकड़े आप मंगाकर जो उचित पात्र हैं उनको तत्काल पेंशन मिलनी चाहिए। इसी प्रकार आप शरीर से अपंग, ब्लाइंड हैं उनको भी पेंशन के प्रावधान दे रहे हो। लेकिन आपने कैम्प कहां रखा? प्रत्येक पंचायत समिति में कम से कम कैम्प रखें। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि मेरे गांव में एक गरीब, एक मेवाड़ा कलाल का बच्चा है जो चल नहीं सकता है, फिर नहीं सकता है लेकिन Inspite of my all good attempts, आज दिन तक वह पेंशन प्राप्त नहीं कर रहा है। इसीलिए कम से कम आपके हड्डियों के डाक्टर का कैम्प रखवाइये और कैम्प रखाकर इस प्रकार के जो बिलकुल हर प्रकार से अपंग हैं, दुःखी हैं, पीड़ित हैं उनको पेंशन देने की व्यवस्था सुनिश्चित कीजिए और डाक्टर का कैम्प रखवाइये पंचायत समिति में। आपके समाज कल्याण मंत्री भी, नहीं आपके समाज कल्याण के जो जिला अधिकारी हैं इस तरफ उनका भी ज्यादा ध्यान नहीं है। इसलिए कम से कम इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए, तब तो हम कोई कल्याण कर सकते हैं। केवल मोटे-मोटे कागजों में, बजट में दुनियाभर के प्रचार करने से हमको फायदा नहीं होगा। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम वास्तविक रूप से उनकी जितनी... (व्यवधान) उनका जितना सहयोग कर सकें उतना करना चाहिए। मैं अन्त में आपको धन्यवाद देते हुए इतना ही निवेदन कर रहा हूं कि, क्योंकि आप बारबार और सदन का पांच बजे का समय भी है तो एक बात और कहना चाहता हूं। सभापति महोदय, जिनको शादी-ब्याह में जाना है वे चले गये। अब तो यहां जो बैठे हैं कोई शादी-ब्याह में जाने वाले नहीं है इसलिए हम बैठे हैं। सब सुनने के लिए तैयार हैं इसलिए आप बार-बार हमको इस बात के लिए इंगित मत कीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, दायमाजी और कन्हैया लालजी मीणा को

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

बुला दीजिए। एक ओ.बी.सी. का आदमी है साहब।

श्री हीरासिंह चौहान : धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : दायमाजी को बड़ा अनुभव है। कन्हैया लालजी को बुलवाइये।

श्री सभापति : श्री कन्हैया लाल मीणा।

श्री हरिसिंह (महुवा) : सिर्फ पांच मिनट।

श्री कन्हैया लाल : सम्माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से समाज कल्याण मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा। मैं माननीय सभापति महोदय, बहुत कम समय लूंगा। ...(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : सिर्फ दस मिनट है पांच बजने में।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप तो सीधे विषय पर आ जाओ। जरा जल्दी हो जाये।

मोहम्मद माहिर आजाद : सुझाव देओ, सुझाव। (व्यवधान)

श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : सभापति महोदय, मैं समाज कल्याण मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जब एस.टी. कमेटी ने छात्रावासों की जांच की, समाज कल्याण विभाग के जो छात्रावास हैं जैसे—चाकसू, कोटखावदा, तूंगा, बांसखोह और बस्सी। माननीय मंत्री महोदय, वहां पर छात्रावासों में लेट्रिन, बाथरूम बने हुए हैं लेकिन सारे के सारे बन्द पड़े हुए हैं। एक तो आप उनको चालू करवाइये। दूसरा, मेरा निवेदन है कि वहां पर उन बच्चों के स्नान के लिए न कोई बाल्टी की व्यवस्था है, न उनके पास लोटा है। लोटे और बाल्टी की व्यवस्था करवायी जाये। दूसरी बात, वहां के जितने भी छात्रावास हैं उनके न किंवाड़ हैं, न खिड़कियां हैं और न दरवाजे हैं। वह सारे टूटे पड़े हैं। छतें बरसात आते ही टपकती हैं और पानी उनमें से गिरता रहता है। जो बाउण्ड्रीवाल है, उनमें जगह-जगह गेट नहीं हैं। कई जगह बाउण्ड्रीवाल बनी हुई है। परन्तु तूंगा में बाउण्ड्रीवाल नहीं है और भी कई जगह, जहां बाउण्ड्रीवाल नहीं है, वहां बाउण्ड्रीवाल बनवाई जाये। तूंगा में तो एक बार रात्रि के समय में सर्प भी आ गया। मैं, माननीय मंत्री महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर कम से कम चाकसू में या जहां आपका रास्ता पड़ता है अगर आप एक बार निरीक्षण कर लें तो आपको पता लगेगा कि वास्तव में क्या हालत है जनजाति और जाति के छात्रों के साथ। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इन छात्रावासों की दुर्दशा को सुधारा जाये।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग, जिनको भूमि अलाटमेंट हो गयी और अलाटमेंट होने के बाद वह लोग उस पर काबिज हैं। आज उनको 16-16 वर्ष हो गये और उसके बावजूद उन लोगों के

(श्री कन्हैया लाल)

म्युटेशन, नामान्तरण खाली पटवारियों की वजह से नहीं खोला। वह भूमि जिस पर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग अलाटमेंट लैटर लेकर बैठे हुए हैं और म्युटेशन नहीं खुलने की वजह से आज वह दूसरों को अलाटमेंट करने के लिए प्रस्तावित हो गयी है। जैसे कानोता के अंदर 67 व्यक्ति हैं। कानोता में मात्र जे.डी.ए. की एन.ओ.सी. नहीं मिलने के कारण उन लोगों के म्युटेशन नहीं खोले गये और जे.डी.ए. को कलक्टर महोदय की तरफ से बार-बार लैटर लिखने के बावजूद भी जे.डी.ए. से एन.ओ.सी. नहीं मिली। उसके बाद में अन्य व्यक्तियों को एन.ओ.सी. दे दी गयी हैं और उनकी अलाटमेंट भूमि दूसरों को अलाट होने जा रही है। मेरा आपसे निवेदन है कि कानोता में ही है 67 व्यक्तियों का और सेवापुरा के एक बैरवा परिवार के जो पांच व्यक्ति हैं, उनकी रक्षा करने की आपसे मेरी गुजारिश है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, एक ही मिनट हुई है अभी तो। मेरा निवेदन है आपसे कि....

श्री सभापति : आपको दो मिनट हो चुके।

श्री कन्हैया लाल : अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी जिनका कार्य खनन कार्य करना है, जो भूमिहीन है जिनके पास और कोई कमाई का साधन नहीं है, उन लोगों के अलाटमेंट की एप्लीकेशन लगायी है। वहां दावा किया है, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक खनिज विभाग में जो पट्टा एक व्यक्ति को अलाटमेंट देते हैं, उसमें सौ-सौ मजदूर हैं। यदि उन सौ के नाम से एक भी अलाटमेंट लैटर और पट्टा दे दिया जाये तो वह वहां पर काम कर लें। अन्यथा सारे के सारे लोग इन मजदूरों का शोषण करेंगे। इसलिए यह ध्यान रखा जाये कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को खनिज का अलाटमेंट प्राथमिकता से होना चाहिये।

अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों पर अत्याचार के बारे में आपको काफी बता दिया है। जैसे भीलवाड़ा में किस प्रकार बलात्कार हुआ। जबरदस्ती करके उसको जला दिया गया। सीकर के अंदर तीन को जिन्दा जला दिया गया और बस्सी के अंदर शांति देवी को जिंदा जला दिया गया। ऐसे जो कारनामे होते हैं, इनको रोका जाना चाहिए। वास्तव में यह बात सही है, पहले भी माननीय सदस्यों ने बोला है कि एडवोकेट की नियुक्ति होनी चाहिए और आपकी तरफ से पूरा प्रोटेक्शन इन लोगों को मिलना चाहिए।

दूसरा, मेरा निवेदन है जनजाति मंत्री महोदय से, कि विद्युतीकृत गांवों में, जो माडा योजना के तहत विद्युतीकृत गांव हैं, उनमें आज तक जिन्होंने एप्लीकेशन लगायी, उनकी स्वीकृति नहीं की और आज जयपुर जिले के अंदर 1350 गांव माडा योजना....(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप समाप्त करें।

श्री हरिसिंह (महुवा) : समय सीमा समाप्त हो रही है।

श्री सभापति : आपने स्वयं ने ही कहा था, आप अपनी बात पर रहें।

श्री कन्हैया लाल : बस-बस, मैंने बोल लिया, माननीय सभापति महोदय।

श्री हरिसिंह (महुवा) : पांच मिनट रहे हैं। (व्यवधान)

श्री कन्हैया लाल : तो जो विद्युतीकृत गांव थे उनमें से मात्र एक गांव के लिए कुछ राशि आयी है। वह भी आज तक खर्च नहीं हो पायी है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आपने पहले तो नाम दिया नहीं, बीच में बोल रहे हैं। (व्यवधान) नाम तो पहले दिया नहीं।

श्री कन्हैया लाल : माडा योजना के लिए जिन्होंने आवेदन कर रखे हैं, उनके विद्युतीकृत के लिए राशि स्वीकृत की जाये। माडा योजना में पूरे जयपुर जिले को जहां 1300 गांवों के अंदर माडा योजना में, बाकी बिक्री योजना में गांव हैं उनमें मात्र दो हैण्ड पम्प, पांच साल में दो हैण्ड पम्प एक साल में आते हैं।

श्री सभापति : एक मिनट बिराजें। आज बिराजें एक मिनट। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि_(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : मेरे पांच मिनट और जोड़ लेना।

श्री सभापति : आप पहले प्रस्ताव तो सुन लो।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आपके लीडर बोल लिये न।

श्री जगत सिंह दायमा : क्या बात है, हम नहीं बोल सकते। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : क्या कह रहे हैं?

श्री जगत सिंह दायमा : हम नहीं बोल सकते क्या?

श्री सभापति : आप प्रस्ताव तो सुन लो पहले।

श्री हरिसिंह (महुवा) : लीडर के बोलने के बाद तो बोलते नहीं हैं। परम्परा यही है।

मोहम्मद माहिर आजाद : जनता में अच्छा मैसेज नहीं जाएगा कि आप रोज दस-दस बजे तक बैठे रहते हो और आज दलितों की और अनुसूचित जाति और जनजाति की मांग है तो आप जल्दी जाना चाह रहे हो। आप तो तीन घंटे समय बढ़ाओ। आठ बजे तक चलाओ इस सदन को आज आप।

श्री हरिसिंह (महुवा) : मान्यवर, यह पहले ही इम्प्रेशन दे दिया गया था कि

(श्री हरिसिंह)

शादियों की वजह से बहुत सारे लोगों को शादी अटेण्ड करनी है।

श्री जगत सिंह दायमा : शादी आज है। 26 तारीख को शादी थी। कल भी है। परसों भी है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बिराजें।

एक माननीय सदस्य : आज कोई शादी नहीं है। बहुत कम शादियां हैं आज तो।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : समय सीमा समाप्त हो रही है। सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय मांग संख्या-30 और 33 के पारित होने तक बढ़ा दिया जाये।

श्री सभापति : सदन का समय मांगें पारित होने तक बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

मांग संख्या-30 एवं 33 पर विचार

श्री जगत सिंह दायमा : अब तो मैं बोलूंगा।

श्री कन्हैया लाल : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय समाज कल्याण मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जाति और जनजाति के लोगों के लिए फरवरी माह में....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजें अब।

श्री कन्हैया लाल : खाली एक मिनट। एक मिनट।

श्री सभापति : समय बढ़ा दिया इसका मतलब यह नहीं कि आप बोले जायें फिर।

श्री कन्हैया लाल : एक मिनट। माननीय समाज कल्याण मंत्री महोदय, जनजाति के लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि वह एक से ज्यादा शादियां कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं माननीय मंत्री महोदय, यह बहुत गलत निर्णय हुआ है और मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि आप इसमें प्रोटक्शन देकर हमको इस प्रकार का सहयोग करें जिससे यह आदिवासी लोग अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग पहले ही गरीब व्यक्ति हैं, अतः एक ही शादी उनकी रहे तो इसके अंदर आप कोर्ट को सिफारिश करें कि एक शादी के लिए सिफारिश की जाये।

श्री सभापति : समाप्त करें। धन्यवाद।

श्री कन्हैया लाल : ठीक है, धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी आप।

श्री जगत सिंह दायमा : अजी साहब, क्या बात कर दी? पांच मिनट के लिए क्या दिक्कत है? अच्छा मंत्रीजी अगर कह दें इस बात को कि दायमाजी बोलने

(श्री जगत सिंह दायमा)

चाहिये तो, आर यू एग्रीड? माननीय मंत्री महोदय, मैं कुछ सुझाव दूंगा आपको, वह अच्छे रहेंगे। नहीं तो मंत्रीजी, बीच में गड़बड़ झाला होगा।

श्री बनवारी लाल बैरवा : बोलने दें।

श्री सभापति : माननीय जगत सिंह जी।

श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर) : सभापति महोदय, आज मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे समाज कल्याण के मंत्रीजी हमारे दलित वर्ग से, हमारे वर्ग से हैं। नहीं तो मनुवादी होता तो कतई टाइम नहीं देता। मैं धन्यवाद देता हूं...(व्यवधान)

श्री सभापति : आप समय का बहुत ध्यान रखना।

श्री जगत सिंह दायमा : बस बीस मिनट।

श्री हरिसिंह (महुवा) : बीस मिनट तो मंत्रीजी ही नहीं लेंगे।

श्री सभापति : मंत्रीजी की उदारता का आप एडवांटेज मत ले लेना।

श्री जगत सिंह दायमा : सभापति महोदय, मैं कोई ऐसी बातें नहीं कहूंगा जो कि लोगों को ध्यान नहीं है, मैं तो उस चीज को उजागर करना चाहता हूं, बस यह मेरा मानना है, ध्येय है। सभापति महोदय, वैदिक काल से ही वैसे तो हमारे दलित...(व्यवधान) पांच मिनट में खतम कर दूंगा ज्यादा से ज़्यादा।

श्री हरिसिंह (महुवा) : इतिहास क्या पढ़ना है?

श्री सभापति : आप तो बोले जाओ।

श्री जगत सिंह दायमा : वैदिक काल में ही हमारे समाज को वैसे तो कई भागों में बांट दिया। जब से...(व्यवधान) अब देखो, सुन लो। बीच में टोकना अच्छी बात नहीं है। जब से मनु साहब पधारे थे इस दुनिया में, उन्होंने तो इस समाज का, इस देश का ऐसा हाल कर दिया, उन्होंने 6500 जातियों में हमारे दलित वर्ग के लोगों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को बांट दिया। सभापति महोदय, बांटने के बाद हरेक व्यक्ति को कान में यह कह दिया गया कि तेरी जाति फलाने से बड़ी है, तेरी जाति उससे बड़ी है, तू उसके साथ मत बैठ। यह देश का दुर्भाग्य उसी समय से चालू हो गया था जब से मनु ने इस समाज का बंटवारा कर दिया, जातियों का बंटवारा कर दिया, वर्ण व्यवस्था हो गयी। हम मनु के खिलाफ क्यों हैं? मनु के खिलाफ हमारा विरोध मात्र इसलिए है कि उन्होंने समाज को हजारों-हजारों हिस्सों में बांट दिया और हरेक को एक से एक बड़ा कर दिया। ब्राह्मण जाति को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ माना। उसके बाद में क्षत्रिय जाति को माना, उसके बाद वैश्य को माना, उसके बाद शुद्र और अति शुद्र को माना।

(17.00 बजे)

सभापति महोदय, मैं जो विशेष बात कहना चाहता हूं वह केवल मात्र यह है कि आज 70-75 और वैसे तो कहना चाहिए

(श्री जगत सिंह दायमा)

80 परसेंट लोगों को तो एक तरह से अछूत मान लिया। उनको, अछूतों को सिर्फ काम करने का हक मिला हुआ था कि तुम काम करोगे परन्तु उनको सम्पत्ति रखने का कभी हक नहीं मिला। जो भी कमाते थे वो अपने राजाओं-महाराजाओं, पंडित और ब्राह्मण को दे दिया करते थे इसलिए उनकी दीन हालत हो गयी। उदाहरण के तौर पर मैं यह कहना चाहता हूं कि एक शरीर है उस शरीर में चेहरा सुन्दर तब रह सकता है जब आपके पैर भी मजबूत हों, आपके हाथ भी मजबूत हों। अगर आपका हर हिस्सा मजबूत हो तो चेहरा खिला रहेगा। सभापति महोदय, हो क्या रहा है? आज 15 परसेंट लोग जो बैठे हुए हैं वे यह कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हमारी व्यवस्था ही समाज में कायम रहे और दूसरे लोग चाहे जो भी करें परन्तु उनकी जेब में दो पैसे भी नहीं बचने चाहिए।

सभापति महोदय, इसलिए आज हाल खराब है, हमारा देश तरक्की नहीं कर रहा क्योंकि यहां जातिवाद का घोर अन्याय है। दूसरे देशों में यह जातिवाद नहीं है। हमारे देश को भी भुगतना पड़ा, मोहम्मद गजनवीजी जब विदेश से आये और हमारे मंदिरों को खंडित करने के लिए आये, सोमनाथ के मंदिर में गये तो इन पंडितों ने कहा, भाई, तुम चिंता मत करो, यह कुछ नहीं कर सकता। यह जब सोमनाथ की मूर्ति के सामने आयेगा तो खुद ब खुद खतम हो जायेगा। इसलिए तुम को चिंता करने की जरूरत नहीं है। सभापति महोदय, वह आगे बढ़ता रहा, बढ़ता रहा। दूसरे लोगों को यह अधिकार ही नहीं था कि वे सैनिक बन कर लड़ सकते थे। एक ही लोगों को अधिकार था, क्षत्रीय लोगों को कि वे ही लड़ सकते थे। वे तो काम आ गये और जब सोमनाथ के मंदिर पधारे तो सोमनाथ की मंदिर के सामने आते ही मूर्ति को कट कर दिया। अगर यह हाल नहीं होता...

श्री बनवारी लाल बैरवा : सभापति महोदय, माननीय विधायकजी से मेरा आग्रह यह है कि समाज कल्याण पर भी बोलें।

श्री जगत सिंह दायमा : अच्छा समाज का कल्याण, अब समाज का कल्याण, ठीक है, साहब। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : यह वैदिक काल से चल रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, वैदिक काल से चल रहे हैं।

श्री जगत सिंह दायमा : सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता था कि अगर वर्ण व्यवस्था नहीं होती तो हम लोग भी सेना में भर्ती होते।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी, यह आप ही थे, आप ही ने कृपा की थी।

श्री जगत सिंह दायमा : पांच मिनट, साहब। सेना में भर्ती होते तो हम आक्रमणकारियों का मुकाबला कर सकते थे परन्तु हमें नीचे रखा गया।

अब, सभापति महोदय, मजा तो आयेगा नहीं, परन्तु दो-तीन बातें मैं कह देता हूं।

(श्री जगत सिंह दायमा)

सभापति महोदय, नीचे के लोगों को कैसे ऊपर लाया जाय, इसके लिए प्रयास हुए और मैं आज निवेदन करना चाहता हूं सबसे पहले 1902 में साहू महाराज ने यह प्रयास किया कि हम, जो पिछड़े समाज के लोग हैं, उनको आरक्षण देना चाहिए। साहू महाराजजी ने 1902 में अपने राज में 50 परसेंट आरक्षण दिया था। आज आप लोग और हम लोग यह कह रहे हैं कि कांग्रेस ने आरक्षण दिया, बीजेपी. वाले कह रहे हैं हमने दिया, साहू महाराजजी ने सबसे पहले 1902 में 50 परसेंट आरक्षण दिया।

सभापति महोदय, समाज कल्याण की बात है, उस समाज का कल्याण कैसे हो सकता है जिसमें 80 परसेंट लोग रहते हों और उनकी औरतों को पढ़ने-लिखने का अधिकार नहीं हो। मैं कहना चाहता हूं, मैं आज याद करना चाहता हूं महात्मा ज्योतिबा फूले को, जिन्होंने यह कार्य किया, खुद पढ़े-लिखे और अपनी पत्नी को सबसे पहले उन्होंने पढ़ाया और फिर शिक्षा लागू की थी, स्त्री में भी शिक्षा लागू हो।

सभापति महोदय, समाज कल्याण तब हो सकता है जब अच्छी तरह से सच्चाई का, अच्छाई और बुराई का कम से कम उसको मालूम तो पड़े कि अच्छाई और बुराई में फर्क क्या है। जब हम लोग अनपढ़ रहेंगे तो हम लोग कैसे पढ़ पायेंगे। इसलिए, सभापति महोदय, मैं याद करना चाहता हूं महात्मा ज्योतिबा फूले को और उसके बाद महान डा. भीमराव अम्बेडकरजी को कि उन्होंने इस मुहिम को, उनकी मुहिम को आगे बढ़ाया। उन्होंने एक बात कही कि, ऐ भारत देश के लोगों, ऐ दलित, पिछड़े समाज के लोगों, तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा जब तक तुम संगठित नहीं होंगे, जब तक तुम संघर्ष नहीं करोगे, जब तक तुम शिक्षित नहीं बनोगे और जब तक तुम शिक्षित नहीं बनोगे तब तक तुम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए महान भीमराव अम्बेडकर ने यह मुहिम चलायी और कहा, ऐ पिछड़े लोगों, ऐ बेजुबान लोगों, जब तक तुम इकट्ठे होकर के खुद राज नहीं बनाओगे, खुद राजा नहीं बनोगे, खुद इस लोकतंत्र व्यवस्था पर अगर काबू नहीं करोगे तब तक तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। उसी ध्येय को लेकर के इस देश में 76 पार्टियां बनीं। सभापति महोदय, बहुजन समाज पार्टी बनने का कोई औचित्य नहीं था। अगर और पार्टियां दलित वर्ग को उठा कर चलती तो बहुजन समाज पार्टी का निर्माण नहीं होता। माननीय काशीरामजी ने बहुजन समाज पार्टी का निर्माण सिर्फ इसलिए किया कि दूसरी पार्टियां वायदा करती हैं, वे वोट के समय आ करके सपने देती हैं लुभावने, आपको कहती हैं परन्तु कभी आपका वायदा पूरा नहीं करती। इसलिए, मान्यवर, हमारे माननीय काशीराजजी, जो बहुत बड़े सांइटिस्ट थे। उन्होंने नौकरी छोड़ करके और बहुजन समाज पार्टी का गठन इसलिए किया कि, बहुजन समाज पार्टी के लोगों, तुम यहां आओ, तुम्हारा उद्धार सिर्फ बहुजन समाज पार्टी कर सकती है और कोई नहीं कर सकती।

(श्री जगत सिंह दायमा)

बस एक मिनट कहना चाहता हूं। उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूं कि साढ़े चार महीने का राज बहन मायावती का रहा, 6 महीने का राज एक बार और बहन मायावतीजी को मिला।

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य, राजस्थान पर बोलो।

श्री जगत सिंह दायमा : तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने बाबा भीमराव अम्बेडकरजी की मूर्ति जगह-जगह, गांव-गांव में लगायी। सभापति महोदय, समाज का कल्याण कैसे हो, तो उन्होंने योजना बनायी, जिस गांव में ज्यादा दलित रहते हैं उसमें सारी सुविधाएं दी जाएं। बिजली की भी, पानी की भी और सड़क की भी सुविधा दी जाय। इससे दूसरे लोगों को यह लगा कि हमारे गांव में दलित वर्ग नहीं होता तो आज हमें बिजली नहीं मिलती, सड़क नहीं मिलती, आज हमारे लिए पानी की व्यवस्था नहीं होती, स्कूल की व्यवस्था नहीं होती, चिकित्सा की व्यवस्था नहीं होती। इसलिए दूसरे समाज में उनको गले लगाना शुरू कर दिया।

सभापति महोदय, मैं अच्छी बात कह रहा हूं, यह क्या ब्याह-शादियां होती हैं जो आपको चिंता हो रही है? कौनसे आपके बेटे की, और की शादी है, हम देख लेंगे, पांच मिनट दे दो कोई दिक्कत नहीं है।

श्री सभापति : आपको पांच मिनट का समय मंत्रीजी ने दिया है।

श्री जगत सिंह दायमा : इसलिए, सभापति महोदय, बहन मायावती ने यह योजना बनायी और आगे चला। सभापति महोदय, जब तक हम पिछड़े, दलित समाज के लोगों को इज्जत नहीं देंगे, जब तक उनको यह महसूस नहीं होगा कि हमारा भी राज है तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, सभी ने चिंता व्यक्त की है इसके ऊपर। कोई दलित समाज का विषय नहीं है।

श्री जगत सिंह दायमा : सभापति महोदय, क्या बिगड़ जाता इस सरकार का अगर यहां पर विधान सभा में बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लग जाती? क्या बिगड़ जाता? परन्तु कभी ध्यान नहीं देते। इस बात को मैं कहना चाहता हूं, मंत्री महोदय, बनवारी लालजी तो महान हस्ती हैं, महान व्यक्ति हैं, इनका दिल जरूर है इसको करने के लिए परन्तु क्या करे, मनुवादियों की नकेल डली हुई है। उस नकेल को तोड़ना चाहते हैं हम और तब जा करके हम देखना चाहते हैं आपको कि आप आगे जा करके बहुत बड़ी हस्ती बनो। इसलिए, सभापति महोदय, अगर बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति यहां नहीं लगी तो हम सब लोग, पिछड़े, दलित वर्ग के लोग, हम आन्दोलन करेंगे और अगली विधान सभा तो चलने नहीं देंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, कि जब तक इस समाज को इज्जत नहीं दोगे, जब तक बराबरी का दर्जा नहीं दोगे, आप मुझे घी और बुरा दे दो और दो थप्पड़

(श्री जगत सिंह दायमा)

पहले मार दो कि ले भाई, यह घी और बूरा खा ले। कौन खायेगा?

श्री हीरासिंह चौहान : सभापति महोदय, इंटरवीन करना चाहता हूं। जब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को कहते हैं, महात्मा गांधी की क्यों नहीं लगे?

श्री जगत सिंह दायमा : आप कहो, जगत सिंह दायमा, रोटी नहीं है, आप एक गिलास पानी पी लो तो मैं उसको स्वीकार कर लूंगा। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : अकेले भीमराव अम्बेडकर की ही क्यों लगे औरों की क्यों नहीं लगे। अकेले भीमरावजी ही थे क्या, देश को आजादी दिलाने वाले तो बहुत थे उनकी मूर्तियां लगनी चाहिए। अकेले भीमरावजी की ही क्यों मांगते हैं? जितने भी महापुरुष हुए उन सबकी लगाओ न। अकेले भीमराव ही थे क्या? चार-पांच मूर्तियां लगे। पृथ्वीराज चौहान की क्यों नहीं लगे, महाराणा प्रताप की क्यों नहीं लगे जो देश के लिए सबसे महान ड्राइव हुए हैं।

श्री जगत सिंह दायमा : जब तक सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा तब तक समाज का भला होने वाला नहीं है। (व्यवधान) सभापति महोदय, मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री जगत सिंह दायमा : सभापति महोदय, मैं कांग्रेस सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं, किस बात के लिए, कि इस भवन के चारों तरफ जो चार गेट हैं उनके ऊपर बहुजन समाज पार्टी के हाथी ही हाथी लगवा दिए। अब तो हाथी तो आना ही आना है इसलिए भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति आप नहीं लगाएंगे तो दलित और पिछड़ा उठेगा अगली बार उठा कर आपको फेंक देगा, हम लगायेंगे और भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति यहां पर लग करके मिलेगी। समाज में हमको बराबर का हिस्सा नहीं मिला तो आन्दोलन होगा।

श्री नन्दलाल मीणा : और गुम्बद पर कमल लग रहा है। गुम्बद पर कमल लगाया गया है आप देख लेना जाकर, वह लग रहा है काम चालू हैं।

श्री सभापति : आप तो चालू रखें।

श्री जगत सिंह दायमा : आपकी जो पार्टी है कमल का फूल वह कीचड़ में लग रहा है हमको तो आप नीचे ही लगवा दें कोई दिक्कत नहीं है। गुम्बद के ऊपर तो आप चढ़ जाना।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप समाप्त कीजिए।

श्री जगत सिंह दायमा : सभापति महोदय, मेरे तीन-चार सुझाव हैं। नम्बर एक, दलितों में पद दलित, अछूतों में अछूत, शूद्रों में अतिशूद्र और वाल्मीकि मेहतर समाज के लिए राष्ट्रीय आयोग तथा राष्ट्रीय निगम की भांति राज्य स्तर पर भी सफाई कर्मचारी आयोग एवं वित्त निगम बनाया जाए, सफाई का कार्य ठेकेदार को मत दो। ठेकेदार लोग सफाई का कार्य करते हैं।

(श्री जगत सिंह दायमा)

परन्तु वे हमारा शोषण करते हैं। राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों की शीघ्र नियुक्ति की जाए। राष्ट्रीय स्वच्छकार योजना की राशि, जितनी केन्द्र सरकार ने दी है उसका पूरा सदुपयोग किया जाए और पिछड़े वर्ग के लोगों को साहू महाराज की जिन्होंने आरक्षण दिया है, साहू महाराज की भी मूर्ति लगायी जाए और राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग, वित्त एवं विकास सहकारी निगम का गठन किया जाए। यही सब बातें बोल कर मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

एक माननीय सदस्य : जगत सिंहजी की भी लगायी जाए।

श्री जगत सिंह दायमा : मेरी मूर्ति नहीं लगायी जाए, मैं योग्य नहीं हूं।

श्री सभापति : आपको भी धन्यवाद। माननीय मंत्रीजी।

श्री बनवारी लाल बैरवा (समाज कल्याण मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं जिन्होंने आज समाज कल्याण, सामाजिक सुरक्षा एवं जनजाति क्षेत्रीय विकास जैसे महत्वपूर्ण विषय के ऊपर अपने विचार प्रकट किए हैं और बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। माननीय सभापतिजी, इस देश के अन्दर सामाजिक संरचना में भी कुछ ऐसी गड़बड़ उस दौर में हो गयी जिसके कारण कुछ समाज का भाग बहुत ऊंचा चला गया और कुछ भाग बहुत नीचे चला, गया और उसके कारण बहुत दिक्कतें देश में भी रहीं और उसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ा। इसके लिए, जब जंगे आजादी का दौर चल रहा था तो हमारे देश के महान नेताओं ने उस आजादी की जंग के दौरान ही जो विचार-विमर्श किए उसमें बहुत महत्वपूर्ण विषय यह भी था कि इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी जनसंख्या और उसके बावजूद हम लोग जरा सा भी कोई बाहर से आक्रमण करने के लिए आया और उनसे दबते हुए चले गए और वह अब पूरे देश के ऊपर छाते चले गये। बहुत गम्भीर उसके ऊपर सोच विचार हुआ तब वे इस नतीजे पर पहुंचे कि देश का एक बहुत बड़ा भाग, जिसको एक बराबर का दर्जा दिया जाना चाहिए था उसको दर्जा नहीं दिये जाने के कारण देश के अन्दर बहुत सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ हो गयीं और उसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ा। तो उस दौर में इस बात को तय किया गया कि अगर हम लोग जिस रोज कामयाब होंगे अपने मिशन में तो उसके बाद किस तरीके से उस व्यवस्था के अन्दर से ऐसा रास्ता निकालेंगे कि जिससे वह वर्ग ऊपर उठे और सामान्य स्थिति के ऊपर आये। और पूरे इस देश का जो मैनस्ट्रीम है उसके अन्दर वह सम्मिलित हो जाए। तो उसमें उस दौर के अन्दर जो बातें मुख्य रूप से रखी गयी थीं उनमें शिक्षा पर मुख्य रूप से जोर दिया गया कि अगर उनका उत्थान करना है तो शिक्षा के ऊपर जोर दिया जाना चाहिए। उसके बाद उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारा जाना

(श्री बनवारी लाल बैरवा)

चाहिए, उनको शिक्षा दी जानी चाहिए, आर्थिक उत्थान किया जाना चाहिए, सामाजिक समता दी जानी चाहिए और एकदम नये तरीके की व्यवस्था आनी चाहिए उसके लिए जो प्रयत्न हुए उनमें बहुत महत्वपूर्ण प्रयत्नों में से एक है। बाबा भीमराव अम्बेडकर जो हमारे दलितों के मसीहा हैं उन्होंने जो भारत का संविधान दिया उस संविधान के अन्दर कुछ ऐसे प्रावधान उन्होंने किए कि मनुष्य के लिए यह अधिकार तो वह है जिनके बिना आदमी का जीवन चल नहीं सकता, वह फण्डामेंटल राइट्स उन्होंने दिए। उन फण्डामेंटल राइट्स के तहत समानता और समता का व्यवहार देश पर निर्भर है।

माननीय सभापतिजी, इस देश के अन्दर बहुत लम्बे अरसे से आज तक कांग्रेस का शासन रहा है। निश्चित रूप से शुरू में कांग्रेस ही यहां पर शासित रही है और जो कुछ हरिजनों और गिरिजनों के बारे में सोच उनका था उसके तहत ही वह सब कार्यक्रम बने और वह कार्यक्रम चल रहे हैं और आज उनके परिणाम अच्छे आ रहे हैं। उन परिणामों के तहत सभी राज्यों में भी काम हो रहा है। लेकिन हमारे राज्य के अन्दर. हमारे हरदिल अजीज नेता श्री अशोकजी गहलोत का जबसे राज आया है, एक वातावरण बना है हमारे इस प्रान्त के अन्दर कि गरीब को, हरिजन को, गिरिजन को, अशक्त को, निशक्त को, विधवा को और वृद्धि को किस तरीके से हम सम्मानित करें, कैसे उनको उठाये और कैसे उनको मजबूती दे। माननीय सभापतिजी, उसके तहत हमने यह देखा कि समाज कल्याण की जो योजनाएं हैं ये तो अपनी जगह हैं लेकिन इनके अलावा बहुत सारी ऐसी योजनाएं बनायी गयीं। अभी डाक्टर साहब बहुत ठीक कह रहे थे कि मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष एक ऐसी योजना बनायी गयी कि जिसके बारे में कभी कोई गरीब आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वह अपने इलाज के लिए कोई दो लाख रुपये की सोच रखे, डेढ़ लाख रुपये की सोच रखे और एक लाख रुपये की सोच रखे। वह आज मूर्त रूप से चल रही है। जीवन रक्षा कोष के तहत 23 लाख ग्रीन कार्ड जारी किए गए। गरीब जो. बी.पी.एल. सर्वे के अन्दर हैं, नीचे हैं, उनको मुफ्त में दवाइयां दी जा रही हैं। उन गरीबों को जो बी.पी.एल. सर्वे में हैं, बहुत खतरनाक बीमारी से वो ग्रसित हैं तो उनके इलाज के लिए डाक्टर्स की रिकमंडेशंस पर उनको पूरा पैसा दिया जाता है। यही नहीं है कि बी.पी.एल. सर्वे में जो हैं उनको ही दिया जाता है, बी.पी.एल. सर्वे के अन्दर, जितनी उसकी आमदनी होती है उससे ज्यादा आमदनी होने पर भी अगर कोई यह चाहता है कि मेरी मदद हो। चूंकि यह सही है कि बी.पी.एल. सर्वे में पिछले दिनों जब यह किया गया तो वह सही नहीं रहा। कई जगह उसके अन्दर गलतियां रहीं जो बी.पी.एल. सर्वे में आने वाले लोग थे, रह गये और कुछ लोग ऐसे थे जो नहीं आने चाहिए थे, वह भी आ गये। तो ऐसे लोगों के लिए भी एक रास्ता तय किया

(श्री बनवारी लाल बैरवा)

गया कि बी.पी.एल. सर्वे के अन्दर जितनी आमदनी होनी चाहिए उससे ज्यादा आमदनी, उससे दुगुनी आमदनी तक भी, अगर कोई बीमार है तो उसकी भी मदद की जाएगी। वह चालीस प्रतिशत की जाएगी। यह एक बहुत बड़ा कदम था और उसका राजस्थान के अन्दर बहुत लोगों ने लाभ लिया है, उसको बहुत फायदा मिला है।

इसी तरीके से माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दूसरी योजना चालू की "रोजगार योजना" उसके तहत कियोस्क यहां पर तैयार किए गए। चार लाख कियोस्क की योजना है। वह उन लोगों के लिए है जो बी.पी.एल. के अन्दर आते हैं उनको वह अलाट किए जायेंगे ताकि वे वहां पर बैठकर जीवनयापन कर सकें और अपने पैरों पर मजबूती से खड़े हो सकें।

सभापति महोदय, समाज कल्याण की भी अनेक योजनाएं हैं जिनसे समाज के बहुत बड़े वर्ग को लाभ दिया जा रहा है। उसमें छात्रवृत्तियां मुख्य रूप से शुरू में दी गयी जो आज भी निरन्तर चालू हैं जो अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों को छोटी क्लास से लगाकर ऊंची से ऊंची पढ़ाई तक छात्रवृत्ति मिली। स्वच्छकार बच्चों के लिए पहली क्लास से ही चालू कर दी गयी है वह छात्रवृत्ति वहां पर एक से चौथी क्लास तक चालीस रुपये, बाद में आठवीं क्लास तक पचास रुपये, बाद के अन्दर नब्बे रुपये से चार सौ पच्चीस रुपये तक की वह योजना चालू है। उससे हमारे देश के लोग काफी लाभान्वित हो रहे हैं।

उसके साथ ही छात्रावासों की योजना थी। छात्रावासों की, जब यह सरकार आयी तो चारों तरफ से यह शिकायतें भी हुई, हमारे मुख्य मंत्रीजी और हमारे और साथियों ने हमारे विधायकों ने भी कई जगह यह चर्चाएं की कि उनके हालात अच्छे नहीं हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उसके ऊपर बहुत गम्भीरता से विचार करके यह कहा कि ठीक है 450 रुपया जो मैस अलाउंस है वह पर्याप्त नहीं है इसलिए उन्होंने उसको बढ़ा करके 675 रुपये किया जो एकदम ड्योढ़ा है। उससे जो 450 थे उससे ड्योढ़ा हुआ। उससे काफी राहत मिली। उससे उन बच्चों को जिनको पहले नाश्ता नहीं मिलता था, अब नाश्ता भी मिल रहा है और वह ठीक तरीके से अपना भोजन प्रसादी करके अपनी पढ़ाई के अन्दर लगे रहते हैं।

श्री हरिसिंह (महुवा) : गलत जगह बैठ रहे हो।

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय सभापतिजी, इस समय राज्य में 602 छात्रावास चल रहे हैं। उन 602 छात्रावासों के लिए अभी कुछ बातें हमारे माननीय सदस्यों ने कही....

श्री जगत सिंह दायमा : सभापति महोदय, माफ करना, अब यह अंधकार है, अब माननीय मंत्रीजी आप यहां आये और पीछे से किसी ने छींक दिया 'आपको सीट

(श्री जगत सिंह दायमा)

बदलनी पड़ी। अब सरकार इस तरह के अंधविश्वासों में...(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : मंत्रीजी आचार विचार में...(व्यवधान) अपनी सीट पर जाकर बैठे हैं।

श्री जगत सिंह दायमा :अब आपके सामने ही देख लो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैंने कोई सीट नहीं बदली। मैं तो इस + + + दूर रहना चाहता था।

श्री सभापति : अब बोलो जगत सिंहजी हो गया आपका समाधान।

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय सभापतिजी, हमारे देश में इस समय 602 छात्रावास चल रहे हैं। उन छात्रावासों की स्थिति का वर्णन अभी कुछ साथियों ने किया है, माननीय विधायकों ने किया है। उसमें मैंने एक व्यवस्था दी थी कि चूंकि विधायक बहुत जिम्मेदार व्यक्ति अपने क्षेत्र के होते हैं। उनकी अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया। वह माननीय विधायक अध्यक्ष होंगे, अगर ग्रामीण क्षेत्र में है प्रधान उसके उपाध्यक्ष होंगे, सरपंच है तो सरपंच भी निश्चित रूप से होंगे वह उनके सदस्य होंगे। समाज कल्याण अधिकारी होगा और छात्रावास का अधीक्षक होगा। अभी हमारे एक माननीय विधायकजी कह रहे थे कि हमको कभी आमंत्रित नहीं किया लेकिन मेरे एक माननीय विधायक ने साथ ही उनको सुझाव दिया आप जब अध्यक्ष हैं उस कमेटी के तो आपको तो कोई आवश्यकता ही नहीं है उनके आमंत्रण की। आप स्वयं जाकर कहिये कि हम मीटिंग करेंगे, इसको देखेंगे और उसके बाद जो भी कोई उसमें कमी देखते हैं उसको सुधारने की अपने लेवल पर कर सकते हैं तो उसको करें। अगर वहां संभव नहीं है तो यहां पर सुझाव भेजें उसके अनुकूल जो कुछ किया जा सकता है वह करने का प्रयत्न किया जाएगा।

बिल्डिंग्स के मामले के अन्दर इन दिनों अकाल राहत के काम चल रहे हैं। अकाल राहत के कामों से कहीं उनको जोड़ सकते हैं, उनकी बाउण्ड्री अगर नहीं है तो जोड़ सकते हैं। आगे बस्सी से आने वाले माननीय विधायकजी कुछ छात्रावासों की शिकायत कर रहे थे तो माननीय विधायकजी अपने कोटे से भी चूंकि बहुत ज्यादा राशि की बात नहीं है, वहां पर बच्चे पढ़ रहे हैं, छात्र पढ़ रहे हैं, जो कोई कमी है आप अपने कोटे से कर सकें तो बहुत अच्छे, नहीं कर सकें तो आप लिख करके भेजे। चूंकि आप अध्यक्ष हैं उस प्रबन्ध समिति के लिहाजा उसका इन्तजाम किया जा सकेगा।

श्री कन्हैया लाल : मंत्री महोदय, लैट्रिन बाथरूम जितने भी हैं वह सब बने हुए हैं

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री कन्हैया लाल)

लेकिन वह सारे बंद पड़े हुए हैं और बच्चों को लेट्रिन बाथरूम जाने नहीं देते।

श्री सभापति : माननीय सदस्य आप बिराजें।

श्री बनवारी लाल बैरवा : मैं उसको दिखवा लूंगा। माननीय सभापतिजी, आवासीय विद्यालयों का बहुत अच्छा सोच देश के अन्दर डवलप हुआ। अभी मौजूदा स्थिति में दो आवासीय छात्रावास इस समय प्रदेश के अन्दर चल रहे हैं। एक टोंक में और एक अटरू के अन्दर। अटरू में लड़कों का है और टोंक के अन्दर लड़कियों का है। उन्हीं के तहत में उन्हीं के अनुरूप जर्मन के सहयोग से, के.एफ.डब्ल्यू. एक संस्था है उसके माध्यम से बारह आवासीय विद्यालय और बनाने का फैसला हो रहा है। वह तीन चरणों में बनेंगे। चार आवासीय विद्यालयों का काम चालू हो गया, चार के लिए भूमि आबंटित हो गयी है और चार के बारे में जगह तलाश की जा रही है। तो बारह आवासीय विद्यालय हैं।

डा. किरोड़ी लाल : इनको बनाने का आप आधार या मापदण्ड क्या तय करेंगे? जैसे आप वहां के मंत्री हैं, आपने टोंक में बना दिया, आगे इसके आप कोई निर्धारित मापदण्ड तय करेंगे?

श्री बनवारी लाल बैरवा : इसका मापदण्ड तो यह है कि कुछ जिले आइडेंटीफाई किये हैं जहां पर यह देखा जा रहा है कि जहां गुरबत ज्यादा है, जहां गरीबी ज्यादा है और जहां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग ज्यादा हैं तो वहां पर उसको स्थापित किया जा सकता है। माकूल जगह देखेंगे। चूंकि आवासीय विद्यालय है उसके लिए 25-30 बीघा जमीन की आवश्यकता होती है, बहुत बड़ा परिसर होता है और उसमें पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, अध्यापक हमको मिल जायं बस यही उसका कुलमिलाकर होता है। तकरीबन एक आवासीय विद्यालय चार करोड़ की लागत से है लिहाजा वह बहुत बढ़िया किस्म का विद्यालय हो। जब यह सब विद्यालय बन कर तैयार हो जायेंगे तो तकरीबन दस हजार विद्यार्थी जो अनुसूचित जाति-जनजाति के, जहां पहले सोच था कि इन्हीं को रखा जाय लेकिन अब उस सोच के अन्दर थोड़ा संशोधन हमने किया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप करेंगे तो निर्धारित मापदण्डों के आधार पर ही? मैं माफी चाहता हूं कि आप इतना ही बता दें कि आप इनका चयन निर्धारित मापदण्डों के आधार पर करेंगे या राजनीतिक आधार पर करेंगे?

श्री हरिसिंह (महुवा) : पहले जवाब पूरा हो जाए।

श्री बनवारी लाल बैरवा : कोई राजनीतिक आधार नहीं है उसका। वह तो जगह चिन्हित होती है, जहां माकूल जगह होती है।

श्री जगत सिंह दायमा : दोनों आधार पर करेंगे। राजनीतिक पर भी करें तो क्या दिक्कत है। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य पहले उत्तर सुन लें उसके बाद में आपको पूछना हो जो आप पूछ लें।

डा. किरोड़ी लाल : यह कौनसे मंत्री हैं?

एक माननीय सदस्य : व्यवधान मंत्री।

श्री बनवारी लाल बैरवा : अब जहां काम चालू हो गया है आवासीय विद्यालयों का, कोटा, जालौर, डूंगरपुर, बाँसवाड़ा, इन चार जगहों पर काम चालू हो गया है और चार जगह जहां पर स्थान चिन्हित किया गया है, जोधपुर, नागौर, पाली, सवाईमाधोपुर, इसके अलावा अब जो भविष्य के अन्दर किये जायेंगे तो वह चार और होंगे जिनके अन्दर भीलवाड़ा, बीकानेर, दौसा और करौली हैं। यह चार उसके अन्दर शेष जो रहें हैं उसमें यह कुलमिलाकर बारह आवासीय विद्यालय होंगे और यह एक बहुत बड़ा काम होगा जो हमारी सरकार की बहुत भारी उपलब्धि होगी। हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी इसमें विशेष रूप से रुचि लेते हैं।

जैसा अभी प्रतापगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ चिन्ता व्यक्त की थी जनजाति क्षेत्र के अन्दर कि वहां पर जो पांच आवासीय विद्यालय बन रहे हैं, मैं इस विचार का हूं और मेरा यह निश्चय है कि उनमें से हम चार आवासीय विद्यालयों को चालू करेंगे।

श्री नन्दलाल मीणा : चालू करेंगे या पूरा करेंगे?

श्री बनवारी लाल बैरवा : उनके काम चालू करके जो भी काम बाकी है उन कामों को पूरा करके उनमें पढ़ाई चालू करेंगे।

माननीय सभापतिजी, बीस सूत्री कार्यक्रम के तहत इस वर्ष में 2000-2001 में 2,41,104 परिवारों को लाभान्वित किया गया है। यह भी अपने आप में बहुत बड़ा काम है।

माननीय सभापतिजी, हरिजन अत्याचार के लिए एक एक्ट बना हुआ है और उस एक्ट के तहत उसका क्रियान्वयन यहां हो रहा है। उसमें एक जो कमी रह गयी थी, कमी क्या वैसे तो बात तो वह आ गयी थी 1995 के अन्दर ही कि अनुसूचित जाति-जनजाति के लोग जो पीड़ित हैं जिन पर अत्याचार किये गये हैं उनके ऊपर अगर जुल्म होता है, हत्या होती है, बलात्कार होता है स्थाई रूप से उनको अशक्त कर दिया जाता है और अस्थाई रूप से अशक्त किया जाता है तो उनको पहले भी पैसा दिया जाता था, दस हजार हत्या पर दिया जाता था, परमानेंट अशक्त होने पर दस हजार, बलात्कार पर सिर्फ पांच हजार दिया जाता था और मामूली चोट के ऊपर दो हजार दिया जाता था। तो उसमें माननीय सभापतिजी, जब हमारी सरकार के सामने बात आयी, हमारे मुख्य मंत्रीजी के सामने बात आयी कि इसके अन्दर तो संशोधन किया जाना चाहिए तो उसमें

(श्री बनवारी लाल बैरवा)

संशोधन वाजिब किये गये। हत्या में जहां पर दस हजार की उनको क्षतिपूर्ति करते थे आज वहां एक लाख उसकी क्षतिपूर्ति की जा रही है। उसी तरह से बलात्कार का मामला, अगर एक महिला से बलात्कार हो जाय तो उसकी जिन्दगी खराब हो जाती है। जिन्दगी भर के लिए वह लाजिम हो जाती है और समाज में अजीब-अजीब तरीके का उसका स्थान हो जाता है। उसके लिए भी बढ़ाकर एक लाख किया है। उसकी कोई क्षति नहीं होती है लेकिन एक तरह का कम्पंसेशन होता है जो उनको दिया जाता है। जहां 10 हजार रुपये क्षतिग्रस्त होती थी परमानेंट डिसेबल होने में उसको बढ़ा करके 25 हजार किया गया है और जो अस्थायी तौर पर निःशक्त हुए हैं उनको 10 हजार रुपये, यह हमने उसके अंदर संशोधन किया है और इस पूरे प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग जो भी इसके पात्र होते हैं उनको दिया जाता है।

सभापति महोदय, आज हमारे यहां बहुत सारे माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किये....

श्री मानिक चन्द सुराना : सभापति महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं, मुझे माफ करें....

मोहम्मद माहिर आजाद : मेरा एक सुझाव इस पर एक लायर्स पैनल का, कि यह सही है कि आप उनको क्षतिपूर्ति राशि तो दे रहे हैं लेकिन जिन दलितों पर अत्याचार होते हैं, जुल्म होते हैं उनको न्याय दिलाने के लिए आप कोई लायर्स पैनल भी बनाये ताकि जो आगे मामले वैसे ही रफा-दफा हो जाते हैं, पैरवी नहीं होने के कारण वह भी आप कुछ प्रयास करेंगे। मैंने एक सुझाव आपको दिया है।

श्री बनवारी लाल बैरवा : वह बनाया हुआ है।

श्री मानिक चन्द सुराना : सभापति महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं....(व्यवधान).

श्री सभापति : माननीय सदस्य, एक मिनट आप मेरी बात सुन लें। आप मंत्रीजी का पूरा वक्तव्य सुन लें उसके बाद में जो प्रश्न पूछने हों फिर आप पूछ लेना। आप बीच-बीच में करेंगे, हर माननीय सदस्य उठेगा, हरेक का यह उत्तर देंगे।

श्री मानिक चन्द सुराना : नहीं, नहीं, सब माननीय सदस्य ना तो उठते हैं ना उठने की आवश्यकता होती है। आपने अभी कहा कि एक लाख रुपये रेप पर देंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि रेप की रिपोर्ट होने पर ही दे देंगे या उसकी कंविक्शन होने पर देंगे।

श्री सभापति : आप अपने उत्तर के समय बता देना।

श्री मानिक चन्द सुराना : उत्तर तो दे ही रहे हैं ना।

श्री बनवारी लाल बैरवा : आधा तो उसकी एफ.आई.आर. आने पर दे दिया

(श्री बनवारी लाल बैरवा)

जाता है और आधा उसका जो कंविक्शन हो जाता है उसके बाद दिया जाता है।

सभापति महोदय, जब तालीम का सिलसिला चलता है तो यह बात भी बहुत आवश्यक रूप से सामने आती है कि बेहतर तालीम होनी चाहिए। बेहतर तालीम के लिए आवासीय विद्यालय तो हमने खोले ही हैं, इसके अलावा एक योजना प्रतिभावान छात्रों के लिए भी है जो छठी क्लास के बाद में हमारे यहां चालू होती है। अगर वह बच्चा 55 प्रतिशत नम्बर लेकर आता है तो उसकी हमारे यहां पर एक परीक्षा होती है और उस परीक्षा में पास होने पर जो पब्लिक स्कूल हैं जो वेल रेप्यूटेशन के हैं, तकरीबन 30 हैं, जो अभी तक आइडेंटीफाई किये हुए हैं उनमें पीछे 388 बच्चे तालीम पा रहे थे, अब हमारी सरकार ने, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उसको बढ़ा कर आठ सौ कर दिया है और जब वह बहुत अच्छे तरीके की तालीम पा करके निकलेंगे तो उनके परिवारों में, उनके गांव में एक वातावरण बनेगा और एक उत्साह होगा और वह आगे बढ़ेंगे।

सभापति महोदय, आज जमाना साइंस टेक्नोलाजी का है, अगर हम उसकी तरफ से मुंह मोड़ लें तो हम अपने कामों में, अपने अभिप्राय में पूरे नहीं उतर पायेंगे। आज मेडिकल में, पीईटी. के अंदर बहुत ज्यादा विद्यार्थी जा रहे हैं लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति के जो छात्र हैं उनकी यह स्थिति नहीं है कि वह अपने आप ही उसमें सफलता सीधी प्राप्त कर लें। उनके लिए कोचिंग की बहुत आवश्यकता होती है। उनको मदद की बहुत आवश्यकता होती है। उसके लिए हमारी सरकार ने तय किया हुआ है कि कोटा के अंदर 2 इंस्टीट्यूशन हैं जो बहुत अच्छी रेप्यूटेशन के हैं। उन 2 इंस्टीट्यूशन के अंदर 450 बच्चों ने पिछले दिनों प्रवेश पाया, अपने तरीके से पाया। उनकी कोचिंग का जितना भी खर्चा हुआ है सरकार उसका पुनर्भरण करती है। पी.एम.टी. और पीईटी. के अंदर कोई भर्ती होता है, पढ़ाई करता है उसके लिए यह तय है कि हम विभिन्न चार सालों के अंदर 10-10 हजार रुपया बिना ब्याज का लोन देते हैं जो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उनका री-पेमेंट कर देते हैं। इससे हमारे इस वर्ग के लोगों में बहुत भारी वातावरण बना हुआ है। इसके साथ ही इस साल से हम यह सोच रहे हैं कि चूंकि आज हर जगह पर कम्प्यूटर आ रहा है। अगर कम्प्यूटर की पढ़ाई हम अपने विद्यार्थियों को ना दें तो यह हमारे लिए कोई उपयुक्त बात नहीं होगी। इस साल हमने यह फैसला किया है कि हम 1800 बच्चों को ओ-लेवल तक की कम्प्यूटर तालीम दिलवाने की व्यवस्था करेंगे। यह भी एक बहुत सराहनीय कदम हमारी सरकार का है। हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी का है। चूंकि माननीय मुख्य मंत्रीजी कम्प्यूटर पर स्वयं भी काम करते हैं और कम्प्यूटर के बारे में उनकी बहुत अच्छी सोच है कि इससे बढ़िया कोई तालीम नहीं हो सकती है तो लिहाजा उनकी सोच के अनुसार हमने यह इंतजाम किया है।

(श्री बनवारी लाल बैरवा)

सभापति महोदय, हमारे इस वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए तालीम तो है ही, उसके बाद जो दूसरी चीज आती है वह आती है उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए एस.सी. एस.टी.बी.सी., वित्त आयोग यहां पर बना हुआ है एस.सी., एस.टी. के लिए। उसके माध्यम से हम लोगों को लाभान्वित करते हैं। जब हम सरकार के अंदर आये उस समय राष्ट्रीय स्तर पर जो आयोग है, वित्त निगम है उनसे कर्जा दिलाने के लिए स्टेट को गारंटी देनी पड़ती है। पहले वाली जो सरकार थी, पूर्ववर्ती सरकार थी उन्होंने मात्र 9 करोड़ रुपये की स्टेट गारंटी दे रखी थी। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने आने के बाद में सोचा कि यह तो बहुत कम पैसा है इससे कुछ नहीं बनेगा, इतनी बड़ी स्टेट के अंदर और उन्होंने आते ही उसको तिगुना कर दिया, 27 करोड़ की स्टेट गारंटी उसके अंदर दी और वह स्टेट गारंटी उस समय एस.सी., एस.टी., बैकवर्ड क्लासेज, माइनोरिटी और निःशक्त व्यक्तियों और स्वच्छकारों के लिए थी। लेकिन बाद में अंदर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा एक वित्त निगम का काम नहीं कर पायेगा। इसके लिए हमें और निगम भी बनाने पड़ेंगे। मुझे बहुत खुशी है यह बात कहते हुए कि पिछले दिनों माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यहां पर माइनोरिटी, पिछड़े वर्गों का भी निगम बनाया, निःशक्तों का कमीशन बनाया।

श्री हीरासिंह चौहान : सभापति महोदय, मैं इंटरवीन करना चाहता हूं, क्या अन्य पिछड़ी जाति का अलग निगम बन गया है या जो अनुसूचित जनजाति के साथ यह विकास निगम है। मैंने अपने भाषण में कहा था कि कितनी राशि ओ.बी.सी. के लोगों को दी गयी है। क्योंकि इससे ओ.बी.सी. के लोगों को कोई राशि नहीं दी जाती है। आज दिन तक किसी भी जिले में कोई प्रावधान नहीं है। जिसके तहत इन लोगों को कोई राशि दी जाती हो।

मोहम्मद माहिर आजाद : एक मई से काम करने का एग्रीमेंट मुख्य मंत्रीजी ने किया था, 25 फरवरी को, और वह कार्यान्वित नहीं हुआ।

श्री सभापति : आजाद साहब, वह भी आ जायेगा।

श्री बनवारी लाल बैरवा : सभापति महोदय, मैं रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा कि ओ.बी.सी. के 3 करोड़ 88 लाख के जो प्रपोजल हमको मिले थे, सेंटर में भेजकर वह प्रपोजल मंजूर करा लिये गये हैं और उनका डिसबर्समेंट हो रहा है। इसी तरीक से माइनोरिटी के लिए 2 करोड़ 8 लाख के प्रपोजल आये थे जो मंजूर होकर आ गये हैं। उनका डिसबर्समेंट हो रहा है। सफाई कर्मचारियों को 1.59 करोड़ मंजूर होकर के आ गये हैं। इसी तरीके से राष्ट्रीय विकलांग उनका 5 करोड़ के अंदर से 1 करोड़ 80 लाख रुपये का लोन स्वीकृत होकर के आ गया है। एक खुशी की बात और मैं कहना चाहता हूं कि जिस समय माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 27 करोड़ की

(श्री बनवारी लाल बैरवा)

स्टेट गारंटी दी थी तो उसको बढ़ाकर के चूंकि अलग वित्त निगम बना है तो ओ.बी.सी. के लिए 10 करोड़ और उन्होंने मंजूर किया है, 10 करोड़ की गारंटी, उसी तरीके से माइनोरिटी के लिए जहां 3 करोड़ थे उनको 5 करोड़ रुपये दिये तो वह 8 करोड़ हो गयी और उधर ओ.बी.सी. की जहां 6 करोड़ थी वहां 16 करोड़ हो गयी। उसी तरीके से 5 करोड़ की गारंटी विकलांगों की हो गयी है। यह बहुत बड़ी राशि थी, जो पहले 27 थी, अब यह बढ़ करके 47 करोड़ की स्टेट गारंटी हो गयी है जो बहुत बड़ी राशि है इसमें कोई दो राय नहीं है।

सभापति महोदय, अब मैं विशेष रूप से उस तरफ आना चाहता हूं कि जिसके बारे में प्रायः सदन के अंदर रोज ही चर्चा होती रही है, बातें उठती रही हैं, सवाल आते रहे हैं। पेंशन के जो मामलात हैं, उनकी तरफ आपका ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं, आपके माध्यम से पूरे सदन को अवगत कराना चाहता हूं, मान्यवर, 1997-98 में बी.ज़े.पी. की सरकार के दौरान जो लाभान्वित व्यक्ति थे उनकी संख्या 2 लाख 22 हजार थी। और उसके ऊपर राशि खर्च हो रही थी 22 करोड़ 67 लाख, 1998-99 में यह राशि बढ़कर 31 करोड़ 75 लाख हो गई, संख्या हो गई 4 लाख 21 हजार, 1999-2000 में बढ़कर 5 लाख 54 हजार संख्या हो गई, खर्चा 75 करोड़ 40 लाख हो गया, 2000-2001 में 6 लाख 40 हजार की संख्या हो गई और 120 करोड़ रुपए इस पर खर्चा हुआ। मौजूदा साल के अंदर जो हमारा बजट प्रोविजन है उसके तहत 8 लाख 51 हजार संख्या और उसका खर्चा 196 करोड़ 43 लाख रुपए। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि कहां 22 करोड़....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : मंत्री जी, मैं माफी चाहूंगा। आपने 196 करोड़ की बात कही है लेकिन यह भी थोड़ा बता दें कि इसमें केन्द्र सरकार का कितना अंशदान है और राज्य सरकार का कितना अंशदान है?

श्री बनवारी लाल बैरवा : सभापति जी, 22 करोड़ रुपए 1997-98 में था, वह चलकर 2000-2001 में, 4 साल का ही सफर है, 4 साल के सफर के अंदर 196 करोड़ रुपए कर दिया। आप मुलाहिजा फरमाएं कि कितना हुआ? आठ गुने से ज्यादा हुआ। 8 गुने से ज्यादा तो यह खर्चा हो गया। अब आज बी.ज़े.पी. को परेशानी यह है कि हम 8 साल रहे, 8 साल के अंदर हम कुछ भी इजाफा उन गरीबों की पेंशन में नहीं कर पाए और इन्होंने आते ही इतनी भारी राशि, इतने ज्यादा पैसे लोगों को दे दिए।

सभापतिजी, जहां तक इस बात का प्रश्न है कि सेंटर का कितना पैसा मिलता है, सेंटर देता है 1,57,536 व्यक्तियों के लिए 75 रुपए और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने वहां के सम्बन्धित मंत्री को निजी पत्र लिखा कि इस पैसे को बढ़ाइए। इस पत्र में बताया गया कि यह हम पर बहुत भारी

(श्री बनवारी लाल बैरवा)

बर्डन आ गया है। चूंकि हमने यह एलान किया था जगह-जगह शिविर लगाए थे, शिविरों के माध्यम से जो फार्म आए उसके अंदर हमारे सामने यह पोजीशन आ गई थी कि यह बहुत भारी इजाफा हो गया लेकिन माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि कुछ परवाह की बात नहीं है। वे 1,57,000 को 14 करोड़ ही तो दे रहे हैं, हमको देना पड़ा था 102 करोड़ और वह 102 करोड़ हमारा और 14 करोड़ उनका और 116 करोड़ रुपए का हमने भुगतान किया है।

सभापति जी, आज भी उनकी कोई तैयारी बढ़ाने की नहीं है लेकिन हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी की मंशा है कि जिनके लिए हमारा कमिटमेंट है, गरीब आदमी के लिए, अशक्त के लिए, निःशक्त के लिए हम सदैव कमिटेड रहेंगे, उससे पीछे नहीं रहेंगे। हालांकि आप जानते हैं इस बात को कि इस दौर में, अकाल का लगातार तीसरा साल है, बड़ा भारी पैसे का दबाव है, बहुत बड़ी भारी स्थिति है, एक-एक पैसा खर्च करने में दिक्कत आती है, उसके बावजूद भी हमने इतना बड़ा भारी बजट प्रोविजन किया है। सभापति जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं—

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : मान्यवर, अब आपने पूछ लिया कि सेंटर से 14 करोड़ रुपए मिले, जाओ और कुछ बढ़वाओ।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : भुगतान कितना बाकी है? सितम्बर, 2000 से आज तक का भुगतान नहीं दिया गया है।

श्री बनवारी लाल बैरवा : सुन लें आप मेरी बात को। माननीय सभापति जी, 1,57,536 तो उनका था, उनसे ज्यादा तो नहीं दे रहे न? चूंकि हमने फार्म भरवा लिए, मंजूर कर दिया तो उनमें 125 रुपए, बाकी 2 लाख 18 हजार हैं, उनको पूरे के पूरे 200 रुपए राज्य सरकार देगी। यह कोई मामूली फैसला नहीं है, बहुत मामूली कदम नहीं है। जहां परेशानी है इस बात की कि फलां जगह भुगतान नहीं हुआ, फलां जगह फार्म कट गए। सभापति जी, मैं आपकी जानकारी में यह बात लाना चाहता हूं, आपके सामने, मुख्य मंत्री जी के सामने, मेरी सरकार के सामने और जिलों में अधिकारियों के सामने यह बात लाई गई कि जिनको देना चाहिए, उनको तो पैसा पहुंच नहीं पा रहा है और ऐसे लोगों को दे दिया है जिनको आपको पैसा नहीं देना चाहिए। मैंने कहा कि आप कुछ जानकारी लाइए, बिना जानकारी के असेम्बली में मैं क्या बोलूंगा? मैं उदाहरण के तौर पर आपको 10-5 नाम गिनाना चाहता हूं। आप स्वयं देख लीजिए, अगर ये फिट बैठते हों कि इनको पेंशन दी जानी चाहिए थी तो आप देख लें, इस बात को कि कहीं गलती हो गई हो, आज भी सरकार की गलती हो गई हो तो फिर हम उसकी भूल सुधार कर देंगे। चूंकि यह तो सतत प्रक्रिया है, पहले शिविर लगाए थे। माननीय मुख्य मंत्रीजी का आदेश था कि 2

(श्री बनवारी लाल बैरवा)

अक्टूबर, 1999 तक शिविर लगाकर इंटेंसिवली इस बात को देखा जाए कि जितने वृद्ध हैं, विधवाएं हैं, महिलाएं हैं, निःशक्त हैं, उन सबको एनराल करके उनको मंजूरी दे दी जाए। उस वक्त चूंकि एकदम थोक के अन्दर आए तो बहुत सारी सही इंफोर्मेशन नहीं दे पाए। मैंने बहुत जगह जहां ज्यादा फार्म कट गए थे, वहां जानकारी की। मैं उदाहरण के तौर पर आपके सामने रखना चाहूंगा। पेंशनर के नाम बोलता हूं, पी.पी.ओ. नम्बर बोलता हूं, आयु बोलता हूं और अनुमानित वार्षिक आय बोलता हूं और उनके पास जमीन है, वह बोलता हूं।

तहसील है चूरू, तुलसारामजी-भींवारामजी, पी.पी.ओ. 4035, आयु 69 वर्ष अनुमानित वार्षिक आय 15 हजार रुपए, जमीन है उनके पास 45 बीघा। अगर फिट हैं तो फरमा दें, अभी इसको मंजूर करें। दूसरे हैं, मीनाराम-सेवाराम, 4022 पी.पी.ओ. नम्बर, उम्र 74 साल, 15 हजार की इनकम, 47 बीघा जमीन, इसी तरह शिवराम-भीमाराम, लिखमाराम, ये सब 15-15 हजार रुपए की वार्षिक आमदनी वाले लोग हैं। एक-एक लाख की आमदनी वाले लोगों के भी नाम बोल देता हूं, गुड्डीदेवी-श्री निवास नायक, उनका पी.पी.ओ. नम्बर है 4333, उम्र है 50 साल, एक लाख की आमदनी है और 100 बीघा जमीन।

सभापति जी, कोई हद भी हो। यह तो उन लोगों के लिए दी जाती है, यह सहायता है जो अशक्त हो गए हैं, निःशक्त हो गए हैं, जिनके जरूरत है इस बात की कि आज उनकी मदद की जाए। मैं सिर्फ एक जगह की बात नहीं कर रहा हूं। जयपुर का भी आपके सामने रख रहा हूं। उदाराम पुत्र श्री भागीराम, कोटपूतली के, पी.पी.ओ. नम्बर 720, उम्र 40 साल और पेंशन ले रहे थे। अब उनका नहीं कटना चाहिए था।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : जिलावाइज आपके पास कोई संख्या हो तो आप उसे बोल दें, ये तो एक-एक व्यक्ति का नाम बोला है, वह तो 6 लाख 40 हजार हैं, आप कब तक बोलेंगे? किस-किस जिले में कितने लोगों को पेंशन दे रहे हैं उसकी फिगर बोल देंगे तो वह 6 लाख 40 हजार का पता चल जाएगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : और कितने ऐसे केस हैं जो इसकी पात्रता में नहीं आते, वह आपने पकड़े और उनको खारिज किया, यह भी आप बता दें। यह भी बता दें कि इनको स्वीकृत करने वाले अधिकारियों के खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे?

श्री मानिक चन्द सुराना : आप तो जिलावाइज फिगर दे दें, उससे सारा मैटर हल हो जाएगा।

श्री हरिसिंह (महुवा) : माननीय सभापति महोदय, पहले मंत्रीजी अपना जवाब तो पूरा कर लें उसके बाद प्रश्नों के लिए अलाउ करें।

श्री मानिक चन्द सुराना : मंत्री जी का जवाब ज्यादा पाइंटेड होगा, सारे राजस्थान की जानकारी मिलेगी।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : मंत्री जी ने यह विवाद उठाया है, इनको ऐसा विवाद उठाना ही नहीं चाहिए।

श्री मानिक चन्द सुराना : यहां हाउस भी लाभान्वित होगा और सारा राजस्थान भी लाभान्वित होगा।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आपको जानकारी दी जाएगी, आपको जानकारी मिलेगी लेकिन जवाब तो पूरा आने दीजिए।

श्री मानिक चन्द सुराना : हम चाहते हैं कि वह उजागर तो हो कि 6 लाख कौन-कौन से हैं? कौन-कौनसे जिले में कितने-कितने हजार लोगों....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 6 लाख लोगों में से कोई 5 आदमी हो गए। मैं निवेदन करूं....

श्री मानिक चन्द सुराना : 6 लाख 40 हजार लोगों को दे रहे हैं तो जिलावाइज फिगर बोल दीजिए, जिलावाइज ब्रेकअप बोल दीजिए। सारा प्रशासन आपका यहीं बैठा हुआ है, आप जिलावाइज फिगर बोल दीजिए।

श्री हरिसिंह (महुवा) : माननीय सुराना साहब, आप बहुत सीनियर और सीजण्ड व्यक्ति हैं। परम्परा यह रही है कि मंत्री जी का वक्तव्य पूरा होने के बाद प्रश्न की बारी आती है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पर यह अनरेलेवेंट बात करने का क्या महत्व है?

श्री मानिक चन्द सुराना : परम्परा से हट नहीं रहा हूं, पाइंटेड जवाब चाहता हूं, कोई फिगर चाहता हूं, आपको क्या दिक्कत है?

श्री हरिसिंह (महुवा) : कृपया वक्तव्य होने दें।

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय मंत्रीजी के पास अभी नहीं होगी तो कह देंगे कि आज नहीं दो दिन बाद कम्पाइल करके दे देंगे।

श्री हरिसिंह (महुवा) : मुझे तकलीफ हर समय होती है, हर पल होती है जब परम्परा को तोड़ा जाता है।

श्री सभापति : माननीय मुख्य सचेतक महोदय, माननीय मंत्री जी को बोलने दीजिए।

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय सभापतिजी, मेरी मंशा किसी को कष्ट पहुंचाने की, तकलीफ पहुंचाने की बिलकुल नहीं थी। मेरे सामने बात आई मैंने कहा कि कुछ उदाहरण तो मुझे दीजिएगा ताकि मैं वहां बात कह सकूं कि इस हालत में भी क्या दिया जा सकता है। जैसा आपने फरमाया उन सबका रिकार्ड मंगवा लें, मंगवा लिया जाएगा और मंगवाकर हाउस में रख दिया जाएगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा आपसे आग्रह है कि जिनके

(श्री बनवारी लाल बैरवा)

खारिज हो गए हैं फिर भी आप देख लें, उनको अगर वाजिब समझते हैं, उनकी उम्र 65 साल है, उनके कोई औलाद नहीं है, लड़का नहीं है, 1500 रुपए से ज्यादा की उनकी इनकम नहीं है तो हम फिर जारी कर देंगे, भूल सुधार हो जाएगी, जो पहले भूल हो गई उसका सुधार हो जाएगा, उसमें कोई मैं दिक्कत नहीं मानता। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : काफी हो गया साहब।

श्री सी. पी. जोशी (शिक्षा मंत्री) : आगे नहीं सुनना क्या?

श्री महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक) : आपने अप्रूव कर दिया।

श्री जगत सिंह दायमा : सभापति महोदय, कई मां-बाप के बच्चे नालायक निकलते हैं। गांव में जाते हैं तो माताएं कहती हैं हमारा छोरा नालायक है, हमको रोटी नहीं देता है। तो यह जो आपने मापदण्ड बनाया है लड़के का इसको तो आप हटा दो। कई वास्तव में ऐसे होते हैं जो दारू पीकर पड़े रहते हैं, वे मां-बाप को पूछते नहीं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य। (व्यवधान) माननीय मंत्री जी अपना जवाब समाप्त करने ही वाले हैं, आप ठहर जाइए।

श्री जगत सिंह दायमा : सभापति महोदय, मैंने एक अच्छा ध्यान दिलाया है।

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय सभापति जी, मुख्य मंत्री जी ने जो योजनाएं बनायी हैं उनके अंदर वे योजनाएं भी हैं जिनके अंदर लोग बैठकर अपनी मेहनत-मजदूरी कर सकते हैं। उनमें कियोस्क वाली योजना बहुत सफल रही है और वे प्रायः सभी जिलों में बनायी जा रही है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने चूंकि पिछले दिनों यह गौर किया कि मैला ढोने का काम जो व्यक्ति करता है वह सबसे ज्यादा घृणित काम है या जघन्य काम है। उस जघन्य काम करने वाले आदमी को अगर वह उससे हटना चाहता है तो हम उसको रिहेबिलेट करने की तैयारी में हैं। उसके लिए इन्होंने कहा कि अपन 10 फीसदी जो कियोस्क बनाये हैं इनके अंदर इनको रिजर्वेशन देंगे। उनमें से हम दो हजार कियोस्क बनाकर दे चुके हैं और काम अभी जारी है।

इसी तरीके से माननीय सभापति जी यहां बात हुई वृद्धों की। उसी तरह से विधवाओं की भी पेंशन जारी है, निःशक्तों की पेंशन जारी हैं। निःशक्तों के अंदर 8 साल से ज्यादा का हो तो पेंशन हमारे यहां से उसकी जारी होती है। लेकिन उन सबके नियम हैं उन नियमों के अनुकूल होती है। उनके साथ-साथ अबकी बार मुख्य मंत्रीजी ने कहा है कि अगर यह निःशक्त पैर पर खड़ा होकर कुछ काम करना चाहता है तो उसके लिए सरकार उनको कुछ मदद करेगी तो उनको हम कैलिपर्स देते हैं, उनको अगर लिम्ब्स बनाने की बात है तो वह तैयार करवा देते हैं, हियरिंग इंस्ट्रूमेंट देते हैं, कुछ उनको कमाकर खाने के साधन देते हैं। इसके बाद अगर वे कहते हैं कि हम तो

(श्री बनवारी लाल बैरवा)

अपना काम करेंगे तो उनको हम लोन भी दिलाते हैं और उनके लिए ये कियोस्क हमारे मुख्य मंत्रीजी ने 10 फीसदी तय किये हुए हैं। चूंकि जो विकलांग व्यक्ति हैं उनके लिए तो यह बहुत ही अच्छा है कि उसको कियोस्क मिल जाए, वहां सारे दिन बैठकर अपना काम धंधा करें और अपनी रोजी-रोटी कमा सकें।

श्री हीरासिंह चौहान : बहुत कुछ कह दिया, सब बता दिया।

श्री नन्दलाल मीणा : आप बोल क्यों रहे हो, यह सब मुख्य मंत्रीजी ने किया। आपने तो कुछ किया नहीं है। आप क्यों जबर्दस्ती भिड़ रहे हो इसके लिए।

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय मुख्य मंत्रीजी का अभिप्राय उनकी सरकार से है।

श्री नन्दलाल मीणा : ठीक है मान लिया हमने, आपने किया है। आप क्यों तकलीफ झेल रहे हो।

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय पूर्व मंत्री जी, आपने जब अपना भाषण चालू किया तब आपने भी अपने तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी का जिक्र किया था, अब मैं अपने मुख्य मंत्रीजी का जिक्र कर रहा हूं तो आपको क्या परेशानी है? (व्यवधान)

श्री महेश जोशी : आपने झूठी तारीफ की और ये सही तारीफ कर रहे हैं।

श्री नन्दलाल मीणा : अब तो हमारे कान थक गये।

श्री किरोड़ी लाल : आपने तो पूरी माला फेर ली माननीय मुख्य मंत्रीजी के नाम की।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय समाज कल्याण मंत्रीजी, माननीय मुख्य मंत्रीजी आ गये हैं, हमें प्रसन्नता हुई कि ओ.बी.सी. के मुख्य मंत्री हैं, लेकिन एक हमारो ओ.बी.सी. का मंत्री अलग से विभाग खोल कर बना दो तो यह ओ.बी.सी. का कल्याण हो सके। 60-70 प्रतिशत लोग इसमें आ रहे हैं, हमारी मांग है। इसलिए आप हिदायत दीजिए।

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय सदस्य, जहां तक कान पकने का सवाल है...

श्री सभापति : माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य, ओ.बी.सी. में अब दूसरे भी शामिल हो गये हैं।

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय सभापति जी, अब यह जो कान पकने वाली जो बात कह रहे हैं हमें पौने तीन साल तो सुनना ही पड़ेगा इनको।

श्री सभापति : मंत्री जी, अब आप समाप्त करें।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : सभापति महोदय, एक महत्वपूर्ण बात है।

श्री जगत सिंह दायमा : मंत्री जी, आप तालमेल करके शुरू कर दो काम, कोई दिक्कत नहीं है।

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय सभापति जी, मेरा कुछ अनुसूचित जाति, जनजाति क्षेत्र के विकास हेतु....

श्री रघुवीर सिंह : मंत्री जी, एक बात कहना चाहता हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप मंत्री जी को समाप्त करने दो। आप विराजो। माननीय सदस्य आप विराजो।

श्री रघुवीर सिंह : सभापति महोदय, मेरा एक सुझाव है, कोई गलत बात नहीं कह रहा हूं। माननीय मंत्री महोदय, टी.ए.डी. के जितने होस्टल थे, माड़ा के भी होंगे, 135 के आसपास संख्या है। इनमें रसोइये नहीं हैं। ये पिछली गवर्नमेंट के समय से ही शुरू हो गये थे। ये होस्टल भी ट्रांसफर किये गये हैं। रसोइये नहीं हैं, बच्चे हाथ से खाना बनाते हैं। तो आप इसके बारे में थोड़ा क्लीयर कर दो।

श्री हीरासिंह चौहान : रसोइयों के बारे में मंत्री जी बताएंगे आपको।

श्री हरिसिंह (महुवा) : माननीय सदस्य, आप बाद में।

श्री रामस्वरूप : यह बात तो रह गई। छात्रावास के लिए....

श्री हरिसिंह (महुवा) : अभी वक्तव्य तो पूरा होने दो। (व्यवधान)

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय सभापति महोदय, टी.ए.डी. में और माडा में जो छात्रावास खोले जाते हैं वे आश्रम छात्रावास कहलाते हैं। 134 आश्रम छात्रावास तो टी.ए.डी. में हैं और 34 आश्रम छात्रावास माडा के अंदर हैं। आप ठीक कह रहे हैं वहां कहीं सुपरिंटेंडेंट भी नहीं है, कहीं पर रसोइये भी नहीं हैं, कहीं पर चौकीदार भी नहीं हैं। परिस्थितियां ऐसी हुई हैं कि नये अपाइंटमेंट इन दिनों नहीं हो पाए। मैंने वित्त मंत्री जी को निवेदन किया है, उनको लिख कर भेजा है कि हमको यहां पर सुपरिंटेंडेंट्स की व्यवस्था कराएं, इतने चौकीदारों की व्यवस्था कराएं, इतने रसोइयों की व्यवस्था कराएं। जब तक उन रसोइयों की व्यवस्था हो तब तक के लिए हमने एक नयी व्यवस्था की है कि कुछ महिलाओं के संगठन तैयार हुए हैं वे ठेके पर रसोई बनाकर वहां पर सप्लाई करेंगे। तो सराड़ा से आने वाले माननीय विधायक की इस समस्या का समाधान उससे हो जाएगा।

माननीय सभापति जी, महाराष्ट्र पैटर्न हमारे आदिवासी क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात थी और जब हमारे सरकार आई, हमारे प्रतापगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत भारी चिन्ता जतायी, मैं उनका आभारी हूं कि वे अपने उस दौर के अंदर घूम-फिरकर आयें, सब जगह देख आये, अपने कागजात छोड़ गये। आप चाहते भी थे कि महाराष्ट्र पैटर्न लागू हो जाए, लेकिन आपकी उस मंत्रिमण्डल में नहीं चल पायी। मुझे अफसोस है उसके लिए आप नहीं कर पाये और मेरी सरकार ने जब यह मसला आया और मैंने मेरे नेता को यह बात कही कि महाराष्ट्र पैटर्न की बड़ी भारी डिमाण्ड हमारे

(श्री बनवारी लाल बैरवा)

आदिवासी क्षेत्र के भाइयों की तरफ से हैं तो इन्होंने कहा ठीक है, इसको करें।

श्री नन्दलाल मीणा : अच्छा है कि आपने मुख्य मंत्रीजी का नाम नहीं लिया। माननीय मुख्य मंत्रीजी, हमारी चलती तो 12.44 परसेंट स्टेट बजट का पैसा टी.एस.पी. के लिए सुरक्षित करते। यह आठ परसेंट पैसा तो हमारे टाइम में भी तय होने वाला था जिसको हमने नहीं होने दिया और आपको सरकार के सामने झुकना पड़ा।

श्री बनवारी लाल बैरवा : अब मैं तो अफसोस ही जाहिर कर सकता हूं और क्या बताऊं मैं। अब आप उस स्थिति में नहीं हैं तो अब अफसोस ही जाहिर कर सकते हैं। तो माननीय सभापति जी, मैं यह कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उस बात की सहमति दी कि आप तत्काल इस बात को कैबिनेट के अंदर लेकर आइए और कैबिनेट में लाये और उस समय सबने इसकी बहुत सराहना की। हमारे आदिवासी क्षेत्र के जितने माननीय विधायक थे उन्होंने हमारे क्षेत्र के अंदर जितने लोग हैं उन सबने उसकी सराहना की। आप स्वयं इस बात से परिचित हैं कि चूंकि पिछले तीन साल से हम अकाल से निपट रहे हैं, जूझ रहे हैं तो बहुत से काम ऐसे हैं जो हमको थोड़ा सा आगे करने पड़े, लेकिन फिर भी इस साल में 30 करोड़ का प्रावधान हमने उसमें रखा है और उस 30 करोड़ के प्रावधान से वहां जो भी क्षेत्रीय काम हैं उनके अनुकूल ही उनको किया जाएगा और ज्योंहि हमारे संसाधन थोड़े ठीक होंगे तो उस समय करेंगे जो कि माननीय सदस्य प्रतापगढ़ से आने वाले फरमा रहे थे। इसमें हमें कोई संशय नहीं है।

पिछले दिनों, आप यह देखते हैं कि महाराष्ट्र पैटर्न लागू नहीं हुआ तो वहां पर क्या काम नहीं होंगे, निश्चित रूप से हमने वहां काम किये हैं। पिछले अकाल के अंदर 11,500 कुएं हम लोगों ने गहरे कराने के लिए 3 करोड़ 72 लाख रुपये दिये। उनके अंदर से 5500.... (व्यवधान) 1150 किये थे। तो वे पैसे उन तक पहुंच गये, उनको मिल गये। 3200 रुपये प्रति कुएं के दिये थे और बाद में बढ़ा कर उनको छह हजार रुपये कर दिये ताकि वे आसानी से सब कुएं खुद जाएं। उनको अकाल राहत से माननीय अकाल राहत मंत्री जी ने जोड़ दिया ताकि उनको किसी तरीके से कोई असुविधा न हो और सब कुओं के अंदर पानी है। माननीय सभापति जी, समाज कल्याण के साथ-साथ हम लोग.... (व्यवधान)

श्री सभापति : मंत्री जी, सदन की भावनाएं भी आप ध्यान में रखें।

श्री बनवारी लाल बैरवा : मैं समझ रहा हूं।

श्री जगत सिंह दायमा : ये चाहते हैं माननीय मंत्री जी का वक्तव्य अखबार में नहीं छपे, कम छपे। मैं कह रहा हूं जितना ज्यादा बोलेंगे छपेगा और आपका ठीक होगा उसमें क्या दिक्कत है।

(18.00 बजे)

श्री बनवारी लाल बैरवा : कुओं के ऊर्जीकरण के बारे में माननीय विधायक जी ने चिन्ता व्यक्त की थी तो उसके जो लक्ष्य हमने रखे थे उन लक्ष्यों तक हम पहुंचे हैं और उसमें जो योजनाएं चल रही थीं उनमें कोई कमी नहीं की। माननीय सभापति जी, एक मांग हमेशा यह उठकर आती रही है कि जनजातीय क्षेत्र है उसके अन्दर उसके बराबर की जो तहसीलें हैं उनके अन्दर भी उसी अनुपात में अनुसूचित जनजाति के भाई हैं उनको भी उसमें सम्मिलित किया जाय। तो पहले वाली सरकार ने भी लिखा है, हमारी सरकार ने भी रिमाइंडर किया है। और हम आज भी उसके लिए बहुत गंभीर हैं कि जो उसके बराबर रहने वाले भाई हैं वह भी उस क्षेत्र में इनक्लूड हो जायं तो हमको इसमें खुशी होगी। उसी तरीके से माडा क्षेत्र के विस्तार के बारे में भी हमने उनको लिखकर भेजा है। माडा क्षेत्र में भी जो बराबर में जो ब्लाक्स हैं उन ब्लाक्स को उसमें सम्मिलित किया जाय। इस संबंध में बराबर पत्र व्यवहार हो रहा है और विशेष रूप से मैंने हमारे जो आफिसर हैं उनको यह ताकीद दी थी कि अब जब जायं तो विशेष रूप से जाकर बात करें और आकर इसकी प्रगति से अवगत करायें।

माननीय सभापति जी, मेरी इस चर्चा के दौरान बहुत सारे माननीय सदस्यों ने दूसरे विभागों के सम्बन्ध में भी कुछ चर्चाएं उठाई हैं मैंने उनको नोट कर लिया है, मैंने गौर कर लिया है और मैं जो हमारे संबंधित मंत्री हैं उनका ध्यान इस तरफ आकर्षित करूंगा कि उसको वह देखें और उनकी व्यवस्था करें।

जहां तक हमारे होस्टलों का सवाल है, माननीय रतनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने एक इश्यु उठाया था कि उनके क्षेत्र के अन्दर बाणोदा नाम का एक छात्रावास है और वह सरकारी बना हुआ है लेकिन उसमें उसको शिफ्ट नहीं किया गया है। जो मुझे जानकारी दी गयी थी, माननीय विधायक जी, यह दी थी कि वह पिछले 5-7 साल पहले जवाहर रोजगार योजना के तहत बना था और वह अप टू मार्क नहीं बना है उसमें कुछ कमी रह गई है। इस तरीके का मुझे जवाब दिया गया था लेकिन जब आपने मुझे आकर उस स्थिति से अवगत कराया, आपने अपनी चिन्ता से मुझे अवगत कराया। मैंने तत्काल हमारे विभाग को कहा कि कलक्टर को निर्देश दें इसके लिए वह स्वयं व्यक्तिगत रूप से इसकी जानकारी लेकर बतायें कि अगर हमारी बिल्डिंग खड़ी है तो वह अधूरी क्यों रहे और उसके अन्दर शिफ्ट क्यों नहीं किया जाय। तो ज्योंहि मेरे पास जवाब आएगा, मैं आपको उससे अवगत कराऊंगा। और कुछ माननीय सदस्यों ने—

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : माननीय सभापति जी, आपका कोई अधिकारी यह लिख दे कि राजस्थान विधान सभा का भवन है वह जर्जर हो गया तो आप उसमें शिफ्ट नहीं करेंगे क्या? यह नया भवन बना है और आज यह जर्जर हो गया। वहां जो भवन बना है उसका उद्घाटन नहीं हुआ और आपके अधिकारियों ने यह लिख दिया कि वहां का भवन जर्जर है।

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय विधायक जी, आपकी बात को महत्व देते हुए मैंने जिलाधीश को निर्देश दिये हैं और ज्योंहि जवाब आएगा तो मैं उस कर्मचारी को, उस आफिसर को दण्डित भी तो करूंगा न।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : मुझे आपके उत्तर से बड़ा आघात लगा कि मैं स्वयं जाकर आया हूं और उसका उद्‌घाटन नहीं हुआ। उसमें छात्रों का प्रवेश नहीं हुआ और अनावश्यक रूप से अपना खर्चा लग रहा है किराये का 1500 रुपये के आसपास महीने का, और आप कहते हो हमारे पास बजट नहीं तो वह अनाश्यक खर्चा क्यों कर रहे हो। आपका भवन बना हुआ है, उस भवन में जाइये।

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय विधायक जी, आपकी बात को महत्व देते हुए ही मैंने उनको निर्देश दिये हैं और चूंकि मुझे जो जानकारी दी है वह किन आफिसरों ने यह गलत रिपोर्ट दी है ताकि मैं उसको भी तो दंडित करूं।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : मुझे आपसे शिकायत नहीं, मैं दो महीने से लिख रहा हूं आपको बराबर कि वहां जाते हैं मीटिंग हुई नहीं और मीटिंग की प्रोसीडिंग्स लिख ली। मीटिंग होने के पहले ही प्रोसीडिंग्स लिख ली। यह तरीका है क्या?

श्री बनवारी लाल बैरवा : मैंने आपकी इस बात को भी नोट कर लिया है और उसका एक्सप्लेनेशन काल करूंगा। आपकी बात को नोट कर लिया है।

श्री सभापति : माननीय मंत्री जी, यह वरिष्ठ सदस्य हैं, आप इस बात को अपने स्तर पर देख लेना, जांच कर लेना। आप विराजें, वह आपकी बात को बहुत गौर से सुनते हैं।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : सत्य के ऊपर आक्रमण किया गया है, यह सत्य के ऊपर आक्रमण किया गया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री जी को खुद को जाना चाहिए, मंत्री जी खुद जायं। इनकी ख्याति है, मैं निवेदन करूं, सभापति महोदय, बड़े सम्मान के साथ में पंडित जी के बारे में जो ख्याति है यह कभी असत्य नहीं कहते।

श्री बनवारी लाल बैरवा : नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य, आप ठीक कह रहे हैं।

श्री सभापति : चूरू से आने वाले माननीय सदस्य, मैं मानता हूं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : वह इन्हीं के समय से पड़ा हुआ है। (व्यवधान)

श्री महेश जोशी : माननीय राठौड़ साहब, आपके बारे में जो इनके विचार हैं वह सारे सत्य हैं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : वह जर्जर हो या जो भी है वह आप ही के समय का बना हुआ है, आप ही के समय का बना हुआ है।

श्री केसाराम चौधरी : माननीय सभापति महोदय, मेरे यहां भी आपने रिपोर्ट ऐसी दी है, छात्रावास है।

श्री सभापति : आप विराजें, मैं अलाउ ही नहीं करूंगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपको वहां जाने में परहेज क्या है?

श्री बनवारी लाल बैरवा : आप मेरी बात तो सुनिये।

श्री केसाराम चौधरी : एक पाइंटेड बात कह रहा हूं, वह भी नहीं सुनेंगे?

श्री सभापति : आप उनको पूरी कर लेने दीजिए, फिर आप बोलिये।

श्री केसाराम चौधरी : मैं एक छात्रावास की बात कह रहा हूं।

श्री सभापति : आप विराजें, आसन पैरो पर है, आप विराजें। नहीं, मैं नहीं करूंगा अलाउ। प्लीज सिट डाउन।

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय सभापती जी, होस्टलों के बारे में यहां चर्चा आई है। मुझे स्वयं भी पीड़ा है इस बात की कि जिनके लिए सरकार की तरफ से पैसा चला गया और वह पूरा नहीं हुआ और उनमें अधूरे रह गये काम बाकी है। चूंकि उसके लिए हम सीधे जिम्मेदार इसलिए नहीं हैं कि टी.ए.डी. के जितने होस्टल थे उनमें ज्यादातर आवास विकास संस्थान को दिये गये और उसको इतना बोझिल कर दिया गया था पूर्व सरकार के समय में कि वह अपने बोझ से ही ढह गया, अपने बोझ से ही समाप्त हो गया। आज हमारी यह दिक्कत हो गयी कि वह पैसा बड़ी अफसोसजनक बात यह है कि बिना कोई गारंटी लिए हुए, एक डिमाण्ड के साथ पूरा का पूरा चैक दे दिया गया। इस दौर में किसी ने पूछा नहीं। टी.ए.टी. की बात आपसे अर्ज कर रहा हूं, 5 करोड़ रुपया दे दिया गया। अब हमारी सरकार इस पशोपेश में है लेकिन हम आपके सामने यह बात बहुत ईमानदारी से स्वीकार करते हैं कि जो कमी हैं उनको पूरा करेंगे। हमारे जो होस्टल्स हैं जिनमें कमी हैं उनके लिए भी कुछ पैसे, का प्रावधान किया है, 80 लाख रुपये इस साल हमने जुटाया है उनको मरम्मत करने के लिए। जो भी इस स्थिति में है होस्टल जिनको चालू किया जा सकता है, उनको हम चालू करेंगे और जो भी आपने कटमोशंस दिये हैं....

श्री जगत सिंह दायमा : साहब, मेरा एक सवाल है।

श्री बनवारी लाल बैरवा : एक मिनट, जो कटमोशंस हमको दिये हैं उन सबके मैं जवाब दूंगा और इसके साथ ही मैं माननीय सब सदस्यों का....

श्री जगत सिंह दायमा : मंत्री महोदय, मेरा एक सवाल है।

श्री बनवारी लाल बैरवा : सब माननीय सदस्यों को यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो मैंने....

श्री जगत सिंह दायमा : साहब, सुनो तो सही।

श्री बनवारी लाल बैरवा : यहां अनुदान की मांगे प्रस्तुत की हैं उन्हें पारित करें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब आप पूछ लें।

श्री जगत सिंह दायमा : मेरा एक सवाल है।

श्री सभापति : माननीय जगत सिंह जी, माननीय सदस्य एक सवाल पूछ रहे हैं।

श्री केसाराम चौधरी : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय से पूछना चाह रहा हूं कि मारवाड़ जंक्शन छात्रावास को आपने पूर्ण बताया है एक प्रश्न के जवाब में, जबकि वहां पर नींव भरी हुई हैं, लेट्रिन बाथरूम अभी चालू नहीं हैं उसको पूर्ण कैसे बता दिया। यह समझ में नहीं आता।

श्री बनवारी लाल बैरवा : मैं जानकारी कर लूंगा, आपको स्थिति से अवगत करा दूंगा।

श्री केसाराम चौधरी : और उसकी बाउण्ड्रीवाल भी नहीं है और उस बाउण्ड्रीवाल के लिए भी आपने बताया था कि उसके चारों तरफ बाड़ लगी हुई है। जबकि किसी तरफ में कोई बाड़ वगैरह कहीं भी नहीं है। इसको अकाल राहत में ही पूर्ण करवा दें।

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय सभापति जी, मेरा एक सवाल है, पाइंटेड सवाल है।

श्री केसाराम चौधरी : चाहे मैटीरियल का भी पैसा एम.एल.ए. कोटे से ही लगे, हम देने को तैयार हैं मगर उसको पूरा करवा दें।

श्री जगत सिंह दायमा : मेरा पाइंटेड सवाल यह है कि डा. भीमराव अम्बेडकर मूर्ति स्थापना कमेटी ने संघर्ष किया, आन्दोलन किया था जिसमें माननीय मंत्री महोदय वहां पर पहुंचे थे। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं, आप उनको आश्वासन देकर आये थे कि यहां पर नये विधान सभा भवन में डा. भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगेगी तो वह कब पूरी कर रहे हो? माननीय मुख्य मंत्रीजी को भी याद दिला दें इनके नाम से और बड़ी बात हो जाएगी, मुझे खुशी है।

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय सभापति जी, यह समाज कल्याण से संबंधित मैटर नहीं है लेकिन माननीय मुख्य मंत्रीजी विराजमान हैं।

श्री जगत सिंह दायमा : आप उनको लिख कर देकर आये हो।

श्री बनवारी लाल बैरवा : मेरी बात तो सुन लो। माननीय मुख्य मंत्रीजी के सामने बात आई थी। आपने फरमाया कि यह हाउस माननीय अध्यक्ष महोदय के सुपुर्द हो गया है। अब इसमें जो भी कुछ तरमीमतोशी होगी वह उनकी जो हाई पावर कमेटी बनाएंगे वह अपने विचार करेगी और विचार करके जो भी उचित समझेगी

(श्री बनवारी लाल बैरवा)

वह करेगी। यह माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा है और आज भी हमारी सरकार वहां खड़ी है।

मांग संख्या-30 का पारण

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि मांग संख्या-30 जनजाति क्षेत्रीय विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,20,87,65,000/- (तीन अरब बीस करोड़ सतासी लाख पैंसठ हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-33 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-33 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये, 5,14,57,67,000/- (पांच अरब चौदह करोड़ सत्तावन लाख सड़सठ हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की बैठक सोमवार, दिनांक 7 मई, 2001 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 18.11 बजे सोमवार, दिनांक 7 मई, 2001 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट-1
(तारांकित प्रश्न संख्या-397 का विवरण)

परिशिष्ट "क"

(राशि रुपयों में)

क्र.सं.	नाम निर्माता	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001 (सितम्बर, 2000)	कुल योग
1	मैसर्स मधुबन कैमि. एण्ड फर्टि. लि.	846712	0	0	303840	21000	1171552
2	मैसर्स लिबर्टी फास्फेट लि.	9833916	14223180	27509895	26204740	18589305	96361036
3	मैसर्स रामा फास्फेट लि.	3232000	21691500	37461585	63513905	15856078	141755068
4	मैसर्स सुर्वीकलर कैमि. लि.	3349920	1337700	1132380	4314325	691880	10826205
5	मैसर्स धर्मसी मोरारजी कैमि. लि.	0	0	0	6025650	6752312	12777962
6	मैसर्स उदयपुर फास्फेट लि.	6504576	12091295	6747480	8207100	0	33550451
7	मैसर्स साधना फास्फेट एण्ड कैमि. लि.	0	0	4760400	16444500	5935280	27141180
8	मैसर्स प्रेमसखी फर्टि. लि.	0	0	0	0	0	0
9	मैसर्स अरावली फास्फेट लि.	0	0	0	0	1316000	1316000
10	मैसर्स बोहरा इण्डिस्ट्रीज लि.	0	0	0	0	0	0
	योग	**2376124**	**49343675**	**77611740**	**125014060**	**49162855**	**324899454**

नोट—मैसर्स उदयपुर फास्फेट लि. का विलय दिनांक 3.11.1999 से मैसर्स धर्मसी मोरारजी कैमि. लि. में हो गया है।

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या-400 का विवरण)

विधान सभा क्षेत्र खारची में संचालित विभागीय आयुर्वेद औषधालयों में चिकित्सकों एवं नर्स/कम्पाउण्डरों के रिक्त पदों का विवरण

क्र.सं.	स्थान औषधालय	अवधि जब से पद रिक्त है
आयुर्वेद चिकित्सक पद		
1.	सिनला	23.3.99
2.	कराड़ी	13.2.99
3.	वाणून्दा	दिसम्बर, 2000
4.	सिवास	10.7.99
5.	गजनीपुरा	26.8.2000
नर्स-कम्पाउण्डर पद		
1.	जोजावर	26.11.97
2.	घेनड़ी	20.3.99
3.	निपल	31.12.2000

परिशिष्ट-3

(तारांकित प्रश्न संख्या-401 का विवरण)

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बून्दी

क्र.सं.	ग्राम पंचायत	एनीकट का नाम	कार्यकारी विभाग	योजना का नाम	स्वीकृति वर्ष	कार्य पर स्वीकृत राशि (लाखों में)	कार्य पर व्यय राशि (लाखों में)	कार्य की भौतिक स्थिति
1.	सादेड़ा	सादेड़ा एनीकट	वन विभाग, बून्दी	वानिकी विकास परियोजना	98-99	1.95	1.02	पूर्ण लेकिन क्षतिग्रस्त
2.	सादेड़ा	सादेड़ा एनीकट (अरदन)	वन विभाग, बून्दी	वानिकी विकास परियोजना	99-2000	1.00	1.05	पूर्ण
3.	सादेड़ा	गुजरियखेड़ा एनीकट	सिंचाई विभाग, बून्दी	आश्वासित रोजगार योजना	97-98	9.99	10.31	पूर्ण
4.	मरा	फलास्थूनी एनीकट	सिंचाई विभाग, बून्दी	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	87-88	16.07	17.32	पूर्ण
5.	खटकड़	गुलखेड़ी एनीकट	सिंचाई विभाग, बून्दी	जवाहर रोजगार योजना	95-96	4.62	4.59	पूर्ण

ह०/-
अतिरिक्त कलक्टर (विकास)
बून्दी

परिशिष्ट-4

(तारांकित प्रश्न संख्या-403 के नियमों की प्रति)

परिशिष्ट "क"

The All India Services (Conduct) Rules, 1968.

13 (2) A member of the Service may, without the previous sanction of the Government –

(a) undertake honorary work of a social or charitable nature, or

(b) undertake occasional work of a literary, artistic or scientific character, or

(c) participate in sports activities as an amateur, or

(d) take part in the registration, promotion or management (not involving the holding of an elective office) of a literary, scientific or charitable society, or of a club, or similar organisation, the aims or objectives of which relate to promotion of sports, cultural, or recreation activities, registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860), or any other law for the time being in force; or

(e) take part in the registration, promotion or management (not involving the holding of elective office) of a co-operative society substantially for the benefit of the members of the Service or government servants registered under the Co-operative Societies Act, 1912 (2 of 1912), or any other law for the time being in force in any State :

Provided that,–

(i) he shall discontinue taking part in such activities if so directed by the Government; and

(ii) in a case falling under clause (d), or clause (e) of this sub-rule, his official duties shall not suffer thereby and he shall, within a period of one month of his taking part in such activity report to the Government giving details of the nature of his participation.

परिशिष्ट "ख"

राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971

18. *Private trade or employment*—(1) No Government servant shall, except with the previous sanction of the Government engage directly or indirectly in any trade or business or undertake any other employment :

Provided that a Government servant may, without such sanction undertake honorary work of a social or charitable nature or occasional work of a literary, artistic or scientific character, subject to the condition that his official duties do not thereby suffer; but he shall not undertake, or shall discontinue such work if so directed by the Government.

Explanation—

(1) Convassing by a Government servant in support of the business of insurance agency, commission agency, and of like nature owned or managed by his wife or any other member of his family shall be deemed to be a breach of this subrule.

(2) Every Government servant shall report to the Government if any member of his family is engaged in a trade or business or owns or manages an insurance agency or commission agency.

(3) No Government servant shall, without the previous sanction of the Government, except in the discharge of his official duties, take part in the registration, promotion or management of any bank or other company which is required to be registered under the Companies Act 1956 (9 of 1956) one any other law for the time being in force or any co-operative society for commercial purposes :

Provided that a Government servant may take part in the registration, promotion or management of a co-operative society substantially for the benefit of Government servants registered under the Rajasthan Co-operative Societies Act, 1965 or any other law for the time being in force, or of a literary, scientific or charitable society registered under the Societies Registration Act 1890 (21 of 1890) or any corresponding law in force.

परिशिष्ट-5

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

राजस्थान उर्दू अकादमी को दिये जाने वाली अनुदान राशि में वृद्धि

405. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या भाषाई अल्पसंख्यक राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान उर्दू अकादमी का वर्ष 1995 से 2001 तक का आय-व्यय कितना कितना रहा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अकादमी द्वारा वर्ष 1999 से फरवरी, 2001 तक कुल कितना व्यय किन-किन मदों पर किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या राज्य सरकार कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश व दिल्ली राज्यों की तरह राजस्थान उर्दू अकादमी को दिये जाने वाले अनुदान में बढ़ोतरी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब और कितनी राशि और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजस्थान उर्दू अकादमी की वर्ष 1995-96 से वर्ष 2000-2001 फरवरी माह तक की आय व व्यय निम्नप्रकार रही है :—

आय	रुपये 77.52 लाख
व्यय	रुपये 76.69 लाख

(2) राजस्थान उर्दू अकादमी द्वारा वित्तीय वर्ष 1999-2000 (माह फरवरी, 2001 तक) रुपये 36.81 लाख व्यय किए गए हैं। विवरण सदन की पटल पर रख दिया गया है।

(3) पिछले वित्तीय वर्ष 2000-2001 में दिये गये अनुदान रुपये 18.80 लाख के विरुद्ध इस वित्तीय वर्ष में (2001-2002) अनुदान की राशि बढ़ाकर 29.78 लाख कर दी गई है।

राजस्थान उर्दू अकादमी, जयपुर

वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 (माह फरवरी, 2001 तक) के व्यय का विवरण

(राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	मद	1999-2000	2000-2001	(फरवरी, 2001 तक)
1	2	3	4	5
I.	**आयोजना भिन्न व्यय :**			
1.	स्थापना व्यय	7.57	6.35	
2.	सम्मान, पुरस्कार, आर्थिक सहायता व प्रोत्साहन राशि	0.73	0.01	
3.	अन्य गतिविधियां	0.01	0.01	
	योग	**8.31**	**6.37**	
II.	**आयोजना व्यय :**			
1.	कार्यालय व्यय	1.32	1.30	
2.	सम्मान, पुरस्कार, छात्रवृत्ति व आर्थिक सहायता	1.49	0.17	
3.	विभिन्न कार्यक्रम	2.81	2.04	
4.	प्रकाशन व्यय	1.98	1.06	
5.	उर्दू विकास की गतिविधियां	0.39	0.05	
6.	उर्दू भाषा की सेवा	0.19	0.02	
7.	उर्दू शिक्षा सहायता	0.20	0.02	
	योग	**8.38**	**4.66**	

1	2	3	4	5
III.	आयोजना भिन्न व्यय व आयोजना व्यय के अतिरिक्त व्यय :			
	1.	मुख्य मंत्री राजस्थान सहायता कोष से प्राप्त राशि में से व्यय (उर्दू छात्रों को छात्रवृत्ति, मुशायरा, सेमीनार आदि व पुस्तक प्रदर्शनी)	4.63	
	2.	नेशनल कांउसिल फार प्रमोशन आफ उर्दू लेंग्वेज, भारत सरकार, नई दिल्ली के सहयोग से आल स्टेट उर्दू एकेडमीज कांफ्रेंस पर व्यय	4.46	
	कुल योग	1.69 लाख	20.12 लाख =	(कुल योग) रुपये 36.81 लाख

विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में घटता जल स्तर

406. श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) : क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में चांदगोठी के आसपास कितने गावों के कृषि कुओं का जल स्तर घट गया है ?

(2) क्या सरकार उक्त घटते जल स्तर की रोकथाम का कोई उपाय करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) ग्राम चांदगोठी और इसके आसपास के कुल 38 गांवों में कुओं में जल स्तर घट गया है। इन 38 ग्रामों की सूची परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) घटते जल स्तर की रोकथाम के लिए भू-जल विभाग द्वारा कार्य नहीं करवाये जा रहे हैं। अपितु सिंचाई विभाग के द्वारा वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स के कार्य करवाये जा रहे हैं जिससे घटते जल स्तर की रोकथाम में सहायता मिलेगी।

परिशिष्ट "अ"

पंचायत समिति—राजगढ़ (जिला—चूरू) में "भू-जल सम्भाव्य क्षेत्र—ए.ओ. 3" में स्थित ग्राम चांदगोठी एवं इसके आसपास के गांवों की सूची

क्र.सं.	गांव का नाम
1.	बागरवा
2.	बास भामरीड
3.	बास गोविन्द सिंह
4.	बास किरतान
5.	बास लालसिंह
6.	बास मामराज
7.	बेवड़
8.	भैंसली
9.	भामरीड
10.	बूधावास
11.	चांदगोठी
12.	डीगली
13.	गुड़ान
14.	गुगलवा
15.	हमीरवास छोटा
16.	जनाउ मीठी
17.	जसवन्तपुरा
18.	किरतान
19.	खुड़ियावास
20.	कूजलाबास
21.	नोरंगपुरा
22.	नवान
23.	नयाबास
24.	नेशल
25.	नूहनद
26.	रबूडी
27.	रामपुरा
28.	रावतसर कूजला
29.	समरपुरा
30.	साखनताल
31.	साखनतूमली
32.	साखू
33.	सूलखानिया छोटा
34.	सूलखानिया बड़ा
35.	थिमाउ बड़ी
36.	थिमाउ छोटी
37.	थिरपली बड़ी
38.	थिरपली छोटी

गम्भीरी बांध से नेतावलगढ़ पाछली (चित्तौड़गढ़) ग्राम पंचायतों को सिंचाई हेतु जलापूर्ति

407. श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जिला चित्तौड़गढ़ स्थित गम्भीरी बांध का निर्माण किया गया तब ग्राम पंचायत नेतावलगढ़, पाछली, केल्जर एवं घटियावली के गांवों के काश्तकारों की भूमि बांध के कमाण्ड क्षेत्र में घोषित कर ली गई ?

(2) क्या उक्त हेतु पंचायतों के गांवों के काश्तकारों से कमाण्ड राशि भी वसूल की जाती रही है ? यदि हां, तो क्या काश्तकारों को सिंचाई हेतु एक बूंद पानी भी नहीं मिला ?

(3) क्या सरकार उक्त ग्राम पंचायतों के कमाण्ड क्षेत्र को डी-कमाण्ड क्षेत्र घोषित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी, हां। यह सही है कि गम्भीरी बांध के निर्माण के समय ग्राम पंचायत नेतावलगढ़, घटियावली, पाछली एवं केल्जर के गांवों के काश्तकारों की भूमि बांध के कमाण्ड क्षेत्र में घोषित की गई थी।

(2) जी, हां। उक्त गांवों की भूमि नहरों के तल से ऊपर होने के कारण सम्बन्धित काश्तकार नहर से सीधी सिंचाई से वंचित रहे हैं।

(3) जी, हां। उक्त क्षेत्र को राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.19(10) उप/2000 दिनांक 28.4.2001 के द्वारा डी-कमाण्ड घोषित कर दिया गया है।

सेवा निवृत्त आयुर्वेद चिकित्सक बाड़मेर का पेंशन प्रकरण

408. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सेवानिवृत्त वैद्य श्री मदन लाल का स्थानान्तरण जिला सवाईमाधोपुर से सिवाना बाड़मेर हुआ था ? यदि हां, तो कब ? उक्त वैद्य को सवाईमाधोपुर से कार्यमुक्त कब किया गया एवं सेवा पंजिका किस दिनांक को जिला अधिकारी बाड़मेर के यहां भेजी गई ?

(2) क्या यह भी सही है कि किसी राजकीय अधिकारी/कर्मचारी की सेवा निवृत्ति की सूचना सेवा पंजिका के आधार पर एक वर्ष पूर्व निदेशालय में भेजनी चाहिए ? यदि हां, तो उक्त वैद्य की सेवा पंजिका के आधार पर किस अधिकारी को सेवा निवृत्ति की सूचना निदेशालय को देना चाहिए थी ?

(3) क्या यह सही है कि तत्कालीन जिला आयुर्वेद अधिकारी सवाईमाधोपुर

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

श्री जगदीश राम का स्थानान्तरण जिला आयुर्वेद अधिकारी बाड़मेर के पद पर किया गया था? यदि हां, तो क्या जिला अधिकारी के पद पर रहते हुए श्री जगदीश राम ने निदेशालय स्तर पर श्री मदन लाल की कोई सूचना भेजी? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि जांच अधिकारी ने उक्त संबंध में अपने पत्र क्रमांक 3120-21 दिनांक 24.7.97 के द्वारा दो अधिकारियों के विरुद्ध आरोप पत्र भेजे थे? यदि हां, तो किन-किन अधिकारियों को आरोप पत्र दिये गये हैं? यदि किसी अधिकारी को नहीं दिए गये हैं तो क्यों? आरोप पत्र एवं अन्य कार्यवाही की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि पूर्व सचिव ने इसी पत्रावली में देरी से पेश करने के लिए सहायक सचिव आयुर्वेद के विरुद्ध नियम 16 के तहत कार्यवाही करने के लिए लिखा है? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, नहीं। सेवानिवृत्त आयुर्वेद चिकित्सक श्री मदन लाल गौतम का स्थानान्तरण सवाईमाधोपुर जिले से जोधपुर जिले में आयुर्वेद औषधालय, रोहिचाखुर्द में हुआ था। श्री गौतम आदेश दिनांक 23.9.88 से कार्यमुक्त हुए थे तथा इनकी सेवा पुस्तिका जिला आयुर्वेद अधिकारी जोधपुर को पत्र दिनांक 13.5.89 द्वारा भेजी गई थी।

(2) जी, हां। आयुर्वेद चिकित्सक श्री मदन लाल गौतम की सेवानिवृत्ति की सूचना जिला आयुर्वेद अधिकारी, बाड़मेर द्वारा निदेशालय में भेजी जानी चाहिये थी।

(3) जी, हां। जी, नहीं। जिला आयुर्वेद अधिकारी, बाड़मेर कार्यालय से वर्ष 1992 में सेवानिवृत्ति होने वालों की सूचना तत्कालीन अधिकारी श्री चाननराम धूड़िया द्वारा दिनांक 27.12.91 को भेजी गई थी। श्री जगदीशराम शर्मा दिनांक 25.9.92 से 3.8.93 तक जिला आयुर्वेद अधिकारी, बाड़मेर के पद पर कार्यरत/पदस्थापित रहे थे किन्तु वर्ष 1993 में सेवानिवृत्त होने वालों की सूचना श्री शुभनारायण सिंह द्वारा दिनांक 8.1.93 को भेजी गई थी।

(4) जी, नहीं। राज्य सरकार के पत्र दिनांक 21.4.97 की अनुपालना में निदेशालय आयुर्वेद विभाग, अजमेर के पत्रांक 31120-21 दिनांक 24.7.97 द्वारा निम्न अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध सी.सी.ए. नियमों के नियम 16 में आरोप पत्र व आरोप विवरण पत्र प्रस्तावित किये गये थे :—

1. श्री जगदीशराम शर्मा, तत्कालीन जिला आयुर्वेद अधिकारी, बाड़मेर

(सिंचाई मंत्री)

2. श्री सचिदानन्द सोनी, वरिष्ठ लिपिक जिला आयुर्वेद अधिकारी कार्यालय, बाड़मेर

3. श्री अमरचन्द शर्मा, कनिष्ठ लिपिक जिला आयुर्वेद अधिकारी कार्यालय, बाड़मेर

इसी प्रकरण में राज्य सरकार के पत्र दिनांक 26.9.96 के अनुसरण में निदेशालय के पत्रांक 52898 दिनांक 21.11.96 द्वारा निम्न अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध भी सी.सी.ए. नियमों के नियम-16 में आरोप-पत्र प्रस्तावित किये गये थे :—

1. श्री चाननराम धूड़िया, तत्कालीन जिला आयुर्वेद अधिकारी, बाड़मेर

2. श्री राजेन्द्र परमार, कनिष्ठ लिपिक जिला आयुर्वेद अधिकारी कार्यालय, बाड़मेर

कार्मिक (क-3) विभाग, जयपुर ने पत्रांक प.1 (332) कार्मिक/क-3/2000 दिनांक 16.1.2001 द्वारा केवल श्री चाननराम धूड़िया एवं श्री राजेन्द्र परमार को आरोप पत्र जारी किये हैं। जारी आरोप पत्र की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(5) जी, हां। श्री चाननराम धूड़िया एवं श्री राजेन्द्र परमार, कनिष्ठ लिपिक उत्तरदायी हैं एवं उनके विरुद्ध राजस्थान सी.सी.ए. नियम-16 में कार्यवाही की जा रही है। अन्य किसी अधिकारी के विरुद्ध किसी कार्यवाही की आवश्यकता प्रस्तावित नहीं है।

राजस्थान सरकार

कार्मिक (क-3) विभाग

क्रमांक प.1(332)कार्मिक/क-3/2000 जयपुर, दिनांक : 16 जनवरी, 2001

ज्ञापन

(1) सर्व श्री चाननराम धूड़िया, जिला आयुर्वेद अधिकारी, बारां, श्री राजेन्द्र परमार, कनिष्ठ लिपिक, राज. आयुर्वेद "अ" श्रेणी औषधालय, जोधपुर को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उनके विरुद्ध राजस्थान सिविल (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अन्तर्गत जांच किये जाने का प्रस्ताव है। अभिकथनों (allegations) जिनके बारे में जांच की जा रही है उनका विवरण अभिकथन विवरण-पत्र में है और उक्त अभिकथन के आधार पर लगाये गये आरोप (Charges) संलग्न आरोप-पत्र में उल्लेखित है।

(2) सर्वश्री चाननराम धूड़िया, राजेन्द्र परमार से अपेक्षा की जाती है कि वे इस ज्ञापन के मिलने के 21 दिन के अन्दर अपने बचाव पक्ष में लिखित अभिकथन (written statement of defence) दो प्रतियों में पेश करें और साथ ही यह भी बतावें कि :—

(i) क्या वे उन पर लगाये गये समस्त आरोपों में से कुछ आरोपों की सत्यता को स्वीकार करते हैं?

(ii) इस सम्बन्ध में वे क्या स्पष्टीकरण या बचाव प्रस्तुत करना चाहते हैं?

(अ) क्या वे प्रत्यक्ष में अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं?

(ब) यदि वे अपने बचाव की पुष्टि में कोई गवाह पेश करना चाहते हैं तो उनके नाम व पते सहित सूची प्रस्तुत करें।

(स) यदि वे अपने बचाव की पुष्टि में कोई दस्तावेज पेश करना चाहे तो उनकी सूची भी मय उपलब्धि स्थान की सूचना के साथ पेश करें।

(iii) क्या प्रत्यक्ष सुनवाई का कोई अवसर चाहते हैं?

(3) श्री चाननराम धूड़िया, राजेन्द्र परमार को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वे अपने बचाव पक्ष की तैयारी के लिए किसी सरकारी अभिलेख का निरीक्षण करना चाहे अथवा उसमें से उद्धरण लेना चाहे तो उनका निरीक्षण भी कार्मिक (क-3) विभाग की निरीक्षण शाखा (कमरा नं.-222) में उक्त अवधि में किसी कार्य दिवस के पूर्वाह्न में उपस्थित होकर कर सकते हैं। किन्तु यह ध्यान में रखा जावे कि यदि निम्न हस्ताक्षरकर्ता की राय में

उनमें से कोई अभिलेख इस प्रयोजनार्थ संगत नहीं पाया गया अथवा उसे दिखाया जाना लोकहित के विरुद्ध हुआ तो उन्हें उस अभिलेख का निरीक्षण करने अथवा उसमें से उद्धरण लेने की अनुमति नहीं दी जावेगी।

(4) श्री चाननराम धूड़िया, राजेन्द्र परमार को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि उनकी ओर से अपने बचाव पक्ष में लिखित अभिकथन निर्धारित समय तक प्राप्त नहीं हुआ तो एक तरफा कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी।

(5) इस ज्ञापन की पहुंच भेजें।

1. श्री चाननराम धूड़िया, पूर्व जिला आयुर्वेद अधिकारी (वर्तमान में उप निदेशक) 2. श्री राजेन्द्र परमार, कनिष्ठ लिपिक	द्वारा : निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर

राज्यपाल के आदेश से
ह० /-
उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार

कार्मिक (क-3) विभाग

आरोप पत्र विरुद्ध श्री चाननराम धूड़िया, जिला आयुर्वेद अधिकारी, बारां आरोप-पत्र सं.-1

यह कि उक्त श्री चाननराम धूड़िया जब जिला आयुर्वेद अधिकारी, बाड़मेर के पद पर कार्यरत थे, श्री मदन लाल गौतम वैद्य राजकीय आयुर्वेद औषधालय, सिवाना (बाड़मेर) राज्य सेवा से दिनांक 31.10.92 को सेवानिवृत्त होने चाहिये थे किन्तु आपकी लापरवाही से उक्त चिकित्सक दिनांक 31.5.95 तक राज्य सेवा में कार्यरत रहे।

इस प्रकार श्री धूड़िया, श्री भदन लाल गौतम वैध औषधालय, सिवाना (बाड़मेर) की सेवानिवृत्ति की सूचना नहीं भिजवा कर राजकोष को हानि पहुंचाने के लिए उत्तरदायी है जिसका विस्तृत विवरण आरोप विवरण पत्र में अंकित है।

ह० /-
उप शासन सचिव (II)

राजस्थान सरकार

कार्मिक (क-3) विभाग

आरोप विवरण पत्र विरुद्ध श्री चाननराम धूड़िया,

जिला आयुर्वेद अधिकारी, बारां।

आरोप विवरण पत्र संख्या—1

यह कि उक्त श्री चाननराम धूड़िया जब जिला आयुर्वेद अधिकारी, बाड़मेर के पद पर कार्यरत थे, श्री मदन लाल गौतम वैद्य राजकीय आयुर्वेद औषधालय, सिवाना (बाड़मेर) राज्य सेवा से दिनांक 31.10.92 को सेवानिवृत्ति होने चाहिये थे किन्तु आपकी लापरवाही के कारण उक्त चिकित्सक दिनांक 31.5.95 तक राज्य सेवा में कार्यरत रहे।

वर्ष 1992 में सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की सूचना भिजवाने बाबत निदेशालय द्वारा अपने पत्रांक 5774 दिनांक 13.2.91, 22.4.91, 20.12.91 एवं तार दिनांक 26.12.91 द्वारा जिला आयुर्वेद अधिकारी, बाड़मेर को लिखा गया किन्त उनके द्वारा जो सूचनायें भिजवायी गई उनमें श्री गौतम का नाम अंकित नहीं था। परिणामस्वरूप वैद्य श्री मदन लाल गौतम औषधालय सिवाना (बाड़मेर) जो राज्य सेवा से दिनांक 31.10.92 को सेवानिवृत्त होने चाहिये थे किन्तु वे दिनांक 31.5.95 तक राज्य सेवा में कार्यरत रहे।

इस प्रकार श्री धूड़िया श्री मदन लाल गौतम औषधालय, सिवाना (बाड़मेर) की सेवानिवृत्ति की सूचना नहीं भिजवाकर राजकोष को हानि पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है।

ह०/-
उप शासन सचिव (II)

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-3) विभाग

आरोप पत्र विरुद्ध श्री राजेन्द्र परमार, कनिष्ठ लिपिक

राजकीय आयुर्वेद "अ" श्रेणी चिकित्सालय, जोधपुर

यह कि उक्त श्री राजेन्द्र परमार, कनिष्ठ लिपिक जब कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी, बाड़मेर में कार्यरत थे, श्री मदन लाल गौतम, वैद्य राजकीय आयुर्वेद औषधालय, सिवाना (बाड़मेर) राज्य सेवा से दिनांक 31.10.92 को सेवानिवृत्त होने चाहिये थे किन्तु आपकी लापरवाही से उक्त चिकित्सक दिनांक 31.5.95 तक राज्य सेवा में कार्यरत रहे।

इस प्रकार श्री राजेन्द्र परमार, कनिष्ठ लिपिक श्री मदन लाल गौतम, वैद्य औषधालय, सिवाना (बाड़मेर) को सेवानिवृत्ति की सूचना नहीं भिजवाकर राजकोष को हानि पहुंचाने के लिए उत्तरदायी है जिसका विस्तृत विवरण आरोप विवरण पत्र में अंकित है।

ह०/-
उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-3) विभाग

आरोप विवरण पत्र विरुद्ध श्री राजेन्द्र परमार, कनिष्ठ लिपिक

राजकीय आयुर्वेद "अ" श्रेणी औषधालय, जोधपुर

यह है कि उक्त श्री राजेन्द्र परमार, कनिष्ठ लिपिक जब कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी, बाड़मेर में कार्यरत थे, श्री मदन लाल गौतम, वैद्य राजकीय आयुर्वेद औषधालय, सिवाना (बाड़मेर) राज्य सेवा से दिनांक 31.10.92 को सेवानिवृत्त होने चाहिये थे, किन्तु इनकी लापरवाही के कारण उक्त चिकित्सक दिनांक 31.5.95 तक राज्य सेवा में कार्यरत रहे।

वर्ष 1992 में सेवानिवृत होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की सूचना भिजवाने बाबत निदेशालय द्वारा अपने पत्रांक 5774 दिनांक 13.2.91 दिनांक 22.4.91, 20.12.91 एवं तार दिनांक 26.12.91 द्वारा जिला आयुर्वेद अधिकारी, बाड़मेर को लिखा गया किन्तु उनके द्वारा जो सूचनायें भिजवाई गई उनमें श्री गौतम का नाम अंकित नहीं था, परिणामस्वरूप वैद्य श्री मदन लाल गौतम, औषधालय सिवाना (बाड़मेर) जो राज्य सेवा से दिनांक 31.10.92 को सेवानिवृत्त होने चाहिये थे, दिनांक 31.5.95 तक राज्य सेवा में कार्यरत रहे।

इस प्रकार श्री परमार श्री मदन लाल गौतम वैद्य औषधालय, सिवाना (बाड़मेर) की सेवानिवृत्ति की सूचना नहीं भिजवा कर राजकोष को हानि पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है।

ह०/-
उप शासन सचिव (II)

पंचायत समितियों को दसवें वित्त आयोग योजना के तहत निर्माण कार्यों की स्वीकृति के अधिकार

409. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पंचायत समितियों को दसवें वित्त आयोग योजना के निर्माण कार्य स्वीकृत करने के अधिकार हैं? यदि हां, तो कितनी राशि की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति जारी की जा सकती है?

(2) क्या दसवें वित्त आयोग में भवन रहित शालाओं एवं एकल कमरों की स्वीकृति जारी की जा सकती है? यदि हां, तो पंचायत समिति स्तर पर उपलब्ध राशि उक्त कार्यों पर खर्च नहीं की जा रही है?

(3) क्या राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाएं जो वर्ष 2000-2001 में प्रस्तावित हैं उनके लिए बिना पाठशालाओं की स्वीकृति के उक्त योजना में राशि सुरक्षित रखना आवश्यक है? क्या कई विद्यालय गत 15 वर्षों से भवन रहित/एक कमरे में चल रहे हैं?

उत्तर

(1) जी, हां। विभागीय आदेश क्रमांक एफ. 184 (16) ग्राविप/लेखा/बजट/96-97/403 दिनांक 24.4.99 के बिन्दु संख्या 8में वर्णित ग्रामीण कार्य निर्देशिका 1997 में संशोधित दिशा निर्देश के अनुसार पंचायत समिति की प्रशासनिक समिति रुपये 5.00 लाख की सीमा तक की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति जारी कर सकती है।

(2) जी, हां। टी.एफ.सी. में भवन रहित शालाओं एवं एकल कमरों की स्वीकृति जारी की जा सकती है। पंचायत समिति स्तर पर उपलब्ध राशि अन्य कार्यों के साथ-साथ इन कार्यों पर भी व्यय की जा रही है।

(3) जी, नहीं। यह सही है कि कई विद्यालय भवन रहित/एक कमरे में चल रहे हैं।

ग्राम कोटड़ादीप जिला कोटा में चिकित्सक की नियुक्ति

410. श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जिला कोटा में डाक्टरों को प्रतिनियुक्ति पर उनके सुविधानुसार लगाया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(2) उक्त जिले में चिकित्सकों के रिक्त स्थानों पर चिकित्सा सुविधा की क्या व्यवस्था की जाती है?

(3) जिला कोटा की पंचायत समिति सुल्तानपुर के कोटड़ादीप ग्राम के डाक्टर को सुल्तानपुर कोई रिक्त स्थान न होने पर भी क्यों व कैसे लगाया गया है? वर्तमान में कोटड़ादीप सिंह चिकित्सालय में

(श्री हेमन्त कुमार)

क्या व्यवस्था की है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं। एक कनिष्ठ विशेषज्ञ नैत्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामगंज मण्डी से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामपुरा में अंधता निवारण कार्यक्रम के निर्धारित लक्ष्य को पूर्ण करने हेतु प्रतिनियुक्त पर लगा रखा है।

(2) चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सकों के रिक्त पद होने पर अन्य उपलब्ध चिकित्सकों/स्टाफ द्वारा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु यथा संभव प्रयास किये जात हैं।

(3) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोटड़ादीप सिंह के महिला चिकित्सक को परिवार कल्याण कार्यक्रम के कार्य सम्पादन हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सुल्तानपुर में लगाया गया था, साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोटड़ादीप सिंह की चिकित्सा व्यवस्था के संचालन हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लाखसनिषा के चिकित्सक को निर्देश दिए गए। वर्तमान में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोटड़ादीप सिंह के चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति समाप्त कर दी गई है।

शराब के अधिक प्रचलन से अपराधों में वृद्धि

411. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गत दस वर्षों में शराब की बिक्री से राज्य सरकार की आय में वृद्धि हुई है? गत दस वर्षों के लाभ के आंकड़े वर्षवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य के प्रत्येक गांव में शराब की बिक्री का प्रबन्ध शराब के ठेकेदारों द्वारा किया जा रहा है?

(3) क्या यह सही है कि राज्य में शराब पीने वालों की संख्या में गत 10 वर्षों में पांच गुनी वृद्धि हुई है?

(4) क्या यह भी सही है कि शराब के अधिक चलन से अपराधों की संख्या में वृद्धि हो रही है?

(5) क्या यह सही है कि शराब के अधिक चलन से गरीबों की गरीबी में अधिक वृद्धि हो रही है और मध्यम श्रेणी की जनता भी गरीबी रेखा की ओर बढ़ रही है? यदि हां, तो क्या सरकार इसमें सुधार हेतु कोई कदम उठाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) गत दस वर्षों में मदिरा से प्राप्त आय निम्न अनुसार रही है :—

(आबकारी मंत्री)

(राशि करोड़ रु. में)

क्र.सं.	वर्ष	देशी मदिरा से प्राप्त आबकारी राजस्व	भा.नि.वि. मदिरा से प्राप्त आबकारी राजस्व	बीयर से प्राप्त आबकारी राजस्व	योग (3+4+5)
1.	1990-91	173.53	70.69	11.86	256.08
2.	1991-92	188.99	125.17	24.64	338.80
3.	1992-93	240.84	132.87	24.89	398.60
4.	1993-94	245.33	157.13	27.22	429.68
5.	1994-95	260.02	203.20	43.54	506.76
6.	1995-96	315.69	284.20	51.61	651.49
7.	1996-97	345.55	303.05	64.69	713.29
8.	1997-98	394.49	362.12	98.90	855.51
9.	1998-99	450.67	354.41	96.93	902.01
10.	1999-2000	431.25	356.11	111.46	898.82

(2) जिन गांवों अथवा कस्बों में दुकाने स्वीकृत है; उन्हीं में शराब की बिक्री का प्रबन्ध ठेकेदार द्वारा किया जाता है।

(3) शराब पीने वालों का पंजीयन नहीं होता और न ही उन्हें परमिट या लाइसेंस लेने की आवश्यकता होती है। अत: शराब पीने वालों की संख्या के बारे में किसी प्रकार की टिप्पणी कर पाना संभव नहीं है।

(4) अपराधों की संख्या में वृद्धि के कई कारण है, जैसे जनसंख्या वृद्धि, गरीबी, आर्थिक असमानता, बदलते सामाजिक व नैतिक मूल्य, आदि। अत: अपराधों की संख्या में वृद्धि को मात्र शराब के चलन से संबंध किया जाना सही प्रतीत नहीं होता।

(5) जी, नहीं। शराब का अधिक चलन गरीबी में वृद्धि का केवल एक मात्र कारण नहीं हो सकता। इस समस्या के कई कारण हो सकते हैं।

कृषि अनुसंधान केन्द्र, श्रीगंगानगर द्वारा आयोजित किसान संगोष्ठी

412. श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री गंगानगर जिले में कृषकों की कृषि तकनीकी सम्बन्धी समस्याओं के निवारण हेतु कृषि अनुसंधान केन्द्र श्री गंगानगर में कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना की गई? यदि हां, तो वर्तमान में उक्त केन्द्र पर कैडर स्ट्रेंथ कितनी स्वीकृत है और कितने कार्यरत हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त केन्द्र पर वर्तमान में कृषि वैज्ञानिक, कृषि तकनीकी उपकरणों, खाद व बीज की जांच सुविधा का अभाव है? यदि हां, तो सरकार इसका कब तक निराकरण करेगी?

(3) क्या उक्त केन्द्र पर अब तक कोई किसान संगोष्ठी, किसानों की समस्याओं पर कोई सम्मेलन एवं खाद बीजों के बारे में विचार गोष्ठि आयोजित की गई है? यदि हां, तो कब-कब व कितने दिनों की? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् पूर्व में अलग से कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना करती थी, लेकिन वर्तमान में कृषि विज्ञान की गतिविधियों के संचालन हेतु, कृषि अनुसंधान केन्द्रों को सुदृढ़ करने हेतु सीनियर रिसर्च फैलो के पद स्वीकृत किये जाते हैं। इसी के तहत वर्तमान में कृषि विज्ञान केन्द्र श्री गंगानगर में सीनियर रिसर्च फैलो के कुल चार पद स्वीकृत हैं। तीन पदों पर सीनियर रिसर्च फैलो कार्यरत हैं व सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं।

(2) क्योंकि कृषि विज्ञान केन्द्र, कृषि अनुसंधान केन्द्र, श्रीगंगानगर का ही एक हिस्सा है तथा कृषि अनुसंधान केन्द्र पर सभी प्रकार के संसाधन उपलब्ध है, अतः उक्त कृषि विज्ञान केन्द्र पर कृषि वैज्ञानिकों व कृषि तकनीकी उपकरणों का कोई अभाव नहीं है। खाद व बीजों की जांच का कार्य कृषि विभाग द्वारा किया जा रहा है।

(3) कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा 7 संगोष्ठि कृषकों के लिए, 3 मासिक बैठकों एवं 1 संगोष्ठि कृषि पर्यवेक्षक व अधिकारियों के लिए आयोजित की गई है। इसका विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

परिशिष्ट "अ"

कृषि विज्ञान केन्द्र की दिसम्बर माह में विधिवत स्थापना के बाद, इस अल्पावधि में जो किसान संगोष्ठियां व समस्या निवारण शिविर आयोजित किये गये जिसमें कृषि अनुसंधान केन्द्र व कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया उनका संक्षिप्त विवरण निम्नप्रकार से है

क्र. सं.	स्थान	दिनांक	कृषकों व कृषि अधिकारियों की संख्या	संगोष्ठी/शिविर का विषय
1.	पण्डिता वाली (हनुमानगढ़)	20.112.2000	25 किसान	उद्यान अवलोकन व संगोष्ठी कार्यक्रम
2.	श्रीगंगानगर	दिसम्बर, 2000 से मार्च, 2000 तक	50 कृषि अधिकारी प्रति बैठक	मासिक कृषि अधिकारी कार्यशाला में माहवार कृषि कार्यों पर परिचर्चा
3.	श्रीगंगानगर	दिसम्बर, 2000 से मार्च, 2001 तक	55 किसान	किसानों द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों से अपने उद्यान व कृषि समस्याओं का लाना व उनका निवारण
4.	ढाबा, संगरिया	3.1.2001	30 किसान	उद्यान अवलोकन एवं किसान संगोष्ठी
5.	गांधी बड़ी, भादरा	10.1.2001	20 किसान	उद्यान अवलोकन एवं किसान संगोष्ठी
6.	13 क्यू. श्रीगंगानगर	जनवरी, 2001	5 उद्यानों का भ्रमण	उद्यान अवलोकन एवं समस्या निदान
7.	4 एम.एल, श्रीगंगानगर	4.1.2001	80 कृषक	20 कृषक खेतों का भ्रमण
8.	श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ गेहूं क्षेत्र	फरवरी, 2001	20 कृषक खेतों का भ्रमण	गेहूं वाले क्षेत्रों का भ्रमण, नवीनतम तकनीकी की जानकारी एवं समस्याओं से गेहूं वैज्ञानिकों को अवगत कराना
9.	श्री गंगानगर	28-29 मार्च, 2001	20 कृषि पर्यवेक्षक व अधिकारी	कपास उत्पादन तकनीकी पर प्रशिक्षण

पार्वती नहर की मरम्मत हेतु स्वीकृत राशि

413. श्री शिवनारायण (बारां) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पार्वती नहर की मरम्मत के लिए वर्ष 1999 में 36 लाख रुपये की स्वीकृति सरकार द्वारा जारी की गई है? यदि हां, तो उक्त में से अब तक कितनी राशि व्यय की गई?

(2) अब शेष राशि मरम्मत हेतु कब तक दे दी जावेगी?

उत्तर

(1) पार्वती नहर की मरम्मत के लिए वर्ष 1999 में सरकार द्वारा 37.06 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई थी। बजट की उपलब्धतानुसार उक्त कार्य पर अब तक 11.44 लाख रुपये व्यय किया गया है।

(2) वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के अनुसार शेष राशि शीघ्र दिया जाना संभव होगा।

ग्राम पंचायत पारोली, (भीलवाड़ा) में आबादी भूमि का विस्तार

414. श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम पंचायत पारोली पंचायत समिति कोटड़ी (भीलवाड़ा) को आबादी हेतु पेटा तालाब गांवाई की भूमि को आबादी विस्तार हेतु सरकार ने कब व कितनी भूमि किस शर्त पर सुपुर्द की है? तो क्या ग्राम पंचायत ने राजस्थान पंचायत सामान्य नियम, 1961 एवं राज. पंचायत राज अधि. 1994 के अन्तर्गत बने नियम 1996 के तहत भूमि विक्रय के नियमों की पालना की है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त पेटे की भूमि को पंचायत ने आबादी के रूप में लोगों को विक्रय की है? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों को? क्या उक्त भूमि विक्रय का अनुमोदन सक्षम अधिकारी एवं विभाग से करवाया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि आबादी भूमि विक्रय में भारी अनियमितता की गई है? उक्त शिकायतों के संबंध में कब-कब जांच किस-किस अधिकारी ने की है? विवरण सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत पारोली के नाम आराजी नं. 2379 पेटा तालाब में से एक बीघा भूमि आबादी हेतु नामान्तरकरण संख्या 500 दिनांक 9.9.70 के द्वारा दर्ज की गई, जिसकी नक्शे में तरमीम दुरुस्ती दिनांक 24.9.98 को हुई। ग्राम पंचायत के द्वारा की गई भूमि विक्रय की जांच करवाई जा रही है।

(2) जी, हां। उक्त आबादी भूमि में जिन व्यक्तियों को भूमि विक्रय की गई है, उनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई

(पंचायती राज मंत्री)

है। जी नहीं, विस्तृत जांच करवाई जा रही है।

(3) आबादी भूमि विक्रय में सम्भावित अनियमितताओं की जांच करवाई जा रही है।

ग्राम पंचायत पारोली द्वारा निम्न व्यक्तियों को नीलामी द्वारा भूमि विक्रय

क्र.सं.	नाम
1.	अन्जुमन मदरसा पुत्र हस्ते मेहबूब
2.	अजीज पुत्र श्री गनी मोहम्मद
3.	बाबू खां पुत्र श्री कमरुद्दीन
4.	जब्बार पुत्र श्री इस्माईल
5.	मोइनुदीन पुत्र श्री इस्माईल
6.	ईमामबक्ष पुत्र श्री रहीम बक्ष
7.	मो. उमर पुत्र श्री अहमद
8.	इन्द्रमल लड्ढा
9.	नन्द लाल लड्ढा
10.	चांदमल पोरवाल
11.	विजय कुमार सन्याती
12.	कंवर लाल बाहेती
13.	घसू लाल तेली
14.	सुरेन्द्र शर्मा
15.	मदरसा

निजी क्षेत्र में मेडिकल/डेंटल कालेज की स्वीकृति

415. श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में मेडिकल/डेंटल कालेज अथवा विश्वविद्यालय स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की है?

(2) क्या यह सही है कि निजी क्षेत्र के कालेज अथवा विश्वविद्यालय को राजकीय सवाई मानसिंह अस्पताल या मेडिकल कालेज की प्रयोगशालाओं व अन्य जांच केन्द्रों के इस्तेमाल का अधिकार दिया है? यदि हां, तो किन शर्तों पर ऐसा किया गया तथा उक्त कार्य में राज्य की जनता का क्या हित है?

उत्तर

(1) जी, हां। निजी क्षेत्र में केवल मेडिकल/डेंटल कालेज स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किये गये हैं।

(2) जी, हां। निजी क्षेत्र के दन्त व चिकित्सा महाविद्यालयों को सम्बद्धता दी गई है। शर्तों की प्रति संलग्न है।

(शर्तों की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

निदेशक, कृषि के पद पर पद स्थापित अधिकारी

416. श्री सांवर लाल (भिनाय) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री सांवर लाल)

क्या दिनांक 29 जनवरी, 2001 को राजस्थान कृषि सेवा नियम, 1960 में संशोधन कर निदेशक, कृषि का पद समाप्त कर दिया गया है? यदि हां, तो निदेशक कृषि के पद को समाप्त करने की अब क्या आवश्यकता थी और फिर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी उक्त पद पर कैसे तथा किस हैसियत से कार्य कर रहे हैं?

उत्तर

दिनांक 29 जनवरी, 2001 को राजस्थान कृषि सेवा नियम, 1960 में संशोधन कर निदेशक कृषि का पद समाप्त नहीं किया गया है। क्योंकि पद समाप्त नहीं किया गया है इसलिये भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी इस पद पर कार्यरत हैं।

जिला हनुमानगढ़ एवं श्रीगंगानगर में विचाराधीन नियमन प्रकरण

417. श्री हरचन्द सिंह सिद्धू (पीलीबंगा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला गंगानगर व हनुमानगढ़ में धारा 13ए उपनिवेशन अधिनियम की कालोनी कंडीशंस की खिलाफ वर्जी के कितने मामले नियमन हेतु विचाराधीन हैं? क्या सरकार उक्त का नियमन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(2) उक्त जिलों में धारा 13ए के तहत प्रभावित काश्तकारों ने कितनी राशि नियमन हेतु जमा करवा दी है? क्या राशि जमा करवाने वाले काश्तकारों के प्रकरणों का नियमन कर दिया गया या विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार ऐसे प्रकरणों में राशि जमा करवाने की समयावधि बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। जिला श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ में धारा 13ए उपनिवेशन अधिनियम में श्रीगंगानगर के वर्तमान में 205 व हनुमानगढ़ के 374 प्रकरण विचाराधीन है। जिनमें नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। विधिवत नियमन योग्य प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण कर दिया जायेगा।

(2) जिला श्री गंगानगर में धारा 13ए के तहत प्रभावित काश्तकारों द्वारा कुल शमन फीस 4,71,70,932 रुपये जमा करवाये गये हैं। शमन फीस जमा होने के उपरान्त वर्ष 1984 से अब तक कुल 4166 प्रकरणों में नियमन कर दिया गया है। वर्तमान में लम्बित 205 प्रकरणों में से 73 प्रकरणों में प्रभावित काश्तकारों द्वारा शमन फीस जमा करवाई है। इन प्रकरणों में शमन फीस जमा होने के उपरान्त कानूनी प्रक्रिया के तहत नियमन की प्रक्रिया के अधीन चल रहे हैं।

शेष रहे प्रकरणों में से 45 प्रकरणों में विवाद होने के कारण मूल पत्रावलियां

(राजस्व मंत्री)

अपील निगरानियों में उच्च सक्षम न्यायालयों में भिजवाई हुई है एवं 81 प्रकरणों में शमन फीस जमा नहीं हुई है।

इसी प्रकार जिला हनुमानगढ़ में रुपये 2,20,68,147 रु. जमा करवाई गई है। कुल 12 प्रकरण ऐसे हैं जिनके शमन फीस जमा हो चुकी है लेकिन साक्ष्य एवं दस्तावेजों के अभाव में नियमन आदेश जारी नहीं हुए हैं।

(3) जी, हां। विचाराधीन है।

जिला नागौर के विद्यालयों में छात्र संख्या

418. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला नागौर में कुल कितनी राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाएं, राजकीय प्राथमिक पाठशालाएं और राजकीय उच्च प्राथमिक पाठशालाएं कार्यरत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पाठशालाओं में कुल छात्र संख्या कितनी-कितनी है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिले में कितनी सरकारी मान्यता प्राप्त प्राइवेट पाठशालाएं और उच्च प्राथमिक पाठशालाएं कहां-कहां पर कार्यरत हैं और उक्त पाठशालाओं में छात्र संख्या कितनी-कितनी है? सूची पाठशालावार सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि सरकारी पाठशालाओं के बजाय प्राइवेट पाठशालाओं में छात्र संख्या अधिक है? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूची परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) सूची परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) सूची परिशिष्ट "ख" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) जी, नहीं।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, अजमेर में चिकित्सक के विरुद्ध प्राप्त शिकायत

419. श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सितम्बर, 2000 में जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, अजमेर में नाक, कान, गले के विभागाध्यक्ष के विरुद्ध किसी महिला मरीज की शिकायत उस महिला मरीज के पति ने शिकायत पंजिका में दर्ज कराई थी? यदि

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

हां, तो उक्त शिकायत पर क्या कार्यवाही हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि नाक, कान, गले के रोगी की जांच के लिए विशेषज्ञ को रोगी के वक्ष स्थल की जांच की कोई आवश्यकता नहीं होती है?

उत्तर

(1) जी, हां। जांच रिपोर्ट एवं शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत वापस लेने के आधार पर प्रकरण समाप्त कर दिया गया।

(2) जी, हां। किन्तु कुछ केसेज में रोगी के वक्ष एवं शरीर के अन्य अंगों की जांच की आवश्यकता पड़ सकती है।

प्रशासनिक सुधार आयोग की कार्य अवधि

420. श्री नन्द लाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या प्रशासनिक सुधार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए एक प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया है? यदि हां, तो सुधार आयोग की कार्यावधि कब से कब तक रखी गई?

(2) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग ने सरकार को कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है? यदि हां, तो कब और सरकार ने सुझावों को कब से लागू व मान्य किया है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। राज्य सरकार ने प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन आदेश क्रमांक प.2 (1) प्र.सु./अनु.-1/99 दिनांक 11.5.99 द्वारा दिनांक 31.3.2000 तक के लिए किया था, जिसकी अवधि अब दिनांक 30.9.2001 तक रखी गई है।

(आदेशों की प्रति परिशिष्ट 1 व 2 पर संलग्न है।)

(2) जी, हां। प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिनांक 31.3.2001 तक 10 प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत किये हैं, जिनमें से पांच प्रतिवेदन दिनांक 4.3.2000, एक प्रतिवेदन दिनांक 27.6.2000 एवं चार प्रतिवेदन दिनांक 31.3.2001 को प्रस्तुत किये हैं, जिन पर मंत्री मण्डलीय उप समिति के माध्यम से विचार किया जा रहा है।

'Annexure-I'

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Department of Administrative Reforms

No. : F.2(1)AR/Gr.I/99

Jaipur, May 1, 1999

ORDER

The State Government hereby constitutes an Administrative Reforms Commission to examine the public administration in the State and to make recommendations for reforms, recrientation and reorganisation where necessary.

2. The Commission shall consist of the following :

(i)	Shri Shiv Charan Mathur	Chairman
(ii)	Shri G. S. Bapna, Advocate	Member
(iii)	Shri Bhagirath Sharma, IAS (Retd.)	Member
(iv)	Principal Secretary, Administrative Reforms Department, Government of Rajasthan.	Member Secretary

3. The Commission may invite any person for assisting the Commission.

4. The Commission will make its recommendations for ensuring highest standards of efficiency and integrity in public services and in particular suggest measures for :

(i) Restructuring the administration with a view to ensuring speedy and efficient disposal of administrative work;

(ii) Streamlining procedures, rules and regulations with a view to simplifying Government systems and promoting transparency;

(iii) Effecting economy and reducing administrative costs;

(iv) Improving the system of redressal of public grievances; and

(v) Reorienting and inducing attitudinal changes making the administration more accountable and responsive to the needs of the people.

5. The Commission may submit its interim/part reports from time to time and the final report shall be furnished by 31.3.2000

Sd/-
(Arun Kumar)
Chief Secretary

परिशिष्ट "2"

राजस्थान सरकार

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग

(अनुभाग-1)

क्रमांक : प.2(1)प्र.सु./सम/अनु-1/99 जयपुर, दिनांक : 27.3.2001

आदेश

इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 11.5.1999 द्वारा गठित प्रशासनिक सुधार आयोग का कार्यकाल इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 31.3.2000 एवं 26.9.2000 के क्रम में दिनांक 30.9.2001 तक एतद्द्वारा बढ़ाया जाता है।

आज्ञा से,
ह०/-
(हरीश नय्यर)
प्रमुख शासन सचिव

जिला कोटा में भू-संरक्षण कार्यों में अनियमितता की जांच

421. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला कोटा में वर्ष 1995 से मार्च, 2001 तक भू-संरक्षण विभाग द्वारा कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी राशि के कराये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या वर्ष 1999-2000 में स्वीकृत सभी कार्यों का मूल्यांकन हो गया है? यदि हां, तो कब?

(3) क्या उक्त जिले में भू-संरक्षण विभाग द्वारा कराये गये एनीकटों एवं वाटर शैडों में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है? क्या उक्त में से कई कार्य क्षतिग्रस्त हो चुके हैं? क्या उक्त घटिया निर्माण के संबंध में कोई शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं?

(4) क्या सरकार उक्त निर्माण कार्य में हुई अनियमितता की जांच करवा कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) कोटा जिले की बारानी क्षेत्र की दो पंचायत समिति सांगोद एवं खेराबाद में जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग द्वारा वर्ष 1995 से 2001 तक 30 जलग्रहण क्षेत्रों में विकास कार्य एवं 6 एनीकट निर्माण के एकल कार्य करवाये गये। उक्त कार्यों पर व्यय राशि का पंचायत समितिवार विवरण निम्नानुसार है :—

कार्य	पं. स. सांगोद व्यय राशि (लाखों में)	पं. स. खेराबाद व्यय राशि (लाखों में)	योग व्यय राशि (लाखों में)
राजग्रवि. योजना	88.12	112.59	200.71
डी.पी.ए.पी.	55.77	59.75	115.52
इ.ए.एस.	73.91	114.20	188.11
एनीकट निर्माण	3.96	18.87	22.83
	221.76	**305.41**	**527.17**

(कृषि मंत्री)

कार्यों एवं उन पर व्यय राशि का विस्तृत विवरण परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) वर्ष 1999-2000 में उक्त जिले में कोई भी कार्य स्वीकृत नहीं हुआ है। अतः मूल्यांकन अपेक्षित नहीं है।

(3) जी, हां।

(4) शिकायत की जांच उप शासन सचिव, कृषि ग्रुप-2 द्वारा की जा रही है। जिसकी जांच रिपोर्ट प्राप्त होना अभी अपेक्षित है। अग्रिम कार्यवाही जांच के निष्कर्षों के अनुसार की जायेगी।

परिशिष्ट "अ"

क्र.सं.	नाम कार्य	योजना का नाम	पंचायत समिति का नाम	व्यय राशि (लाखों में) से 2001 तक
1	2	3	4	5
1.	**जलग्रहण क्षेत्र परियोजना**			
1.	मडाप	राष्ट्रीय जलग्रहण योजना	सागोद	21.43
2.	रूसलिया	राष्ट्रीय जलग्रहण योजना	सागोद	66.69
			योग	**88.12**
3.	नियामतखेड़ी	राष्ट्रीय जलग्रहण योजना		41.31
4.	देवलीकला	राष्ट्रीय जलग्रहण योजना		71.28
			योग	**112.59**
			महायोग	**200.71**
1.	रोलाना	डी.पी.ए.पी.	सांगोद	11.63
2.	डोबरी	डी.पी.ए.पी.	सांगोद	6.71
3.	ढोटी ए	डी.पी.ए.पी.	सांगोद	18.59
4.	ढोटी बी	डी.पी.ए.पी.	सांगोद	18.[illegible]
			योग	**55.77**
5.	कंवरपुरा	डी.पी.ए.पी.	खेराबाद	7.03
6.	धायपुरा	डी.पी.ए.पी.	खेराबाद	15.41

1	2	3	4	5
7.	गुड़ाला	डी.पी.ए.पी.	खेराबाद	3.29
8.	खेड़ली ए	डी.पी.ए.पी.	खेराबाद	16.04
9.	खेड़ली बी	डी.पी.ए.पी.	खेराबाद	17.98
			योग	**59.75**
			महायोग	**115.52**
1.	गेहूंखड़ी	ई.ए.एस.	सांगोद	3.08
2.	मोडूहेड़ा	ई.ए.एस.	सांगोद	3.35
3.	खड़िया	ई.ए.एस.	सांगोद	14.94
4.	बपावर ए	ई.ए.एस.	सांगोद	18.17
5.	वपावर बी	ई.ए.एस.	सांगोद	18.14
6.	काल्याखेड़ी	ई.ए.एस.	सांगोद	11.64
7.	मादल्याहेड़ी	ई.ए.एस.	सांगोद	4.59
			योग	**73.91**
8.	मदनपुरा	ई.ए.एस.	खेराबाद	6.58
9.	देवलीकला	ई.ए.एस.	खेराबाद	4.61
10.	बोरीना ए	ई.ए.एस.	खेराबाद	16.12
11.	बोरीना बी	ई.ए.एस.	खेराबाद	15.96
12.	बोरीना सी	ई.ए.एस.	खेराबाद	13.14
13.	बोरीना डी	ई.ए.एस.	खेराबाद	14.24
14.	हेमलखेड़ी	ई.ए.एस.	खेराबाद	10.40

1	2	3	4	5
15.	सलावदखुर्द	ई.ए.एस.	खेराबाद	11.34
16.	हमाउ	ई.ए.एस.	खेराबाद	11.27
17.	बड़ोदिया	ई.ए.एस.	खेराबाद	10.54
			योग	**114.20**
			महायोग	**188.11**
2.	**एनीकट कार्य**			
1	गेंहूखेड़ी	ई.ए.एस.	सांगोद	3.96
			योग	3.96
2	चारयाखेड़ी	ई.ए.एस.	खेराबाद	4.80
3	कुटक्या	ई.ए.एस.	खेराबाद	3.58
4	हथोना	ई.ए.एस.	खेराबाद	4.04
5	डुरकली	ई.ए.एस.	खेराबाद	3.79
6	ढाकिया	ई.ए.एस.	खेराबाद	2.66
			योग	**18.87**
			महायोग	**22.83**

विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा में तालाबों हेतु स्वीकृत राशि

422. श्री जीतमल खांट (बागीदौरा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा में वर्ष 1999-2000 के दौरान अकाल राहत योजना अन्तर्गत किस-किस तालाब हेतु कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजनान्तर्गत श्रम पेटे प्रति मजदूर प्रति दिन कितना भुगतान किया एवं पखवाड़े में कुल कितने दिवस रोजगार दिया गया?

(श्री जीतमल खांट)

(3) सामग्री पेटे जो राशि स्वीकृत थी उससे कौन-कौनसी सामग्री के नाम किन-किन फर्म या व्यापारियों को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा में वर्ष 1999-2000 के दौरान अकाल राहत योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित तालाब स्वीकृत हुए। सूची निम्नानुसार है :

क्र. सं.	नाम तालाब	स्वीकृत राशि लाखों में		
		श्रम	सामग्री	योग
1.	फुटन	4.51	1.13	5.64
2.	सिगोड़िंया	1.86	0.46	2.32
3.	बसरेला	1.84	0.46	2.30
4.	पाटियाकोदर	2.00	0.50	2.50
5.	झेर	1.00	—	1.00
6.	वड़ियाला	1.99	—	1.99
7.	उदयपुरा बड़ा	1.82	—	1.82
8.	शेरगढ़ खूंटा	1.76	0.44	2.20
9.	सालीया	1.76	0.44	2.20
10.	गांगड़ तलाई	1.99	—	1.99
11.	गांगड़ तलाई फीडर	5.00	—	5.00
12.	वरेट	2.00	—	2.00
	योग	**27.53**	**3.43**	**30.96**

(सिंचाई मंत्री)

(2) उक्त योजनान्तर्गत विभिन्न तालाबों पर श्रम पेटे प्रति मजदूर प्रतिदिन जो भुगतान किया गया एवं प्रति पखवाड़े मानव दिवस का विवरण निम्नानुसार है :

क्र. सं.	कार्य का नाम	श्रम पेटे प्रतिदिन प्रति मजदूर भुगतान की औसत दर	प्रति पखवाड़ा मानव दिवस	कुल मानव दिवस
1	2	3	4	5
1.	फुटन	42.45	1152	7631
2.	सिगोड़िया	39.97	598	3236.5
3.	बसरेला	38.58	612	3151
4.	पाटियाकोदर	45.28	644	4171
5.	झेर	43.22	657	657
6.	वड़ियाला	39.92	1038	4687.5
7.	उदयपुरा बड़ा	40.01	336.5	2847
8.	शेरगढ़ खूंटा	35.38	576	4134
9.	सालीया	35.29	902	4028
10.	गांगड़ तलाई	35.58	759	4265.5
11.	गांगड़ तलाई फीडर	35.14	673	8085.5
12.	वरेट	40.09	849	4328

(3) सामग्री पेटे में स्वीकृत राशि में से निम्नलिखित योजनाओं पर उल्लेखित फर्म द्वारा विवरण के अनुसार सामग्री क्रय की गई है :—

(सिंचाई मंत्री)

1	2	3	4	5
1.	बसरेला तालाब	मैसर्स रायल एजेन्सी, उदयपुर	स्लुस गेट (1x1)	रुपये 0.17 लाख
2.	सिगोड़िया तालाब	—Do—	—Do—	रुपये 0.17 लाख
3.	फुटन तालाब	श्री रणवीर सिंह चौधरी	पत्थर, रेती, गिट्टी	रुपये 0.33 लाख

बेरोजगार प्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्ति

423. श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में बी.एड. एवं एस.टी.सी. के कितने केन्द्र चल रहे हैं? उक्त प्रत्येक सेंटर में कितने-कितने प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण ले रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रशिक्षित अध्यापक भी काफी संख्या में बेरोजगार हैं? यदि हां, तो कितने? क्या सरकार उक्त बेरोजगार अध्यापकों को नियुक्ति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) राज्य में बी.एड./शिक्षा शास्त्री के 43 शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय तथा 48 एस.टी.सी. के शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय संचालित हैं। बी.एड. एवं एस.टी.सी. प्रशिक्षण केन्द्रवार प्रशिक्षण हेतु स्वीकृत प्रशिक्षणार्थियों की संख्या का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जी, हां। रोजगार सेवा निदेशालय के पत्र दिनांक 4.4.2001 के अनुसार राज्य में दिनांक 31.12.2000 को 53193 बी.एड. प्रशिक्षित तथा 14104 एस.टी.सी.प्रशिक्षित युवक बेरोजगार थे। जी, नहीं अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

बिन्दू संख्या : एक का प्रतित्युत्तर

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम	प्रशिक्षण प्राप्त रहे आशार्थियों की संख्या
1	2	3
1.	राज. उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, अजमेर	150
2.	राज. उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, बीकानेर	170
3.	गांधी विद्या मन्दिर शिप्र. महा., सरदारशहर (चूरू)	180
4.	विद्या भवन जी. एस. महा., उदयपुर	180
5.	लोकमान्य तिलक शिप्र. महा., डबोक (उदयपुर)	180
6.	शा.गो.ला.का. शिप्र. महा., जोधपुर	180
7.	ग्रामोत्थान विद्यापीठ शिप्र. महा., संगरिया (हनुमानगढ़)	180
8.	गोपीकृष्ण पीरामल शिप्र. महा. बगड़ (झुंझुनूं)	120
9.	जवाहर लाल नेहरू शिप्र. महा., सकतपुरा, कोटा	120
10.	बजरंग शिप्र. महा. डीग (भरतपुर)	120
11.	गांधी शिप्र. महा., गुलाबपुरा, भीलवाड़ा	140
12.	महाराजा सूरजमल शिप्र. महा., भरतपुर	120
13.	अग्रसैन आदर्श शिप्र. महा. बड़ायली (नागौर)	120
14.	अग्रसैन आदर्श शिप्र. महा., विद्यापीठ जामडोली, जयपुर	180
15.	श्री सांईनाथ शिप्र. महा. बड़ायली (नागौर)	120
16.	निम्बार्क शिप्र.महा., उदयपुर (120 + 120)	240
17.	जियालाल शिप्र. महा., अजमेर	120
18.	भारतीय विद्यामन्दिर शिप्र. महा., बांसवाड़ा	120
19.	नेहरू शिप्र. महाविद्यालय, हिण्डौनसिटी (करौली)	120
20.	संजय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, जयपुर (60 + 120)	180

1	2	3
21.	महन्त रघुनन्दनदास शिप्र. महा., डूंगरपुर	120
22.	एस.एस.जी. पारीक शिप्र. महा., जयपुर	120
23.	जवाहर विद्यापीठ शिप्र. महा.कान्नोड़ (उदयपुर)	120
24.	टैगोर शिक्षक प्रशिक्षण महा., अलवर	120
25.	जैन शिक्षक प्रशिक्षण महा., अलवर	120
26.	हरिभाऊ उपाध्यायशिप्र. महा., हटुण्डी (अजमेर) (महिला)	180
27.	महादेवी वर्मा शिप्र., महा., अलवर	120
28.	श्री नारायणीदेवी वर्मा शिप्र. (महिला) महा., भीलवाड़ा	160
29.	महिला विद्यामन्दिर शिप्र. महा., प्रतापगढ़ (चित्तौड़)	120
30.	दधिमती शिप्र. महा.(महिला) श्रीगंगानगर	120
31.	गीता बजाज शिप्र. महा. (महिला) जयपुर	120
32.	आर्यविद्यापीठ मन्दिर शिप्र. महा. (म) भूसपवर (भरतपुर)	140
33.	इन्दिरा गांधी शिप्र. (म) महा., अरड़ावता (झुंझुनूं)	120
34.	लालबहादुर शास्त्री शिप्र.महा., जयपुर	120
35.	सबल शिक्षक प्रशिक्षण (महिला) महा., बोरुन्दा (जोधपुर)	180
36.	हितकारी शिप्र. महा. (म) कोटा	120
37.	राजस्थान शिप्र. महा., (महिला) उदयपुर	180
38.	राजस्थान शिप्र. महा. (महिला), बीकानेर	60
39.	अग्रवाल शिक्षक प्रशिक्षण महा. गंगापुर-सिटी (समा)	60
40.	जय नारायण व्यास शिप्र. महा., (म) बाड़मेर	120
41.	आर्य महिला शिप्र. महा., अलवर	120
42.	राजस्थान शिप्र. महा., ब्रह्मपुरी, जयपुर	120
43.	श्री दिगम्बर जैन आदर्श शिप्र. महा. (म) श्री महावीरजी	120

1	2	3
एस.टी.सी. संस्थानों की सूची		
1.	डाइट—अलवर	85
2.	डाइट—गोनेर, जयपुर	115
3.	डाइट—भरतपुर	100
4.	डाइट—धौलपुर	80
5.	डाइट—सीकर	45
6.	डाइट—मसूदा	50
7.	डाइट—कुचामनसिटी (नागौर)	70
8.	डाइट—टोंक	80
9.	डाइट—शाहपुर (भीलवाड़ा)	50
10.	डाइट—कोटा	110
11.	डाइट—बून्दी	70
12.	डाइट—करौली	60
13.	डाइट—झालरापाटन	60
14.	डाइट—जोधपुर	85
15.	डाइट—बाड़मेर	55
16.	डाइट—जैसलमेर	60
17.	डाइट—आबू पर्वत (सिरोही)	95
18.	डाइट—जालौर	55
19.	डाइट—बग्गड़ीनगर (पाली)	80
20.	डाइट—पू. मार्ग, बीकानेर	65
21.	डाइट—चूनावढ़ (श्रीगंगानगर)	100
22.	डाइट—चूरू	70
23.	डाइट—झुंझुनूं	55

1	2	3
24.	डाइट—उदयपुर	180
25.	डाइट—गढ़ी (बांसवाड़ा)	115
26.	डाइट—गढ़ी (बांसवाड़ा)	100
27.	डाइट—चित्तौड़गढ़	100
28.	राजकीय शिप्र. विद्या. बैदला (उदयपुर)	75
29.	राजकीय शिप्र. विद्या (संस्कृत) महापुरा, जयपुर	100
30.	राजकीय शिप्र. (महिला) विद्या, जयपुर	100
31.	राजकीय महिला शिप्र. वि., उदयपुर	135
32.	राजकीय महिला शिप्र. वि., जोधपुर	70
33.	राजकीय महिला शिप्र. वि., बीकानेर	90
34.	राजकीय शिप्र. विद्या, फलौदी (जोधपुर)	55
35.	राजकीय अल्प भाषाई शिप्र. वि., अजमेर	80
36.	विद्याभवन कला संस्थान शिप्र. वि., उदयपुर	60
37.	गीता बजाज शिप्र. विद्या (म) पूर्व प्राथमिक, जयपुर	60
38.	गांधी शिप्र. विद्या. सरदारशहर (चूरू)	60
39.	सरस्वती बालिका शिप्र. वि., अजमेर	120
40.	हरिदेव जोशी शिप्र. विद्यालय, हरमाड़ा, जयपुर	60
41.	महाराणा प्रताप शिप्र. विद्यालय, बसैड़ी (धौलपुर)	120
42.	निम्बार्क शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय, उदयपुर	60
43.	भवानी शंकर शिप्र. विद्यालय, नारायणपुर (अलवर)	60
44.	आदर्श संस्कृत शिप्र. विद्यालय, श्रीमहावीरजी (स.मा.)	120
45.	ग्रामोत्थान शिक्षक प्रशि. विद्यालय, संगरिया (हनुमानगढ़)	120
46.	महात्मा ज्योतिराव फूले महिला शिप्र. विद्या.,	60

महाराव भीमसिंह अस्पताल कोटा में अव्यवस्था

424. श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) एवं **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या कोटा मेडिकल कालेज से संबंधित महाराव भीमसिंह अस्पताल के परिसर में स्थित जे. के. लान अस्पताल में जून, 2000 को श्री गौरव पुत्र श्री सत्यनारायण उम्र 2 साल सिर में पानी भरने के कारण भर्ती हुआ था? यदि हां., तो उक्त बालक का आपरेशन किस डाक्टर ने कब किया?

(2) क्या यह सही है कि डाक्टर द्वारा उक्त बालक का आपरेशन करने हेतु 9 जून की तिथि नियत की गई थी? यदि हां, तो फिर 9 जून को आपरेशन क्यों नहीं किया गया?

(3) क्या उक्त प्रकार बूंदी जिले के सांवतगढ़ गांव के श्री शम्भूलाल के एक वर्षीय बालक को दिनांक 29 मई, 2000 को जे. के. लान अस्पताल के शिशु वार्ड में भर्ती कराया था उसका भी आपरेशन लगातार टलता रहा? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या उक्त प्रकरण की जानकारी चिकित्सालय प्रशासन व चिकित्सा विभाग को है? यदि हां, तो उक्त मामलों में क्या कार्यवाही की तथा उक्त कृत्य हेतु किस-किस को किस-किस कारण से दोषी माना?

उत्तर

(1) जी, हां। रोगी को उसके परिजन दिनांक 16.6.2000 को आपरेशन से पूर्व ही भर्ती टिकिट सहित बिना सूचना के ही लेकर चले गये अत: आपरेशन नहीं हो सका।

(2) जी, नहीं। आपरेशन की तिथि तय होने से पूर्व ही मरीज के परिजन भर्ती टिकट सहित बिना सूचना के मरीज को 16.6.2000 को ले गये।

(3) जी, हां। मरीज को जे. के. लान से फिमेल सर्जिकल वार्ड-सी एम.बी.एस. चिकित्सालय में दिनांक 8.6.2000 को स्थानान्तरण किया गया। एवं दिनांक 9.6.2000 को उसका आपरेशन कर दिया गया।

(4) जी, नहीं। इस प्रकरण में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

परिशिष्ट-6

(अतारांकित प्रश्न संख्या-691 के मानदण्डों की प्रति)

परिशिष्ट "1"

महाविद्यालय आरम्भ करने के वर्तमान मानदण्ड

प्रदेश में नये महाविद्यालय आरम्भ करने के वर्तमान में निम्नलिखित मानदण्ड लागू किये जा रहे हैं :—

1. महाविद्यालय के लिए आवश्यक भवन आदि उपलब्ध हो।
2. प्रस्तावित स्थान के 20 किलोमीटर की परिधि में कम से कम 4 सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल कार्यरत हों।
3. प्रस्तावित स्थान के 30 क़िलोमीटर की परिधि में कोई अन्य महाविद्यालय कार्यरत न हो।
4. प्रस्तावित स्थान अन्य सभी दृष्टियों से महाविद्यालय आरम्भ करने के लिए उपयुक्त हो।

निजी महाविद्यालयों के प्रारम्भ करने हेतु उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त सहशिक्षा के महाविद्यालय द्वारा 25.00 लाख रुपये एवं महिला शिक्षा के महाविद्यालय द्वारा 10.00 लाख रुपये संस्था के 5 वर्षीय सावधि खाते में जमा करवाना आवश्यक है।

परिशिष्ट-7

(अतारांकित प्रश्न संख्या-699 का विवरण) **परिशिष्ट "क"**

उप प्रधानाचार्य, रा.सी.मा.वि. एवं समकक्ष रिक्त पद 1.3.2001

अजमेर	सनातन धर्मा—ब्यावर/पटेल-ब्यावर/नसीराबाद/अंध विद्यालय-अजमेर/शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी-जिशिअ (मा-I)/वरि. उप जिला शिक्षा अधिकारी (माना)/आईएएसई-9
भीलवाड़ा	प्रतापनगर—भीलवाड़ा/शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी (मा-I)/वरि. उप जिला शिक्षा अधिकारी (मा-II)
नागौर	नागौर/डीडवाना/कुचामनसिटी/कुकनवाली/लाडनूं/मेड़तारोड/मकराना/मौलासर/निम्बीजोधा/शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी (मा-I) वरि. उप जिला शिक्षा अधिकारी (मा-II)
टोंक	टोंक/देवली/निवाई
बीकानेर	फोर्ट-बीका/सार्दुल-बीका/चौपड़ा-बीका/नोखा/नापासर/निदेशालय (मा)-6/आई.ए.एस.ई.-15
चूरू	बागला/गोयनका/सरदारशहर/डूंगरगढ़/शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी (मा)
झुंझुनूं	झुंझुनूं/चनाना/खेतड़ीनगर/उदयपुरवाटी/खेतड़ी/शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी (मा)
हनुमानगढ़	हनुमानगढ़ टाउन/छानी बडी/डाबडी/निनाण/नोहर/पीलीबंगा/रावतसर/संगरिया/अटीबी
गंगानगर	गंगानगर/शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी (मा)
अलवर	नवीन-अलवर/यशवन्त अलवर/बहरोड़/बानसूर/बीबीरानी/बड़ौदामेव/गोविन्दगढ़/हरसौली/कठूमर/किशनगढ़वास/खैरथल/खेरली/लक्ष्मणगढ़/राजगढ़/रामगढ़ टपूकड़ा/तिजारा/शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी (मा)/ वरि. उप. जिशिअ. (मा-II)
भरतपुर	भरतपुर/बयाना/भुसावर/डीग/हलेना/कुम्हेर/कामां/नदबई/सेवर/उच्चैन/वरि. उप जि. शि. अ. (मा-II)
दौसा	दौसा/बांदीकुई/भांडारेज/लालसोट/मण्डावर
धौलपुर	धौलपुर/बाड़ी/बसेड़ी/नरेना/शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी (मा)

जयपुर	पोद्दार/माणक चौक/मोती कटला/आदर्श नगर/अचरोल/बस्सी/बगरू/चौमूं/ गोविन्दगढ़/जमवा रामगढ़/किशनगढ़ रेनवाल/मनोहरपुर/ फुलेरा/तुंगा
सीकर	कल्याण/अजीतगढ़/कांवट/रींगस/रामगढ़ शेखावाटी/श्री माधोपुर/शिशु रानौली/शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी (मा-प)
बाड़मेर	बाड़मेर/बालोतरा/शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी (मा)
जैसलमेर	जैसलमेर
जालौर	आहौर/रानीवाडाकलां/सांचोर/शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी (मा)
जोधपुर	नवीन-जोधपुर/महात्मा गांधी, जोधपुर/चैनपुरा/बिलाड़ा/शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी (मा)/वरि. उप जि.शि.अ. (विधि)
पाली	बांगड़/देसूरी/निमाज/सुमेरपुर/सोजत सिटी/शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी (मा)
सिरोही	आबू रोड/शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी (मा)
बारां	अन्ता/बारां/छीपाबड़ौद/शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी (मा)
बूंदी	बूंदी/शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी (मा)
झालावाड़	झालावाड़/भवानीमण्डी/झालरापाटन/शैक्षिक प्रकोष्ठ अधि. (मा)
कोटा	गुमानपुरा/भीममण्डी/इटावा/रामगंजमण्डी/शैक्षिक प्रकोष्ठ अधि. (मा) वरि. उप. जि. शि. अ. (मा) उप निदेशक
करौली	हिण्डौन/श्री महावीरजी/रतनजिला/सुरोठ/टोडाभीम/करौली/शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी (मा)
सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर/चौथ का बरवाड़ा/गंगापुर सिटी/वरि. उप. जि. शि. अ. (मा)
बांसवाड़ा	सिटी-बांसवाड़ा/नूतन-बांसवाड़ा/बागीदौरा
चित्तौड़	चित्तौड़/छोटीसादड़ी/निम्बाहेड़ा/प्रतापगढ़/शैक्षिक प्रको. अधि. (मा)
डूंगरपुर	महारावल/डूंगरपुर/शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी (मा)
राजसमन्द	भीम/शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी (मा)
उदयपुर	गु.गो.सिंह उदयपुर/फतह-उदयपुर/खैरवाड़ा/शैक्षिक प्रको. अधि. (मा) वरि. उप. जि. शि. अ. (मा) II, एस.आई.ई.आर. वि.-12

उप प्रधानाचार्य बा.सी.मा.वी. एवं समकक्ष रिक्त पद (1.3.2001)

अजमेर	—	के. बा. अजमेर/डिग्गी/मो-ब्यावर/किशनगढ़/नसीराबाद/केकड़ी
भीलवाड़ा	—	भीलवाड़ा/शाहपुरा
नागौर	—	नागौर/डीडवाना
टोंक	—	देवली
बीकानेर	—	महारानी-बीकां/दयानन्द मार्ग-बीका/नोखा
चूरू	—	राजगढ़
झुंझुनूं	—	झुंझुनूं
हनुमानगढ़	—	भादरा/नोहर/पीलीबंगा
गंगानगर	—	गंगानगर/रायसिंह नगर
अलवर	—	एस.एम.डी.—अलवर/खैरथल
भरतपुर	—	बयाना
दौसा	—	दौसा
धौलपुर	—	धौलपुर
जयपुर	—	आदर्श नगर/महाराजा/बनीपार्क/कमला नेहरू/सांगानेर/फुलेरा
सीकर	—	सीकर/रींगस
बाड़मेर	—	बाड़मेर
जैसलमेर	—	—
जालौर	—	—
जोधपुर	—	किसान कन्या-जोधपुर
पाली	—	पाली
सिरोही	—	—
बारां	—	बारां
बूंदी	—	बूंदी
झालावाड़	—	—
कोटा	—	भीममण्डी-कोटा/रामपुरा-कोटा/श्रीपुरा-कोटा/रामगंजमण्डी
करौली	—	हिण्डौनसिटी
सवाईमाधोपुर	—	मानटाउन
बांसवाड़ा	—	बांसवाड़ा
चित्तौड़	—	चित्तौड़/निम्बाहेड़ा/प्रतापगढ़
डूंगरपुर	—	डूंगरपुर
राजसमन्द	—	नाथद्वारा
उदयपुर	—	रेजीडेंसी/उदयपुर

परिशिष्ट-8

(अतारांकित प्रश्न संख्या-700 की सूची) परिशिष्ट "क"

रिक्त पदों की सूचना

क्र.सं.	नाम विद्यालय	रिक्त पद	विषय
1	2	3	4
1. प्राध्यापक			
1.	राउमावि., पवाना	02	हिंदी/भूगोल
2.	राउमावि., सुदुपुराढाढा	03	हिंदी/अंग्रेजी/नागरिकशास्त्र
3.	राउमावि., राजनौता	03	हिंदी-2/इतिहास
4.	राउमावि., दांतिल	02	हिंदी/नागरिक शास्त्र
5.	राउमावि., नारेहड़ा	02	इतिहास/नागरिकशात्र
6.	राउमावि., कोटपूतली	03	नागरिकशास्त्र/भूगोल/अर्थशास्त्र
7.	राउमावि., पावटा	02	अर्थशास्त्र/संस्कृत
8.	राबाउमावि., कोटपूतली	03	हिंदी-2/गृह विज्ञान
9.	राबाउमावि., पावटा	01	नागरिकशास्त्र
10.	राउमावि., चिमनपुरा	05	हिंदी/अंग्रेजी/हिन्दी ऐच्छिक/भूगोल/नागरिकशास्त्र
	योग	**26**	
2. वरिष्ठ अध्यापक			
1.	राउमावि., बड़नगर	01	गणित
2.	राउमावि., दांतिल	01	गणित
3.	राउमावि., टसकोला (मावि.)	01	गणित
4.	राउमावि., पाचूड़ाला	01	गणित
5.	राउमावि., गोनेड़ा	01	विज्ञान
6.	राउमावि., पावटा (राउमावि)	01	विज्ञान
7.	राउमावि., राजनौता	01	अंग्रेजी

1	2	3	4
8.	राउमावि., कोटपूतली	01	अंग्रेजी
9.	रामावि., छारदड़ा	01	अंग्रेजी
10.	रामावि., भाकरी	01	अंग्रेजी
11.	राबाउमावि., कोटपूतली	07	गणित-3/अंग्रेजी-2/सामान्य-2
12.	राबाउमावि., पावटा	01	अंग्रेजी
13.	राबामावि., बनेठी	05	अंग्रेजी/गणित/विज्ञान/सामा-2
14.	रामावि., कारोली	03	अंग्रेजी/विज्ञान/सामान्य
	योग	26	

3. **अध्यापक**

1.	राउमावि., बड़नगर	01
2.	राउमावि., दांतिल	01
3.	राउमावि., नारेहड़ा	02
4.	राउमावि., बनेठी	02
5.	शुक्लावास	02
6.	भोनावास	01
7.	बनार	01
8.	राउमावि., चिमनपुरा	01
9.	रामावि. भाकरी	01
10.	राबाउमावि., पावटा	03
11.	राबामावि., बनेठी	01
12.	राबाउमावि., कोटपूतली	02
	कुल 10+8 =	18

परिशिष्ट "क"

विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त अध्यापक पदों का विवरण

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	रिक्त पद	
		द्वि. श्रे.	तृ. श्रे.
1	2	3	4
1.	राउप्रावि., कल्याणपुराकलां	—	02
2.	राउप्रावि., कल्याणपुराखुर्द	—	01
3.	राउप्रावि., करवास	—	01
4.	राउप्रावि., कालूहेड़ा	—	02
5.	राउप्रावि., केशवाना-राजपूत	—	01
6.	राउप्रावि., कुजोता	—	03
7.	राउप्रावि., खडब	—	01
8.	राउप्रावि., मलपुरा	—	02
9.	राउप्रावि., गोरधनपुरा	—	02
10.	राउप्रावि., गोपालपुरा	—	01
11.	राउप्रावि., चतुर्भुज	—	02
12.	राउप्रावि., जयसिंहपुरा	—	03
13.	राउप्रावि., दोरड़ा	—	01
14.	राउप्रावि., ढाढासुदरपुरा	—	03
15.	राउप्रावि., ढाणी करोड़ी	—	02
16.	राउप्रावि., ढाणी झीड़ा	—	04
17.	राउप्रावि., द्वारिकापुरा	—	02
18.	राउप्रावि., धालेड़ा	—	01
19.	राउप्रावि., नांगल पण्डितपुरा	—	04
20.	राउप्रावि., पनियाला	—	05

1	2	3	4
21.	रा.उ.प्रा.वि., पाथरेड़ी	—	02
22.	रा.उ.प्रा.वि., फतेहपुराकला	—	02
23.	रा.उ.प्रा.वि., फतेहपुरा खुर्द	—	01
24.	रा.उ.प्रा.वि., बसई	—	01
25.	रा.उ.प्रा.वि., भूरी भडाज	—	01
26.	रा.उ.प्रा.वि., बूचारा	—	02
27.	रा.उ.प्रा.वि., मोरदा	—	05
28.	रा.उ.प्रा.वि., मोलाखेड़ा	—	02
29.	रा.उ.प्रा.वि., रामपुरा	—	02
30.	रा.उ.प्रा.वि., रामसिंहपुरा	—	02
31.	रा.उ.प्रा.वि., रायकर्णपुरा	—	01
32.	रा.उ.प्रा.वि., राहेड़ा	—	01
33.	रा.उ.प्रा.वि., सूजातनगर	01	01
34.	रा.उ.प्रा.वि., सुन्दरपुरा	—	02
35.	रा.उ.प्रा.वि., मोहनपुरा	—	02
36.	बा.उ.प्रा.वि., बनेठी	01	04
37.	बा.उ.प्रा.वि., दांतिल	01	04
38.	बा.उ.प्रा.वि., तांगतेड़ा	01	01
39.	बा.उ.प्रा.वि., सुदरपुरा-ढाढा	01	01
40.	बा.प्रा.वि., सब्जीमण्डी, कोटपूतली	—	01
41.	उ.प्रा.वि., मण्डी	—	01
42.	उ.प्रा.वि., जोधपुरा	—	01

1	2	3	4
43.	उप्रावि., मातेरा	—	05
44.	उप्रावि., पावटा	—	04
45.	उप्रावि., कुनेई	—	01
46.	उप्रावि., खेलना	—	02
47.	उप्रावि. कल्याणपुरा	—	01
48.	उप्रावि., तुलसीपुरा	—	—
49.	बाउप्रावि., प्रागपुरा	01	02
50.	बाउप्रावि., पांचूड़ाला	01	04
51.	बाउप्रावि., माकरी	01	04
52.	बाउप्रावि., मण्ड़ा	01	01
53.	प्रावि., ढाणी गूजरान	—	01
54.	बाप्रावि., बनेठी	—	01
55.	प्रावि., मनार	—	02
56.	बाप्रावि., कारौली	—	01
	योग	09	111

Government of Rajasthan

Irrigation Department

No. F. 27 (33) Irg./96 November, 3. 1998.

The Chief Engineer
Irrigation (North)
Hanumangarh.

Sub :- Regarding Construction of Biharipura Minor.

Ref :- Your letter No. F.3/Tech./22 Pt.-V/5883 dated 14.8.98.

Sir,

I Am directed to conmvey sanction of the Government for construction of Biharipura Minor, subject to the following conditions :-

1. Construciton of Biharipura Minor may be under taken only after the M.S.R. Distributary and water courses are lined by C.A.D. Department. In no case construction should be started before the aforesaid activities are completed.
2. The provision of lining may be deleted.
3. The beneficiaries should from a water users Association and agree to take upn sprinkler/pressure irrigation to conserve water en-masse.
4. Water allowances of Minor should be about 1.5 cusecs per 1000 acres of CCA and accordingly the section of the Minor as proposed m the estimate needs to be reduced.

Yours faithfully,

Sd/-

(R.C. Agrawal)
Officer On Special Duty

General Abstract of Cost

No.	Particulars	Amount
1.	E/W and single Brick lining of Munsary Disty. From R.D. 0 to 15500	Rs. 62,61,000.00
2.	E/W excavation of Biharipura Minor from R.D. 0 to 11500 Tail	Rs. 7,85,000.00
3.	Construction of one No. VRB on Bihari pura Minor	Rs. 1,48,000.00
4.	Construction of Two No. Out-lets on Biharipura minor	Rs. 46,000.00
	Total	**Rs. 72,40,000.00**
	Add 2% contigency	**Rs. 1,45,000.00**
	Net Total	**Rs. 73,85,000.00**
	Say	**Rs. 73.85 Lacs**

Sd/-
Executivee Engineer
Irrigation Division-II
Hanumangarh Division

Technical Report

The estimate amounting to Rs. 73.85 lacs has been framed to cover the probable cost of construction of Biharipura Minor off-taking from RD 15500-L of Munsary Distributory.

This includes the cost of Lining of MSR Disty. from Head to RD 15500. The proposed BHP Minor's Hydraulic data's are as under :—

off take RD	15500-L of MSR Disty.
CCA	1237 Acres.
Discharge	3.34 CS.
FSL Dy. U/S	659.34
FSL Mr. D/S	658.34
Length of Mr.	11500
No. of chaks	2. Nos. (1 BHP, 2 BHP)

The CCA of BHP Minor consist (471) acres of old CCA, which is already getting water from KRP Minor Bhadra Dy. & MSR Dy. Chaks. The new proposed CCA 766 Acres contains De-command area which could not getting water due to water scarcity. The lining of MSR Dy. will provide 1.52 Cs. by saving seepage losses. Hence only 0.69 Cs. additional discharge is to be required which is neglagible.

The proposal is to provide water to area which has been declared de-command from command in past. So the proposal is compatable with the norms and policy of the department and does not tentamount to new command declaration.

The revision in capacity of MSR Dy. will not require any expenditure in remodelling because the adequate free board is already available and additional discharge is only 3.34 Cs. There will be no need of remodelling in the capacity of BHP Disty. & KRP Minor.

The proposed Minor will create an additional Irrigation potential of 766 acres at a cost of Rs. 73.85 which works out to Rs. 9641.00 per

acre. The benefit which will occur at design croping patern & design irrigation intensity with prevailing market rate of various inputs and average yields of crop work out to Rs. 5241.00 per acres, so the B.C. ratio as per 5 years works out to 1.62

This proposed area can not be covered by Nohar and Sidhmukh Feeder. There is no other alternative to provide irrigation facilities to this area except this proposed Biharipura Minor.

The estimate has been prepared on the basis of current BSR which is enforced from March, 1998 sin[illegible] provided in the li[illegible] [illegible] Lining has been [illegible] work of MSR Dy. Similar to the specification follwed in Gang Canal Link Channel Sriganganagar. Earthen section is kept for Bihari pura Minor.

The proposed BHP Minor will cross the Railway line Bhadra-Hanumangarh at stone No. 438/468. The cost of constructing Rly. culvert will be added after getting the permission & estimate from Rly. authority.

Sd/-
Executive Engineer,
Irrigation Div. II,
Hanumangarh Junction.

परिशिष्ट-11

(अतारांकित प्रश्न संख्या-721 का विवरण)

परिशिष्ट "अ"

तहसील क्षेत्र देसूरी में अनुसूचित जाति की खातेदारी भूमि पर स्वर्ण जाति के सदस्यों का कब्जा सूचना

नाम ग्राम	अनु.जाति/ जनजाति के सदस्यों का नाम जिनकी भूमि पर अतिक्रमण है	अनु. जाति/जनजाति के व्यक्तियों की खातेदारी भूमि पर नाजायज कब्जा			नाजायज अतिक्रमण करने वाले का नाम	इस संबंध में की गई कार्यवाही का विवरण
		ख. नं.	रकबा	किस्म		
नीखुर्द	श्री कलाराम पुत्र कुमा. नि. भगवानपूरा, भूराराम पुत्र राजा निवासी मोकमपुरा जाति मेघवाल	496/3	2.79	बी-1	श्री बाबूलाल, प्रवीण कुमार पि. अचल चंद जाति जैन निवासी रानीखुर्द	धारा 183 "बी" के तहत कार्यवाही हेतु प्रकरण संस्थापित है।
नीखुर्द	श्री भंवर लाल पुत्र किस्तुर जाति मेघवाल निवासी दावाई	496.4	0.93	बी-1	—	—

1	2	3
16.	बाड़ा परात 20 × 10	गोडाला
17.	मस्जिद पुख्ता, दुकान एक	बसर
18.	कब्रिस्तान ख.नं. 252-3 बीघा 11 बिस्वा	बसर
19.	महर चिल्ला ख.नं. 307 - 6 बीघा	बसर
20.	दरगाह कच्ची	लानूरा
21.	आराजी माफी बारानी 1 बीघा 2 बिस्वा	लानूरा
22.	मस्जिद और आराजी 3 बीघा 14 बिस्वा	उमराद वीरा
23.	मजार गांव के उत्तर में	थाड़ा
24.	मस्जिद 3 बिस्वा	धामोतर
25.	कब्रिस्तान ख.नं. 268 - 4 बिस्वा	बारडा
26.	मस्जिद पुख्ता नियर सोजरा तालाब 3 बिस्वा	देवगढ़
27.	मस्जिद और जमीन ख.नं. 393, 432, 472, 1101 9 बीघा 2 बिस्वा	पमोली
28.	मस्जिद ख.नं. 80 - 5 बीघा	हाथोनिया
29.	कब्रिस्तान ख.नं. 876, 350 - 3 बीघा 5 बिस्वा	हाथोनिया
30.	मस्जिद शहर वाली, 3 आम के पेड	हाथोनिया
31.	इमामबाड़ा 25 × 15	राजपुरिया
32.	मजार	मोरझार
33.	मस्जिद पुख्ता 972, 973, 746 - 9 बीघा 6 बिस्वा दरगाह	अरनोद
34.	ईदगाह 2 बीघा	अरनोद
35.	दरगाह [illegible] 4 बिस्वा	[illegible]

1	2	3
56.	मस्जिद सूरजपोल दरवाजा	प्रतापगढ़
57.	ईदगाह बड़ी	प्रतापगढ़
58.	मस्जिद बागरवाली	प्रतापगढ़
59.	चिल्ला दरगाह मदार धाईजी का दरवाजा 339 - 3 बीघा 13 बिस्वा	प्रतापगढ़
60.	कब्रिस्तान नियर काकाशाह की दरगाह - 1.5 बीघा	प्रतापगढ़
61.	कब्रिस्तान नियर बड़ पाउड हाउस 2 बीघा	प्रतापगढ़
62.	कब्रिस्तान वीथ बड़ी ईदगाह - 1 बीघा	प्रतापगढ़
63.	वैल वीथ बडी ईदगाह	प्रतापगढ़
64.	मजार काकाशाह	प्रतापगढ़
65.	मजार नियर बड़ी दरवाजा	प्रतापगढ़
66.	तालाब विथ मस्जिद	प्रतापगढ़
67.	मजार सूरजपोल	प्रतापगढ़
68.	मजार नियर इमामबाड़ा सुरजपोल	प्रतापगढ़
69.	मजार बड़ा बाग	प्रतापगढ़
70.	मजार गुंडीवाला पीर	प्रतापगढ़
71.	मजार नियर जिमनिग फैक्ट्री	प्रतापगढ़
72.	मजार नियर जनाना हास्पिटल	प्रतापगढ़
73.	इमामबाड़ा धोयो की तलाई	प्रतापगढ़
74.	इमामबाड़ा रंगरेजान धाई दरवाजा	प्रतापगढ़

परिशिष्ट "क"

तहसील प्रतापगढ़ जिला चित्तौड़गढ़ में स्थित वक्फ सम्पत्तियों की सूची जो वक्फ अधिनियम, 1954 की धारा 26 व वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 37 के अन्तर्गत रखे गये रजिस्टर में अंकित हुई है

क्र.सं.	वक्फ जायदाद का नाम	ग्राम/तहसील/पता
1.	कब्रिस्तान	बराबरदा
2.	दरगाह मेहतावशाह	बगवास
3.	दाउदी बोहरा जमात खनत 3 मंजिला 1 मथ 1 मंजिला मकान	वार्ड नं. 13 मौहल्ला नजरबाग पुराना बगड़ा तहसील प्रतापगढ़ जिला चित्तौड़गढ़
4.	मदरसा सैफिया 2 मंजिला बिल्डिग जो दाऊदी बोहरा जमात ने चन्दे से तामीर कराया	मौहल्ला नजर बाग वार्ड नं. 13 मकान नम्बर 13 मकान नं. 141 प्रतापगढ़
5.	बैक बिल्डिग 1 मंजिला व मय दुकानात 5 मुतालेका मदरसा सौफ़िया, प्रतापगढ़	महात्मा गांधी रोड पुरना बगड़ा
6.	(1) मकान 2 मंजिला मौहल्ला तकसाल	तकसाल मौहल्ला वार्ड नं. 3 मकान नं. 224.
	(2) मकान 3 मंजिला मलकापुरवाला तहसील लाइब्रेरी जेदी मकान मुताल्लिका मदरसा सैफिया प्रतापगढ़	सदर बाजाद वार्ड नं. 4 मकान नं. 15 प्रतापगढ़ जिला चित्तौड़गढ़
7.	मकान तीन मंजिला जिसमें 26 कमरे हैं मय गुसलखाना तहारत और चौक मुताल्लेका मदरसा सैफिया, प्रतापगढ़	नाम मौहल्ला नज्मपुरा क. बा. मन्दसोर तहसील मन्दसोर जिला मन्दसोर, मध्य प्रदेश
8.	आराजी ख.नं. 497, 495, 496 में से 24, 700 वर्गफीट ख.नं. 49, 92491 में से 15600 वर्गफीट जवाहर नगर प्रतापगढ़ तहसील प्रतापगढ़ जिला चित्तौड़गढ़	—

फतेहपुर एवं रामगढ़ शहर के अस्पतालों में चिकित्सकों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों की सूची

क्र. सं.	संस्थान का नाम	स्वीकृत पद मय संख्या			रिक्त पद की दिनांक कब से
1.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, फतेहपुर	कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन)	1		—
		कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	1		डा. राजेश गुप्ता का पद स्थापन कर दिया गया है।
		कनिष्ठ विशेषज्ञ (नैत्र)	1		—
		वरिष्ठ चिकि. अधि.	1		चिकित्सा अधिकारी पद विरुद्ध कार्यरत है।
		चिकित्सा अधिकारी	3		—
		दन्त चिकित्सक	1		—
2.	एक्सीडेंट इकाई, फतेहपुर	चिकित्सा अधिकारी	3		—
3.	पी.पी.सी., फतेहपुर	कनिष्ठ विशेषज्ञ (गायनी)	1	1	1 दिनांक 9.2.2001
		कनिष्ठ विशेषज्ञ (शिशु)	1	1	1 दिनांक 4.10.99
4.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामगढ़ सेठान	कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडि.)	1	—	
		कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	1	1	1 दिनांक 8.7.99
		वरिष्ठ चि. अधिकारी	1	—	—
		चिकित्सा अधिकारी	2		—
5.	मातृ शिशु कल्याण	चिकित्सा अधिकारी	1		—

पुष्कर घाटी में अपूर्ण बाइपास पूरा करवाने विषयक

(श्री रमज़ान खान—पुष्कर)

निवेदन है कि तीर्थराज पुष्कर एक विश्व विख्यात तीर्थस्थल है, जहां पर देशी और विदेशी हजारों तीर्थयात्री हर दिन आते हैं।

अजमेर शहर से पुष्कर जाने का रास्ता पुष्कर घाटी से होकर जाना पड़ता है। पैदल एवं वाहनों का एक ही रास्ता है, जिससे आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं और कई तीर्थ यात्रियों की इन दुर्घटनाओं में अकाल मौतें हो चुकी हैं।

इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए पुष्कर विकास मण्डल की बैठक में जिसके चेयरमैन माननीय मुख्य मंत्री होते हैं, उनकी अध्यक्षता में निर्णय लिया गया कि इन दुर्घटनाओं से बचने के लिए एक बाइपास सड़क का निर्माण किया जाये, जिस मार्ग पर घाटी नहीं आती हो। इस मार्ग बाइपास का रास्ता पुष्कर से फाईसागर रोड वाया खरेकड़ी होती हुई 13 किलोमीटर सड़क का निर्माण करने का निर्णय लिया गया, इस निर्णय के अनुसार इस 13 कि.मी. सड़क को सार्वजनिक निर्माण विभाग को बनाना था। इस सड़क की स्वीकृति के बाद सार्वजनिक निर्माण विभाग ने पुष्कर से खरेकड़ी तक 7 कि.मी. सड़क का निर्माण 3 वर्ष पूर्व करवा दिया, परन्तु खरेकड़ी से फाईसागर तक 6 कि.मी. सड़क को छोड़ दिया गया और यह कहा गया कि यह बाकी बची सड़क का टुकड़ा कृषि उपज मण्डी समिति, अजमेर बनायेगी। मैंने गत वर्ष विधान सभा में इसी प्रश्न को उठाया था, उसके बाद कृषि उपज मण्डी समिति, अजमेर के प्रस्ताव को विपणन बोर्ड राजस्थान ने एक बार दूसरे फेज में स्वीकृत भी की, इस सड़क के टैंडर भी हो गये, परन्तु बिना किसी कारण से इस स्वीकृति को रद्द कर दिया गया। मैंने कई बार इस प्रकरण को विधान सभा में उठाया है, परन्तु उसका अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आये दिन पुष्कर घाटी में तीर्थ यात्रियों की हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इस अपूर्ण बाइपास का बनना बहुत जरूरी है।

अतः खरेकड़ी से फाईसागर तक 6 कि.मी. सड़क का शीघ्र निर्माण करवा कर इस अपूर्ण बाइपास को पूर्ण करवाने का कष्ट करें।

विधान सभा क्षेत्र खारची के सारण गांव में ट्यूबवैल की व्यवस्था करने विषयक

(श्री केसाराम चौधरी—खारची)

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है विधान सभा क्षेत्र खारची के सारण गांव में पीने के पानी की व्यवस्था दस वर्ष पूर्व की गई थी। इसके लिए विभाग द्वारा समय-समय पर सावधानी बरतते हुए इस पेयजल स्कीम को यथावत चालू रखना उनका कर्तव्य बनता है लेकिन इस वर्ष वर्षा की कमी के कारण पहाड़ी भू-भाग में सारण तालाब के नहीं भरने से उसमें पानी की आवक कम हो गई एवं कम होने के साथ पानी खारा होने से पेयजल योग्य नहीं रहा है। जिससे इस पांच हजार की आबादी के सारण गांव के लोग पेयजल के लिए अत्यधिक परेशान हो रहे हैं, जबकि पेयजल विभाग को ऐसी जानकारी मिलने के बाद तत्काल अन्य ट्यूबवैल की व्यवस्था करनी चाहिए जो अब तक नहीं की गई है, जिससे गांव में लोगों में जबरदस्त आक्रोश फैला हुआ है।

राजस्व ग्राम एवं ग्राम पंचायत मुख्यालय बोरीमादा में भी पेयजल की कोई स्कींम नहीं होने से इस वर्ष लगभग दो हजार की आबादी के ग्रामवासी बूंद-बूंद के लिए परेशान हो रहे हैं और अत्यधिक दूरी से महिलाएं व बच्चे पेयजल लाने को बाध्य हो रहे हैं। इस कारण से इस ग्राम में जब तक स्कीम नहीं बने तब तक सार्वजनिक कुएं व व्यक्तिगत कुएं को विभाग तत्काल गहरा करवा कर पानी उपलब्ध कराये, साथ ही इसी पंचायत के ग्राम, माधला गुड़ा गांव में पेयजल की टंकी बनी हुई है। लेकिन अभी तक इस टंकी को भरने के लिए ट्यूबवैल व बिजली की व्यवस्था नहीं होने से चिन्ताजनक स्थित बनी हुई है। अतः इसका समाधान तत्काल किया जाना अति आवश्यक है।

अतः विशेष उल्लेख के माध्यम से मेरा पेयजल विभाग मंत्री से निवेदन है कि दोनों ग्राम पंचायतों में पेयजल व्यवस्था अत्ति शीघ्र करने का आदेश करवा कर मुझे अवगत करावें।

विधान सभा क्षेत्र बामनवास की पंचायत समिति बौंली में 132 के.वी., जी.एस.एस. लगाने विषयक

(डा. किरोड़ी लाल—बामनवास)

मेरे विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समिति बामनवास एवं बौंली के ग्राम बाढ़सोहन, रामपुरा, रामसिंहपुरा (द्वितीय) बानोरपर, कोतेता, बारपुरा, माधोपुरोग्रेरावषड, नांगलताई, महरावण्ड, घासोलाखुर्द, गोठमोरया, बाढसामोद, राधेकी, मांगरोल आदि गांव की लगभग 11 के.वी. लाइन काफी लम्बे समय से क्षतिग्रस्त है और रिकार्ड में इन गांवों को विद्युतीकृत दिखा रखा है। इन गांवों में से कई गांवों में तो 11 के.वी. लाइन कभी खींची ही नहीं गई और उसे खींची हुई दर्शा कर बाद में क्षतिग्रस्त घोषित कर दिया गया। मैं चाहता हूं कि ऐसे गांवों को विद्युतीकृत किया जाये ताकि क्षतिग्रस्त 11 के.वी. लाइन को बोर्ड के खर्चे से खिंचवाया जाये।

पंचायत समिति, बामनवास को विभाग द्वारा शत-प्रतिशत विद्युतीकृत घोषित कर रखा है जबकि बामनवास के ग्राम बामोर को आज तक विद्युतीकृत नहीं किया गया है।

पंचायत समिति, बामनवास के दो गांव तथा बौंली के नौ गांवों की विद्युत लाइन पूरी हो जाने के कारण विद्युत आपूर्ति काफी समय से ठप्प पड़ी है। बामनवास के ग्राम रामनगरढ़ोसी की लाइन को क्षतिग्रस्त एवं चोरी होना दोनों बताया है जबकि उस गांव का आज तक विद्युतीकृत किया ही नहीं गया। इस गांव के लोगों ने विभाग के अधिकारियों के कहने पर बिजली की फाइल लगा कर डिमाण्ड नोटिस जमा करवाये वर्षों गुजर गये किन्तु आज तक गांव को कनेक्शन नहीं दिये गये।

बामनवास क्षेत्र में बिजली आपूर्ति की भारी समस्या को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 2000-2001 में ग्राम नागरहेड़ा में 33/11 के.वी., जी.एस.एस. बिजली विभाग द्वारा स्वीकृत किया था किन्तु अफसोस की बात है कि उसका कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया है। इस प्रकार क्षेत्र के साथ भारी पक्षपात किया जा रहा है। अतः जी.एस.एस. का कार्य अतिशीघ्र चालू किया जाये।

विद्युत आपूर्ति की दृष्टि से विधान सभा क्षेत्र बामनवास की पंचायत समिति, बौंली में सदैव समस्या बनी रहती है जिससे उपभोक्ताओं को भारी समस्याओं का सामना आये दिन करना पड़ता है। बौंली में 132 के.वी., जी.एस.एस. बनाये जाने की मांग काफी लम्बे समय से उठ रही है तथा विभागीय अधिकारी भी यह महसूस करते हैं कि बौंली में 132 के. वी., जी. एस. एस. बनाया जाना अपेक्षित है तकनीकि रूप से भी बौंली में जी. एस. एस. की उपयुक्तता स्वीकार की जाती है। अतः विद्युत समस्या के स्थायी समाधान के लिए बौंली में 132 के.वी., जी.एस.एस. जनहित में स्वीकृत कर निर्मित कराया जावें।

विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन के कतिपय ग्रामों को हिण्डौन थाने के अन्तर्गत करने विषयक

(श्री भरोसीलाल—हिण्डौन)

निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन के डांग क्षेत्र के ग्राम खरैटा, झिरना, पोछडी, भंगो, बाढ़ पोछड़ी, मोढीयापुरा, आरेनी गुर्जर, खानवाड़ा, आदि ग्राम 1991 से पूर्व उपरोक्त ग्राम हिण्डौन थाने के अन्तर्गत आते थे। लेकिन 1992 से ये ग्राम सुरोठ थाने में लगा दिये गये हैं। इन ग्रामों से हिण्डौन थाने की 15 कि.मी. की दूरी है। जबकि इन ग्रामों को हिण्डौन होकर सुरोठ थाने में जाना पड़ता है सुरोठ थाने की दूरी 30 कि.मी. दूर पड़ती है। ये सभी ग्राम बीहड़ जंगल में बसे हुए हैं। यदि संयोगवश डकैती चोरी हो जाती है तो पैदल जाने में 6 घंटे से 8 घंटे तक लग जाते हैं।

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि उपरोक्त सभी ग्रामों को हिण्डौन थाने के अन्तर्गत सम्मिलित करने की कृपा करें जिससे ग्रामवासियों की परेशानी दूर हो सके।

विधान सभा क्षेत्र भादरा के गांवों/चकों का अधूरा पड़ा एकीकरण कार्य शीघ्र करवाने विषयक

(श्री संजीव बेनीवाल—भादरा)

मेरे विधान सभा क्षेत्र भादरा की राजस्व तहसील भादरा के 24 राजस्व गांव का क्रम 15572.068 हैक्टेयर रकबा चकबन्दी (एकीकरण) की कार्यवाही से बचा हुआ है। उपरोक्त गांवों के काश्तकारों की छोटी जोतों को उनकी बड़ी जोतों के साथ शामिल करके उनके खेत चौकोर बन सकें तथा छोटे-छोटे टुकड़ों में काश्त हेतु इधर-उधर भागना नहीं पड़े इसके लिए यह ग्राम राजस्थान का नोमाइजेशन एक्ट 1954 के तहत घोषित किये गये तथा इसके अन्तर्गत किलाबंदी मुरब्बाबंदी एवं चकबंदी की गई तथा इन गांवों को सिंचित क्षेत्र प्रस्तावित होना राज्य सरकार ने घोषित कर दिया। तथा इसके बाद इन गांवों में भूमि एकीकरण अधिनियम लागू कर दिया गया और पुराने परम्परागत सीखडोत्र समाप्त कर दी गई तथा पुराने टेढ़े-मेढ़े रास्ते भी समाप्त कर दिये गये और सीधे चौड़े रास्ते कायम कर दिया गये और पानी के जाने आदि के लिए भूमि सुनिश्चित कर दी गई। किन्तु कार्य पूर्ण होने से पूर्व ही सरकार ने 1960 में एक अधिसूचना जारी करके एकीकरण का कार्य बन्द कर दिया गया जिसके कारण इन गांवों के रकबो में किलाबंदी मुरब्बाबंदी पूरी कर लेने और एकीकरण विभाग ने अपना रिकार्ड तैयार कर लेने के पश्चात् भी रिकार्ड के अनुसार

लोगों को काबिज बताना बाकी रह गया। इस कारण जो लोग खातेदार थे अपनी-अपनी सीनो के अन्दर ही काबिज बने हुए हैं और वही पीढ़ियों पुरानी नींव एक खेत से दूसरे खेत के बीच कायम है जो खसरों में है जबकि रिकार्ड में उनका खातेदारी इस किलाबंदी में दर्ज है। इस बात से प्रोत्साहित होकर चालाक व ताकतवर लोग रिकार्ड में दर्ज होने का नाजायज लाभ उठाकर कमजोर व भोले-भाले लोगों को पीछे धकेल देते हैं जिससे आये दिन यहां पर झगड़े फसाद होते रहते हैं। इसके अलावा प्रत्येक चकवाइज व गांववाइज कोलोनाइजेशन विभाग ने व एकीकरण विभाग ने जो आराजीयात रकबा छंटनी किया था जिसका कब्जा बरकरार था जो पहले के कानून के मुताबिक चार माला काश्त कहलाती थी, को चालाक लोगों ने राजस्व अधिकारियों से मिलकर अपने नाम दर्ज करवा लिया है जो कई हजार बीघा है।

अतः आपसे निवेदन है कि यह इस क्षेत्र की प्रमुख समस्या है तथा इसके समाधान हेतु इन गांवों/चकों का अधूरा पड़ा एकीकरण कार्य पूरा करवाने के आदेश प्रदान करे जिससे राजस्थान सरकार को राजस्व की वसूली भी होगी और यहां के किसानों के आपसी लड़ाई झगड़े भी समाप्त हो जायेंगे।

सादर।